अंक 46

राजभाषा भारती

जुलाई - सितम्बर 1989

मद्रास : भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय में नेहरु जन्मशती समारोह की एक झलक

दोणिमले बल्लारी (कर्नाटक): "राजभाषा स्मारिका" का विमोचन करते हुए महाप्रबन्धक श्री एस. के. अग्रवाल (मध्य में)

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष. : 12
अंक : 46

आषाढ़--आश्विन 1911 शक
जुलाई--सितंबर 1989

महेशचन्द्र गुप्त
डी लिट
...क (अनुसंधान)
...न : 617807

...-संपादक
डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन : 693054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

निःशुल्क वितरण के लिए

सम्पर्क सूत्र :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खानमार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

सम्पादकीय
पाठकों के पत्र

☐ चिन्तन — पृष्ठ

1. राजभाषा हिंदी ही क्यों ? — क्षेमचन्द्र सुमन — 3
2. सामासिक संस्कृति की प्रतीक--हिन्दी — डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी — 9
3. हिंदी का सरलीकरण —एक नया दृष्टिकोण — डॉ. नरेश कुमार — 11
4. हिंदी की एक अल्पना मांडने के लिए — बालकवि बैरागी — 13
5. मुगलों के राजकाज में हिंदी — डॉ. रामबाबू शर्मा — 17
6. अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा महत्व — शिल्पा महाले — 20
7. हिंदी के माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि — अरविंद कुमार जोशी — 22
8. कृषि क्षेत्र में अनुवाद — अवधेश मोहन गुप्त — 25
9. हिंदी में वैज्ञानिक पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास — डॉ. संतोष कुमार शर्मा — 28
10. हिंदी दिवस समारोह आयोजन में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की भूमिका — एम. के. वेलायुधन नायर — 31
11. हिंदी अष्टावधानी : डॉ. चेबोलु शेष गिरि राव — डॉ. वीरेन्द्र सक्सेना — 33

☐ साहित्यिकी

12. वर्ष 1988 का हिंदी का साहित्यिक परिचय — डॉ. सर्वदानंद द्विवेदी — 36
13. अनुवाद (कविता) — सतीश दुबे — 42
14. कन्नड़ : साहित्य, भाषा और राजभाषा — प्रदीप कुमार बक्शी — 44

☐ पुरानी यादें--नए परिप्रेक्ष्य में

15. युवकों ! हिंदी को जीवन का मिशन बनाओ! — महात्मा हंसराज — 47

☐ विश्व हिंदी दर्शन

16. बहुत सम्मान है हिंदी का भारत से बाहर — ब्रह्मदत्त स्नातक — 50

☐ समिति समाचार

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें 50

1. संसदीय कार्यमंत्रालय
2. नागर विमानन विभाग
3. जल संसाधन मंत्रालय
4. औद्योगिक विकास विभाग
5. भारतीय रिजर्व बैंक

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 57

1. वारंगल, 2. कलकत्ता, 3. पारादीप, 4. गांधीधाम, 5. अमरावती, 6. इंदौर 7. जबलपुर (बैंक), 8. इंदौर (बैंक), 9. कानपुर (बैंक), 10. लखनऊ (बैंक), 11. जोधपुर, 12. गोरखपुर

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
2. इंडियन एअर लाइन्स (मु.)
3. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया
4. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
5. सर्वेक्षण व निर्माण, प. रेलवे, कोटा

☐ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

1. विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना में राजभाषा संगोष्ठी
2. दोणिमलै लौह अयस्क खान में राजभाषा तकनीकी सेमिनार
3. सेल में राजभाषा सेमिनार
4. इंजीनियर्स इंडिया लि. में राजभाषा संगोष्ठी
5. नागपुर में संपर्क अधिकारी सम्मेलन
6. केनरा बैंक, चंडीगढ़ में राजभाषा अधिनियम 1963 रजत जयंती समारोह

☐ हिंदी के बढ़ते चरण 82

1. राजभाषा के प्रयोग में एक अग्रणी बैंक (भेंट वार्त्ता)
2. आंध्र बैंक (केन्द्रीय), हैदराबाद में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति
3. केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय बेंगलूर में हिंदी प्रयोग
4. इंजीनियर्स इंडिया लि. नई दिल्ली में राजभाषा का बढ़ता प्रयोग
5. दीपक परियोजना (मु.) शिमला में हिंदी प्रयोग

☐ हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह 90

☐ हिंदी कार्यशालाएं 94

☐ विविधा

○ समाचार दर्शन 101

○ राजभाषा पुरस्कार/प्रोत्साहन 102

○ प्रेरणापुंज 103

○ पुस्तक समीक्षा 105

☐ आदेश-अनुदेश 106

संपादकीय

भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन में जनता को जहां हमारे महान राष्ट्रनेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया, वहीं पर अनेक कवि-लेखकों की लेखनी से निस्सृत रचनाओं ने भी आजादी की लड़ाई को वाणी दी। अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने की दृष्टि से आजादी के दीवानों की वाणी पर समय-समय पर अंकुश लगाने की दृष्टि से रचनाएं जब्त कीं। प्रस्तुत हैं डॉ. रामजन्म शर्मा द्वारा सन 1930 में रचित एक जब्तशुदा गीत के कुछ अंश:—

दे दे मुझे तू ज़ालिम, मेरा यह आशियाना,
आरामगाह मेरी, मेरा बहिश्तखाना[1] ।

दे कर मुझे भुलावा, घर-बार छीन कर तू,
उसको बना रहा है, मेरा ही क़ैदख़ाना ।

* * *

दर्दे जिगर से लेकिन चीखूंगी जब मैं हर दम,
गुलचीं[2] सुनेगा मेरा पुर-दर्द यह फ़साना[3] ।

सोज़े-निहां[4] की बिजली सर पर गिरेगी तेरे,
ज़ालिम ! तू मर मिटेगा, बदलेगा यह ज़माना ।

असंख्य अज्ञात एवं ज्ञात शहीदों के बलिदान से भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को संविधान परिषद् को सम्बोधित करते हुए कहा—"जब आधी रात के घण्टे बजेंगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस समय भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यह उचित है कि इस गम्भीर क्षण में भारत और उसके लोग और उससे भी बढ़कर मानवता के हितों के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें। . . . "हमें स्वतंत्र भारत का, विशाल भारत का निर्माण करना है।" किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शासक और जनता के बीच जनभाषा का प्रयोग अनिवार्य शर्त है।

स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्र-गान और राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गांधी जी ने एक बार इस प्रश्न पर विचार प्रकट करते हुए राष्ट्रभाषा के पांच गुण बताए ।

(1) राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकें;

(2) वह भाषा समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्पर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो;

(3) वह अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली जाती हो;

(4) सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो; तथा

(5) ऐसी भाषा को चुनते समय आरजी या क्षणिक हितों पर ध्यान नहीं दिया जाए।

---

[1]स्वर्ग जैसा घर [2]फूल तोड़ने वाला [3]कहानी [4]अन्तर अग्नि

गांधी जी का निश्चित मत था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें उपर्युक्त सभी गुण मौजूद हैं। वे जिस भाषा के पक्ष में थे वह एक ऐसी साधारण बोलचाल की भाषा थी जिसे सभी भारतीय मुक्त हृदय से स्वीकार कर लें।

आजादी से पहले तथा बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजभाषा के रूप में हिन्दी का समर्थन किया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के आजाद होने के पहले तथा बाद में देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्वीकार कर लिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था—"अगर आज हिन्दी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है।"

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को सर्वसम्मति से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए भारतवर्ष में 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमें अपनी भाषाओं को पढ़ने-लिखने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। मातृभाषा में भावाभिव्यक्ति सरल और सशक्त होती है। अपनी भाषाओं के प्रयोग से ही हम मानसिक गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं। एक बार महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा प्राचीन भारतीय लिपियों पर हिन्दी में अनुसंधानपरक ग्रन्थ लिख रहे थे। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने आग्रह किया कि वे इतने महत्वपूर्ण शोध को यदि अंग्रेजी में प्रकाशित करें तो उसका व्यापक प्रचार होगा और पाश्चात्य जगत को भी इस ज्ञान-गंगा से लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रभाषा प्रेम की भावना से ओतप्रोत ओझा जी ने उत्तर दिया कि "आप लोगों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने अंग्रेजी पढ़ी, आप लोगों को मेरा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है तो आपको हिन्दी पढ़नी होगी।" और इसके बाद अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने हिन्दी सीखी।

काश! आज हम सभी भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रभाषा के प्रति ऐसा सम्मान हो।

संवैधानिक दृष्टि से हिंदी संघ की राजभाषा है। अतः समय की मांग है कि जनता के साथ सम्पर्क और प्रशासन का सारा काम देश की राजभाषा हिन्दी में हो। भारत की भाषाएं काफी समृद्ध और समर्थ हैं। उनके माध्यम से राज्यों में सरकारी कामकाज सरलता और दक्षता से हो सकता है। इसके लिए सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग किया जाना गौरव की बात है।

प्रस्तुत अंक में 'चिन्तन' पक्ष के अन्तर्गत राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पक्षों पर ग्यारह लेख दिए जा रहे हैं। "साहित्यिकी" स्तम्भ अंक 45 में 'असमीः साहित्य, भाषा और राजभाषा' पर प्रदीप कुमार बख्शी का लेख शामिल किया गया था। इस बार इस कड़ी में श्री बख्शी द्वारा लिखित 'कन्नड़ : साहित्य, भाषा और राजभाषा' नामक लेख दिया जा रहा है। राजभाषा भारती में पहली बार "अनुवाद" शीर्षक एक कविता दी जा रही है। आशा है पाठकगण इस शुरुआत को पसन्द करेंगे। 'पुरानी यादें-नये परिप्रेक्ष्य में' महात्मा हंसराज का उद्बोधन—युवको! हिन्दी को जीवन का मिशन बनाओ' तथा 'विश्व हिन्दी दर्शन' स्तम्भ के अन्तर्गत श्री ब्रह्मदत्त स्नातक का लेख "बहुत सम्मान है हिन्दी का भारत से बाहर" शामिल किए गए हैं।

पत्रिका के अन्य स्थाई स्तम्भ "समिति समाचार", राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठी", "हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह", "हिन्दी कार्यशालाएं" आदि पूर्ववत हैं। "हिन्दी के बढ़ते चरण" स्तंभ में अन्य सामग्री के अलावा राजभाषा भारती से "केनरा बैंक" के महाप्रबन्धक श्री आर. श्रीधर पै से हुई बातचीत—"राजभाषा के प्रयोग में एक अग्रणी बैंक" शीर्षक से दी गई है।

विविधा तथा आदेश-अनुदेश स्तम्भों के अन्तर्गत पूर्ववत सामग्री संकलित है।

विश्वास है कि पाठक राजभाषा भारती के परिवर्तित/परिवर्द्धित रूप को पसन्द करेंगे और अपने विचार/सुझाव अवश्य भेजेंगे।

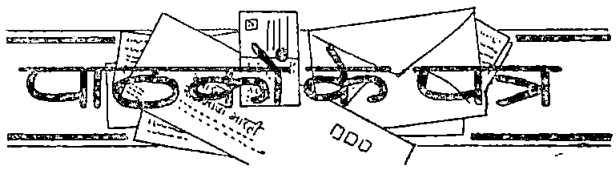

"राजभाषा भारती" अंक-43 परमोपयोगी ज्ञानवर्द्धन है तथा इसकी सामग्री अत्यन्त बहुमूल्य और हितकारी है।

श्रीमती नी.वि. देशपाण्डे, अनुवाद अधिकारी,
शिक्षा शाखा, दक्षिण कमान
मुख्यालय, पुणे-410001.

□

हमने आपकी त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" पढ़ी। इसमें हिन्दी के महत्व एवं गुरुत्व सूत्रों सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य पर प्रकाश डालने वाली सामग्री छपने से उपयोगी सिद्ध हुई है।

श्री शिव गुरु नायक, क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन बैंक,
44/45, लियो शिपिंग काम्पलैक्स, बैंगलूर-56002

□

"राजभाषा भारती" (अंक-43) को प्राप्त कर मन प्रफुल्लित हुआ जिसकी निगम में बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा की जाती है। सदा की भांति यह अंक भी स्वयं में सम्पूर्ण है। कुशल सम्पादन और समयोपयोगी लेखों के संकलन के लिए निगम की ओर से राजभाषा भारती परिवार को बधाई।

के.टी. उम्मन, विभागीय प्रबंधक (का.प्र.)
वन एवं वागान विकास निगम लि.,
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह,
पोर्ट ब्लेयर-744102

□

"राजभाषा भारती" (अंक-43) के सम्पादकीय से ज्ञात हुआ कि दूरदर्शन ने "देश की-वाणी" शीर्षक से फिल्म का निर्माण किया है। यह शुभ संकेत है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिंदी के महत्त्व को समझने लगा है। "चिन्तन" के अन्तर्गत "राजभाषा बनाम राजभाषा" पठनीय है। देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं शीर्षक लेख में श्री कौशिक मुखर्जी ने पर्याप्त नई जानकारी दी है। डॉ. ओम विकास ने "तकनीकी लेखन में कम्प्यूटर का योगदान" लेख में महत्वपूर्ण उद्घाटन किया। जब तकनीकी क्षेत्र में इतनी प्रगति संभव है, तो फिर निश्चित रूप से राजभाषा का पक्ष मजबूत है।

"साहित्यिकी" स्तम्भ में डॉ. दुबे का लेख पठनीय है। इतने महत्वपूर्ण अंक के संपादन के लिए हार्दिक बधाईयां स्वीकार करें।

डा. कैलाश चन्द्र भाटिया, निदेशक,
वृन्दावन शोध संस्थान, रमणरेती, वृन्दावन-281124

□

राजभाषा भारती अंक 44 में एक-एक निबंध खोजपूर्ण अनुभव के कारण पठनीय, ज्ञान वर्द्धन तत्वों से लबालब है। मैं तो इन लेखों को पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि करवाने के लिए सब लेखकों का कृतज्ञ हूं। हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप के परिप्रेक्ष्य के श्री भैरवनाथ सिंह का विवेचन सार्थक, समर्थ और सटीक है, उनको धन्यवाद दिए बिना नहीं रहा जा सकता। 'बैंकों में प्रयोग सिद्ध दिष्ट कोण डा. दलसिंगार यादव का निबंध बहुत कुछ कहपाने में समर्थ है। श्रीमती पुष्पा जंसल का अनुवाद एवं भाषान्तरण उच्चतम स्तर का तर्क सम्मत एवं खोजपूर्ण निबंध पठनीय—चिंतन करने योग्य है। डॉ. नरेश कुमार द्वारा अनुवाद की समस्याओं का सोदाहरण समाधान सफल प्रयास है।

राजभाषा हिंदी एक समय सभी रियासतों की राजभाषा स्वयं हो गई थी तथा 14-15 देशी राज्यों के उच्चतम न्यायालयों की भाषा भी थी। इस बात की पुष्टि श्री तेवतियां के निबन्ध से हुई।

विश्वम्भर प्रसाद गुप्त का इंजीनियरी विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी की प्रगति दर्शाने वाला निबंध गवेषणात्मक एवं रोमांचकारी है। दो निबंधों में महान विभूतियों (पं. नेहरु तथा जैनेन्द्र कुमार) के यशस्वी कार्य (राजभाषा) की ओर इंगित किया गया है साथ में ही श्रद्धापूर्वक स्मरण भी।

जगदम्बी प्रसाद यादव, पूर्व सांसद, ग्राम,
पोस्ट एकाशी जिला मुंगेर (बिहार)

□

"राजभाषा भारती" अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों में हो रहे राजभाषा सम्बन्धित क्रिया-कलापों से अवगत कराती है तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार में काफी उपयोगी सिद्ध हुई है।

आनन्द शंकर उपाध्याय
उप-प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)
हिन्दुस्तान पैपर कॉरपोरेशन लि.,
कछाड़ पेपर प्रोजेक्ट, पो. पंचग्राम,
असम-788802

□

"राजभाषा भारती" अंक-44 में चिन्तन के अन्तर्गत श्री भैरवनाथ सिंह द्वारा लिखित "राजभाषा हिन्दी का राष्ट्रीय-स्वरूप-एक विवेचन" निःसन्देह एक ज्ञानवर्धक व सारगर्भित लेख है। राजभाषा हिन्दी के वैधिक विकास तथा संविधान के अनुच्छेदों में उसकी अनुकूलता पर कुछ नया पढ़ने को मिला"।

इसके अतिरिक्त अनुवाद सम्बन्धी समस्याओं पर भी सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला गया है ।

राजिन्दर सिंह बेवली, राजभाषा अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 27/29 अम्बालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, बम्बई-400023

□

"राजभाषा भारती" समग्र देश में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । ऐसी सर्वोत्कृष्ट पत्रिका को पर्याप्त मात्रा में छपाने में उदासीनता क्यों बरती जा रही है ? दस वर्षों की यात्रा में तमाम खट्टे-मीठे अनुभव राजभाषा भारती को हुए हैं, फिर भी पत्रिका निरंतर गतिशील है ।

विभूति राय, राजभाषा अधिकारी, इलाहाबाद बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, सिविल लाइंस, पो.बा. 14, नागपुर-400001

□

"राजभाषा भारती" अपने नए रूप-स्वरूप के साथ आ रही है । आपको बहुत-बहुत बधाई ।

डॉ. शेरजंग गर्ग, उप प्रबंधक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., अशोक एस्टेट, 24-बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली-110001.

"राजभाषा भारती" का रूप निखर रहा है । कलेवर और सामग्री दोनों ही दृष्टिकोण से यह अत्यन्त उपयोगी पत्रिका है ।

संजीव पाठक, बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 8/1688, प्रथम तल, जोवनी मंडी, बेलनगंज, आगरा-282004

□

"राजभाष भारती" (अंक-43) बहुत ही उपयोगी पत्रिका है । इसे पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ । इसमें विभिन्न संस्थाओं, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों के विषय में दी गई जानकारी हिन्दी के बढ़ते कदम और लोगों की इसके प्रति रुचि निश्चय ही सराहनीय है । एक साथ इतने विषयों को चर्चा राजभाषा भारती के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में आपका प्रयत्न निश्चय ही अद्वितीय है ।

"राजभाषा भारती" में दिए गए लेख "देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं एवं अनुवाद : "युगीन आवश्यकता" बहुत ही सही विवेचन है ।

मदन मोहन उपाध्याय, शाखा मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, इंजीनियर्स इंडिया लि., रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

□

पत्रिका (राजभाषा भारती–अंक 44) का संपादकीय, राजभाषा के विविध पक्षों पर शोधपरक लेख विशेषकर–नेहरू जी का हिन्दी प्रेम, अनुवाद एवं भाषान्तरण, स्वतन्त्र चिन्तक जैनेन्द्र कुमार आदि इस अंक को गरिमा प्रदान करते हैं ।

डा. गुरु दयाल बजाज द्वारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया में हिंदी के कामकाज की समीक्षा हेतु बातचीत का प्रकाशन एक अच्छी शुरूआत है ।

प्रो. चमनलाल सप्रू, सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति (रक्षा तथा इस्पात विभाग) 180-लालनगर, श्रीनगर-190015

राजभाषा हिन्दी ही क्यों ?

□प्रेमचन्द "सुमन"*

भारत मूलतः सँस्कृति-प्रधान देश है। इस देश में अनेक धर्म और भाषाए होते हुए भी संस्कृति का ऐसा माध्यम है जो उसे एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। इस एकता के सूत्र को परिपुष्ट करने की दृष्टि से हमारे सन्तों और सुधारकों ने अपने विचारों के प्रचारों के लिए जिस भाषा को अपनाया वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से सुदूर पूर्वी अचल तक के भू-भाग में समान रूप से वोली और समझी जाती थी। इस भाषा को हम हिंदी के नाम से जानते और समझते हैं। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो समस्त भारतीय जनता को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करती है। चाहे किसी भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में चला जाये तो वह टूटी-फूटी हिंदी के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो सकता है।

हिंदी को यह महत्व इसलिए नहीं दिया गया कि वह सारी भारतीय भाषाओं में ऊँची है, वल्कि उसे "राजभाषा" इसलिए कहा और समझा जाता है कि हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। ये लोग चाहे व्याकरण की भूलें करते हों, अशुद्ध उच्चारण करते हों परन्तु बोलते हिंदी ही हैं और उसी में अपने भाव व्यक्त करते हैं और दूसरों को बात समझते हैं। वास्तव में हिंदी की यह प्रकृति ही देश एकता की परिचायक है और इसी प्रकृति ने उसे इतना व्यापक रूप दिया है। वह केवल हिंदुओं, या उत्तर भारत के कुछ मुट्ठी-भर लोगों की भाषा नहीं है, वह तो देश के कोटि-कोटि कण्ठों की पुकार और उनका हृदय-हार है।

देश में फैली हुई अनेक भाषाओं के वीच यदि भारतीय जीवन की उदारता एवं एकात्मता किसी एक भाषा में दिखाई देती है तो वह हिंदी में ही है। चाहे सव लोग हिंदी न जानते हों, लेकिन फिर भी इसके द्वारा वे अपना काम चला लेते हैं और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। भारत की वहु-भाषिकता के प्रश्न को उठाकर जो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण स्थान पर अधिष्ठित करने में रुकावट डाल रहे हैं वे यह कैसे भूल जाते हैं कि आज विश्व की सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न देश रूस ने इस समस्या का किस प्रकार समाधान किया है? उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सोवियत संघ में यद्यपि 66 भाषाएं वोली और लिखी जाती हैं, किंतु फिर भी वहां की राज भाषा "रूसी" ही है। सोवियत संघ की "मँगोल" और तुर्की" भाषाओं के शब्दों का रूसी भाषा से कोई संवंध नहीं है। इसके विपरीत भारत की प्रायः सभी भाषाओं में हिंदी के 50 से 60 प्रतिशत तक शब्द एक-जैसे मिल जाते हैं। तमिल को हम अपवाद के रूप में रख सकते हैं, किंतु उसमें भी कुछ शब्द तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिन्हें भारत की दूसरी भाषाओं के बोलने वाले सरलता से समझ लेते हैं।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व हिंदी के ही माध्यम से यहां के अनेक सन्तों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों का प्रचार एवं प्रसार किया था। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी ही भाषा को अपनी भाव-धारा के प्रचार का साधन बनाया था जो सारे देश में बोली और समझी जाती थी। यही कारण था कि जहां उत्तर प्रदेश के कबीर, पंजाब के नानक, सिंध के सचल, कश्मीर के लल्लद्यद, बंगाल के बाउल, असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के तुकाराम और ज्ञानेश्वर तथा गुजरात के अखा एवं दयाराम आदि सन्तों ने जिस सांस्कृतिक एकता को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की थी वहां दक्षिण के वेमना, तिरुवल्लुवर, अक्कादेवी और आलवार आदि सन्तों की कविता की मूल भाव-भूमि भी वही थी। इनके संदेश में कहीं भी भाषागत विवटन का स्वर नहीं उभरा था, बल्कि सबकी रचनाए उत्तर से दक्षिण तक और पूरव से पश्चिम तक समान रूप से समादृत होती थी। जिन साधु-वैरागियों के मठ और अखाड़े सारे देश में फैले हुए थे उनमें भी कहीं भाषा का झगड़ा नहीं उठता था।

इसका निष्कर्ष यही है कि उन दिनों भाषाओं की यह विविधता देश की एकता में कहीं भी बाधक नहीं समझी जाती थी। "दस विगहा पर पानी वदले, दस कोसन पर वानी"

* अजय निवास, दिलशाद कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-32

के अनुसार "पानी" और "बानी" की अनेकविधता तो स्वाभाविक ही है। कबीर ने जिस "संस्कृत" को "कूप जल" और जिस "भाषा" को "बहता नीर" कहा है वह भाषा निश्चय ही "हिन्दी" है। इसी में उन्होंने अपना संदेश देश को दिया था और उसे वे "एकता की कड़ी" के रूप में देखते थे। भाषा वही महत्वपूर्ण होती है जो लोगों को "तोड़ने" की की बजाय "जोड़ने" का सन्देश देती हो और जिसके माध्यम से प्रेम का मार्ग प्रशस्त होता हो। इसी पावन भावना से प्रेरित होकर महाकवि जायसी ने यह कहा था--

तुरकी, अरबी, हिन्दुई, भाषा जेती आहि।
जेहि मह मारग प्रेम का, सबै सराहै ताहि॥

और यह प्रेम का मार्ग केवल हिन्दी के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है। आधुनिक हिन्दी के निर्माता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को भाषा के संबंध में लिखी गई ये पंक्तियां आज हमारे लिए एक अभूतपूर्व प्रेरणा का सन्देश दे रही हैं--

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल॥

किसी भी भाषा का अधिकाधिक प्रचार तभी हो सकता है जब कि उसके द्वारा अधिकांश जन-समुदाय की सांस्कृतिक गरिमा को प्रस्तुत किया जाय। इस बात को दृष्टि में रखकर ही कदाचित् अंग्रेजों ने हिन्दी को अपनाया था और ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता के पास सिरामपुर नामक स्थान में एक हिन्दी-प्रेस की स्थापना करके उसके द्वारा प्रचुर परिमाण में अपना धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया था।

इधर ईसाई मिशनरी जब अपने विचारों का प्रचार हिन्दी में कर रहे थे तब केशवचन्द्र सेन, नवीनचन्द्र राय और स्वामी दयानन्द--जैसे सुधारकों ने भी अपने विचारों के प्रचार के लिए हिन्दी को ही अपनाया था। यहां यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि इन तीनों महानुभावों में से पहले दो बंगाली और तीसरे गुजराती थे। इस प्रसंग में गुजरात के कच्छ प्रदेश के राजा लखपति महाराज का नाम भी विशेष रूप से स्मरणीय है, जिन्होंने अठारहवीं शताब्दी में भुज में ब्रजभाषा की एक पाठशाला खोलकर हिन्दी के प्रचार की जो नींव डाली थी वहां धीरे-धीरे वहां इतनी सफल हुई कि बाद में उस प्रदेश के नरसी मेहता, मालण, दयाराम और दलपतराय जैसे महाकवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से हिन्दी की महत्ता को स्वीकार किया। जब महात्मा गांधी ने भारतीय स्वाधीनता-संग्राम को गति देने की दृष्टि से हिन्दी को अपनाया तब तो यह कार्य और भी आगे बढ़ा। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ देश की एकता के लिए हिन्दी के महत्व को इस सीमा तक अनुभव किया कि उन्होंने सुदूर दक्षिण में मद्रास में "दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा" की स्थापना भी की। यही नहीं, वे दो बार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। दक्षिण में हिन्दी प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने सर्वप्रथम अपने सुपुत्र श्री देवदास गांधी को "हिन्दी प्रचारक" के रूप में मद्रास भेजा।

इधर जहां अतीतकाल में गुजरात में हिन्दी के उन्नयन का यह कार्य हो रहा था वहां बंगाल भी इस दिशा में पीछे नहीं था। केशवचन्द्र सेन और नवीनचन्द्र राय के अतिरिक्त वहां के राजा राममोहन राय, बंकिमचन्द्र चटर्जी, श्यामसुन्दर सेन, जस्टिस शारदाचरण मित्र, भूदेव मुखर्जी, नगेन्द्रनाथ वसु, अमृतलाल चक्रवर्ती और नलिनीमोहन सान्याल आदि अनेक महानुभाव हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के लिए अत्यन्त सफल प्रयास कर रहे थे। राजा राममोहन राय ने जहां अपने "बंगदूत" नामक पत्र में हिन्दी के महत्व का प्रतिपादन किया था वहां बंकिमचन्द्र चटर्जी ने अपने 'बंगदर्शन" नामक पत्र में उसकी उपयोगिता का उदारतापूर्वक समर्थन किया था। इन दोनों महानुभावों की विचार-धारा का अनुसरण करके एक ओर जहां जस्टिस शारदाचरण मित्र ने "एकलिपि विस्तार परिषद्" की स्थापना द्वारा उसकी ओर से प्रकाशित "देवनागर पत्र में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं की उत्कृष्टतम कृतियों को देवनागरी लिपि के माध्यम से हिन्दी के पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की पहल की थी, वहां अमृतलाल चक्रवर्ती ने अनेक वर्ष तक कई हिन्दी पत्रों का सम्पादन करके अपने हिन्दी--प्रेम का परिचय दिया था। वे अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वृन्दावन अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। यहां यह तथ्य भी विशेष रूप से ध्यातव्य है कि हिन्दी में 2 भागों में "विश्वकोश" का लेखन और प्रकाशन करके जहां नगेन्द्रनाथ वसु ने अपने अनन्य हिन्दी-प्रेम का परिचय दिया था वहां चिन्तामणि घोष और रामानन्द चट्टोपाध्याय प्रभृति महानुभावों ने लाखों रुपयों का घाटा सहकर भी "सरस्वती" और "विशाल भारत"--जैसे साहित्यिक पत्रों का अनेक वर्ष तक प्रकाशन करके हिन्दी की समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण देन दी थी। इस सन्दर्भ में श्री नवीनचन्द्र राय का नाम भी विशेष रूप से इसलिए अविस्मरणीय है कि उन्होंने जहां पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से हिन्दी की रत्न, भूषण तथा प्रभाकर परीक्षाओं का प्रचलन करके प्रदेश में हिन्दी का बिरवा रोपा वहां स्वयं हिन्दी में "ज्ञान प्रदायिनी" पत्रिका का वर्षों तक सम्पादन तथा प्रकाशन करने के साथ-साथ "नवीन चन्द्रोदय" नामक हिन्दी व्याकरण की रचना भी की थी। उनकी सुपुत्री श्रीमती हेमन्तकुमारी चौधरी का नाम भी विशेष महत्व रखता है, जिन्होंने "सुगृहिणी" नामक महिलोपयोगी पत्रिका का कई वर्ष तक सफल सम्पादन करने के अतिरिक्त बहुत-सी हिन्दी-पुस्तकों की रचना की थी। इनके अतिरिक्त श्री नालिनीमोहन सान्याल का नाम ऐसा है जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से न केवल हिन्दी में सर्वप्रथम एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रत्युत निरन्तर 7 वर्ष तक उस विश्व-

विद्यालय में हिन्दी का अध्यापन करने के बाद 82 वर्ष की आयु में हिन्दी में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की थी। हिन्दी में "भाषा विज्ञान" विषय पर सर्वप्रथम आपने ही ग्रन्थ-रचना की थी। इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक बंगभाषी महानुभाव हैं जिन्होंने हिन्दी की सेवा एकनिष्ठ भाव से की थी। ऐसी विभूतियों में सर्वश्री तड़ितकान्त बख्शी, द्वारकानाथ मित्र, तारामोहन मित्र, नलिनीबाला देवी, राजेन्द्रबाला घोष, ब्रजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय, ब्रजरत्न भट्टाचार्य, गिरिजाकुमार घोष, क्षितिमोहन सेन तथा क्षितीन्द्रमोहन मित्र मुस्तफी आदि के नाम, अन्यतम हैं। श्री मुस्तफी ने हिन्दी में "माया" तथा "मनोहर कहानियां"—जैसी लोकप्रिय कहानी, "पत्रिकाएं" प्रकाशित की थीं, जो अब भी निर्विघ्न रूप से प्रकाशित हो रही हैं।

दूर क्यों जाएं, हम महाराष्ट्र का उदाहरण ही अपने सामने रखें। छत्रपति शिवाजी की मातृभाषा मराठी थी। उनके सभी दरबारी महाराष्ट्र के थे और प्रजा भी मराठी बोलने वाली ही थी। इतना होते हुए भी उन्होंने हिन्दी के समर्थ कवि भूषण को अपने दरबार में अत्यन्त सम्मान का स्थान दिया। यदि उनके दरबार में हिन्दी को समझने और उससे प्रेरणा लेने वाले न होते तो वे ऐसा कदापि न करते। जब वे वेश बदलकर शम्भाजी के साथ दिल्ली से दक्षिण लोटे थे तब उनके विचारों के प्रचार तथा प्रसार का माध्यम हिन्दी ही थी। महाराष्ट्र में जहां ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में मराठी के आदिकवि मुकुन्दराज और सन्त ज्ञानेश्वर ने इस भाषा के महत्व को समझ था वहां कालान्तर में गोपाल नरहरि देशपाण्डे, महादेव गोविन्द रानाडे तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि महानुभावों ने हिन्दी के राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार किया था। यहां तक कि इन सब महानुभावों को प्रेरणा पर महाराष्ट्र के केशव वामन पेठे नामक एक युवक ने सन् 1894 में "राष्ट्रभाषा किंवा सर्व हिन्दुस्तानची एकभाषा करणे" नामक पुस्तिका की रचना करके हिन्दी के महत्व की प्रस्थापना की थी। उनके इस सत्प्रयास की प्रशंसा जहां सर्वश्री राजाराम रामकृष्ण भागवत, काशीनाथ पाण्डुरंग परब और महादेव राजाराम बोडस—जैसे अनेक गण्यमान्य विद्वानों ने की थी वहां श्री माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय विचारों को समस्त देश में प्रसारित तथा प्रचारित करने के पावन उद्देश्य से प्रेरित होकर सन् 1907 में नागपुर से "हिन्दी केसरी" नामक पत्र का सम्पादन एवं प्रकाशन किया था। लगभग इन्हीं दिनों सन् 1906 में श्री वासुदेव गोविन्द आपटे ने पूना से "आनन्द" नामक जो बालोपयोगी मासिक पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किया था उसमें उन्होंने 16 पृष्ठ हिन्दी में भी प्रकाशित करने प्रारंभ किये थे। इन महानुभावों के अतिरिक्त जिन अन्य मराठी-भाषी सज्जनों ने अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया उनमें सर्वश्री सखाराम गणेश देउसकर, बाबूराव विष्णु पराडकर, रामराव चिंचोलकर, लक्ष्मणनारायण गर्दे, मनोहर पन्त गोलवलकर, आत्माराम देवकर, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, गोविन्द शास्त्री दुगवेकर, नारायण शास्त्री खिस्ते, गोविन्दराव हर्डीकर, गोविन्द रघुनाथ थत्ते, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, बाबा राघवदास, केशवराम फडसे, अनन्त सदाशिव अलतेकर, गोपाल दामोदर तामस्कर, कृष्ण विनायक फड़के, नारायण वासुदेव गोडबोले, हरि रामचन्द्र दिवेकर, भास्कर रामचन्द्र भालेराव, माधव विनायक किबे, कमलाबाई किबे, विश्वनाथ गंगाधर वैशम्पायन, रघुनाथ विनायक धुलेकर, भास्कर रामचन्द्र तांबे, भास्कर गोविन्द घाणेकर, गणेश रघुनाथ वैशम्पायन, रामकृष्ण रघुनाथ सरवटे पाण्डुरंग सदाशिव साने गुरूजी, गजानन माधव मुक्तिबोध, अनिलकुमार अदयालिकर अनन्तगोपाल शेवड़े, आचार्य काका कालेलकर और आचार्य विनोबा भावे प्रभृति के नाम विशेष रूप से स्मरणीय हैं। इनमें से सर्वश्री माधवराव सप्रे और बाबूराम विष्णु पराड़कर ने तो क्रमशः **अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के देहरादून तथा शिमला-अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी।**

एक ओर जहां उक्त सभी महानुभाव हिन्दी को अपनाकर उसमें प्रचुर साहित्य-सर्जन कर रहे थे वहां गुजराती-भाषी साहित्यकारों ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गान्धी जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर जिन अनेक गुजराती-भाषी महानुभावों ने हिन्दी-लेखन को अपनी साधना का अगर लक्ष्य बनाया था उनमें सर्वश्री मोहन लाल विष्णुलाल पण्ड्या, मेहता लज्जाराम शर्मा, गणपत जानकीराम दवे, गोपाल लाल ठाकुर, दुर्गाशंकर कृमाशंकर मेहता, गोविन्दजी गिल्लाभाई, भवानीशंकर याज्ञिक, जीवनशंकर याज्ञिक, मयाशंकर याज्ञिक, मायाशंकर दवे, गंगाशंकर पंचौली, लज्जाशंकर झा और गोपीवल्लभ उपाध्याय के नाम विशेष रूप से ध्यातव्य हैं। इन सब महानुभावों ने जहां हिन्दी को अपनाया वहां उसके साहित्य की बहुमुखी अभिवृद्धि करने में भी अपना अन्यन्य योगदान दिया था। यहां तक कि गुजराती-भाषी होते हुए जहां बड़ौदा-नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी ने अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के क्रमशः दिल्ली और उदयपुर-अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, वहां गांधी जी भी सम्मेलन के सन् 1918 तथा सन् 1935 में इन्दौर में सम्पन्न हुए अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे थे। गान्धी जी ने इससे पूर्व भी अपने दक्षिण अफ्रीका के निवास-काल में सन् 1914 में वहां से हिन्दी में पत्र प्रकाशित करके उसके महत्व की प्रतिष्ठपना की थी। मुन्शी सदासुखलाल, लल्लूजी लाल, केशवराम भट्ट और गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भी गुजराती-भाषी थे। हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में जहां इनका प्रमुख योगदान रहा है वहां ओझा जी ने अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भरतपुर-अधिवेशन की अध्यक्षता करने के साथ-साथ "भारतीय प्राचीन लिपिमाला" नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ का निर्माण भी किया था। बड़ौदा-नरेश श्री गायकवाड़ ने तो अपने राज्य में हिन्दी के पठन-पाठन

की समुचित व्यवस्था ही की हुई थी। इस प्रसंग में गुजराती के महाकवि बहराम जी मालाबारी और अरदेशर फ़राम जी खबरदार के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दोनों महानुभाव जहां हिन्दी में अत्यन्त सशक्त कविताएं लिखते थे वहां गद्य लेखन में भी वे परम प्रवीण थे। अरदेशर फ़राम जी खबरदार तो सन् 1937 में मद्रास में सम्पन्न हुए अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर आयोजित हिन्दी कवि-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष भी रहे थे। उक्त अवसर पर दिया गया उनका हिन्दी-भाषण उनके उत्कट हिन्दी-प्रेम का परिचायक है। मद्रास के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज ने की थी।

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सन् 1918 में इन्दौर में सम्पन्न हुए उसके आठवें अधिवेशन के निर्णयानुसार महात्मा गांधी जी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के सक्रिय सहयोग से मद्रास में जिस दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी, कालान्तर में वह उस क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण का सशक्त माध्यम बनी। इस सभा के द्वारा दक्षिण में जहां अनेक हिन्दी-प्रचारक और देशभक्त कार्यकर्ता तैयार हुए वहां ऐसे अनेक नाम भी अंगुलिगण्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ हिन्दी भाषा और साहित्य की बहुविध सेवा की थी। ऐसे वरेण्य महानुभावों में श्री उन्नि दामोदर के अतिरिक्त प्रो. ए. चन्द्रहासन, ए. सी. कामाक्षिराव, के. भास्करन नायर, के. वासुदेवन पिल्ले, डा. हिरण्यम, वी. पार्थसारथी, अय्यंगर इब्राहीम शरीफ, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, कन्नय्या तिरुवीथि, ए.जी. रामकृष्ण पणिक्कर, एस.आर. रामचन्द्र शास्त्री, एस. महालिंगम, श्रीमती डा. एस. लक्ष्मी, श्रीमती सरस्वती तंकच्ची, कुमारी अ. कमला, एस. रेवण्णा, के.जी. शिवण्णा, के. श्रीकण्ठैया, पूर्ण सोमसुन्दरम्, आलूरि वैरागी चौधरी, आक्कूर अनन्ताचारी, उल्लाट्टिल गोविन्दन कुट्टि नायर, ए.पी.सी.पी. वीरबाहु, ए.वी. नागेश्वरराव, एन.एस. ईश्वरन, एम.आर. आशीर्वादम्, एम.वी. माधव कुरुप, एस. देवराजन, एस. धर्मराजन, के. केलप्पन, कण्णदासन, कर्णवीर नागेश्वर राव, टी.आर. कृष्णस्वामी अय्यर, टी.वी. श्रीनिवास मूर्ति, पी. कृष्णन नायर, पी. कृष्णमूर्ति, मुत्तैया दास तथा आरिगपूडि (ए. रमेश चौधरी) आदि के नाम उल्लेखय हैं। हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार डा. रांगेय राघव भी तमिल भाषी थे और उनका मूल नाम टी. एन. वी. आचार्य था।

जहां यह भी विशेष रूप से ध्यातव्य है कि आन्ध्र प्रदेश में जहां भारतेन्दु के समय में नादेल्ल पुरुषोत्तम कवि दक्खिनी हिन्दी में मौलिक अभिनेय नाटकों की रचना कर रहे थे वहां उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में केरल के राजा गर्भश्रीमान् स्वाति तिरुनाल ने ब्रजभाषा में सूरदास की शैली पर भक्ति पदों की समर्थ सर्जना की थी। तमिलनाडु को आज जब कि हिन्दी-विरोधी कहा जाता है तब हम यह कैसे भूल जाते हैं कि मद्रास में पहला हिन्दी प्रचार विद्यालय, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के संस्थापक श्री राम स्वामी नायकर के निवास-स्थान पर ही खुला था। यहां यह तथ्य भी अवधारणीय है कि तामिल भाषा के महाकवि श्री सुब्रह्मण्य भारती ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा पर जहां सन् 1908 में मद्रास में हिन्दी की कक्षाएं प्रारंभ की थीं वहां अपने "इण्डिया" नामक पत्र में हिन्दी के पाठ भी प्रकाशित करने प्रारंभ किए थे। यदि यहां तमिल-भाषी पण्डित श्रीरंगाचार्य कान्दूर के नाम का उल्लेख न किया गया तो भारी कृतघ्नता होगी, जिन्होंने सन् 1904 के लगभग वृन्दावन आकर यहां से "श्रीमद्भागवत" के हिन्दी अनुवाद का 10 खण्डों में सम्पादन किया था। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस अनुवाद का प्रकाशन बंगदेश के ताड़ास राज्य के भूपति श्रीवनमाली राय की आर्थिक सहायता से हुआ था।

इस प्रकार जहां बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम-भाषी अनेक महानुभाव हिन्दी-रचनाओं के द्वारा उसके साहित्य की अभिवृद्धि करने में संलग्न थे वहां असम, उड़ीसा, सिन्ध, कश्मीर और पंजाब आदि हिन्दीतर प्रदेशों के अनेक साहित्यकारों ने भी अपनी रचना-प्रतिभा से हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में अनन्य एवं उल्लेखनीय योगदान दिया था। उड़ीसा की कुन्तलाकुमारी सावत ने जहां अपनी रचना-चातुरी से हिन्दी-साहित्य में एक सर्वथा विशिष्ट स्थान बनाया है वहां सर्वश्री गोपबन्धु चौधरी, गोपबन्धु दास, गोलोकविहारी धल, लिंगराज मिश्र, राज कृष्ण बोस और विच्छन्दचरण पट्टनायक आदि के नाम भी उनकी हिन्दी-संबंधी सेवाओं के लिए बहुत महत्व रखते हैं। इसी प्रकार सिन्धी-भाषी ऐसे अनेक महानुभाव हैं जिन्होंने हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार में उल्लेखनीय कार्य करने के साथ-साथ हिन्दी-लेखन के साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। ऐसे महानुभावों में सेठ उद्धवदास तारा-चन्द, सन्त टेरुराम, तोलाराम अजिज, देवदत्त कुन्दराम, शर्मा, साधु टी. एल. वास्वामी, प्रभुदास ब्रह्मचारी, मूलचन्द वसुमल राजपाल तथा टोपणलाल सेवाराम जेतली के अतिरिक्त जयरामदास दौलतराम का नाम भी स्मरणीय हैं। कश्मीर और पंजाब प्रदेश यद्यपि भाषा की दृष्टि से हिन्दी-भाषी प्रदेशों की अपेक्षा अपना सर्वथा पृथक अस्तित्व रखते हैं किन्तु हम यह भी नहीं भुला सकते कि हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में इन दोनों प्रदेशों का सर्वथा अनुपम योगदान रहा है। जम्मू (कश्मीर) में उत्पन्न हुए पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने जहां सन् 1878 में कलकत्ता से "भारतमित्र" का सम्पादन-प्रकाशन किया था वहां उन्होंने तत्कालीन कश्मीर-नरेश महाराज रणवीर सिंह के अनुरोध पर जम्मू से "जम्बू प्रकाश" नामक पत्र का सम्पादन भी किया था। कुछ समय तक कश्मीरी पण्डित मुकुन्दराम ने लाहौर से प्रकाशित होने वाली श्री नवीनचन्द्र राय की "ज्ञान प्रदायिनी" नामक पत्रिका का सम्पादन किया था। इन के बाद आभा हृश्र

कश्मीरी, हरिकृष्ण बोहर, तुलसीदत्त "शैदा" मोहनलाल नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, उमा नेहरू, सुशीला आगा, विमल रैना, प्रद्युम्नकृष्ण कौल, लक्ष्मीधर शास्त्री, विश्वम्भरनाथ जिज्जा, सुर्चनाथ तकरू, प्रेमनाथ दर, नन्दलाल चत्ता तथा नरेन्द्र खजूरिया आदि अनेक महानुभावों ने अपनी रचनाओं के द्वारा हिन्दी की समृद्धि में प्रमुख भूमिका निबाही थी।

स्वातन्त्र्य-पूर्व पंजाब का तो हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में सर्वथा अप्रतिम योगदान रहा है । यदि हिन्दीतरभाषी कहकर इस प्रदेश के लेखकों की गणना की जाएगी तो वह हिन्दी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा । महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दोलन के कारण वहां हिन्दी का जो प्रसार-प्रचार हुआ उसने वहां की जनता का हिन्दी लेखन की ओर प्रेरित किया था । हिन्दी के प्रमुख कथाकार चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, यशपाल, मोहन राकेश तथा श्रीमती रजनी पनिक्कर इसी प्रदेश की देन हैं । पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इस प्रदेश के लेखकों ने अपना विशेष कीर्तिमान स्थापित किया था । हिन्दी के मूर्धन्य पत्रकार श्री बालमुकुन्द गुप्त तथा माधवप्रसाद मिश्र भी पंजाबी ही थे, क्योंकि उन दिनों हरियाणा पंजाब प्रदेश में था । महात्मा मुन्शीराम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द) ने जहां अपने "सद्धर्म प्रचारक" नामक पत्र के माध्यम से उस प्रदेश में हिन्दी का बिरवा रोपा, वहां गुरुकुल कांगड़ी-जैसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करके हिन्दी को अनेक लेखक और पत्रकार प्रदान किये । गुरुकुल में प्रशिक्षित और दीक्षित प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति, सत्यदेव विद्यालंकार, भीमसैन विद्यालंकार, धर्मदेव विद्या मार्तण्ड, जयदेव शर्मा विद्यालंकार, जयचन्द्र विद्यालंकार, वंशीधर विद्यालंकार, और चन्द्रगुप्त वेदालंकार-जैसे अनेक लेखक व पत्रकार पंजाबी भाषी ही थे । महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय और लाला देवराज की डी.ए.वी. कालेज, नेशनल कालेज और कन्या महाविद्यालय आदि शिक्षा-संस्थाओं का भी राष्ट्रीय जागरण के साथ हिन्दी की अभिवृद्धि में प्रचुर योगदान रहा था । इन सँस्थाओं में प्रशिक्षित एवं दीक्षित महानुभावों में आचार्य विश्वबन्धु शास्त्री, आचार्य रामदेव, सत्यदेव परिव्राजक डॉ. रघुवीर। डॉ. इन्द्रनाथ मदान, डॉ. लक्ष्मीचन्द गुप्ता, रघुनन्दन शास्त्री, गोवर्धन शास्त्री, और परमानन्द शास्त्री आदि अनेक महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य को गौरवान्वित किया है । अगर शहीद सरदार भगतसिंह ने भी हिन्दी-लेखन के प्रति रूचि लाला लाजपतराय नेशनल कालेज में जाग्रत हुई थी । भाई परमानन्द और लाला लाजपतराय ने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से हिन्दी के प्रति अच्छा वातावरण बनाया था । महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती (खुशहालचन्द "खुरसन्द") ने अनेक वर्ष तक लाहौर और जालन्धर से "हिन्दी मिलाप" दैनिक का सफलता पूर्वक प्रकाशन करके जहां अपनी हिन्दी-निष्ठा का परिचय दिया था वहां स्वामी गणेशदत्त ने "विश्वबन्धु" का प्रकाशन करके पंजाब में हिन्दी का वातावरण तैयार करने में अविस्मरणीय कार्य किया था । इस संदर्भ में पंजाब की प्रख्यात समाज-सेविका और राष्ट्रीय कार्यकर्त्री श्रीमती शन्नोदेवी द्वारा प्रवर्तित "शक्ति" नामक दैनिक पत्र की सेवाएं भी सर्वथा अभिनन्दनीय कही जा सकती हैं । यहां यह भी तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पंजाब में उत्पन्न हुए महात्मा मुन्शीराम, गोस्वामी गणेशदत्त और जयचन्द्र विद्यालंकार ने अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के क्रमशः भागलपुर, जयपुर और कोटा में सम्पन्न हुए अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अतीत काल में जब सारा देश हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के पावन यज्ञ में अपनी गहनीय आहुति देकर उसके साहित्य की समृद्धि करने में संलग्न था तब यहां के मुस्लिम बन्धु भी कैसे पीछे रहते । खड़ी-बोली हिन्दी के आदिकवि के रूप में जहां अमीर खुसरो ने हिन्दी कविता को नये मुहावरे दिये वहां सैयद इन्शा अल्लाखां की "रानी केतकी की कहानी" नामक रचना से हिन्दी कहानी को विधा में एक अभूतपूर्व निखार आया था । हिन्दी साहित्य के इतिहास में इनका कृतित्व सर्वथा महत्वपूर्ण है । हिन्दी साहित्य के आदि काल में जहां कबीर, रहीम, जायसी, अलाम तथा रसखान आदि अनेक कवियों ने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था वहां आधुनिक काल में भी ऐसे अनेक महानुभावों के नाम हमारे समक्ष उभरकर आते हैं जिन्होंने जाति, धर्म और सम्प्रदाय की दीवारों को लांघकर हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया था । ऐसी विभूतियों में मीर अनीस, नजीर अकबराबादी, सैयद अमीर अली "मीर", मुन्शी अजमेरी, कासिम अली साहित्यालंकार, जहूरबख्श हिन्दी कोविन्द, समीउल्लाखां, हफीजुल्लाखां, नवीबख्श "फलक", लतीफहुसैन "नटवर" पीर मोहम्मद "यूनिस", अब्दुल रशीदखां "रसीद", दाराबखां, "अभिलाषी", इब्राहीम शरीफ तथा महमूद अहमद "हुमर" आदि के नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास की गौरव-निधि हैं । यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अन्तिम मुगल-सम्राट बहादुरशाह "जफर" ने भी ब्रजभाषा में बड़ी सशक्त रचनाएं की थी । कदाचित् ऐसे ही महानुभावों की हिन्दी-सेवाओं को लक्ष्य करके भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र ने यह कहा था—

"इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये ।"

इस विवरण से यह स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी की सार्वजनिक उपयोगिता और महत्ता को ध्यान में रखकर ही दूसरे प्रदेश के निवासी नेताओं और सुधारकों ने इसे अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाया था । आज समस्त देश में हिन्दी का जो सफल लेखन, पठन और अध्ययन हो रहा है

उसमें भी महात्मा गांधी की प्रेरणा और उनके द्वारा संस्थापित "दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास" तथा "राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा"--जैसी अनेक संस्थाओं का अत्यधिक योगदान है। शासन के क्षेत्र में तो अब सभी ओर हिन्दी का प्रचलन और व्यवहार द्रुतगति से हो रहा है। जब इतने व्यापक रूप से हिन्दी का सर्वत्र प्रचार है तब तो राजभाषा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा सर्वथा असन्दिग्ध है। इस संदर्भ में हमें अत्यन्त सहिष्णुता और उदारता से काम लेना है। सभी प्रान्तों और भाषाओं का सहयोग लेकर ही हमें हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील होना है। सुप्रसिद्ध मनीषी आचार्य क्षितिमोहन सैन ने भाषा को किसी भी देश की एकता का प्रधान साधन मानते हुए हिन्दी के प्रति जो उद्‌गार प्रकट किये थे वे आज के वातावरण में हमारे लिए प्रचुर प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने कहा था--"अंग्रेजी भाषा की महिमा इसलिए नहीं है कि वह हमारे शासकों की भाषा थी; बल्कि इसलिए है कि उसने संसार की समस्त विद्याओं को आत्मसात् किया हुआ है। हिन्दी को सभी वह पद पाना है। उसे भी नाना विद्याओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनना होगा। हिन्दी में वह क्षमता है। बिना ऐसा बने भाषा की साधना अधूरी रह जाएगी। भाषा हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं, मार्ग है, गंतव्य नहीं, आधार है, आधेय नहीं।"

भारत एक बहुभाषी देश है। इस देश की सभी भाषाओं और लिपियों को अपने-अपने प्रदेशों में अवश्य बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक देश की एकता का सम्बन्ध है उसके लिए हिन्दी ही एक सशक्त माध्यम हो सकती है। स्वतन्त्रता के लगभग 37 वर्ष बाद तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम यह निःसंकोच भाव से कह सकते हैं कि हिन्दी वस्तुतः सारे देश की ही भाषा है। आज हिन्दी में जो लेखन हो रहा है, उसमें सभी भाषाओं के लेखकों का योगदान है। यहां तक कि इन लेखकों की भांति ही सहज, सरल और प्रवाहमयी हिन्दी लिखने लगे हैं।

अब वह समय आ गया है कि जब समस्त भारतीय भाषाएं मुक्त स्वर से जहां "एक हृदय हो भारत जननी" का पावन उद्‌घोष करेंगी वहां राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की यह भावना देश की एकता के लिए सत्य सिद्ध होकर रहेगी--

हिन्दी का उद्देश्य यही है,
भारत एक रहे अविभाज्य।
यों तो रूस और अमरीका
जितना है उसका जन-राज्य॥ □

हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग हो।

--श्री राजीव गांधी
प्रधान मंत्री

सब को हिन्दी सीखनी चाहिए,
इसके द्वारा सारे भारत को सुविधा होगी।

--चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

सामाजिक संस्कृति की प्रतीक : हिन्दी

☐ डॉ० कृष्ण कुमार गोस्वामी*

भारत एक विशाल देश है। यह विभिन्न धर्मों, और विभिन्न भाषाओं का एक महासागर है। तभी तो कवीन्द्र रवीन्द्र ने इसे 'महामानवेश्वर समुद्र' की संज्ञा दी है। यहां की संस्कृति की अजस्र धारा प्राग्वैदिक और वैदिक संस्कृति से प्रारम्भ होकर अनेक धर्मों, सभ्यताओं और संस्कृतियों को अपने भीतर संजोते हुए नवोन्मेषकाल तक प्रवाहित होती चली आ रही है। विभिन्न संस्कृतियों का यह पुंज सामासिक संस्कृति के रूप में उभर कर आया। इस सामासिकता के कारण ही हमारी यह संस्कृति प्रगतिशील, असाप्रदायिक, सहिष्णुतापूर्ण बन गई और साथ में समूचे भारतीय चिन्तन का आगार भी बन गई। सांस्कृतिक समन्वय का यह रूप सभी भारतीय भाषाओं में पूर्णतया परिलक्षित होता है किन्तु हिन्दी के मध्य देशीय भाषा होने के कारण इसमें सामासिकता के पुट अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता पूर्व जब यह महसूस किया गया कि राष्ट्र की समूची भाषाओं का समन्वय और विकास करने के साथ-साथ देश को एक सूत्र में बांधने में कौन सी भाषा समर्थ है तो यह सामर्थ्य हिन्दी में पाया गया। दूसरी विशेष बात यह है कि इस बात की परिकल्पना जिन सुधी चिन्तकों और देश भक्तों ने की थी वे हिन्दी भाषी नहीं थे। इनमें सबसे पहले अहिन्दी भाषी बंगाल के नेताओं का नाम आता है। ब्रह्म समाज के अन्यतम नेता श्री केशवचन्द्र सेन ने सन्,, 1885 में अपने लेख में कहा था कि "भारतीय एकता का उपाय है सारे भारत में एक भाषा का व्यवहार हो। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिन्दी लगभग सभी जगह प्रचलित है। इस हिन्दी भाषा को अगर भारतवर्ष का एकमात्र सम्पर्क भाषा बनाया जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र सम्पन्न हो सकता है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कलकत्ता कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण हिन्दी में पढ़ते हुए कहा था कि "हिन्दी प्रचार, का उद्देश्य (किसी भी प्रान्तीय भाषा को हानि न पहुंचाते हुए) केवल यह है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से किया जाता है वह आगे चलकर हिन्दी से किया जा सकता है। इस विषय में सन् 1929 में उन्होंने कहा था कि ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी प्रचार से मिलेगी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रान्तीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं।

*उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद

महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने भारतवासियों को हिन्दी सीखने के लिए आग्रह करते हुए कहा था कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। वे यह विशेषता हिन्दी में ही पाते हैं। उन्हीं की परम्परा का अनुसरण करते हुए आज भी महाराष्ट्रीय जनता राष्ट्र भाषा प्रचार को राष्ट्रीय महत्व देती है। आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती गुजराती ब्राह्मण थे। वे गुजराती एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, लेकिन बंग नेता श्री केशवचन्द्र सेन की प्रेरणा से उन्होने अपना समस्त कार्य हिन्दी में किया। वस्तुतः स्वामी जी ने यह अनुभव किया था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे सर्वसाधारण जनता सरलता से समझ सकती है। स्वामी जी को हिन्दी से इतना अगाध एवं प्रगाढ़ प्रेम था कि उन्होंने इसे आर्य भाषा कहा और अपने वेद भाष्य का अनुवाद अंग्रेजी तथा उर्दू में नही करने दिया। आगे चलकर गुजराती भाषी महात्मा गांधी ने स्वामी जी के स्वर में स्वर मिलाया और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अहिन्दी भाषी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों का जाल बिछा दिया। उन्हीं की परम्परा में आते हुए गुजरात के सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 1940 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षीय अभिभाषण पहले हिन्दी में पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में। उनका नारा था कि भारत की राष्ट्रभाषा का स्थान केवल हिन्दी को ही मिल सकता है। यही कारण है कि यह भाषा सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आन्दोलन की माध्यम भाषा बनी रही।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात भारतीय नेताओं ने हिन्दी की महता को स्वीकार करते हुए इसे संविधान में राजभाषा का दर्जा देकर गौरवान्वित किया। भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भाषा नियोजित करते समय बहुभाषी राष्ट्र या समाज की समस्याओं को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की अष्टम अनुसूची में भारत की 15 प्रमुख भाषाओं असमिया, उड़िया, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, हिन्दी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और सिंधी को भी स्थान दिया। राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा होता है और राष्ट्रीय चेतना का संबंध सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना से होता है। इसका संबंध "भूत" तथा 'वर्तमान' के साथ होता है और यह महान परम्परा के साथ जुड़ी होती है। राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती

है। इसी दृष्टि से हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाएं भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावात्मक एकता के लिए कार्य कर रही हैं।

हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का समर्थ माध्यम बनाने के लिए संघ सरकार को अनुच्छेद 351 में यह पावन एवं महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। इसमें यह कहा गया कि हिंदी का प्रसार और विकास इस प्रकार किया जाए कि इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना इसमें हिंदुस्तानी और संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित दूसरी भाषाओं के रूप, शब्दावली और पदावली को ग्रहण किया जाए और आवश्यकतानुसार दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्द भी उसमें अपना लिए जाएं। इस दृष्टि से हिंदी अपनी समन्वयवादी भूमिका से भारतीय समाज के भीतर "अनेकता में एकता" की भावना को संजोने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय एकता संस्कृतिक अस्मिता और अंतर भारती संप्रेषणीयता की शृंखला के रूप में हिंदी समाज के विभिन्न स्तरों को एकीकृत कर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रही है।

संविधान के अनुच्छेद 345, 346 और 347 में केन्द्र तथा राज्यों के बीच संपर्क की भाषा और राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार की भाषा की भी व्यवस्था की गई। इन अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी राज्य अपने यहां प्रयुक्त किसी भाषा को या हिंदी अपनी राजभाषा के रूप में अपना सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया कि वे किसी भी राज्य को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने समस्त राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता दें बशर्ते कि उस भाषा को बोलने वालों की संख्या पर्याप्त हो। इस दृष्टि से सभी राज्यों ने अपनी-अपनी राजभाषाएं घोषित कीं लेकिन इससे हिंदी का दायित्व और बढ़ गया और वह इन प्रदेशों में संपर्क भाषा के रूप में सफल भूमिका निभाएं। वास्तव में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी न तो किसी अन्य भाषा को अपने गरिमामय स्थान से विस्थापित कर रही है और न ही उनके हितों को दबा रही है इसके अपने क्षेत्र में विभिन्न बोली बोलने वाले इसमें अपनी अस्मिता पाते हैं तो अन्य भारतीय भाषाएं बोलने वाले इसमें सामासिक संस्कृति के दर्शन करते हैं। अतः अन्य भाषाओं के सहयोग से ही हिंदी अपनी भूमिका निभा रही है।

इस प्रकार हिंदी एक ऐसी सशक्त, संपन्न और समृद्ध भाषा है। यह भारत की जनभाषा है, संपर्क भाषा है और संसर्ग भाषा है। यह भारत की अन्य भाषाओं की ओर व्यापक उदार एवं समन्वयवादी दृष्टि रखते हुए भारत की नाना प्रकार की विधाओं एवं कलाओं की त्रिवेणी के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिमी तक हिंदी भारतीय संस्कृति की सामासिकता का प्रतीक बन देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है। इस महान् कार्य में हम सबको एकजुट होना है तभी हिंदी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। □

हिन्दी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है। हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए।

—रवीन्द्र नाथ ठाकुर

राजभाषा हिंदी का सरलीकरण--एक नया दृष्टिकोण

□ डॉ० नरेश कुमार*

बार-बार यह बात कही जाती है कि सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी का स्वरूप सरल हो। सरलीकरण का अभिप्राय क्या उर्दू, अरबी, फ़ारसी से मिश्रित हिंदी भाषा से है अथवा अंग्रेजी मिश्रित शब्दावली के प्रयोग से है। कोई भी विशेष आग्रह चाहे वह केवल उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों से हिंदी वाक्य-संरचना को सुसंगठित करना हो अथवा संस्कृतिनिष्ठता पर विशेष बल हो, ऐसे प्रयासों से हिंदी का विकास अवरुद्ध होगा। उर्दू-ज्ञयता को जमहूरियत (प्रजातंत्र), अरबी-विशेषज्ञ को रिवाज (प्रथा, परंपरा), फ़ारसी-विज्ञ को रिश्तेदार (संबंधी, नातेदार, स्वजन) एवं जमाना (समय, काल) आदि शब्द सरल प्रतीत हो सकते हैं। दूसरी ओर संस्कृत-ज्ञाता को 'एतद्धीन' (इसके अधीन), पश्चवर्ती प्रभाव (बाद में होने वाले प्रभाव), भू-पृष्ठ जल (सतही पानी), एतदर्थ (इसलिए), द्वारा यथा अभिशंसित' (की सिफारिश के अनुसार), सामासिक संस्कृति (समेटने वाली संस्कृति) का प्रयोग करना अच्छा लग सकता है। वस्तुतः सरलता की कसौटी व्यक्ति-विशेष (पाठक), लेखक-विशेष, विषय-विशेष एव प्रसंग विशेष पर निर्भर होती है। जहां तक हिंदीतर भाषी व्यक्तियों का संबंध है, वे बातचीत में साहित्यिक हिंदी का ही प्रयोग चाहते हैं। कारण स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्दों का समादेश होने के कारण संस्कृतनिष्ठ हिंदी उन्हें अधिक बोधगम्य है। वे हिंदी में पंचमेल खिचड़ी नहीं चाहते हैं। दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी आदि में विशेष पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग करना अनिवार्यता है। इन विषयों की भाषा दैनिक समाचारपत्र जैसी नहीं हो सकती। मुसलमानों के शासन-काल में फ़ारसी के राजभाषा होने के कारण अदालती भाषा में उर्दू का पुट अभी तक मिलता है। सरलीकरण की समस्या पर विचार करते हुए हमें पाठक के स्तर और उसके व्यवहार क्षेत्र को भी दृष्टि में रखना होगा। वस्तुतः शब्दों के मनमाने प्रयोग से जहां भाषा के क्षेत्र में अराजकता बढ़ती है, वहां बोधगम्यता के अभाव में उसके प्रति जन-आक्रोश भी व्यापक स्तर पर देखने में आता है। भाषा में अत्यधिक संस्कृतिनिष्ठता या देवनागरी लिपि में अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरणमात्र आलोचना का विषय बनेगा। सभी यह चाहेंगे कि हिंदी पर न तो अंग्रेजी अनुवाद की छाया मंडराती हो और न ही वह संस्कृत के क्लिष्ट पदों की लड़ीमात्र हो।

*जे--235, पटेल नगर (प्रथम) गाजियाबाद

भाषाविज्ञानी चाहे भाषा में सरलता अथवा क्लिष्टता को महत्व न दे, किंतु भाषा-नीति के निर्धारक तत्वों में क्लिष्टता की समस्या का समाधान खोजना होगा। क्लिष्ट शब्दावली के समर्थन में प्रायः लोग यह तर्क देते हैं कि 'शब्द अपने आप में कठिन या सरल नहीं होते तथा काल-क्रम में कठिन शब्द भी प्रचलित होने पर सुबोध जान पड़ते हैं।' इस तर्क को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रयुक्त शब्दावली न केवल विशेषज्ञों के लिए अर्थवान हो, किंतु साधारण जनता भी उसे अपना सके। सरलीकरण के लिए अपेक्षित है कि पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता हो। आज भी प्रदेशों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली में मित्रता मिलती है। पदों के नाम से संबंधित पर्याय भिन्न-भिन्न प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि पत्र-व्यवहार करते समय पत्र भी व्यक्ति-विशेष तक न पहुंच पाए। शब्दावली की क्लिष्टता का जहां तक प्रश्न है, इस प्रसंग में कतिपय शब्दों का यहां उल्लेख करना अपेक्षित होगा।

वैज्ञानिक शब्दावली में concave के पर्याय, नतोदर, अवतल, अवनत' और convex के पर्याय 'उत्तोदर, उत्तल, अभिनत' आदि शब्द विज्ञान की पुस्तकों में प्रचलित हैं। पाठक को समय-समय पर प्रचलित इन शब्दों के अर्थों को ग्रहण करने में कुछ कठिनाई होती है। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने तो concave और convex के लिए क्रमशः 'अवतल' और 'उत्तल' शब्दों को मानक माना है। हृदय के भाग के प्रसंग में auricle एवं ventricle के लिए क्रमशः 'ग्राहक कोष्ठ तथा अलिंद' और 'क्षेपक कोष्ठ और निलय' शब्द प्रचलित हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इनके निम्नलिखित पर्याय दिए हैं—

(1) बृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह (विज्ञान)—
auricle = अलिंद।
ventricle = निलय

(2) आयुर्विज्ञान शब्दावली—
= auricle उत्कोष्ठ, बहिःकर्ण

(3) वृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह (मानविकी)
auricle—बाह्य कर्ण।

उपर्युक्त पर्यायों की बोधगम्यता का जहां तक प्रश्न है, उनमें auricle और ventricle के लिए क्रमशः 'ग्राहक कोष्ठ' और 'क्षेपक कोष्ठ' ही अधिक बोधगम्य हैं।

हिंदी की वाक्य-संरचना भी हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। वह अंग्रेजी शब्दावली का अनुवादमात्र न हो। जब वाक्य में सर्वनाम, अव्यय, क्रिया को छोड़कर अधिकांश अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है तो उससे जहां प्रयोक्ता की अक्षमता का बोध होता है, वहां अंग्रेजी शब्दावली से बोझिल वाक्य भाषा-प्रवाह में बाधक बन जाता है और अंग्रेजी का अत्यधिक प्रभाव बने रहने के कारण भाषा की स्पष्टता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। विदेशी भाषा से जुड़े रहने के कारण हिंदी पर अंग्रेजी के प्रभाव का स्थायीकरण-सा होता गया। बौद्धिक उपनिवेशवाद को समाप्त कर बौद्धिक स्तर स्वावलंबी होने के साथ-साथ भाषिक अभिव्यक्ति में भी हमें स्वावलंबी होने की आवश्यकता है। 'हमने जाना है', 'मेरे को करना है', आदि अशुद्ध वाक्यों से सजग रहना होगा। सर्वनाम 'मुझ को, मेरे को के स्थान पर मुझे, मुझको, मुझ से के स्थान पर मुझसे; क्रिया 'करा' के स्थान पर 'किया'; 'हूंगा' के स्थान पर 'होऊंगा' आदि शुद्ध मानक रूपों को वाक्य-संरचना में स्थान देना होगा। ये सभी मानक रूप सरलीकरण की प्रक्रिया में सहायक हैं। □

हिन्दी विद्यापीठ

विदेशियों द्वारा हिन्दी के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व हिन्दी विद्यापीठ स्थापित करने सम्बन्धी विधेयक के मसौदे का अध्ययन किया जा रहा है। शिक्षा राज्य-मंत्री श्री ललितेश्वर प्रसाद साही ने राज्य सभा में लाल कृष्ण आडवानी को एक लिखित उत्तर में बताया कि विद्यापीठ की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है।

(नवभारत टाइम्स 30-3-89)

हिन्दी की एक अल्पना मांडने के लिए

□बालकवि बैरागी*

राजभाषा और राष्ट्रभाषा की प्रगति में दिलचस्पी रखने वाले महानुभावों के लिए 28 दिसंबर, 1988 का दिन महत्त्व का दिन माना जायेगा। उस दिन संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों ने अपने प्रतिवेदन के तीसरे खंड पर सर्वानुमति से हस्ताक्षर कर इस क्षण को एक तरह से उत्सव का क्षण मान कर एक-दूसरे को बधाइयां दी। उल्लेखनीय यह है कि संसद भवन के कक्ष क्रमांक 62 में यह छोटा-सा औपचारिक उत्सव एन.तोबी सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जो खुद मणिपुर से लोकसभा के सदस्य हैं और अहिंदीभाषी होने के बावजूद सारे देश में हिंदी के लिए भ्रमण करते हैं और यथासमय अपनी शैली में संघर्ष भी करते हैं।

इस समिति का नाम संसदीय राजभाषा समिति है, पर यही एकमात्र वह समिति है, जो अपना प्रतिवेदन संसद को न देकर सीधे राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए संसद द्वारा निर्देशित है। श्रीमती इंदिरा गांधी की सूझबूझ और भारत की अखंडता तथा एकता के लिए समूचे भारत राष्ट्र को संपर्क भाषा और अंतत. राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को प्रतिष्ठापित करने का संकल्प इस समिति के गठन की रीढ़ है। इस समिति का गठन मार्च, 1976 में हुआ। इसके सचिवालय को भी 1976 में ही आकार दिया गया और सदस्यों ने अपने दौरे भी 1976 में ही शुरू कर दिये। यह समय आपातकाल का समय था। समिति की उपयोगिता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपातकाल के बाद 1977 में केन्द्र में बनी जनता सरकार ने भी इसी समिति के रूप-प्रारूप और अधिकारों को न तो बदला और न ही छेड़ा। उस काल के केन्द्रीय गृहमंत्रीगण अपने आप नियमानुसार इस समिति के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। 1980 में श्रीमती गांधी के वापस सत्ता में आने पर इस समिति ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग की हालत का जायजा लेने के लिए विदेशों का भी दौरा किया। यह याद रखने लायक है कि इस समिति का दायरा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, प्राधिकरणों, संस्थानों और निगमों तक ही सीमित है। संसद को एक विशेषाधिकार प्राप्त सर्वदलीय समिति को जितना आदर और सहयोग मिलना चाहिए वह इस समिति को देशव्यापी मिला है।

सुविधा के लिहाज से 30 सदस्यों को इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है और केन्द्रीय सरकार के सारे विभागों को इन तीनों में बांट दिया गया है। संसद के विभिन्न दल लोकसभा वर्ग से 20 और राज्यसभा वर्ग से दस, इस तरह कुल मिलाकर 30 सदस्य आनुपातिक एकल मत प्रणाली से चुन कर भेजते हैं और इस समिति को गठित करते हैं।

उनके बहाने और उनकी निर्ल्लज टिप्पणियां भारत माता का सिर नीचा कर देती है। हिंदी में हस्ताक्षर तक करने में उनको अपने पूर्व पुरुष मैकाले साहब से आज्ञा लेनी पड़ती है शायद। वे लोग कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। इस मातृ-चीर-हरण में हिंदी के बड़े-बड़े स्थापित लेखकों तक के नाम गिनाये जा सकते हैं।

यदि मौजूदा समिति के सदस्यों की सूची देखी जाये तो तथ्य यह है कि वर्तमान समिति में बहुमत अहिंदी सांसदों का है। हिंदीभाषी सांसद अल्पमत में हैं। 30 में से 18 सदस्य गैरहिंदी भाषी है मात्र 12 सदस्य हिंदीभाषी है। मूल समिति के अध्यक्ष बूटा सिंह स्वयं पंजाबीभाषी हैं। उप समितियों में पहली उप समिति के संयोजक एन.टोंबी सिंह मणिपुर के हैं और तीसरी उप समिति के जिसका मैं भी एक विनम्र सदस्य हूं, संयोजक वी. तुलसीराम तेलगुदेशम पार्टी के हैं और सरासर अहिंदीभाषी है। तात्पर्य यह है कि हिंदी की बात को आज संसद की इस समिति में भी अहिंदी भाषी लोग ज्यादा कर्तव्य-भावना के साथ आगे बढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं। तीनों उप समितियां जहां-जहां भी जाती है वहां पूर्व सूचना दे कर जाती हैं। इन्हें केवल इस बात की पड़ताल करनी होती है कि संसद द्वारा पारित किये गये संकल्प के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम का पालन हो रहा है या नहीं और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम पूरा हो रहा है या नहीं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के रास्ते में कौन-कौन सी बाधाएं है, कौन-कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयां है, कहां-कहां कुटिलताएं हैं, कहां-कहां बहाने हैं, कहां-कहां धूर्तताएं हैं, कहां-कहां मक्कारियां हैं और कहां-कहां मानसिक गुलामी के उदाहरण

*संसद् सदस्य, 34, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली।

हैं । संसद ने अभी तक राष्ट्रभाषा के काम को राष्ट्रव्यापी आकार देने और केंद्र सरकार के पूरे कार्याधिकार में हिंदी को स्थापित करने के लिए केवल 'साम' और 'दाम' का ही सहारा लेना तय किया है । 'दंड' और 'भेद' का निर्णय, अभी तक नहीं है । 'समझाइश' और 'प्रोत्साहन' को आधार बना कर हिंदी का काम शुरू किया गया है ।

यहां एक बात खास तौर से कहना चाहूंगा—मैं खुद हिंदी-वाला हूं, पर यदि इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा गलीज और घिनौनी मानसिकता का दर्शन मुझे कहीं हुआ है तो वे लोग और वे क्षेत्र दुर्भाग्य से हिंदीवाले ही थे । हिंदी पर जितना अत्याचार और जितना क्रूर कुत्सित बोझ हिंदीभाषियों ने डाला है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती । ऐसे लोगों का प्रतिशत इस वर्ग में 90 तक बैठ जाता है । उसके बहाने और उनकी निर्लज्ज टिप्पणियां भारत माता का सिर नीचा कर देती हैं । हिंदी में हस्ताक्षर तक करने में उनको अपने पूर्व पुरुष मैकाले साहब से आज्ञा लेनी पड़ती है शायद । वे लोग कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं । इस मातृ-चीर-हरण में हिन्दी के बड़े-बड़े स्थापित लेखकों तक के नाम गिनाए जा सकते हैं । खैर, इतना कहना जरूरी समझता हूं कि आज़ादी के बाद केन्द्र सरकार ने पहली बार यह प्रयत्न किया है कि हमारे विशाल देश को, जिसमें प्रशासन की भाषा सदियों से कभी एक नहीं रही, प्रशासन के स्तर पर किसी एक भाषा से बांधा जाए ।

इतने बड़े देश को एक प्रशासकीय भाषा देना और उसकी विभिन्नताओं को भी जीवित रखना बहुत बड़ी बात है । इतना बड़ा अनुष्ठान भारत के इतिहास में पहले सरकारी स्तर पर कभी नहीं किया गया । हमें विलम्ब का एक कारण यह भी स्वीकार करना होगा । विगत चालीस सालों में सिवाय हिंदी के एक भी भारतीय भाषा इस तरह उभर कर आकार नहीं ले सकी कि जिससे भारत में केन्द्र का प्रशासन चल सके ।

हिंदी ने पर्याप्त प्रतीक्षा कर ली है । एक-दूसरे से जुड़ी हुई भाषाएं अपने सीमांत प्रदेशों तक में प्रशासन की भाषा को अपनी भाषा में से आकार नहीं दे पाईं, तब फिर देश की अंतिम आशा केवल हिंदी ही हो सकती है । पर याद रखिएगा कि हम भाषा का मुद्दा भारत की अखंडता और एकता के मूल्य पर नहीं निबटा सकेंगे । हमें भारत की सभी चार भाषाओं को ससम्मान साथ में लेना होगा । यह नहीं हो सकता कि आप तमिलनाडु को तो भारत का एक अंग मानें, पर तमिल भाषा को भारतीय भाषा नहीं मानें । आप गुजराती भाषा को नकार कर गुजरात को कभी अपना नहीं कह सकेंगे । भारत की सभी भारतीय भाषाओं और प्रांतों के नाम आप इस सूची में जोड़ लीजिएगा । आज़ादी के पहले प्रशासन की स्थिति क्या थी, इसका भी ध्यान हमें रखना होगा । मैं खुद पुरानी होल्कर रियासत का निवासी था । मेरे राज्य की राजभाषा मराठी थी । सरकार मराठी में काम करती थी, पर जनता की भाषा मराठी कतई नहीं थी । यही हाल ग्वालियर रियासत का था । गुजरात में बड़ौदा की स्थिति इसके विपरीत थी । वहां की राजभाषा महाराजा गायकवाड़ के समय के एक सदी पहले से हिंदी थी । सरकार का कामकाज हिंदी में चलता था । पर जनता की भाषा गुजराती थी । मतलब यह है कि जनता की भाषा और प्रशासन की भाषा हमेशा अलग-अलग चली आ रही थी । ऐसे आंगन में आप-हम केन्द्र सरकार के बहाने हिंदी की एक ही अल्पना मांडने के लिए 'राजभाषा अधिनियम समिति और संसदीय राजभाषा' समिति के सहारे जुटे हुए हैं ।

जिस अंग्रेज़ी को हमारे अंग्रेज़ीदां 'लाट साहब' लोग देश के एकीकरण की भाषा मानते हैं और देश को डराते हैं कि अगर अंग्रेज़ी गई तो देश टूट जाएगा, उनके पास मेरे एक सवाल का उत्तर नहीं है । मेरा सीधा सवाल है कि भारत में अंग्रेज़ी आए करीब पौने दो सौ साल हो गए, क्या कारण है कि आप जैसे लाट साहबों का छोटी-बड़ी सरकारों का और संसार भर के प्रचार माध्यमों का भरपूर संरक्षण पाने के बाद भी आपकी अंग्रेज़ी आज तक भारत में दो प्रतिशत लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई ? इसका दशांश संरक्षण भी अगर किसी भारतीय भाषा को मिल गया होता तो आज भारत को भारत की राष्ट्रभाषा मिल गई होती । महादेवी जी का वह वाक्य कदापि नहीं बोलना पड़ता कि 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है ।' चलिए, मैं इस बिंदु को भी यहीं छोड़ता हूं । जो लोग अंग्रेज़ी को ही भारत की एकता और अखंडता की अनिवार्य शर्त मानते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन यह है कि मेहरबानी करके अंग्रेज़ी के आने से पहले वाले भारत के भूगोल को देख लीजिए और अंग्रेज़ी आने के बाद वाले भूगोल को देख लीजिए । जहां-जहां आपकी इस 'माताजी' का चरण पड़ा है, वहां-वहां भूगोल छोटा हुआ है । बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है । किसी देश को छोटा करना हो और उस देश के लोगों के मन में स्थायी कुंठा का बीज बोना हो तो आप वहां अंग्रेज़ी का विरवा रोप दीजिए। जिस साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस साम्राज्य में आज वाली सिकुड़ी और खंडित सीमाएं देने का मुकुट आप किस भाषा को पहनायेंगे? यह 'अम्मा' खुद अपना साम्राज्य नहीं संभाल पायी । आप इसे भारत की अखंडता और एकता का ठेका किस बूते पर दे रहे हैं?

मेहरबानी करें और आप अपने बाल-बच्चों को पालने की क्रिया करते रहें, पर देश की अखंडता और एकता के नाम पर हमारी पीढ़ियों का भविष्य नष्ट मत कीजिए । हम मानते हैं कि किसी देश, काल या कि राष्ट्रव्यापी अभियान को आकार देने में 40 या 50 साल का समय बहुत छोटे हाशिये पर माना जा सकता है, पर हिंदी की सहनशीलता और प्रतीक्षा-शक्ति तथा आकार लेती समृद्धि की प्रक्रिया की जानकारी भी आपको हासिल कर लेनी चाहिए। ज्यों-ज्यों हिंदी का काम बढ़ रहा है, त्यों-त्यों भाई लोग चीख-पुकार पर उतारू होने लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि हिंदी का विरोध कल से ज्यादा आज हो रहा है। मुझे आपसे विशेष निवेदन यह करना है कि आप मेहरबानी करके हिंदी को

केवल सरकार के भरोसे मत छोड़िए. आपका अपना भी कोई दायित्व है। आपके परिवार में होनेवाले विवाह-शादियों के निमंत्रण, आपके भेंटपत्र, आपके दैनिक हस्ताक्षर एक बार फिर आप स्वयं देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने स्तर पर तो सारा काम गुलामी की भाषा में कर रहे हों और केवल सरकार को ही हिंदी में चलते देखना चाहते हों।

संसदीय राजभाषा समिति ने आपका काम आसान किया है। हिंदी का राजमार्ग कंटक-विहीन करने का सत्कर्म किया है। रास्ते में चरनेवाली 'काली भेड़ों' को इस समिति ने पहचाना है और उन्हें रास्ते से हटाने का उपाय सुझाया है। समिति के काम का संक्षिप्त विवरण देना भी बहुत कठिन काम है। तीनों उप समितियों ने आज तक देश और विदेश में कुल मिला कर 3857 केंद्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया है। अपने कुल 16 साक्ष्य दौरों में समिति ने देश के विभिन्न स्तर के 234 गण्यमान्य लोगों की साक्ष्य अंकित की है अपने आज तक के तीन प्रतिवेदनों में उसने पहले खंड में 'केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था और पारिभाषिक शब्दावली तथा उससे जुड़े विषयों' पर कुल 684 टाइप पृष्ठों का दस्तावेज महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को 30 जनवरी, 1987 को भेंट किया। तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने इसे 'यथा प्रस्ताव स्वीकृत' करके देश की विधानसभाओं और सरकारों को विचारार्थ और टिप्पणियों के लिए भेजा है। प्रतिवेदन का दूसरा खंड मौजूदा राष्ट्रपति महामहिम आर. वेंकटरामन को 452 पृष्ठों का 30 जुलाई, 1987 को प्रस्तुत किया गया। इसमें 'यांत्रिक सुविधाओं में हिंदी के प्रयोग' पर समिति की सिफारिशें दी गयी हैं। वेंकटरामन जी ने इन सिफारिशों को 'यथा प्रस्ताव स्वीकार कर देश की विभिन्न सरकारों और विधानसभाओं को भेज दिया है। इस पर देशव्यापी बहसें हो रही हैं। जो तीसरा खंड जनवरी, 1989 में महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया, वह 1300 पृष्ठों का है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विषय है 'वर्तमान तथा भावी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था'। यह समूचा दस्तावेज बिना किसी विरोध और विवाद के हस्ताक्षरित हो गया।

स्मरणीय बिंदु यह है कि अभी तक जिन दोनों महामहिम राष्ट्रपतियों को ये तीनों खंड सौंपे गये हैं, वे दोनों ही अहिंदी-भाषी हैं। ज्ञानी जी पंजाबीभाषी और वेंकटरामन साहब तमिलभाषी हैं। वे इन्हें यथाप्रस्ताव, स्वीकृत कर देश को सौंपते हैं और देश के हिंदीभाषी महानुभाव हैं कि राम जाने क्या-क्या टिप्पणियां करके मुंह कसैला करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवेदन का चौथा खंड सितंबर, 1989 में तैयार ही कर राष्ट्रपति जी को सौंप दिया जायेगा। इसका सारा कच्चा काम पूरा हो चुका है। तय यह हुआ है कि समिति अपना पूरा प्रतिवेदन छह खंडों में सौंपेगी। चौथे खंड में समिति द्वारा केंद्रीय कार्यालयों में निरीक्षण के दौरान पाये गये राजभाषा संबंधी कामों का ब्यौरा होगा और उसकी सिफारिशें भी होंगी। यह वह खंड होगा, जिसमें 'काली भेड़ों' की काली करतूतों का उल्लेख होगा।

लिखना आवश्यक है कि समिति विदेशों में कहां-कहां गयी। विदेशों में जाने का यह अवसर 1980 की समिति के सदस्यों को मिला था। तीनों उप समितियों में सितंबर-अक्तूबर, 1980 में दौरा किया था। पहली उप समिति ने आठ देशों का दौरा किया, इनमें सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया, मिस्र और कुवैत जैसे देशों की केंद्रीय सरकार के कुल 53 कार्यालयों का निरीक्षण शामिल है। दूसरी उप समिति ने भी इन्हीं दिनों बैंकाक, हांगकांग तोक्यो, मनीला, सिडनी, जकार्ता, कुआलालामपुर और सिंगापुर का भ्रमण कर 51 केंद्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया. तथा तीसरी उप समिति ने इसी दौरान रोम, न्यू यॉर्क, वाशिंगटन, टोरंटो, ओटावा, एथेन्स, नैरोबी, सेशल्स और मॉरीशस में घूम कर कुल 32 केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के काम की पूछ-परख की। गये आठ सालों में फिर समिति ने विदेश का कोई दौरा नहीं किया। निस्संदेह ये सभी निरीक्षण महत्वपूर्ण रहे हैं। यथासमय समिति आगे भी देश के बाहर जाने की अनुज्ञा मांगेगी और सरकार सहमत होगी तो ताजा स्थिति की जानकारी लेने की कोशिश अवश्य करेगी।

चालीस सालों में सिवाये हिंदी के एक भी भारतीय भाषा इस तरह उभर कर आकार नहीं ले सकी कि जिससे भारत में केंद्र का प्रशासन चल सके। हिंदी ने पर्याप्त प्रतीक्षा कर ली है। एक-दूसरे से जुड़ी हुई भाषाएं अपने सीमांत प्रदेशों तक में प्रशासन की भाषा को अपनी भाषा में से आकार नहीं दे पायी। तब फिर देश की अंतिम आशा केवल हिंदी ही हो सकती है।

एक बात और भी प्रासंगिक है कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न को व्यापक दायरा देते हुए संसद में भारतीय भाषाओं की बात पूरे जोर से रखने का संयुक्त प्रयास शुरू हुआ है। डॉ. बलराम जाखड़ और प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस प्रयास से सर्वथा परिचित रहे, यह शैली सामने है। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप तमिलनाडु या दक्षिण भारत को दुहाई देना बंद कर दें। जिस समय इस आलेख पर मेरी कलम चल रही है, तब आप तमिलनाडु के चुनाव अभियान को देख लें। जो हां, वहां द्रमुक और अन्ना द्रमुक के विधानसभाई उम्मीदवारों पर उनके विरोधी खुला आरोप लगा चुके हैं कि 'हिंदी का विरोध करनेवाले इन नेताओं के बेटे-बेटियां, नाती, पोते परपोते, दामाद और पुत्रवधुएं हिंदी स्कूलों में खुद को भरती

करवा-करवा कर हिंदी सीख रहेहैं। इसलिए इनको वोट मत दीजिए'। जिन संगठनों को हम हिंदी-विरोधी कह कर यहां हल्ला करते हैं, उन लोगों की हकीकत यह है। तमिलनाडु में हिंदी का काम पहले से ज्यादा आगे आया है। दक्षिण के शेष तीन प्रांतों में तो खैर हिंदी-विरोध का वैसा कोई मुद्दा उग्रता के साथ उछलता भी नहीं है। छिटपुट सब कहीं होता है, पर जब देश किसी एक प्रशासनिक भाषा की ओर अग्रसर हो रहा हो, तब फिर यह हो-हल्ला गले उतरे या नहीं, पर होगा जरूर। तमिलनाडु में इन आक्षेपों का कोई उत्तर अन्ना द्रमुक और द्रमुक उम्मीदवारों से नहीं मिला। ठीक वैसी ही बात है, जैसी कि उत्तर में यह उठती है कि हम अपने बाल-बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और बात हिंदी की करते हैं।

संसद में जिस समय राजभाषा का वर्तमान कार्यक्रम इस समिति को सौंपा गया, उस समय सौ फीसदी काम हिंदी में करने का निर्णय कभी भी नहीं था। बहुत दूरंदेशी के साथ एक गतिशील कार्यक्रम तैयार किया गया। मेरा अनुभव कहता है, अगर मात्र हिंदी क्षेत्रों में हम हिंदीवाले लोग ही राज-भाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम का पालन कर लें तो आज देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा काम आप आनन-फानन हिंदी में पायेंगे। बैंकों और भारतीय रेलों में इस काम को जो निष्ठा और गति मिली है, उसकी सराहना भी की जानी चाहिए।

भारत जैसे देश में कोई भी एक भाषा जब राष्ट्रभाषा का स्थान लेती है, तब उसे कम-से-कम तीन सीढ़ियां अवश्य चढ़नी होती हैं—वह 'देशभाषा' से शुरुआत करती है, 'राजभाषा का आकार लेती है और अंततः 'राष्ट्रभाषा' का प्रतिष्ठित सिंहासन प्राप्त कर लेती है। पर जो परिदृश्य कुल मिला कर सामने है, वह बहुत ही अनोखा और दिलचस्प है। हिंदी भारत में 'देशभाषा' है ही, उसका एक पांव 'देशभाषा' की सीढ़ी पर दृढ़ता के साथ जमा है, उसका दूसरा पांव द ता पा चुका है, 'राष्ट्रभाषा' की पायदान पर। बीचवाली सीढ़ी पर है 'राजभाषा'। आज सवाल यह है कि हिंदी ऊपरवाले पांव को नीचे लाये या निचले पांव को ऊपर ले जाये। भविष्य स्पष्ट है। 'देशभाषा' से ऊपर उठ कर हिंदी को 'राजभाषा' की सीढ़ी पर चढ़ना होगा और वही वह कर भी रही है। आपका सहयोग और राज-नीतिक तथा नैतिक समर्थन चाहे आप दें या न दें, आपका सामाजिक समर्थन अवश्य चाहिए। केवल सरकार की दया पर राष्ट्रभाषा को छोड़ने की भूल कदापि मत कीजिएगा। जो लोग बिलकुल हिंदी का व्यवहार नहीं करते थे, वे यदि आज हिंदी का व्यवहार बोलचाल और लिखत-पढ़त में करते हैं तो उनकी गलतियों का उपहास मत कीजिए उन्हें गलत-सलत अटपटा-अशुद्ध जैसा भी वे बोलते-लिखते हैं, बोलने-लिखने दीजिए। उनके हौसले को हिम्मत दीजिए. आप कौन-सी सही अंग्रेजी बोल या लिख रहे हैं ?

संसदीय राजभाषा समिति का काम केवल प्रतिवेदन देने भर से पूरा नहीं हो जायेगा। इसका काम तब और आगे बढ़ेगा। निश्चय ही इस घटक का कल क्या उपयोग हो, यह संसद के देखने का काम है; पर हो-न-हो, यह एक स्वतंत्र विभाग या मंत्रालय बना कर सुगठित कर दिया जाये। इसे हिंदी के 'स्वास्थ्य और भविष्य' के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाये. आपने देखा होगा कि एक-दो नहीं, पूरे दस साल तक तो यह समिति अपने प्रतिवेदन का एक पृष्ठ भी तैयार नहीं कर पायी थी, लेकिन यही समिति राजीव गांधी के कार्यकाल में अपने प्रतिवेदनों का तीन चौथाई काम पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। इसकी बधाई किसे दी जाये, यह बात आप इतिहास पर छोड़ दीजिएगा। मैं रेखां-कित कर कहना चाहता हूं कि इस समिति ने एक भी शब्द अपने प्रतिवेदन और सिफारिशों में ऐसा नहीं लिखा है या कि नहीं प्रस्तुत किया है, जिससे किसी भी भारतीय भाषा की अस्मिता पर आंच आ जाये. संविधान, संसद राष्ट्रभाषा, जन-आकांक्षा, देश की अखंडता, एकता और पीढ़ियों का भविष्य सब कुछ समिति ने आत्मसात करके इस हवन में आहुतियां दी हैं।

धर्मयुग, 30 अप्रैल 1989—से साभार

मुगलों के राजकाज में हिन्दी

☐ डॉ० राम बाबू शर्मा

प्रशासनिक दृष्टि से मुगल सम्राटों ने तत्कालीन प्रत्येक मित्र देशी रियासत में अपने वकील का कार्यालय स्थापित कर रखा था। इसी प्रकार संबद्ध एवं सभी मित्र राजाओं ने मुगल सम्राटों की राजधानी में अपने-अपने कार्यालय स्थापित कर रखे थे। इन कार्यालयों का सर्वोत्तम अधिकारी वकील कहलाता था जो सम्राट तथा संबद्ध राजा के बीच में सम्पर्क स्थापित कराने में एक कड़ी का कार्य करता था। इन कार्यालयों का सभी कामकाज तत्कालीन हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के माध्यम से होता था।

मुगल सम्राटों के प्रशासन का अधिकतर कामकाज हिन्दी भाषा के माध्यम से होता था। फारसी का प्रयोग तो आवश्यकता के अनुसार विशेष परिस्थितियों में सम्राट के कतिपय सम्बन्धियों तथा वरिष्ठ मुसलमान अधिकारियों के साथ ही किया जाता था। जनसाधारण, सम्राट एवं राजाओं से संबद्ध सभी कार्यवाही हिन्दी में ही की जाती थी। इन प्रशासकीय कार्यवाहियों से संबद्ध विभिन्न प्रकार के जो हिन्दी पत्र मुगल सम्राटों एवं तत्कालीन हिन्दू नरेशों के कार्यालयों में व्यवहृत होते थे, उनमें अमलदस्तूर, आबजा, खतूत अहलकरान बही तालीक, अडटस्टा, सींगा, मुतफर्रिकात, तहिरीर, याददास्त, खाते नक्शा, मिसिल मुकदमा, इतलानामा, नकसा वाकियात पाना माहवारी रसीद सनदी, दस्तूर कौमवार, अर्जदास्त, फरमान वकील खतूतान वकील, अर्जदास्त, खतूत महाराजान, डौल, उत्सव का प्रसाद पत्र, नकसावासूल, कागद ओहदा बही, निरख, रोजनामा, एवं प्रशस्ति आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन पत्रों के शीर्षक प्राय: फारसी भाषा के ही होते थे तथापि इनकी लेखन शैली विशुद्ध रूप से भारतीय होती थी और उसकी अभिव्यक्ति लोक प्रचलित सर्वग्राह्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के माध्यम से ही की जाती थी।

इन प्राचीन प्रलेखों के अध्ययन से मुगल शासकों की राजभाषा हिन्दी का स्पष्ट रूप से बोध होता है। प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में वे ठेठ भाषा के समर्थक थे। इस भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली आदि का संमिश्रण था। प्राय: इन बोलियों के तद्भव शब्द ही अधिकांश प्रयुक्त होते थे। यत्रतत्र लोक प्रचलित फारसी शब्दों का व्यवहार भी किया जाता था। इन पत्रों की लिपि देवनागरी अवश्य थी किन्तु कतिपय अक्षरों की बनावट में वर्तमान अक्षरों की अपेक्षा वैषम्य पाया जाता है। वर्तनी सम्बन्धी विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं। इस भाषा की ठेठ शब्दावली क्रियापद सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, आदि सभी हिन्दी के होते थे। यत्रतत्र लोक प्रचलित फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इन फारसी शब्दों को हिन्दी के व्याकरण से रंग दिया जाता था। वे देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। इस प्रकार यह भाषा तत्कालीन प्रशासन की मानक भाषा थी जिसका व्यवहार राजभाषा के रूप में सम्पूर्ण भारत में होता था।

सम्राट अकबर के दरबार में ऐसे हिन्दी अमलदस्तूर समय-समय पर निकाले जाते थे, जिनके माध्यम से सम्पूर्ण देश में कार्य करने वाले अधिकारियों, न्यायाधीशों, गुप्तचरों, व्यापारियों, साधुओं और फकीरों, सैनिकों और सिपाहियों तथा प्रजा जनों के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश और अनुदेश भेजे जाते थे। इस दस्तावेज के 14 पत्र राजस्थान राज्य के बीकानेर अभिलेखागार में सुरक्षित है। (ये) पत्र पुस्तकाकार कागज पर दोनों ओर काली स्याही से हस्तलिखित हैं जो अकबर की राजभाषा हिन्दी सम्बन्धी नीति के ज्वलंत उदाहरण हैं। इन अमलदस्तरों में सम्राट के विधान, न्याय और कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले प्रशासन सम्बन्धी सैंकड़ों विषयों का सजीव चित्रण सरल भाषा में किया गया है। इन विविध विषयों के अन्तर्गत बादशाह की अध्यक्षता में गठित समिति, रईसों तथा अधिकारियों आदि के प्रजा के प्रति कर्तव्य, नगरों तथा ग्रामों की उन्नति की पद्धतियों, उच्च अधिकारियों द्वारा दरबार में शपथ ग्रहण करने की अभिव्यक्ति, प्रशासन में मध्यमार्ग का महत्व अवकाश के क्षणों में धर्म तथा वेद का अभ्यास, अपराधी और उसका प्राचीन अभिलेख मृत्युदंड और सम्राट आज्ञापालन और अनुशासन, काजी और उसका न्याय, कृषि उत्पादन और अन्न वितरण की व्यवस्था, राहजनी और उसका प्रबन्ध कलाकारों तथा विद्वानों का सम्मान एवं जासूसों से सावधान रहने की चेतावनी आदि हैं।

सम्राट अकबर के समक्ष उच्चतर अधिकारियों आदि को लोकहित की दृष्टि से शपथ लेनी पड़ती थी। इस आशय की अभिव्यक्ति निम्नांकित शब्दों के माध्यम से की जाती थी।

*सी-2/136, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

"फलक के सुखपावणे के वास्ते व नीति मार्ग के वास्ते पहली राह पूब यही है जुसबका सेवा कर परमार्थ के वीचि सुषी साहिब कैसा सोये दरवार साहिब के आधीन हो है करि आपणा को अरपण करता"।[1]

अधिकारियों को मध्यमार्ग का अनुसरण करने के सम्बन्ध में अकबर ने निम्नांकित शब्दों में आदेश दिए थे।

"मकसद वीचि का चलन गहै-सुवह और शाम सोए नहीं—साहाब का भजन करे।"[2]

सम्राट का विश्वास था कि प्रशासन खुशामदी लोगों से कमजोर होता है। इसलिए उसने अपने अधिकारियों को निम्नांकित शब्दों में स्पष्ट आदेश दे रखे थे।

"और खुशामदी होई तिसस्यें प्यार न करिए किस वास्ते जु खुशामदी से खुसी होई तिका काम पूरा न होई"।[3]

जमीन को उपयोगिता से संबद्ध आदेश के लिए निम्नांकित अभिव्यक्ति थी :

"जिमी पेतो लाईक होई सो एक विस्वों भी पड़ी रहे नहीं।"[4]

अधिकारियों के लिए सम्राट के स्पष्ट आदेश थे कि व्यापारी जनता से अनाज खरीद कर भण्डारों में जमा न करने पावें।

"और नाज रत्य पास लेके व्यापारी बहुत परीदि करि भण्डासाल न करणे पावे।"

बादशाह और सरदारों के कर्तव्यों के विषय में सम्राट के विचार और भाषा देखिए :

"पाति साही अर सिरदारी की तात्पर जयई है जु पलक की रषवाली करै विना रषवाली पवरदावरी सिरदार कहां वणा सो है नहीं।

सम्राट सभी धर्मों का समान आदर करता था इस प्रकार के आदेश की तत्कालीन हिन्दी अभिव्यक्ति देखिए :

"सब धर्म के अतीत है तिन सब ही स्यो प्यार रखे।[5]

अधिकारियों द्वारा जनता को दिये हुए आश्वासनों का पालन के लिए सम्राट के दरबार से निम्नांकित शब्दों में आदेश दिया जाता था।

"विशेष रैयती स्यौ ज बोल बोले तिस स्यो अवास करि निबाहे।"

मृत्युदंड का अधिकार स्वयं सम्राट को ही था। इस प्रकार का आदेश निम्नांकित होता था :

"अर चूक मारणो की ही होई तो मेरे दरबार भेजे अर हकीकत उसकी लिषे जु कुछ मेरा हुक्म होई सु करै"।[6]

जहांगीर के प्रशासन में तो ऐसी हिन्दी का भी प्रयोग होने लगा था जो राजस्थानी की शैली से पूरी तरह से प्रभावित थी। यथा—

"पतिसा सहजादारी हिन्दुस्थानरा, परगना सौह तगीर किया, जु दक्षिण गुजरात मांडू पैली धरती, थांन दी छै।"[7]

बादशाहनामा में सम्राट शाहजहां के जीवन-चरित्र, प्रशासनावस्था और उसकी संगीत प्रियता का सजीव वर्णन है। इसकी भाषा वास्तव में हिन्दी की ब्रज बोली ही है। इस संबंध में उर्दू भाषा के प्रसिद्ध विद्वान श्री हाफिज मोहम्मद शैरानी का भी यही विचार था।

"मैं समझता हूं कि इस इबारत में हिन्दुस्तानी से मुराद उर्दू नहीं है बल्कि ब्रज भाषा है।"[8]

औरंगजेब के राजकाज में हिन्दी की विविध शैलियों का प्रयोग होने लगा था। ब्रज भाषा, राजस्थानी आदि बोलियों के अतिरिक्त प्रशासन में खड़ी बोली और संस्कृत भाषा का प्राबल्य भी था।

यद्यपि औरंगजेब और उसके परवर्ती बहादुरशाह आदि सभी सम्राटों के राजकाज में हिन्दी की अन्य बोलियों के अतिरिक्त ब्रज और खड़ी बोली की ही प्रधानता थी तथापि अब ब्रज बोली का स्थान शनैः शनैः खड़ी बोली ग्रहण करती जा रही थी। उदाहरणार्थ मुगल सम्राट द्वारा महाराज जयसिंह को गुरू गोबिन्द सिंह के व्यास नदी पार करने की सूचना से सम्बद्ध एक पत्र की कुछ पंक्तियां देखिए :

"श्री महाराजाधिराज सलामती, गुरू की या सबरि है जो व्यास नदी उतरि गया।"[9]

---

1. "बारहवीं सदी से राजकाज में हिन्दी"—लेखक पृष्ठ—49
2. वही, पृष्ठ—49
3. वही, पृष्ठ—51
4. वही, पृष्ठ—51
5. वही, पृष्ठ—52
6. हिन्दी भाषा का राजकाज में प्रयोग (शोध ग्रंथ से)
7. वही पृष्ठ—74
8. वही पृष्ठ—75
9. वही पृष्ठ—81

परवर्ती मुगल सम्राटों के कामकाज से संबद्ध देवनागरी लिपि में हस्तलिखित सहस्रों प्रलेख राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित हैं। इन प्रलेखों में राजकाज सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के पत्रों में प्रशासन और प्रजा से संबद्ध असंख्य विषय उपलब्ध हैं। ये विषय तत्कालीन व्यवस्था, विधि नीति, पुरस्कार, दंड, सनद (प्रशंसा पत्र) जागीर, मिर्जा का खिताब, सहायता, खैरात (दान) माफी कारावास गुरू गोविन्द सिंह का पीछा करना, कार्यभार सौंपना, नौबत (अनुदान) बादशाह की यात्रा, सम्राट औरंगजेब की मृत्यु सूचना, युद्ध, सेना प्रयाण हाकिमों के नाम परवाने, मंसबदारों की रद्दबदल आदि है। इन सरकारी पत्रों की अभिव्यक्तियों से तत्कालीन प्रशासन राजनीति, समाज इतिहास और मनोवैज्ञानिक धारणाओं एवं तत्कालीन राज-भाषा हिन्दी, उसकी वर्तनी, लिपि और व्याकरणिक प्रयोगों का साफ-साफ पता लगता है। ये पत्र क्रमशः भारतीय मान्यताओं और परम्पराओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचना संकलन करते हुए स्वतःपूर्ण होते थे। मुख्य रूप से एक पत्र का कलेवर विभिन्न उपशीर्षकों के माध्यम से तैयार किया जाता था।

मुगलकालीन प्रशासन सम्बन्धी हिन्दी अभिलेखों के अध्ययन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि जनता की भाषा राजकाज की भाषा हो सकती है। मुगल प्रशासन में प्रायः ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ये पारिभाषिक शब्द आज भी उतने ही सजीव, ताजे, नए और लोक-प्रिय है। अस्तु, व्यावहारिक दृष्टि से हमें आज भी राजकाज में इन शब्दों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुगलकालीन दस्तावेजों से प्राप्त कतिपय शब्दों की सजीवता देखिए।

नीति, मारग (मार्ग) पहेली राय (पहली राह), खूबा (खूब) सेवा, परमार्थ, साहिब, अधीन, अरपण (अर्पण) मकसद, बीचि (बीच) ग्रहन गहे (ग्रहण करें), सकति (शक्ति) असीस (आशीष) सीष (सीख), बुधि (बुद्धि), खेती (खेती) तातपर (तात्पर्य), टेक (आदत), धरम (धर्म), सौंह, सौगंध, प्रगट (प्रकट), सजनता (सज्जनता), चुगलीदार (चुगलखोर) व्यापारी, खुसामदी (खुशामदी), रैत्य (रईयत), खरिदकरि (खरीदकर), भण्डसार (भण्डार), सिरदारी (सरदारी), रखवाली (रखवाली), खबरदारी (खबरदारी), अवसि (अवश्य), चूक, हकीकत, हुकम (हुक्म), पईसा (पैसा) जुवाब (जवाब), निजरि (नजर) आदि। □

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्र भाषा पद की अधिकारिणी है।

—नेताजी सुभाषचंद्र बोस

अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा महत्व

□शिल्पा महाले*

मानव विवेकशील प्राणी है। यह वह गुण या विशेषता है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग कर देती है। उसमें सोचने, समझने-बूझने की शक्ति होती है। उसमें अभिव्यक्ति की कला भी छिपी होती है। इस अभिव्यक्ति को प्रकाशित करने का काम प्रशिक्षण करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आदमी ज्ञानवान होने के नाते मननशील तथा चिंतनशील होता है। इस ज्ञान को परिमार्जित करने का काम करता है—प्रशिक्षण। आग के नीचे चिनगारी हो, तो हवा फैलने से वह प्रज्वलित होकर प्रकाशमान होगी ही ठीक उसी तरह अनुवादक में प्रतिभा हो तो प्रशिक्षण प्र + शिक्षण–विशेष, उच्चतर शिक्षण से उस प्रतिभा में निखार आएगा। यह तो मानी हुई बात है कि सबमें समान रूप से प्रतिभा के उत्स नहीं होते फिर भी यदि मनुष्य में लगन, निष्ठा, अध्ययन तथा अध्यवसाय की प्रवृत्ति हो तो किसी भी कला में वह माहिर हो सकता है। अनुवादक—अनुवाद कला के बीज को अध्ययन का जल दें, अभ्यास तथा अध्यवसाय की हवा दें, तो यह पौधा पनपेगा, फूलेगा, फलेगा ही। यहां में एक बात बता दूं कि प्रतिभा जाति निरपेक्ष होती है, वर्ना डॉ. आंबेडकर जैसे विधिसम्राट तथा कबीर जैसे ज्ञानी तथा प्रतिभावान कवि पैदा ही नहीं होते जबकि कबीर ने "मसि कागद छुओ नहीं, कलम गहि नहीं हाथ"।

अनुवादक भी जन्मजात नहीं होते। थोड़ा अभ्यास तथा थोड़ा प्रशिक्षण का मार्गदर्शन मिल जाये तो अनुवादक अनुवाद कला को हस्तगत कर सकता है। प्रशिक्षण के दौरान किये गये निरंतर अनुवाद अभ्यास से उसकी झिझक मिट जाती है, और आत्मविश्वास के साथ वह अनुवाद करने लग जाता है। प्रशिक्षण अनुवाद को उसके ज्ञान के प्रयोग का कौशल सिखाता है।

अनुवाद से जुड़े अनेक प्रश्न तथा समस्याएं—जैसे अनुवाद का वास्तविक अर्थ क्या है? शाब्दिक अनुवाद और भावानुवाद से क्या मतलब है? अनुवाद में शब्द तथा शब्द के संदर्भगत अर्थ का प्रयोग से क्या मतलब है? तकनीकी तथा कार्यालय सामग्री का अनुवाद साहित्य के अनुवाद से कैसे भिन्न है? राजभाषा या कार्यालयीन भाषा का स्वरूप क्या है? मानक वर्णमाला तथा मानक वर्तनी के नियम क्या है? आदि अनेकानेक शंकाओं का निराकरण इस प्रशिक्षण से हो जाता है।

*अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बम्बई-38

अनुवाद में भाषा की बहुत बड़ी अहमियत है। अनुवाद में अनिवार्य रूप से दो भाषाएं—एक स्रोत भाषा (Source Language) वह भाषा जिससे अनुवाद करना है तथा दूसरी लक्ष्यभाषा (Target Language)—वह भाषा जिसमें कि अनुवाद करना है समाहित हो जाती हैं।

भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाषा किसी देश के इतिहास, दार्शनिक विचारधारा, संस्कृति, सभ्यता आदि से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई होती है। एक प्रकार से भाषा किसी देश की संस्कृति की वाहिका होती है। भाषा की इस सांस्कृतिकता तथा उसके समाज वैज्ञानिक पक्ष को समझना अनुवाद प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग हैं। इस प्रकार अनुवाद प्रशिक्षण न केवल अनुवादक को अनुवाद कला में प्रवीण बनाता है बल्कि उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होता है। वह प्रशिक्षण सिर्फ शब्द-शिल्प का बोध न कराकर शब्द से भाव तक पहुंचने का हुनर सिखाता है। शब्द वही होते हैं। पर संदर्भ बदलते हैं। संदर्भानुसार सही शब्द का चयन करने की शक्ति प्रदान करता है यह प्रशिक्षण। हनुमानजी की तरह पूरा पहाड़ न उठाकर सिर्फ संजीवनी बूटी को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है यह प्रशिक्षण। शब्द तथा शब्दकोश के होने मात्र से ही सही तथा सुंदर अनुवाद नहीं होता, शब्दों के सही प्रयोग की विद्या भी तो होनी चाहिए जो अनुवाद प्रशिक्षण से प्राप्त हो जाती है। सिर्फ सुंदर कपड़ों मात्र के होने से क्या लाभ जब तक कि उन्हें पहनने का शऊर या ढंग आदमी में न हो, शब्द की तह तक पहुंचकर सूक्ष्म अर्थ की पकड़ जब तक अनुवादक में न हो, वह सही अनुवाद नहीं कर सकता।

किताबी ज्ञान एक ओर होता है, तथा सैद्धांतिक ज्ञान दूसरी ओर। व्यवहार तथा अभ्यास से प्राप्त ज्ञान नित्य तथा शाश्वत होता है। सैद्धांतिक ज्ञान का अनुभव तथा अभ्यास के निकर्ष पर कसा जाता है तभी वह उपयोगी साबित होता है। अनुवाद प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों को अनुवाद का व्यावहारिक ज्ञान देता है। अनुवाद प्रशिक्षण अनुवादक को जरूरत के मुताबिक स्वयं को स्थितियों में ढालने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

सामान्यतः कोई भी प्रशिक्षण एक नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण सोचने का नया अंदाज या नजरिया प्रदान करता है। प्रशिक्षार्थियों में अभिरुचि पैदा करता है। अनुवाद कार्य को सरलता

से निबाहने के लिये इस अभिरुचि का होना आवश्यक है, वर्ना अन्य तमाम बातों के होने के बावजूद सफल अनुवाद की गारंटी नहीं दी जा सकती। दिलचस्पी अहम चीज होती है।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में जो त्रिमासीय सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे बैंकों तथा उपक्रमों के अधिकारी बहुत समय-साध्य मानते हैं। उनका निवेदन है कि इतनी लंबी अवधि के लिए कर्मचारियों को भारमुक्त करना उनके लिए संभव नहीं है। कोई हफ्ते दो हफ्ते का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो तो बताएं।

हम सभी जानते हैं कि आज का युग तेज रफ्तार का युग है। गति, द्रुतगति (और परमगति) हर कोई, कम से कम समय में अधिक से अधिक पाने की चेष्टा में लगा हुआ है: हर कोई दो सुझावों के बीच की दूरी को जल्द से जल्द मिटाने के चक्कर में फंसा हुआ है। इस तेज गति वाले वैज्ञानिक युग में हर चीज जैसे कैप्स्यूल में बंद मिलती है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अत्यल्प समय में अनुवाद प्रशिक्षण दिलाने की ऐसी कोई गुटिका को नहीं बनाया गया है ।

एक कहावत यह भी है कि Haste makes Waste जल्दी का काम शैतान का होता है। इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी याद आती है। एक शिष्य ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरू के पास गया और प्रणाम कर बोला गुरुजी ! मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, आप मुझे जल्दी से जल्दी यह बताएं कि भगवान कहां है? ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का रास्ता क्या है? गुरु ने कहा कि हे शिष्य ! ज्ञान गंगा असीम तथा अथाह होती है। उसे पाने के लिए बर्तनियत (पात्रता) होनी चाहिए जिसमें जितनी बर्तनियत होगी उतना ही वह ज्ञान ग्रहण कर सकेगा। विद्यार्जन के लिए समय चाहिए। शिष्य अपनी टेक पर अड़ा रहा। तो गुरू ने कहा, "ठीक है यही समझ लो कि कण कण में भगवान है।' शिष्य बोला इतनी सी बात और आप कह रहे थे कि महीनों लगेंगे।" गुरु को प्रणाम कर शिष्य चला गया। चलते-चलते थक गया। प्यास के मारे बुरा हाल हुआ तो अलग-पास ही नदी बह रही थी। चुलु भर पानी उठाकर पीने ही वाला था कि गुरू की बात याद में आयी कि कण कण में भगवान है। तो फिर इस जल में भी भगवान होगा। भगवान को कैसे पी डालूं? नहीं नहीं ! और प्यासा ही वह आगे बढ़ गया। अब भूख ने भी जोर दिया। कुछ कंद-मूल खाने का विचार किया। तभी गुरू मंत्र स्मरण आया। अब तो उसका भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। थका बांदा गुरू के आश्रम में वापस आया और बोला– गुरु महाराज यह भगवान कैसा ? जो मुझे भूखों मार डाले। सब बात सुनकर गुरुजी बोले—शिष्य तुम्हारा ज्ञान अधूरा था, पूर्ण ज्ञान पाने के लिए लंबी अवधि के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। तभी आत्मबोध होता है। तभी तुम स्वयं जान जाओगे कि 'तेरा साई तुझ में जो पुहुपन में बास।' मुझे यही कहना है कि अनुवाद प्रशिक्षण की तीन महीने की अवधि एकदम वाजिब है। आवश्यक है। □

देश को किसी सम्पर्क भाषा की आवश्यकता होती है
और वह (भारत में) केवल हिंदी ही हो सकती है।

—श्रीमती इंदिरा गांधी

हिंदी एक जानदार भाषा है ।
वह जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा

—पंडित जवाहरलाल नेहरु

हिन्दी के माध्यम से कार्य-कुशलता में वृद्धि

☐ अरविन्द कुमार जोशी*

मातृभाषा : सहजभाषा

मातृभाषा वह नींव है, जिस पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का भवन खड़ा होता है। मातृभाषा के ही माध्यम से शिशु, जीवन में पहली बार दूसरों की बात समझना और अपनी बात प्रकट करना सीखता है। मातृभाषा व्यक्ति की समझ और अभिव्यक्ति का सबसे प्रथम, सबसे सहज और सबसे नैसर्गिक माध्यम होता है। बाद में व्यक्ति जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, इसी माध्यम से करता है। यहां तक कि यदि अन्य भाषा भी सीखता है, तो मातृभाषा के माध्यम से ही। उसका सारा ज्ञान मातृभाषा-सापेक्ष होता है। प्रकट है कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति केवल मातृभाषा में कोई बात तत्काल समझ सकता है और कुशलतापूर्वक समझा सकता है।

किन्तु यदि व्यक्ति को उसके कार्यजीवन में कदम-कदम पर मातृभाषा के अतिरिक्त किसी भाषा को माध्यम बनाने के लिए बाध्य होना पड़े, तो इसका प्रभाव उसकी कार्य-कुशलता पर पड़ता है, क्योंकि उस दशा में व्यक्ति को काफी ऊर्जा उस नई भाषा को सीखने और अपने को उसमें अभिव्यक्ति-सक्षम बनाने में व्यय होती है। जब कभी व्यक्ति इस दूसरी भाषा में कही हुई बात समझने की या उसमें अपनी बात कहने की चेष्टा करता है, तो उसके भीतर एक मानसिक अनुवाद क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो व्यक्ति की कहने या समझने की सहज गति में व्यवधान उत्पन्न करती है।

पर-भाषा : सहज प्रगति से विपरीत दिशा में लगा बल

हमारे देश में अधिकांश कार्यालयों और संस्थानों में अंग्रेजी कार्यभाषा के रूप में व्यवहृत हो रही है। शिक्षा में भी अधिकतर यही माध्यम है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वन्द्व की कल्पना कीजिए जो अपना मौलिक चिंतन तो अपनी भाषा में करता है, पर पाता है कि यदि वह उसी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहे, तो वैसा वातावरण है ही नहीं है। बाध्य होकर उसे अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त करने पड़ते हैं। दूसरी ओर क्योंकि बाहर से आने वाला अधिकांश संप्रेषण अंग्रेजी में होता है, व्यक्ति संप्रेषित सूचना का अपनी आंतरिक चिंतन-भाषा से तालमेल बैठाने में अपने काफी समय का अपव्यय करता है। यह बात तो हुई एक सुनिश्चत व्यक्ति की। तब उस व्यक्ति का क्या होगा, जिसे अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा-खासकर अंग्रेजी आती ही नहीं ? उसके लिए तो हमारे देश में ज्ञान-विज्ञान के सारे द्वार ही लगभग बन्द हो जाते हैं।

*भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, हरिद्वार

आयातित नहीं, समुचित प्रौद्योगिकी

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी का आधार होता है—विज्ञान। विज्ञान की प्रगति में योगदान केवल प्राध्यापक, शोधकर्ता और बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाएं नहीं करतीं। किसी भी देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को समृद्ध करते हैं—वहां के जन-साधारण, उनकी सूझ-बूझ, छोटे-छोटे आविष्कार और छोटी-छोटी तकनीकें। इन्हें हम आधुनिक भाषा में समुचित प्रौद्योगिकी (एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी) कहते हैं।

देश की मिट्टी से, देश में उपलब्ध साधनों और सुविधाओं का उपयोग करते हुए, देश के असंख्य-असंख्य विचारशील लोगों की चिंतन-प्रक्रिया से जिस प्रौद्योगिकी का जन्म होता है, वही समुचित प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी की देश के अधिक से अधिक लोगों तक देश की भाषा में ही पहुंचती है और फिर यह प्रौद्योगिकी बहुसंख्य लोगों की सूझबूझ, उनके अन्वेषण और आविष्कार कौशल का अपने में समावेश करते हुए निरन्तर विकसित होती जाती है।

भारत के जन-जन में छुपी विज्ञान प्रतिभा और हिन्दी

ज्ञान विज्ञान में हमारे देश के पिछड़े होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश के करोड़ों-करोड़ों लोगों की विज्ञान-प्रतिभा का दोहन करने में हम असमर्थ हैं। बीच में भाषा की दीवार है। विज्ञान की अद्यतन उपलब्धियों की जानकारी जन-सामान्य तक जनभाषा में नहीं पहुंचती है। वह अंग्रेजी में होती है और शोधसंस्थानों और महाविद्यालयों के कुछ अल्पसंख्यक शिक्षितों तक ही उसकी पहुंच होती है दूसरी ओर जनसामान्य का विज्ञान-चिंतन जनभाषा में होने के कारण शोध संस्थानों तक नहीं पहुंच पाता है। न उसे कोई राष्ट्रीय मंच मिल पाता है, न मान्यता यह एक बहुत बड़ी संप्रेषण-खाई है, जिसे कोई समर्थ जनभाषा ही, जो देश की सम्पर्क भाषा भी हो, पाट सकती है। वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है।

संस्थान में हिन्दी माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि

उपर्युक्त विश्लेषण का लाभ उठाकर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भा.हे.इ.लि.), हरिद्वार ने अपनी भाषा नीति को उदार बनाया है और ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे सामान्य कर्मचारी भी यह अनुभव करने लगा है कि संस्थान के प्रबन्ध में और संस्थान की गतिविधियों में उसकी भी भागीदारी है ।

इस बात ने हमारे इस विश्वास को दृढ़ किया है कि संस्थान में हिंदी का प्रयोग बढ़ने के साथ-साथ लोगों में काम की समझ बढ़ी है, उनमें प्रौद्योगिक साक्षरता विकसित हुई है, लोग काम को और अच्छे ढंग से करने के लिए जागरूक होकर आपस में विचार विमर्श करने लगे हैं, हिन्दी में अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ बोलकर या लिखकर वे अधिक से अधिक सहकर्मियों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहे हैं । कुल मिलाकर उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है ।

खुले मंच व बैठकों में हिन्दी

पहले अधिकांश कार्यवाही अंग्रेजी में हुआ करती थी। बैठकों में हिन्दी में बोलना अशोभनीय और कम पढ़े-लिखे होने की निशानी माना जाता था । पर धीरे धीरे भा० हे. इ लि., हरिद्वार में जब खुले मंचों का आरम्भ हुआ, तब हिन्दी ने अपने आप एक सर्वमान्य माध्यम का स्थान ले लिया । यह पाया गया है कि पहले वे लोग, जो अंग्रेजी में अपनी बात कहने में असमर्थ रहते थे, भाषा संकोच के कारण चुप बैठे रह जाते थे, भले ही उनके पास कहने के लिए महत्वपूर्ण बात हो । साथ ही वे दूसरों द्वारा दिए गए अंग्रेजी वक्तव्यों के जड़ श्रोता भर बने रहते थे–जड़ इसलिए, क्योंकि वक्तृता का बहुत कम हिस्सा ही वे समझ पाते थे ।

अब वे खुलकर अपने को अभिव्यक्त कर पाते हैं । इस प्रकार एक सार्वजनिक विचार-मंथन की प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ है, जिसमें अधिक से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं और अपने उपयोगी विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं । साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार उन तक पहुंचते हैं ।

उधर पदोन्नति के लिए होने वाले साक्षात्कारों में हिन्दी अब अस्पृश्य नहीं मानी जाती । प्रश्नोत्तर हिन्दी में होते हैं, जिससे साक्षात्कार देने वाला अपनी बात सहजता से कह पाता है ।

हिन्दी दस्तावेज

प्रायः यह पाया गया है कि यदि पाठ्य सामग्री मातृ-भाषा में हो, तो व्यक्ति उसे तत्काल पढ़ लेता है, पर यदि वह अंग्रेजी में हो, तो व्यक्ति उसे पढ़ने के लिए सहज प्रेरित नहीं होता । यह तो पढ़े-लिखे लोगों के साथ होता है, पर यदि व्यक्ति को अंग्रेजी का ज्ञान कम है या नहीं है, तब तो वह उस पाठ्य-सामग्री को पढ़ेगा ही नहीं और यदि पढ़ना जरूरी है, तब उसे समझने के लिए वह किसी दूसरे से सहायता लेगा ।

यदि भा० हे० इ० लि., हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम पाएंगे कि हमारे ज्यादातर पुराने श्रमिक आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं और उनका अंग्रेजी ज्ञान बहुत अल्प है । कारखाने में यंत्र का जो भी पुर्जा बनना होता है, उसकी विधिलिखित रूप में दी जाती है । इसे प्रौद्योगिक दस्तावेज (टेक्नोलॉजी) डाक्युमेंट) कहते हैं । ये दस्तावेज अंग्रेजी में होते हैं । ऐसी अवस्था में कर्मचारी दस्तावेज पढ़ता ही नहीं और उसके पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) द्वारा उसे जो विधि समझा दी जाती है, उसी विधि से वह पुर्जे बना देता है । एक पर्यवेक्षक के पास कई कर्मचारी होते हैं अतः पर्यवेक्षक भी सभी दस्तावेज पूरी तरह नहीं पढ़ पाता । ऐसे में काम में कई त्रुटियां होती हैं, जो पुर्जे की अस्वीकृति (रीजेक्शन) के रूप में सामने आती है ।

इसी तरह मशीनों के प्रचालन अनुदेश (आपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस) पुर्जे के चित्र (ड्राइंग) पर लिखे अनुदेश, सुरक्षा सम्बन्धी हिदायतें, संहिताएं (जैसे कोडिफिकेशन केटेलॉग आदि), स्थायी आदेश, कार्मिक पुस्तिका (परसोनेल मैनुअल), गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी अनुदेश और गृहपत्रिका जैसे अनेक दस्तावेज प्रायः अंग्रेजी में होते हैं ।

यदि ये दस्तावेज हिन्दी में हों तो श्रमिक स्वयं उन्हें समझ सकता है और उससे अपने काम की गुणवत्ता सुधार सकता है । वह अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक बन सकता है और अपने कार्य को यांत्रिक ढंग से नहीं, बल्कि सोद्देश्य करने की ओर प्रवृत्त हो सकता है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि स्थायी आदेश और अनेक सुरक्षा-सम्बन्धी हिदायतों का भा है. इ. लि., हरिद्वार में हिन्दी अनुवाद हो चुका है । । गृह पत्रिका में हिन्दी का पर्याप्त स्थान दिया जाता है, जिससे भा.है.इ.लि. के कार्यकलाप की सूचना अधिक से अधिक लोगों के लिए बोधगम्य हो सकी है । अधिकतर सामान्य उपयोग के प्रपत्र (फार्म) अब हिन्दी में उपलब्ध हैं। इन्हें कम पढ़े-लिखे कर्मचारी भी अब स्वयं भर लेते हैं। उन्हें दूसरों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता ।

जापान के उद्योग-संस्थानों में अपने काम में सुधार के लिए सुझाव देते रहने की एक स्वस्थ परम्परा है। प्रबंधिका इन सुझावों का विश्लेषण कर उपयोगी सुझावों को कार्यान्वित करती है और सुझावदाताओं का उत्साह-वर्द्धन करती है। ये सुझाव जापान की अपनी भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में नहीं।

भा.है.इ.लि., के हरिद्वार में भी सुझाव-प्रपत्रों का हिन्दी करण करने के, सुझाव देने वालों को हिन्दी में सुझाव लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के और सुझाव-योजना का पुनर्गठन करने के बाद विस्मयकारी परिणाम सामने आये हैं। जहा पहले चालीस-पचास सुझाव प्रति वर्ष प्राप्त होते थे, वहां अब दो हजार से भी अधिक सुझाव हर साल मिलने लगे हैं।

गुणवत्ता-मंडलों में हिन्दी

इसी तरह भा.है.इ.लि. हरिद्वार में गुणवत्ता-मंडलों (क्वालिटी सर्कल्स) की कार्यवाहियों का माध्यम भी हिन्दी है। मंडल के विचार-विनिमय, प्रतिवेदन (रिपोर्ट) और प्रस्तुतीकरण—सब हिन्दी में होते हैं। इसी कारण रीगर, चपरासी माली के पद पर काम करने वाले कई अत्यन्त शिक्षित लोग भी गुणवत्ता मंडल के सक्रिय सदस्य बने हैं। वे अपने काम में नयापन लाने और उसे अधिक समृद्ध बनाने के लिए अपने साथी प्रचालकों (आपरेटरों), पर्यवेक्षकों और अधिकारी के साथ मिल-बैठकर योजनाएं बनाते और उन्हें क्रियान्वित करते हैं और इस प्रकार नित्य क्रियाओं में भी एक उपलब्धि-भावना का और कार्य-सन्तोष का अनुभव करते हैं।

संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग

मानव माल मशीन और मुद्रा-संसाधन (रिसोर्सेस) के इन चार 'म' कारों में मानव का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वही शेष तीन संसाधनों को परिचालित करता है। इसलिए आवश्यक है कि यदि शेष तीनों संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करवाना है, तो मानव-रूपी संसाधन का भी सर्वोत्तम परिचालन करना होगा। मानव परिचालित होता है उसकी मातृभाषा से। जहां कहीं कोई आपसे आपकी मातृभाषा में बात करता है, वह आपको अपना ही आदमी लगने लगता है, आत्मीय लगने लगता है। कारखानों जैसे कार्यस्थल पर भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से कार्यहित में एक स्वास्थ्य वातावरण बनता है। कारखानों में जहां श्रमिक, पर्यवेक्षक और अधिकारी के बीच हिन्दी एक सौहार्दमय सामीप्य का भाव उत्पन्न कर सकती है, वहीं अंग्रेजी एक औपचारिक दूरी का। जिन्हें हिन्दी समझने में या हिन्दी में बात करने में कठिनाई नहीं होती, ऐसे इंजीनियर या अधिकारी अपने बहुसंख्य कर्मचारियों से अधिक घनिष्ठ संपर्क बनाने में और उनसे लगातार उपयोगी सूचनाएं पाने में सफल होते हैं।

प्रशिक्षण में हिन्दी

मानव संसाधन के महत्व का पता इसी बात से चल जाता है कि भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास केन्द्र के लिए अलग मंत्रालय नियत किया है। भा.है.इ.लि, हरिद्वार के मानव संसाधन विकास केन्द्र में प्रचालकों और पर्यवेक्षकों के लिए कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को हिन्दी में देने का श्रीगणेश किया गया है। इसमें पाठ्यक्रम की ग्राह्यता और इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले की भागीदारी बढ़ी है। अंग्रेजी में जो विषय दीवार-सा अगम्य हो जाता है, हिन्दी में वही द्वार सा सुगम और स्वागतमय हो हो जाता है। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि कंप्यूटर जैसे जटिल तकनीकी विषय - को भी बहुत सरल हिन्दी में समझाया जा सकता है।

हिन्दी में तकनीकी शब्दावली

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि हिन्दी को कारोबार और विज्ञान की भाषा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें उपयुक्त शब्दावली का अभाव है। यह सही नहीं है। हिन्दी के पास एक सम्पन्न शब्दावली है और सजीव शब्द-जनन प्रक्रिया भी। जापान, पश्चिमी जर्मनी और रूस ने वैज्ञानिक प्रगति अपनी भाषा के माध्यम से ही की और शायद इसी कारण द्रुत गति से भी की क्योंकि उसमें देश के हर नागरिक का योगदान मिल सका।

हिन्दी माध्यम से कार्यकुशलता में वद्धि : राष्ट्रीय संदर्भ में

ऊपर भा. है. इ. लि., हरिद्वार का उल्लेख जगह-जगह किया गया है, पर जो तथ्य भा.है.इ.लि. के संदर्भ में कहे गये हैं, वे किसी एक कारखाने में ही नहीं, बल्कि देश के उस विशाल भू-भाग में सब कहीं लागू होते हैं, जहां हिन्दी अच्छी तरह बोली-समझी जाती है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र युगदृष्टा थे, जिन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले ही कहा था, 'निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल'। आज उनके इस कथन की सच्चाई को हम अधिक तीव्रता से अनुभव कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि कार्य के हर क्षेत्र में किस तरह भाषा उपयोग पर हमारी कार्य-कुशलता निर्भर है। कार्यकुशलता से उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादकता से प्रगति। भारत की प्रगति का पथ भारतीयता की भूमि पर से-भारतीय भाषा की भूमि पर से-ही होकर जा सकता है और हिन्दी आपादमस्तक भारतीयता से ओतप्रोत है। वह भारतीय भाषा ही नहीं, भारत की जनभाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। ○

'श्रम भारती' से साभार

कृषि क्षेत्र में अनुवाद

☐ अवधेश मोहन गुप्त*

विज्ञान और तकनीकी विकास के प्रभाव से कृषि भी अछूती नहीं रही है। नित नयी बीज किस्मों और कृषि-प्रविधियों का विकास हो रहा है जिनकी जानकारी अनपढ़ किसान को तो क्या अल्प शिक्षित लोगों को भी नहीं होती । विदेशों से भी कृषि संबंधी नवीन जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहती है। अतः कृषि संबंधी अधुनातन प्रविधियों एवं सूचनाओं, को कृषकों तक और कृषि-विकास में संलग्न कार्यकर्ताओं विशेषज्ञों तक उनकी भाषा में पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्य के महत्व का अनुमान इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि हमारे देश की 70 करोड़ आबादी में से लगभग 50 करोड़ लोग कृषि में संलग्न हैं और देश के 3,290 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 1450 लाख हेक्टेयर सिर्फ कृषि हेतु प्रयुक्त होते हैं। और तो और देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 42 प्रतिशत योगदान कृषि द्वारा ही होता है। अतः कहा जा सकता है कि कृषि साहित्य को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं (और बोलियों में भी) उपलब्ध कराना शीर्षस्थ महत्व का कार्य है।

कृषि साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में सबसे पहले भारत की परंपरागत कृषि व्यवस्था पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। भारत के स्वतंत्र होने तक की अवधि को मोटे तौर पर परंपरागत कृषि का काल माना जा सकता है। इस काल में हजारों वर्षों से चली आ रही कृषि व्यवस्था में मुगलों और अंग्रेजों के शासन के दौरान भी कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। अंग्रेजों के शासन काल के दौरान भी, यूरोप में हुए कृषि आधुनिकीकरण की जानकारी भारतीय किसान तक नहीं पहुंची और खेती पारंपरिक ढंग से ही होती रही। इस कृषि की शब्दावली भी क्षेत्रीय भाषाओं में थी और उसमें उर्दू-फारसी शब्दों की भरमार थी। परंपरागत खेती का अनुमान उसकी इस शब्दावली से लगाया जा सकता है—किसान, खेतिहर, जमींदार, पटवारी, अहलकार, खसरा, खतौनी, बुनाई, रोपाई, सिंचाई, गुड़ाई, खुदाई, जुताई, कटाई, रहट, हल, कुदाली, हंसिया, बीज, सीवान, मेढ़, खरीफ, रबी, बंजर जमीन, उपजाऊ जमीन, अनाज की सफाई, पिराई, कुटाई, ढुलाई, हिस्सेदारी, छटाई की खेती, पैदावार, फसल, कीड़ा, कोहलू आदि।

1947 के बाद कृषि के आधुनिकीकरण का दौर शुरू हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से कृषि-विकास किया गया। इसमें मुख्यतः ये क्षेत्र शामिल थे—कृषि की परंपरागत पद्धति में सुधार या नयी पद्धतियों की परिकल्पना, कृषि के परंपरागत उपकरणों का कुछ सीमा तक मशीनीकरण, सिंचाई के तरीकों में सुधार, विद्युतीकरण द्वारा सिंचाई के नए तरीकों की शुरूआत, फसलों और जमीन तथा जलवायु के अनुसार अलग-अलग सिंचाई पद्धतियों एवं साधनों का विकास, रासायनिक खादों और उर्वरकों का उत्पादन तथा आपूर्ति, अच्छे बीजों की पैदावार और आपूर्ति, कीटनाशक दवाओं से फसलों का बचाव, फसलों की कटाई/मड़ाई/सफाई तथा जमीन की जुताई के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग, नहरों का निर्माण, पूरा वर्ष जमीन उपयोग आदि । इसके साथ ही कृषि संबंधी कार्यों तथा दुग्ध उत्पादन, मुर्गी-पालन, मछलीपान, कृषि विपणन आदि के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया।

स्वतंत्रता पूर्व कृषि से शासन का संबंध मात्र लगान वसूलने का होता था और उसके लिए सरकारी प्रतिनिधि के रूप में जमींदार, पटवारी, अहलकार आदि ही होते थे । आज कृषि संबंद्ध लोगों की श्रेणियां मोटे तौर से इस प्रकार हैं—

1. कृषि शोध संबंधी सरकारी संस्थान
2. कृषि जानकार वर्ग, जैसे सरकारी बैंक तथा उनके कृषि अधिकारी, ग्राम—ब्लाक स्तर के अन्य सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं आदि
3. कृषक वर्ग

ऊपर क्रम स. 2 में उल्लिखित वर्ग का कार्य शोधकर्त्ताओं और किसानों के बीच संपर्क सूत्र का है। अन्य क्षेत्रों की भांति कृषि विज्ञान संबंधी शोध कार्य भी अंग्रेजी में होता है। दूसरे शब्दों, में कृषि की आधुनिक प्रगति की धारणा की पृष्ठभूमि में जिस तकनीक या विशेषज्ञता का हाथ है वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विकसित हुई है और उसकी समस्त तकनीकी या विशिष्ट शब्दावलियां या प्रक्रियागत धारणाएं मूल रूप में अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। समस्या की शुरुआत यहीं से होती है क्योंकि इस तकनीकी ज्ञान का प्रयोग जिस कृषक वर्ग को करना है वह प्रायः अनपढ़ है तथा कृषि-विज्ञान की तकनीकी भाषा से तो पूर्णतः अनजान ही है। उसे अंग्रेजी सिखा कर इस योग्य बनाने का स्वप्न भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि "आज के संदर्भ में कृषि साहित्य कृषि विज्ञान

* सहायक प्रबंधक (रा० भा०), भारतीय नौवाहन निगम, लि० 13–स्ट्रेड रोड, कलकत्ता—700001

की अधुनातन प्रवृत्तियों की शब्दावलियों के अलावा विज्ञान, कानून, प्रशासन, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र के तकनीकी शब्दों की भरमार से पर्याप्त समृद्ध हो चुका है।" (पाठक, सूर्यमणि)

इस क्लिष्ट और विविधता भरे कृषि साहित्य के हिंदी अनुवाद की निम्नलिखित दिशाएं हो सकती हैं :—

1. कृषि वैज्ञानिकों के लिए सुनिश्चित एवं पारिभाषित अर्थों वाली तकनीकी शब्दावली से युक्त भाषा

2. किसानों के लिए बोलचाल की सरल भाषा

पहले प्रकार की शैली का संबंध कृषि शोध, शोध पत्रों/पर्चों, विशेषज्ञों की संगोष्ठियों से होगा। अतः उसके लिए संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा द्वारा सटीक एवं पारिभाषिक शब्दों का निर्माण अथवा आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को स्वीकार करने का मार्ग अपनाना उचित है। इस शली में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्वीकृत शब्द यथासंभव अखिल-भारतीय प्रकृति के हों। सामान्यतः उपलब्ध कोशों में इसी पद्धति से शब्द चयन/निर्माण किया गया है, यथा—

(क) संस्कृत—आधार पर निर्मित शब्द :

Absolute deviation	निरपेक्ष विचलन
Accessory	अतिरिक्त, सहायक
Atomixe	कणित करना
Brine water	लवण जल
Complementary Crop	पूरक सस्य
Desert climate	मरुस्थली जलवायु
Lemma	वाह्य पुष्पकवच
Caustics	प्रवाहक रसायन
Cell	कोशिका
Puddle cultivation	लेवकर्षण पंक्ति जुताई
Hereditary	आनुवंशिक
Edaphic	मृदीय
Anticipated production	प्रत्याशित उत्पादन
Effusion	निःसरण

आदि

(ख) विदेशी नामों का लिप्यंतरण/अनुकूलन यथा—फास्फोरस, यूरिया, डीजल, ट्रैक्टर, चेन, पंप, ट्यूबवेल, रोलर, डोवर, पंपसेट, हार्मोन, पोटाश, अमोनिया, बोरंग आदि,

Ammonium chloride	अमोनियम नौसादर
Conical roller	शंकुरोलर
Meston Plough	मेस्टन हल
Disc Harrow	तवेदार हेरो
Platy arrangement	लेटी विनयास
Carbon Compound	कार्बन यौगिक
Organic Soil	कार्बनिक मिट्टी
Sulky Plough	सलकी हल
Antivitamin	प्रतिविटामिन
Battery charger	बैटरी चार्जर
Battery charging	बटरी चार्जन

कृषि साहित्य की दूसरी शैली का संबंध किसानों से है। यदि उपयुक्त शैली की पांडित्यप्रधान भाषा में किसानों को जानकारी दी जाए तो वह उन्हें न तो बोधगम्य होगी और न ही ग्रहणीय होगी। अतः कृषि साहित्य की दूसरी शैली का बोलचाल की सरल व्याख्यात्मक भाषा में होना अपेक्षित है। इस दिशा में काफी कम कोश कार्य हुआ है, तथापि कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :

(1) सामान्य :

Perennial irrigation	बारहमासी सिंचाई
Apliculture	मधुमक्खी पालना
Banana wilt	केला मुरझाना रोग
Basin irrigation	थाला सिंचाई
Black cotton Soil	काली मिट्टी
Bran	चोकर, भूसी
Cowpox	माता
Cultivation implements	जुताई के औजार
Exchange	अदला-बदली
Furrow slice	खूड़/कूंड मिट्टी
Incubator	अंडे सेने की मशीन
Insect control	कीड़ों की रोकथाम
Planking	पाटा फेरना
Cross bred	संकर नस्ल
Edowment policy	बंदोबस्त पालिसी
Mould	फफूंदी
Listing	मेंड़ बनाना

(2) विशेष/तकनीकी

Aeginetia indica	ईख का बंगा
Argemone maxicana	सत्यानाशी

Carponiya vesuviana	बेर मक्खी
Fusarium udam	अरहर कुम्हलान
Idiocirus atlansoni	आम का तेला
Meliola psidii	अमरूद का काला फफूंद

प्रसिद्ध कृषि-अर्थशास्त्री डॉ. सूर्यमणि पाठक का यह कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि "आधुनिक कृषि को अपनाकर अपने ग्रामीण समाज के उपयोग व प्रशिक्षण के प्रयोजन से हमें समानान्तर रूप से बोलचाल की भाषा का कृषि साहित्य गढ़ना होगा। कृषि साख (ऋण) प्रदान करने वाली संस्थाओं व सरकारी एजेंसियों या फील्ड अफसरों की इस कार्य में अहम भूमिका होगी।"

बोलचाल की भाषा में कृषि साहित्य के रूपांतरण के भी दो पहलू हैं, जिनमें से व्यापक स्तर पर प्रयुक्त संपर्क भाषा हिंदी में इस साहित्य को प्रस्तुत करने के पहलू पर हमने ऊपर चर्चा की है। इसका दूसरा पहलू बोलियों एवं स्थानीय भाषा-रूपों से जुड़ा हुआ है। कृषि की आधुनिक जानकारी के व्यापक तथा वास्तविक उपयोग के लिए बोलियों का माध्यम अपनाना भी अपेक्षित होगा। वैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के कृषि तथा ग्रामीण कार्यक्रमों के जरिए इस दिशा में भी शुरूआत की जा चुकी है। ग्रामस्तर पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी ग्रामीण भाषाओं में ही किसानों को कृषि जानकारी देने का मार्ग अपना रहे हैं।

कृषि साहित्य के अनुवाद की समस्याएं भी उपर्युक्त विवरण से जुड़ी हुई हैं। स्पष्ट है कि विशेषज्ञों के लिए अनूदित सामग्री में चाहे शाब्दिक अनुवाद से काम चल जाए किंतु किसानों और ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषि—कार्यकर्त्ताओं (जो क्रमशः अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित होते हैं) के लिए शुद्ध अनुवाद से काम नहीं चलने वला। उनके लिए तो ऐसा कृषि साहित्य तैयार करना होगा जो उनको ग्राह्य बोलचाल की सीधी-सरल शैली में हो और जिसमें पांडित्यपूर्ण सटीक तकनीकी शब्दों की जगह जनमानस द्वारा व्यवहृत/व्यवहार्य अर्थपूर्ण ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो। ○

"हिन्दी के पक्ष में दलीलें देने का अर्थ मातृभाषा की उपेक्षा कतई नहीं है। हिन्दी का महत्व इसके भारतवर्ष की एक मात्र संभव राजभाषा होने में है और इसलिए दक्षिण के देशवासियों के लिए इसे सीखना जरूरी है। इससे मातृभाषा की उपेक्षा उसी प्रकार नहीं हो सकती और न होनी चाहिए जिस प्रकार देश की नागरिकता से घरेलू कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं होती।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

हिन्दी में वैज्ञानिक पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास

☐ डॉ. सन्तोष कुमार शर्मा

वर्तमान युग प्रगति और गति का युग है। दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ रही है। ज्ञान-विज्ञान व विकास के क्षेत्र में भी यह गति वैसी ही है। एक ओर जहां हम चन्द्रमा तक आने जाने लगे हैं, अंतरिक्ष युद्ध के प्रबंध हो रहे हैं, वहां इनका विवरण हमें घर बैठे पढ़ने-सुनने और देखने तक की सुविधा सुलभ हो गई है। साधनों के साथ इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय भाषाओं में हिन्दी का अपना विशिष्ट स्थान है। वह भारत की राजभाषा ही नहीं है बल्कि मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम ट्रिनीडाड आदि देशों में भी बोली जाती है। यह 60 करोड़ लोगों से अधिक की भाषा है और यूनेस्को ने इसे संसार की तीसरी बड़ी भाषा मान लिया है।

हमारा देश जितना पुराना है और बहुत पुराने जमाने से हमारे देश में ज्ञान-विज्ञान का जो ऐश्वर्य विकसित होता रहा है, उसकी तुलना में वैज्ञानिक पत्रकारिता हमारे देश के लिए बहुत नई है। आम आदमी तक वैज्ञानिक विषयों की जानकारी हिन्दी भाषा मे पहुंचाने का कार्य का इतिहास आज तक लिखा नहीं गया।

इस विषय के विभिन्न आयामों के अध्ययन के लिए, हमें भारत में पत्रकारिता के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी।

सन् 1805 में जब देवनागरी लिपि के टाइप तैयार हुए तो बंगाल में छपाई का काम चल निकला। उत्तरी भारत में हिन्दी में पत्रकारिता सन् 1821 में राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रारम्भ हुई। पं. युगल किशोर शुक्ल ने सन् 1826 में "उदत मार्तंड" नामक सबसे पहला समाचार पत्र निकाला। प्रफुल्लचन्द्र ओझा की पुस्तक "मुद्रण परिचय" से ज्ञात होता है कि बम्बई के एक पारसी सज्जन फर्दुनजी मर्जवान दस्तूर ने सन्1822 मे "मुबई समाचार नामक पत्र प्रकाशित किया।

उन दिनों समाचार संकलन, छपाई तथा विक्रय का कार्य सम्पादक को ही करना पड़ता था। शिक्षा के अभाव के कारण, समाचार पत्र बेचने के लिए अशिक्षित ग्राहक को पढ़कर सुनाना भी सम्पादक अथवा प्रकाशक की जिम्मेदारी होती थी।

सन् 1900 तक विदेशी राज के विरुद्ध जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उनके बाद देश में पत्रकारिता का प्रसार तेजी से होने लगा। हिन्दी के प्रथम समाचार पत्रों में सरस्वती, प्रताप, अर्जुन, विश्वमित्र, बनारस इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। हिन्दी में पत्रकारिता को गति प्रदान करने में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री आदि के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे।

भाषा की दृष्टि से पत्रकारिता को अशुद्ध प्रयोग कहा गया है। समाचार-पत्र जगत में पुरुषोत्तम दास टंडन और कमलापति त्रिपाठी ने "पत्र और पत्रकार" नामक पुस्तक में अनेक स्थानों पर पत्रकारी शब्द प्रयोग किया है। पत्राकारी धीरे-धीरे पत्रकारिता बन गया। आजकल "पत्रकारिता" शब्द पत्रकार के कर्म के अर्थ में रूढ़ हो गया है। यह शब्द पत्र+कार्य+इता से मिलकर बना है।

सन् 1947 से पहले हिन्दी में वैज्ञानिक पत्रकारिता का अस्तित्व नगण्य था। हिन्दी में उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य का भंडार भी सूक्ष्म था। ऐतिहासिक दृष्टि से सन् 1913 में एक वैज्ञानिक पत्रिका "आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका" का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। प्रयाग से सन् 1915 में "विज्ञान" तथा नागपुर से सन् 1915 में "उद्यम" के प्रकाशित होने का सन्दर्भ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित निर्देशिका में मिलता है।

यहां यह कहना अनुचित न होगा कि इन प्रकाशनों का कार्यभार सुप्रसिद्ध वैद्यों, चिकित्सकों और विश्वविद्यालय के आचार्यों पर रहता था।

सच तो यह है कि आवश्यकता होने पर भी सन् 1930 से पहले हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों का अकाल था। यद्यपि प्राचीन वैज्ञानिक प्रकाशनों का कोई क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है फिर भी वैज्ञानिक पत्रकारिता के उद्भव की दृष्टि से "विज्ञान वार्ता" (महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1930), "जन्तु जगत" (ब्रजेश बहादुर, 1930), "चलन कलन" (सुधाकर दिवेदी, 1941) "हमारी

चिकध्यॉ (सुरेंद्र सिंह, 1941), "कुपीपाक रस निर्माण विज्ञान" (हरिशरणानन्द वैद्य, 1941), "मिर्च की खेती" (रामेश्वर अशांत, 1942), "विज्ञान के पथ पर" (पुरुषोत्तम दास, 1945), जन्तुओं का गृह निर्माण" (जगपति द्विवेदी, 1945), "स्वास्थ्य के शत्रु-चाय सिगरेट" (मोहनलाल वर्मा), "सरल स्वास्थ्य मंदाकिनी" (श्रीमती जफर, 1945) "अविष्कारक और आविष्कार" (कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 1946) तथा "सिलिकेट प्रवेशिका" (हीरेन्द्र नाथ बसु 1946) आदि कुछ ऐसे प्रकाशन हैं जिन्हें आज श्रद्धा से याद करते समय किसी भी हिन्दी प्रेमी को सुख की अनुभूति होती है।

संभवत: यह सूची पूर्ण नहीं है फिर भी हिन्दी में अनुवाद और मौलिक लेखन की नींव पड़ने का आभास तो मिल ही जाता है। यह वह समय था जब लेखकों के पास कहने को बहुत बातें वैज्ञानिक व विकास विषयों पर नहीं थी। समाज की आवश्यकताएं सीमित थी और देश का पूरा ध्यान स्वाधीनता संग्राम में लगा था।

स्वाधीनता से पहले साहित्यकारों और पत्रकारों में अन्तर नहीं होता था। अधिकांश रूप में साहित्यकार ही पत्रकार होते थे। वैज्ञानिक विषयों पर यदाकदा लेखन मुख्यत: अनुवाद के रूप में "हिन्दुस्तान" व "नवभारत टाइम्स" जैसे दैनिक समाचार पत्रों में होता था। उद्भवकाल के लेखकों में नीलरतन धर, सत्यप्रकाश, संत प्रसाद टंडन, लाडलीमोहन मित्रा, गोरखप्रसाद, बीरबल साहनी, रामकृष्ण पाराशर, मेघनाथशाहा इत्यादि मुख्य हैं।

स्वीकृत मानक परिभाषिक शब्दावली का अभाव अनुवाद में बाधक था। भारतीय विज्ञान विषयों जैसे कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भवन निर्माण उद्योग आदि पर मौलिक लेखन जनसाधारण के ज्ञान के लिए कुछ देश प्रेमी लेखक व पत्रकार करते थे।

समाचार संकलन, सम्पादन तथा प्रकाशन इत्यादि विषयों का ज्ञान गुरु शिष्य परम्परा से होता था क्योंकि औपचारिक शिक्षण के लिए कोई प्रबंध नहीं था।

विकास काल सन् 1947 के बाद माना जाता है। हिन्दी में वैज्ञानिक पत्रकारिता के विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। परिषद ने स्वतन्त्रता के बाद सन् 1948 में "खेती" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। यह पत्रिका अब भी प्रकाशित हो रही है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा हमारे देश में सबसे प्राचीन है। इम्पीरियल कौंसिल कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसाइटी की स्थापना सन् 1929 में हुई और इसका प्रकाशन व सूचना विभाग सन् 1931 से कार्यरत है।

सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सोसाइटी का नाम परिवर्तित हुआ। भारतीय किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई नीतिनुसार परिषद् ने हिन्दी भाषा में प्रकाशन प्रारम्भ किये।

जुलाई 1978 में एक त्रैमासिक पत्र "फल फूल" निकाला गया। "कृषि चयनिका" देश के कृषि अनुसंधान परिणामों को प्रकाशित करने वाला त्रैमासिक सन् 1979 से छपने लगा। हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से परिषद् ने 1975 से "खेती पुरस्कार" का शुभारम्भ किया है।

हिन्दी के कार्यान्वियन से सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार कृषि विज्ञान में लगभग 200 पुस्तकें बुलैटिन तथा रिपोर्ट आदि प्रकाशित किए जा चुके हैं।

वैज्ञानिक पत्रकारिता के विकास में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद् का प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय सन् 1952 से "विज्ञान प्रगति" नामक मासिक का प्रकाशन कर रहा है।

सुप्रसिद्ध पत्रकार रामचन्द्र तिवारी, ओमप्रकाश शर्मा तथा श्यामसुन्दर शर्मा जैसे लोकप्रिय वैज्ञानिक पत्रकारों को विकसित कर सी.एस.आर. ने वैज्ञानिकों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली मानकों को हिन्दी में प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण कार्य सन् 1955 से कर रहा है। यद्यपि सन् 1978 के बाद प्रकाशन लगातार नहीं हो सका है।

विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होता है। अनुवादकों और लेखकों की सहायता के लिए, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने सन् 1962 में विज्ञान के विभिन्न विषयों के अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोष प्रकाशित किए। गत 25 वर्ष से कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली ने सभी वैज्ञानिक विषयों से लेकर सामाजिक विज्ञान तक लगभग पांच लाख वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्द निर्मित तथा प्रकाशित कर दिए हैं। दो त्रैमासिक "विज्ञान गरिमा सिंधु" और "ज्ञान गरिमा सिंधु" पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रहे हैं।

इनकी उपयोगिता को पत्रकारों, लेखकों व अनुवादकों ने अनुभव किया है। परिणामस्वरूप हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रकारिता को विकसित होने में तीव्र गति प्रदान हुई। पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में दस गुनी वृद्धि हुई। सन् 1980 तक इन की संख्या 321 हो गई। गत सात

वर्षों में यह संख्या लगभग 600 पहुंच चुकी है । वैज्ञानिक पत्रिकाओं में मासिक पत्रिकाओं में मासिक पत्रिकाओं की संख्या सर्वाधिक है।

चिकित्साविज्ञान में वैज्ञानिक पत्रिकाओं की संख्या सबसे अधिक 142 है और उसके बाद कृषि और पशुपालन का स्थान आता है । ये दोनों वैज्ञानिक विषय ही भारत में सबसे पुराने हैं । चिकित्सा विज्ञान में प्रकाशन मुख्य रूप से आयुर्वेद, होमियोपैथिक तथा योग क्रियाओं पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के अनेक नगरों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं ।

आरोग्य (गोरखपुर), आपका स्वास्थ्य (बनारस) आयुर्वेद प्रदीप (अस्थल रोहतक) अरोग्य संदेश (दिल्ली), इण्डियन कैमिस्ट (होशियारपुर) योग विज्ञान (इन्दौर), स्वास्थ्य सेवा (अजमेर), होमियोपैथिक विकास (ग्वालियर), अरोग्य प्रकाश (नागपुर) अरोग्य संदेश (नई दिल्ली) आदि आज भी प्रकाशित हो रहे हैं ।

कृषि और पशुपालन की पत्रिकाएं लगभग सभी प्रान्तों से प्रकाशित होती हैं । चिकित्सा विज्ञान संबंधी अधिकांश प्रकाशन, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों, स्वयं सेवी संगठनों द्वारा होते हैं जबकि कृषि विज्ञान संबंधी प्रकाशन अधिकांश रूप से सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा विश्वविद्यालयों के तत्वाधान में हो रहे हैं । वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं की एक प्रामाणिक सूची सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रकाशित (1980) निदेशिका में उपलब्ध है । धनाभाव के कारण अनेक प्रकाशन नियमित नहीं हैं परन्तु इनसे वैज्ञानिक पत्रकारिता के व्यापी क्षमता का दिग्दर्शन होता है ।

विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी जागरूक पाठकों और निजी उद्योग लगाने वालों के लिए नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की मासिक पत्रिका "आविष्कार" गत 17 वर्षों से निरन्तर प्रकाशित हो रही है ।

ग्रामीणों और गांवों के विकास की जानकारी देने के लिए लगभग सभी प्रान्त पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। इनमें छपी सामग्री से वैज्ञानिक पत्रकारिता के प्रौढ़ रूप का परिचय मिलता है । आर्थिक व औद्योगिक विभाग में लगे सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग भी जनोपयोगी तकनीकी मासिक द्विमासिक तथा त्रैमासिक छाप रहे हैं । "लघु उद्योग समाचार" 'ऊर्जा श्रम' पत्रिका इत्यादि मुख्य हैं ।

हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन सन् 1955-65 के बीच सर्वाधिक हुआ है । वर्ष 1965 तक 2256 पुस्तकों और 81 पत्रिकाओं बुलेटिनों तथा रिपोर्टों आदि का लेखा जोखा मिलता है । सन 1966-80 के बीच कुल 88 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ यद्यपि पत्रिकाओं आदि की संख्या 81 से बढ़कर 321 हो गई । सन् 1987 तक इनकी संख्या 600 तक पहुंच चुकी है ।

विद्यार्थियों व पत्रकारों की सहायता के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य प्रकाशन करने में बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा अन्य हिन्दी भाषी प्रान्तों की हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों ने स्थाई महत्व की पुस्तकें प्रकाशित की हैं ।

बाल और युवाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सी.एस.आई.आर., नेशनल बुक ट्रस्ट आदि के अलावा दर्जनों गैर-सरकारी प्रकाशनों ने पत्रकारिता के इस आयाम की आवश्यकता को पूरा किया है ।

इनवेस्टीगेटिंग (खोज परक) पत्रकारिता में भी वैज्ञानिक पत्रकारों ने सराहनीय कार्य किया है । सन् 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय से लेकर अब तक जल और वायु प्रदूषित करने वाले औद्योगिक प्रस्थानों के काले कारनामे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रकाशित किये हैं । महानगरों और गंगा के प्रदूषण की बात उठाने में वैज्ञानिक पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

राजभाषा अधिनियम 1963 और नियम 1976 के अनुसार हिन्दी का राजकाज में अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास हो रहा है । इस सन्दर्भ में रक्षा अनुसंधान एवम् विकास संगठन के रक्षा विज्ञान केन्द्र डेसीडाक, आई.आर.डी.ई., डी.आर.डी.ई., टी.वी.आर. एल. तथा डिपास आदि के वैज्ञानिकों ने अनुवाद के साथ मौलिक लेखन रेडियो दूरदर्शन के लिए लघु नाटिकायें इत्यादि पत्रकारिता में एक कीर्तिमान स्थापित किया है । अनेक वैज्ञानिकों के प्रकाशन पुरस्कृत हो चुके हैं ।

विज्ञान पत्रकारिता के विकास में रमेश दत्त शर्मा, हरीश अग्रवाल, सुरेश झा, जगन्नाथ शर्मा, सी.एल. गर्ग, जी. एस. शर्मा, श्रीमती दीक्षा विष्ट तुरंशनलाल पाठक, एम. सी. कुच्छल, आचार्य चतुरसैन, हरिबाबू कंसल, भगीरथ मिश्र, ओमविकास, प्रमिला वर्मा, दलबीर सिंह, माधव सक्सैना आदि ने सराहनीय कार्य किया है ।

हिन्दी में विज्ञान पत्रकारिता का विकास हिन्दी भाषा के विकास से जुड़ा है । हिन्दी का राजकाज में प्रयोग जिस गति से हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । देश का आर्थिक व औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। देश की लगभग 64 प्रतिशत जनता साक्षर नहीं और हिन्दी भाषी प्रान्तों में अशिक्षितों की संख्या देश के औसत से 3–4 प्रतिशत अधिक है । अंग्रेजी जानने वालों की संख्या लगभग 2–3 प्रतिशत ही होगी । परिणामस्वरूप आम आदमी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लायक बनाने

. . . जारी पृ० 32

हिन्दी दिवस समारोह आयोजन में स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की भूमिका

☐ एम. के. वेलायुधन नायर*

महात्मा गांधी ने सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में हिन्दी प्रचार का जो आह्वान किया उस के फलस्वरूप देश में अनेकों स्वैच्छिक हिन्दी संस्थायें स्थापित हुई जो अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार करती आ रही हैं। इनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा जैसी कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनका कार्यक्षेत्र देश के अन्दर और बाहर व्याप्त है। दक्षिण अफ्रिका, मोरीशस जैसे विदेशी राष्ट्रों में भी इन संस्थाओं का कार्य चलता है। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा जैसी कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनका कार्यक्षेत्र देश के एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। केरल हिन्दी प्रचार-सभा, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति जैसी संस्थाओं का कार्य अपने-अपने राज्यों तक सीमित है।

यद्यपि देश में हिन्दी प्रचार की अनेकों छोटी-मोटी स्वैच्छिक संस्थायें हैं इनमें बीस ऐसी संस्थायें हैं जो केन्द्र सरकार के मानव संसाधन-विकास मंत्रालय द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ से संबद्ध हैं। इनकी परीक्षायें अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ द्वारा निर्धारित और केन्द्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के आधार पर चलती हैं। इन परीक्षाओं को केन्द्र सरकारों व राज्य सरकारों की मान्यता प्राप्त है। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी इन परीक्षाओं को उचित मान्यता दी है।

जब से हिन्दी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुई तब से इन संस्थाओं की कार्यशैली में भी परिवर्तन आता रहा है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान भी परीक्षार्थियों को देने के उद्देश्य से पाठयक्रम में परिवर्तन लाया गया है। "हिन्दी में सरकारी कामकाज करने की विधि' भी उच्च परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल की गयी है। हिन्दी की प्रशासन शब्दावली का परिचय और हिन्दी में आलेखन, टिप्पण आदि लिखने का अभ्यास भी शिक्षार्थियों को इस पाठ्यक्रम से मिल जाता है। हिन्दी टंकण और आशुलिपिकों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर हिन्दी टंकण और आशुलिपि की कक्षायें भी ये संस्थाएं चलाती हैं। हिन्दी अनुवादकों और अन्य हिन्दी कर्मचारियों को तैयार करने के लिए हिन्दी अनुवाद, पत्राचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। राजभाषा के रूप में राज्य स्तर पर प्रान्तीय भाषाओं का और राष्ट्र स्तर पर हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करने के लिए अनुकूल जनमत तैयार करने में इन संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, सम्मेलन आदि सहायक हो रहे हैं। इस दिशा में इन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित लघु पत्रिकायें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह-मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जो वार्षिक कार्यक्रम बनाये जाते हैं उनमें यह निर्देश दिया जाता रहा है कि केन्द्र के सरकारी कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाया जाये। यह नहीं बताया जाता था कि हिन्दी दिवस किस दिन और हिन्दी सप्ताह किस सप्ताह को मनाया जाये। फलतः हर कार्यालय अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार किसी-अवसर पर ये समारोह आयोजित करते रहे।

केरल हिन्दी प्रचार सभा ने अनुभव किया कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस निश्चित दिवस को ही राष्ट्र-भर में मनाये जाते हैं उसी प्रकार हिन्दी दिवस भी निश्चित दिवस को राष्ट्र-भर में मनाया जाये तो उसका समेकित प्रभाव जनमानस पर अधिक गहराई से पड़ेगा। इसलिए विविध मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों में और केन्द्रीय हिन्दी समिति में उक्त आशय का सुझाव रखा गया। यह भी सुझाया गया कि हिन्दी सप्ताह का आयोजन केवल सरकारी कार्यालयों के तत्वावधान में नहीं, स्थानीय हिन्दी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से किया जाये।

केरल हिन्दी प्रचार सभा ने गत दो-तीन वर्षों में केरल के हिन्दी सप्ताह के आयोजन में इस आशय का प्रयोग भी सफलतापूर्वक करके दिखाया। केरल स्थित केन्द्र सरकारी कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के सक्रिय सहयोग से केरल में 14 सितंबर से जो हिन्दी सप्ताह आयोजित होते रहे हैं उसकी आयोजन शैली पर उन्नत नेताओं और अधिकारियों ने संतुष्टि प्रकट की है।

*मंत्री, केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुअनंतपुरम्-695014

इन सब के फलस्वरूप चालू वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर कार्यालय द्वारा हिन्दी सप्ताह 14 सितंबर से ही मनाया जाये और इसके आयोजन में स्थानीय स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का सहयोग लिया जाये। इस सुझाव को यदि हूबहु अमल में लायें तो निश्चय ही जनता पर और कर्मचारियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा ।

इसके आयोजन के लिए पहले एक समिति बनानी है जिस में राज्य के सभी केन्द्र सरकारी कार्यालयों, निगमों आदि के और राज्य स्तरीय स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि हों। राज्य के सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रतिनिधि भी इस समिति में रहें। इस समितियों के कुछ सदस्यों की एक कर्मसमिति बनायी जाये जो कार्यक्रमों का आयोजन कर सके।

उद्घाटन और समापन राज्य स्तर पर किये जाएं। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति को दर्शाने वाली प्रदर्शनी, भारतीय कवि सम्मेलन, हिन्दी आलेखन-टिप्पण, टंकण-आशुलिपि आदि में कर्मचारियों की प्रतियोगितायें तथा हिन्दी भाषण, निबंध-रचना, काव्य रचना, कहानी रचना, कविता पाठ, आदि में कर्मचारियों के बच्चों की प्रतियोगितायें राज्य स्तर पर आयोजित की जा सकती है। इसके साथ-साथ कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आदि नगर स्तर पर आयोजित की जा सकती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्र-पत्रिकाओं द्वारा इन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाये और कुछ विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा इस अवसर पर प्रसारित किये जाये। प्रकाशन विभाग की ओर से बहुवर्ण पोस्टर तैयार करके सड़कों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों आदि सार्वजनिक स्थानों पर पहले से ही चिपकाये जायें।

सरकार को अकेले ये सब कार्य करने में बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पर स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के कार्यकर्ता स्वेच्छा से कार्य करने वाले हैं। उन्हें कोई भत्ता या पारिश्रमिक नहीं देना पड़ता। अतः उनका उचित सहयोग लेने पर कम खर्च में अधिक प्रभावी ढंग से हिन्दी सप्ताह आयोजित किया जा सकेगा।

राष्ट्र स्तर पर अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ को और राज्य स्तर पर संघ की सदस्य संस्थाओं को इस ओर पहल करनी है। ○

पृष्ठ 30 का शेष

के लिए वैज्ञानिक साहित्य तथा विकास की जानकारी हिन्दी में वैज्ञानिक पत्रकारिता के माध्यम से देना अधिक सुलभ होगा। विज्ञान नीति संकल्प का, जिसे हमारी संसद ने 1958 में पारित किया था, एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार का है। उसके फलस्वरूप अब तक प्रगति को देखते हुए हम सन्तोष के साथ कह सकते हैं कि विज्ञान पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है। इन प्रयासों को बढ़ावा देने की जरूरत के बारे में दो राय नहीं हो सकती। इन कोशिशों में पहला जरूरी कदम आज तक के विकास का लेखा-जोखा तैयार करना है। इस विषय पर एक पुस्तक तैयार की जा सकती है। एक लेख को गागर में सागर भरने की चेष्टा हुई है यदि कुछ जल बाहर रह गया है तो कारण आप समझ सकते हैं।

हिन्दी अष्टावधानी : (जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है – डा० चेबोलु शेषगिरि राव

☐ डा. वीरेंद्र सक्सेना*

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे हिंदी नवलेखकों के मार्गदर्शन हेतु, जिनकी मातृ भाषा हिंदी नहीं है, कई शिविर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। इसी सिलसिले में जब निर्णय हुआ कि एक शिविर आंध्र प्रदेश में गोदावरी किनारे राजमहेन्द्री में भी लगाया जाए, तो वहां के वी.टी. कालेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डा. चेबोलु शेषगिरि राव से पत्र-व्यवहार का अवसर मिला। उनके पहले पत्र में ही मैंने नोट किया कि उनके नाम के साथ "हिन्दी अष्टावधानी' शब्द लिखे हुए हैं। समझ नहीं आया कि यह 'हिंदी अष्टावधानी' क्या चीज है? क्या यह कोई उपाधि है या कोई ऐसी संस्था है, जिससे डा. राव जुड़े हुए हैं?

जिज्ञासा स्वाभाविक थी, इसलिए शिविर के आयोजन के सिलसिले में राजमहेन्द्री पहुंचते ही मैंने डा. राव से प्रश्न किया, "यह आपके नाम के पहले 'हिंदी अष्टावधानी' कोई उपाधि है क्या?" सुनकर वे मुस्कराये और बोले, "हिंदी अष्टावधान एक साहित्यिक प्रक्रिया है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, पहले उसका प्रदर्शन करूंगा।"

मेरी उत्सुकता बढ़ गई, "कब करेंगे प्रदर्शन?"

"इन्हीं दिनों, नवलेखक शिविर के दौरान—एक दिन सायंकाल।" और डा. राव ने अपने प्रदर्शन के लिए चार दिन बाद की तारीख घोषित कर दी।

मैंने सोचा, "यह भी ठीक है। पहले प्रदर्शन देख लूंगा फिर ज़रूरत हुई तो उसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करूंगा।"

शिविर में मार्गदर्शक साहित्यकार के रूप में सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर, कविवर रमेश मेहता और युवा व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय तथा सुपरिचित कन्नड़ भाषी हिंदी लेखक बी.आर. नारायण भी, राजमहेन्द्री पहुंचे थे। साथ ही शिविरार्थी के रूप में विभिन्न अहिंदी भाषी क्षेत्रों से लगभग 25 अहिंदी भाषी हिंदी नवलेखक भी राजमहेन्द्री आए हुए थे। मैंने उन लोगों से भी डा. राव के प्रस्तावित प्रदर्शन की चर्चा की और अनुरोध किया कि वे सब प्रदर्शन के समय उपस्थित रहें।

*18/14, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017

खैर निर्धारित दिन आया और शाम के लगभग 6.30 बजे सभागार साहित्यकारों और साहित्यप्रेमी दर्शकों से खचाखच भर गया। फिर डा. चेबोलु शेषगिरि राव मंच पर अवतरित हुए और उन्होंने विशिष्ट दर्शकों के बीच से आठ 'प्रश्नकर्ताओं' को चुना तथा उन्हें भी अपने साथ मंच पर बैठने को आमंत्रित किया। फिर उनके मित्र और साथी डा. एच. एस. एम. कामेश्वर राव ने डा. चेबोलु शेष गिरि राव का संक्षिप्त परिचय दिया और यह सूचना भी दी कि इससे पहले डा. राव 'हिंदी अष्टावधान' का प्रदर्शन राजमहेन्द्री के अलावा आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, आदि कई स्थानों पर कर चुके हैं। लेकिन इतने सारे विशिष्ट हिंदी लेखकों के समक्ष यह शायद उनका पहला प्रदर्शन होगा। इसके बाद स्वयं डा. राव ने भी सभी का स्वागत किया और निवेदन किया कि चूंकि पिछले कई दिनों से वे लगातार कई तरह के कामों में व्यस्त रहे हैं, इसलिए हो सकता है वे चित्त को पूर्णतः एकाग्र न कर पाएं और अष्टावधान में कुछ त्रुटि रह जाए। इसके लिए वे पहले ही क्षमाप्रार्थी हैं।

डा. राव ने आठों प्रश्नकर्ताओं को, जिनमें चारों मार्ग दर्शक साहित्यकार, तीन शिविरार्थी लेखक तथा स्वयं मैं, शामिल थे, समझाया कि उन्हें किस तरह अपने प्रश्न पूछने हैं। उनमें एक प्रश्नकर्ता को केवल 'पुष्प गणना' करानी थी। उसके लिए कार्यक्रम के बीच में कई बार कुछ फूल डा. राव को भेंट करने थे। डा. राव को उन फूलों को गिनकर उनका हिसाब अपने मन में जोड़ते रहना था। अंत में कार्य-क्रम के बाद उन्हें बताना था कि उन्हें कुल कितने पुष्प भेंट किए गए। दूसरे प्रश्नकर्ता को बीच-बीच में भूत या भविष्य की कोई तारीख एक पर्ची पर लिखकर देनी थी। डा. राव मन ही मन गणना करके बताने वाले थे कि उस तारीख को कौन सा दिन था या भविष्य में होगा।

गणना या गणित के इन दो प्रश्नों के अलावा शेष सारे प्रश्न कविता से संबंधित थे। उदाहरणार्थ तीसरे प्रश्नकर्ता को 'न्यस्ताक्षरी' के लिए आठ अक्षरों वाला कोई दोहा या चरण अपने मन में सोचना था और उसका एक-एक अक्षर बीच बीच में बिना किसी क्रम के डा. राव को बताना था। इसके उत्तर में डा. राव को कार्यक्रम के अंत में यह बताना था कि वास्तव में वह दोहा क्या था या उसके अक्षरों का सही क्रम क्या था।

चौथे प्रश्नकर्ता को 'निषिद्धाक्षरी' के अंतर्गत किसी पद के एक या दो चरण रचने की प्रक्रिया में बीच-बीच में कोई न कोई अक्षर डा. राव के लिए 'निषिद्ध' घोषित करना था, ताकि वे उनका प्रयोग किए बिना ही अपना पद पूरा कर सकें। इसी तरह "चित्राक्षरी" के अंतर्गत पांचवें प्रश्नकर्ता को अलग-अलग क्रम से 16 अक्षरों का सुझाव देना था और अंत में उन्हीं के आधार पर 16 अक्षरों का पूरा पद रचकर डा. राव को उसका उत्तर देना था।

छठे प्रश्नकर्ता को 'दत्तपदी' के अंतर्गत चार अनुप्रास शब्द बताने थे। फिर उन्हीं के आधार पर डा. राव को पूरा पद तैयार करके दर्शकों को सुनाना था। इसी क्रम में सातवें प्रश्नकर्ता को 'वर्णन' के अन्तर्गत एक विषय का सुझाव देना था और डा. राव को अपने कार्यक्रम के बीच-बीच में उसी विषय पर एक-एक पंक्ति रचकर चार पंक्तियां सुनानी थीं।

आठवें प्रश्नकर्ता का काम सबसे रोचक था। उसे डा. राव के साथ अनर्गल-असंबद्ध बातें करनी थीं, ताकि उनका ध्यान किसी प्रश्न विशेष पर केंद्रित न हो पाए और वे अपने लक्ष्य से भटक जाएं। केवल इतना ही नहीं, डा. राव को इस आठवें प्रश्नकर्ता की अनर्गल बातों का कुछ न कुछ उत्तर भी देते रहना था ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो सके और वह प्रश्नकर्ता 'सरस संलाप' के बहाने उन पर हावी न हो जाए।

प्रश्नकर्ताओं को उक्त सारी प्रक्रिया समझाने के बाद डा. राव ने अपनी इष्ट देवी की वंदना की, अपने गुरु की वंदना की और मन ही मन कुछ ध्यान-सा किया। इसके बाद कार्यक्रम आरंभ करने का संकेत किया और तत्काल सारे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों के चक्रव्यूह में उन्हें घेरने के प्रयास में एकजुट हो गए।

सर्वप्रथम पहले प्रश्नकर्ता ने कुछ फूल डा. राव को भेंट किए। डा. राव ने उन्हें गिना और दर्शकों की ओर उछाल दिया। तत्काल दूसरे प्रश्नकर्ता ने पूछा 5 अप्रैल 1964 को कौन-सा दिन था। डा. राव ने तत्काल मन ही मन गणना कर ली और उत्तर दिया, "रविवार।" उत्तर सही था, अतः दर्शकों ने तालियां बजाकर डा. राव की सफलता का स्वागत किया।

उसी समय कविता संबंधी प्रश्नों की बौछार भी शुरू हो गई। 'दत्तपदी' वाले प्रश्नकर्ता ने चार अनुप्रास शब्द बता दिए 'आती', 'भाती' 'सुहाती और 'गाती' तथा मांग थी कि इनका प्रयोग करते हुए 'प्रेम' विषय पर एक छंद रचा जाए। 'वर्णन' वाले प्रश्नकर्ता ने भी अपना विषय दे दिया 'मुरली-धर की मुरली' और डा. राव से मांग की कि वे इस विषय पर चार पंक्तियां रचकर दर्शकों को बीच-बीच में सुनाते रहें।

उधर 'न्यस्ताक्षरी', 'निषिद्धाक्षरी' तथा 'चित्राक्षरी' के लिए आमंत्रित प्रश्नकर्ताओं ने भी अपना कार्य आरंभ कर दिया और बीच-बीच में एक-एक अक्षर के तीर छोड़ने लगे। साथ ही 'सरल संलाप' वाला प्रश्नकर्ता अपने व्यंग्य बाणों से डा. राव को घायल करने के प्रयास में जुट गया ताकि वे या तो निष्क्रिय हो जाएं या डर से मंच छोड़ कर भाग जाएं।

आठों प्रश्नकर्ता उस समय आठ योद्धाओं जैसे लग रहे थे, जो अकेले निहत्थे डा. राव को घेरे हुए थे। लेकिन डा. राव केवल बुद्धि कौशल, मनोबल और एकाग्रता के सहारे जरा भी विचलित नहीं हुए और हंस-हंसकर सभी प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते रहे।

अंत में जब 'पुष्प गणना' वाले प्रश्नकर्ता के सारे पुष्प समाप्त हो गए, तारीखों के बदले दिन पूछने वाला प्रश्नकर्ता 'दिवस गणना कराते-कराते थक गया, 'न्यस्ताक्षरी', 'निषिद्धाक्षरी और 'चित्राक्षरी वालों के भी अक्षर निःशेष हो गए और 'सरल संलाप के लिए भी कोई व्यंग्यबाण शेष न रहा, तो डा. राव ने सभी प्रश्नकर्त्ताओं के विधिवत उत्तर देने शुरू किए। उन्होंने अब तक प्राप्त कुल पुष्पों की संख्या गणना करके बतलाई। पुष्प-संख्या 21 थी और वह सही पाई गई। तारीख के बदले दिनों की ठीक-ठीक गणना का सबूत वे कार्यक्रम के बीच में ही कई बार दे चुके थे, इसलिए अंत में उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्होंने 'मुरली धर की मुरली' विषय पर पूरा पद सुनाया और 'दत्तपदी' के अनुसार 'प्रेम' के बारे में प्रस्तावित अनुप्रास शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्न पद भी रचा---

आती है मन बहलाने
भाती लुभाती सभी को
सुहाती सबको सरसाती
गाती नारी प्रेम दिखलाती

इसके बाद डॉ. राव ने 'निषिद्धाक्षरी' के निमित्त प्रस्तावित विषय 'बरसात का मौसम' के संबंध में निषिद्ध अक्षरों का प्रयोग न करते हुए दो पंक्तियां सुनाई। 'चित्राक्षरी' के 16 अक्षरों का एक पद भी बनाकर सुनाया। अंत में 'न्यस्ताक्षरी' के संबंध में एक अक्षर 'ऊ' पर अवश्य कुछ अटक गए, क्योंकि इसके प्रश्नकर्ता सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर थे, जिन्होंने रहीम के दोहे के आठ अक्षर 'पानी गए न ऊबरा' अपने प्रश्न के लिए चुने थे।

डा. राव अपनी सफलता पर प्रसन्न थे कि उन्होंने सुपरिचित हिंदी साहित्यकारों के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया था और हम सब चमत्कृत, क्योंकि हमारे लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। उधर सभागार में दर्शकों की तालियां

गूंज रही थी, इधर मंच पर हम सब मिलकर उन्हें बधाई दे रहे थे और डा० राव अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक उसे स्वीकार कर रहे थे।

मुझे लगा इस विषय पर डा. राव से बातचीत भी की जानी चाहिए। डा. राव ने सहर्ष इसकी अनुमति दे दी और 17 जनवरी को अपराह्न लगभग 3.00 बजे हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई, उससे अष्टावधान परंपरा के साथ-साथ, अष्टावधान की आधुनिक संदर्भों में उपयोगिता के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

डा. राव ने बताया कि तेलुगु कवियों में अवधान की समृद्ध परंपरा रही है। पूर्ववर्ती अनेक तेलुगु कवि, जिनमें चेल्लपिल्ल वेंकट शास्त्री तथा दिवाकर्ल तिरुपति शास्त्री जैसे कविद्वय के नाम शामिल हैं, बड़ी-बड़ी सभाओं में आशु कविता पाठ और अवधान करते थे। उनके साहस और अध्यवसाय को देखकर जनता मुग्ध हो जाया करती थी। इसी परंपरा को दृष्टि में रखकर और हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अगाध प्रेम के कारण डा. राव ने सोचा क्यों न इस परंपरा का सूत्रपात हिंदी में भी किया जाए और वे स्वयं इस कार्य में पूरी निष्ठा से लग गए।

डा. राव ने बताया कि अवधानी को कई गुणों का विकास या उनका अभ्यास करना पड़ता है। इनमें प्रमुख है आशु कविता, भाषा पर अधिकार, एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति। बिना इनके अवधान सफल नहीं हो सकता। किंतु यही गुण अगर पर्याप्त मात्रा में विकसित किए जा सकें, तो अष्टावधान तो क्या, सौ प्रश्नकर्त्ताओं के निमित्त 'शतावधान' तक संपन्न किया जा सकता है।

मैंने डा. राव से पूछा, 'अवधान के लिए अभ्यास किस तरह किया जाता है?' तो उन्होंने बताया, 'इसे दो चरणों में पूरा करना होता है। प्रथम चरण में विभिन्न विषयों पर पदों की रचना करने का अभ्यास किया जाता है। फिर दूसरे चरण में मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने का अभ्यास करना होता है। इसके लिए दो तरह से प्रयास किया जाता है: (1) अनुकूल परिस्थितियों में तनाव रहित रहकर, तथा (2) प्रतिकूल परिस्थितियों में एक ही विषय पर सोचकर।'

मैंने पूछा, 'स्मरण शक्ति तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, क्या हर व्यक्ति उसका विकास कर सकता है?' इस पर वे बोले, 'साधना द्वारा ईश्वर प्रदत्त स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।' फिर उन्होंने जैसे राज की बात बताई। कहा, 'विद्यार्थी जीवन में मैं प्रेस में काम करते हुए पढ़ाई भी करता था। बाद में हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने लगा और बी. ए. की पढ़ाई भी करता रहा। इससे पहले रेडियो सुनते-सुनते स्वयं गुनगुनाते हुए गणित के प्रश्न हल किया करता था।'

डा. राव के साथ इस बातचीत से मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझ में आ गया। वह यह कि अगर हम अवधान प्रक्रिया को अपने जीवन में शब्दशः न भी ग्रहण करें, तो भी इतना तो स्वीकार करेंगे ही कि आधुनिक जीवन पद्धति के लिए भी यह प्रक्रिया बड़ी उपयोगी हो सकती है। कारण हम सभी जानते हैं कि आज के जटिल जीवन में हमारे मस्तिष्क को एक साथ कई काम करने पड़ जाते हैं। फल यह होता है कि ध्यान बंट जाता है और कोई भी काम ठीक प्रकार से पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम अपने मन-मस्तिष्क को इस तरह एकाग्र या 'सेट' कर सकें कि वह कई कामों के बीच भी महत्वपूर्ण काम पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर सकें, तो हमारा मस्तिष्क उस काम को बिलकुल ठीक-ठीक और समय पर पूरा कर सकेगा और हम भुलक्कड़ बनने से बच जायेंगे।

अस्तु, डा. चेबौलु शेषगिरि राव सचमुच बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के अन्य अग्रज 'रावों' सर्वश्री बालकृष्ण राव (सुप्रसिद्ध कवि), नरसिंह राव (मानव संसाधन विकास मंत्री) पांडुरंग राव (सुपरिचित भाषा शास्त्री) की तरह राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा तो की ही है, तेलुगु साहित्य की अष्टावधान परंपरा को भी हिंदी में रूपांतरित करके हिंदी प्रेमियों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। कोई भी हिंदी सेवी संस्था या व्यक्ति यदि चाहे, तो अपने नगर में डा. राव को आमंत्रित करके उनका अष्टावधान प्रदर्शन आयोजित कर सकता है, क्योंकि वे स्वयं इसके व्यापक प्रचार के लिए कृतसंकल्प हैं। ○

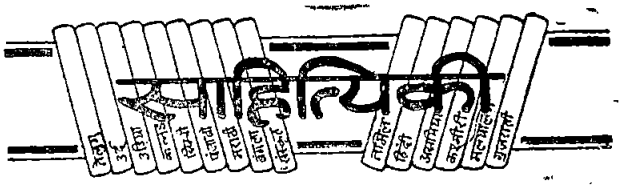

वर्ष 1988 का हिन्दी का साहित्यिक-परिदृश्य

☐ डॉ. सर्वदानन्द द्विवेदी*

वर्ष 1988 में हिन्दी-साहित्य की विविध विधाओं में लगभग 50,000 ग्रंथों का प्रणयन हुआ। 1200 साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना, नवीकरण, पुनर्जीवन हुआ। भारतवर्ष के महानगरों, प्रदेशों की राजधानियों में 15 पुस्तक-मेलों का आयोजन किया गया। लगभग 300 प्रकाशन-वितरण संस्थानों का अस्तित्व प्रकाश में आया। लगभग 800 लघु-वृहद पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। ब्लिट्ज (बंबई), जनसत्ता (दिल्ली), दैनिक छपते-छपते और दैनिक रूप लेखा (दोनों, कलकत्ता से) गंगा, हंस (दिल्ली) इंडिया टुडे (बंबई) आदि कुछ समाचारपत्र-पत्रिकाओं सहित 72 की वर्षगांठ स्थापना-समारोह आयोजित हुए।

साहित्यकार भजन सिंह 'सिंह' (गढ़वाल) को उनके इतिहास ग्रंथ "आर्यों का आदि निवास हिमालय" पर कुमाऊ विश्व विद्यालय ने पुरस्कृत किया। साहित्य कला परिषद् दिल्ली का तृतीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ। भारतीय भाषाओं में विश्व विद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया। मास्को में भारतीय कवियों का कवि-सम्मेलन हुआ। बंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का अमृत महोत्सव और स्वर्ण जयन्ती आयोजन हुआ। "राजभाषा नीति-अनुपालन-कठिनाइयां-समाधान, विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली में हुआ। प्रो. सूरजभान सिंह को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। विज्ञान अकादमी ने 11 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया। "रामायण और बाइबिल (जनता के न्यायालय में)" शीर्षक वाली अरविन्द शर्मा की पुस्तक को म.प्र. शासन में प्रतिबंधित किया। भारतीय भाषा परिषद् ने कलकत्ता में साहित्यकार गिरिजा कुमार माथुर को सम्मानित किया। मैथिलीशरण गुप्त को सौवीं पुण्य तिथि का आयोजन भारतीय उच्चायोग मारीशस में किया गया। भारतीय राजदूतावास कोरिया ने इस अवसर वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया। नार्वे में सुरेशचन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हुआ। डॉ. अब्दुल विस्मिल्लाह को कोडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर. के० करंजिया प्रधान संपादक ब्लिट्ज को सोवियत संघ के 'मैत्री पदक' से विभूषित किया गया।

हिन्दी -साहित्य-समिति दतिया, म.प्र. ने साहित्यकार हरि-मोहन श्रीवास्तव को सम्मानित किया। चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट दिल्ली ने हिन्दी-बाल-साहित्य-लेखक प्रतियोगिता का आयोजन किया। श्रीमती मृणाल पाण्डेय को साप्ताहिक हिन्दुस्तान का संपादक बनाया गया। भारतीय विद्या भवन केन्द्र द्वारा कानपुर में पत्रकारिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग बिहार द्वारा अमृतलाल नागर को "डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिखर सम्मान" से सम्मानित किया गया। 'विभावरी' साहित्यिक संस्था ने कवि वीरेन्द्र मिश्र को बम्बई में सम्मानित किया। कैनरा बैंक को "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' से पुरस्कृत किया गया। अवधी के प्रथम कवि बाबा पुरुषोत्तम दास सुल्तानपुर का स्मृति समारोह मनाया गया। उ.प्र. हिन्दी संस्थान का वर्ष 1985 का भारत-भारती पुरस्कार अमृतलाल नागर को दिया गया। इस अवसर पर डॉ. नगेन्द्र मोहन लाल महतो वियोगी (गया) बिहार, श्री लाल शुक्ल (लखनऊ), भीष्म साहनी, लक्ष्मी शंकर व्यास, डॉ. राष्ट्र बंधु प्रफुल्ल चन्द्र ओझा, डॉ. धर्मवीर भारती, सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामविहारी शुक्ल के साथ ही अन्य भाषा-भाषी डॉ. अंबाशंकर नागर (गुजराती), गो० पा० नैल (मराठी) प्रो. चमन लाल सप्रु (कश्मीरी), डॉ. तारिणीचरण दास) उड़िया डॉ. कणिका विश्वास (बांगला), डॉ. महीप सिंह (पंजाबी) आर. शौरीराजन (तमिल), वी. राधाकृष्ण मूर्ति (तैलुगु), वी. आर. नारायण (कन्नड़) और डॉ. राममनायर (मलयालम) को भी पुरस्कृत-सम्मानित किया गया। भारत-भारती साहित्यिक संस्था ने कवि 'उद्भ्रांत को 'डॉ. शिव मंगल सिंह 'सुमन' पुरस्कार से सम्मानित किया। छात्रों-शिक्षकों के लिए हिन्दी में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। आथर्स गिल्ड आफ इंडिया का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ।

हिन्दी सभा सीतापुर का 43वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। प्रख्यात संगीतज्ञ स्व. हरिदास स्वामी की 510 वीं जयंती का आयोजन वृन्दावन में हुआ। साहित्य अकादमी दिल्ली का 33वां स्थापना-दिवस समारोह मनाया गया। मीराबाई की 473वीं जयन्ती मनायी गयी। बाबू गुलाबराय की जन्मशती मनायी गयी। न्यायाधीशों से हिन्दी में बोलने की प्रार्थना पर अधिवक्ता विष्णुदत्त शर्मा को कारावास दंड दिया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा ने पांडुरंग शास्त्री आठवले को महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। हिन्दी अकादमी दिल्ली में नवोदित लेखकों को पुरस्कृत किया। दिल्ली में अन्तरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। महाकवि निराला को 92वीं

*ग्राम+पोस्ट थाना, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश 20980।

जयंती मनायी गयी। आंध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद की रजत जयन्ती मनायी गयी। हिन्दी साहित्य सम्मेलन भोपाल ने 8 अहिन्दी भाषी हिन्दी रचनाकारों को पुरस्कृत किया। चतुर्थ अन्तरराष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी न्यायाधिकरणों को एक अप्रैल से अपने निर्णय हिन्दी में ही देने के आदेश किए। गुलबर्गा विश्वविद्यालय में हिन्दी संघ की स्थापना की गई। पं. कमलापति त्रिपाठी को 14 भारतीय भाषाओं वाला अभिनंदन पत्र इलाहाबाद में भेंट किया गया। पत्रकारिता विवादास्पद विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कानपुर में हुआ। विश्व के 25 देशों के एक सौ से अधिक कवियों का सम्मेलन भारत भवन भोपाल में हुआ। स्व. महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। साहित्य अकादमी ने स्व. श्रीकांत वर्मा सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के 21 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया। प्रख्यात साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त डा. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया। चित्रकूट में 15वें रामायण मेले का आयोजन हुआ। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार दिया गया। पटना में हिन्दी लघु कथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। मणिपुर हिन्दी परिषद ने प्रथम पूर्वांचल हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया। बम्बई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्वर्ण जयन्ती मनायी गई। म. प्र. के साहित्यकार मंजूर एहतेशाम को इस वर्ष के "श्री कांत वर्मा स्मृति पुरस्कार' के लिए चुना गया। अमेरिका की नेशनल पोयट्स अकादमी ने, कवयित्री अनुभूति चतुर्वेदी को इस वर्ष का "अन्तर्राष्ट्रीय कविता पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया। संत कबीर समारोह का आयोजन भोपाल में हुआ। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने वर्ष 1985 व 86 के लिए विश्वामित्र उपाध्याय (दैनिक हिन्दुस्तान), डा. कुंवरचन्द्र प्रकाश सिंह, डा. रामदरश मिश्र, डा. बच्चन सिंह, डा. रघुवंश, डा. विश्वंभरनाथ उपाध्याय, डा. रामचन्द्र तिवारी, शंकर दयाल सिंह, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, डा. प्रताप नारायण टंडन, डा. महेन्द्र भानावत, अमरकांत, डा. अर्जुनदास केरारी, डा. किरण भराली, राधेश्याम जोशी, आद्या प्रसाद सिंह की कृतियों को पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त विनोदचन्द्र पाण्डेय, ममता कालिया, मुक्ति भद्र दीक्षित कैलाश गौतम, ओम प्रकाश सक्सेना, इन्द्र सिंह नैथाल अवोध वैद्य, बहुगुणा और राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी आदि भी इन पुरस्कारों के लिए नामित किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 1986 के भारतेन्दु हरिशचन्द्र पुरस्कार से, डा. महावीर प्रसाद सिंह को पुरस्कृत किया। म. प्र. संस्कृति विभाग ने वर्ष 1987–88 के कालिदास पुरस्कार से 12 कलाकारों को पुरस्कृत किया। दूरदर्शन ने संस्कृत कवि सम्मेलन का आयोजन किया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने अहिन्दी भाषी, हिन्दी लेखकों को पुरस्कृत किया। केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केन्द्रीय विश्व विद्यालय की मान्यता दी गई। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था 'मधुरिमा' ने अपने प्रथम वार्षिकोत्सव पर अखिल भारतीय कवयित्री सम्मेलन का आयोजन किया। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने कुलदीप नैय्यर को पुरस्कृत किया। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी जन्मशती मनायी गई। राष्ट्रभाषा प्रचारकों का 43वीं राष्ट्रीय अधिवेशन गुड़गांव (हरियाणा) में हुआ। हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा ने कम्प्यूटर से हिन्दी पढ़ाने का कार्यक्रम तैयार किया। वाणी प्रकाशन दिल्ली ने हिन्दी और अहिन्दी भाषी, हिन्दी रचनाकारों को 'प्रेमचंद महेश सम्मान' और 'वाणी पुरस्कार' से सम्मानित किया।

उ. प्र. हिन्दी संस्थान ने उड़ीसा के हिन्दी साहित्यकार डा. तारिणी चरण दास 'चिदानन्द' को वर्ष 1987 के "सौहार्द्र पुरस्कार' से सम्मानित किया। देशभर में साक्षरता वर्ष मनाया गया। साहित्यकार राम स्वरूप दीक्षित म. प्र. को 'सारस्वत सम्मान', से टीकेमगढ़ में सम्मानित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु देश की 1500 बोलियों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। कवि "नीरज' का अभिनंदन कानपुर में किया गया। हिन्दी प्रचारिणी समिति कानपुर का राष्ट्रीय एकता व भाषायी सद्भावना समारोह आयोजित किया गया, इस अवसर पर अलभ्य पांडुलिपियों का प्रदर्शन भी किया गया। भारत सरकार ने देश की सभी राष्ट्रीय कंपनियों के नाम हिन्दी में ही रखने का निर्णय लिया। उदयपुर की मधु भट्ट को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस वर्ष के "भारतेन्दु हरिशचन्द्र पुरस्कार" से सम्मानित किया। म. प्र. तुलसी अकादमी ने "समाधान एवं तुलसी-स्मरण-संगोष्ठी' का आयोजन किया। केरल हिन्दी प्रचार सभा ने स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी प्रचार करने वाले 70 से अधिक वय के 10 हिन्दी प्रचारकों का सम्मान किया। भारतीय राजदूत सी. वी. रंगनाथन पेइचिंग (चीन) ने, चीन के हिन्दी साहित्यकार प्रो. चिन तिंग हान का उनकी हिन्दी सेवाओं के लिए सम्मान किया। सरस्वती पत्रिका के पूर्व व दिवंगत संपादक पं. देवीदत्त शुक्ल का शताब्दी समारोह बंबई में आयोजित किया गया। ओरछा में "केशव समारोह' के अवसर पर बुंदली कवि "गुणसागर" को केशव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने शुकदेव प्रसाद को हिन्दी में विज्ञान लेखन के लिए पुरस्कृत किया। जनवादी लेखक संघ बोकारो ने कथाकार राजेन्द्र यादव को सम्मानित किया। फणीश्वर नाथ रेणु की स्मृति में कटिहार में साहित्यिक सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया। रचनात्मक लेखन केन्द्र आई आई टी कानपुर में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिन्दी का प्रयोग' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सोवियत संघ में भारत महोत्सव हुआ। आचार्य नरेन्द्र देव शताब्दी समारोह, कानपुर लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी व दिल्ली में आयोजित किया गया। उ. प्र. हिन्दी संस्थान का वर्ष 1986 का भारत भारती पुरस्कार पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी को प्रदान

किया गया। भारतीय अनुवाद परिषद दिल्ली का 1987–88 का "द्वि वागीश पुरस्कार' अमृता प्रीतम और डा. हरिवंशराय बच्चन को प्रदान किया गया। बिहार राजभाषा विभाग ने कथाकार चित्रा मुदगल को उनकी 'ग्यारह लम्बी कहानियों' पर 'राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह पुरस्कार' से सम्मानित किया। संस्कृत विद्वान आचार्य शांतिदेव की 1300वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय प्रो. राजा राव को "न्यूजटैंट अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार" जो नोबुल पुरस्कार के समकक्ष है, वाशिंगटन में प्रदान किया गया। 11वां अखिल भारतीय नागरी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ इस अवसर पर डा शहाबुद्दीन नियाज़ मुहम्मद शेख (महाराष्ट्र) को उनके शोध निबंध पर पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन के लिए स्पैन एडवरटाइजिंग के प्रफुल्लन साटम को "अशोक जैन राष्ट्रीय चेतना विज्ञापन, पुरस्कार" से पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी ने प्रसाद जन्मशती समारोह का आयोजन किया। म.प्र. के साहित्यकार गोविंद लाल बोरा को पं. हरिदत्त शर्मा पुरस्कार से नयी दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय पुस्तक समिति ने भारतीय प्रकाशक दीनानाथ मल्होत्रा को फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले में वर्ष 1988 के "अंतरराष्ट्रीय पुस्तक सम्मान" से सम्मानित किया। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ जयपुर ने "प्रेमचंद दिवस' का आयोजन किया। गोरखी मंदिर लश्कर (म.प्र.) की तुलसी परिषद ने अखिल भारतीय राम चरित्र मानस-सम्मेलन का आयोजन किया। गीतांजली का 28वां अनुवाद अवधी में अरुण प्रकाश अवस्थी ने किया। कलकत्ता में अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 43वां अधिवेशन गुड़गांव में हुआ। इस अधिवेशन में पत्रकार काशिनाथ त्रिवेदी, हिंदी प्रचारक कांतिलाल जोशी., समीक्षक डा. जयनाथ नलिन, चिंतक जनार्दन राय नागर, डा. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा को 'साहित्य वाचिस्पति' की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया तथा डा. नित्यानंद तिवारी की कृति 'अभिनवरस मीमांसा' पर 'मंगला प्रसाद पारितोषिक' प्रदान किया गया।

युवा कवि देवी प्रसाद मिश्र को 'भारत भूषण पुरस्कार' दिया गया। महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी ने वीरेन्द्र मिश्र (बंबई), गो.प. नेने (पुणे), वसंतदेव (बंबई) डा. विनोद गोदरे (बंबई), डा. हीरालाल वर्मा बल्लारपुर (चंदरपुर), डा. महाबीर अधिकारी (बंबई), डा. सोहन शर्मा (बंबई), मेवाराम गुप्त (बंबई), यदुनाथ थत्ते (पुणे), डा. रविनाथ सिंह (बंबई), प्रकाश दुबे (नागपुर), मनोज सोनकर (बंबई) को पुरस्कृत किया। नागरी लिपि परिषद शाखा कानपुर हिन्दी प्रचारिणी समिति, कानपुर और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में "राष्ट्रभाषा-राजभाषा-संपर्क भाषा एवं लिपि" विषयक अखिल भारतीय संगोष्ठी तथा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। बंबई की साहित्यक-सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' ने साहित्यकार-सांसद नरेश चन्द्र चतुर्वेदी का 'सारस्वत सम्मान' किया। दैनिक "जलते दीप" पत्र के छठे माणक अलंकरण समारोह में नव भारत टाइम्स के पत्रकार महेश झालानी को 'माणक अलंकरण' से समलंकृत किया गया। मुख्य मंत्री उ.प्र. ने, कानपुर में डा. श्यामनारायण पाण्डेय के ग्रंथों का विमोचन व उनका अभिनंदन किया। नागार्जुन को, म.प्र. सरकार ने मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया। 14-9-88 को हुए राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने अनुमेहा (त्रैमा.) उन्नाव को पुरस्कृत किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बिहार क्षेत्र ने दिल्ली में प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया। कानपुर के एकादश सम्मान-समारोह में श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, किशोर रमण टंडन (बंबई), सीताराम गुप्त (जयपुर), हरिकिशन तैलंग (भोपाल), दामोदर अग्रवाल (दिल्ली) को बाल-साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी, डा. विद्यानिवास मिश्र, लल्लन प्रसाद 'व्यास' प्रो. विष्णुकांत शास्त्री, एन. रमन नायर विशन चन्द्र सेठ; डा. निजामुद्दीन कश्मीर वि.वि., डा. लक्ष्मी शंकर मिश्र 'निशंक', (डा.) श्रीमती प्रेमा मिश्र कानपुर को 'मानस संगम' संस्था कानपुर द्वारा "साहित्य और ललित कला पुरस्कारों" से सम्मानित किया गया।

साहित्यक पत्रिका 'दस्तावेज' त्रैमा. गोरखपुर को उ.प्र. हिन्दी संस्थान द्वारा 'सरस्वती पुरस्कार' से पुरस्कृत किया गया। संपूर्ण भारत में 'विश्व साक्षरता दिवस' मनाया गया। दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर भाष्कर घोष के स्थान पर शिव, शर्मा को तैनात किया गया। दूरदर्शन पर 'महाभारत' धारावाहिक प्रारंभ हुआ। मिश्र के 87 वर्षीय अरबी उपन्यास कथाकार 'नगीव महाफूज' को इस वर्ष के 'नोबल पुरस्कार' से समलंकृत किया गया। पाकिस्तानी साहित्यकार शायर अब्दुल अजीज ने महाभारत का 'हिन्दुस्तानी' में अनुवाद किया।

स्वदेश दीपक (अंबाला), श्रीमती ज्योत्सना देवधर (पुणे), राकेश (लखनऊ) नाटककारों को क्रमशः जयशंकर प्रसाद", 'लक्ष्मी नारायण लाल' और 'डा. सत्यमूर्ति' पुरस्कार से उ.प्र. सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन दिल्ली द्वारा हिंन्दी दिवस पर आयोजित समारोह में बाल कवि 'बैरागी', क्षेमचन्द्र 'सुमन', जय दयाल डालमिया, सत्य नारायण बंसल, श्रीमती शीला झुनझुन वाला, संतोषानंद, डा. हरिवंश राय 'बच्चन', को उनकी हिन्दी सेवा के लिए पुरस्कृत किया। उ.प्र. के मुख्य मंत्री ने पंत शताब्दी समापन-समारोह किया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने जर्मन हिन्दी कोश का निर्माण प्रारंभ किया। यूनेस्को ने अन्तरराष्ट्रीय "इराक साक्षरता पुरस्कार', "साक्षरता निकेतन

लखनऊ, उ.प्र.' को पेरिस में प्रदान किया । गुजरात विद्यापीठ के कुलपति प्रो. रामलाल पारीख और त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति की संस्थापक-अध्यक्ष श्रीमती अनुरूपा मुखर्जी को क्रमशः 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' और "टैगोर मेमोरियल माहिला साक्षरता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया । भारतीय परिषद उन्नाव द्वारा 'मातुश्री केलावती अग्रवाल स्मृति पुरस्कार' देने की घोषणा की गई । इलाहबाद में महादेवी वर्मा स्मृति-आयोजिन सह समारिका प्रकाशन किया गया । हिंदी पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन बंद करके हिन्दी पत्रिका 'फिल्म फेयर' में समाहित कर दिया गया । डा. गिरिजाशंकर त्रिवेदी के मुख्य आतिथि में के.एम. मुंशी शताब्दी-समारोह का आयोजन कानपुर में किया गया । देश-विदेश में ऐसे सात आयोजन हुए ।

म.प्र. तुलसी अकादमी, 26-वैशाली प्रीतमपुरा नई दिल्ली ने तुलसी निर्देशिका प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया । बिहार सरकार ने राजेन्द्र अवस्थी को 'महादेवी वर्मा पुरस्कार' से सम्मानित किया । 'चमत्कारी किरण-लेसर' विषयक डा. सी. एल. गर्ग की पुस्तक पर केन्द्रीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया गया । पश्चिमी योरोप के सीमान्त कम्प्यूटर ने 1987 तक 20 करोड़ पृष्ठों का अनुवाद किया। मराठी साहित्यकार वि. वि. शिखाडकर 'कुसुमाग्रज' को वर्ष 1987 के 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। स्व० श्री कांत वर्मा को 'प्रिय दर्शनी पुरुस्कार' से सम्मानित किया गया । सोवियत महोत्सव के कलाकारों ने मेरठ-इलाहवाद में हिन्दी गीत प्रस्तुत किए । बिहार सरकार ने "दिनकर स्मृति दिवस का आयोजन, पुरस्कारों की घोषणा और भागलपुर विश्वविद्यालय में 'दिनकर पीठ' की स्थापना का निर्णय लिया । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस वर्ष 280 शीर्षकों वाली लगभग एक करोड़ 90 लाख पाठ्य पुस्तकों की प्रतियां तैयार कीं। नागरिक परिषद वाराणसी ने डॉ. विद्यानिवास मिश्र, डॉ. नामवर सिंह, आचार्य बलदेव उपाध्याय, आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री, लक्ष्मी शंकर व्यास', प्रो. राय आनंद कृष्ण, डॉ. रघुनाथ सिंह, नजीर बनारसी एवं प्रो. राजाराम शास्त्री को सम्मानित किया । वाराणसी में संपादकाचार्य देवीदत्त शुक्ल शताब्दी समारोह मनाया गया । डॉ. धर्मवीर भारती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया । उ.प्र. पत्रकारिता संस्थान लखनऊ ने पत्रकार हरीश पाठक छतरपुर (म.प्र.) को 'अभिव्यक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया । देश भर की 3000 से अधिक प्रमुख राम-लीला मंडलियों द्वारा राम कथा का मंचन किया गया । अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को 'गांधी विश्व-शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया । सुल्तान पुर में अखिल भारतीय आल्हा-सम्मेलन का आयोजन किया गया । उ.प्र. पत्रकारिता परिषद ने राष्ट्रीय पत्रकारिता विषयक गोष्ठी का आयोजन किया । कानपुर की एक मात्र महिला साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था 'मधुरिमा' ने 15 साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दो पुस्तकों का प्रकाशन किया ।

सलमान रशीदी के विवादास्पद अंग्रेजी उपन्यास "सैटानिक वर्जेस" पर विश्व के कई देशों सहित, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया । लखनऊ और कानपुर में "नौटंकी" के अखिल भारतीय स्तर के मंचन किए गए । कानपुर, दिल्ली, उन्नाव सहित देश के 36 स्थानों पर "महर्षि बाल्मीकि महोत्सव" के आयोजन किए गए । स्वतंत्रता सेनानी-सांसद-पत्रकार-साहित्यकार स्व. विश्वंभर दयालु त्रिपाठी की 89वीं जयंती उन्नाव में मनायी गयी अवध पत्रकार-परिषद को विशिष्टि संगोष्ठी फैजाबाद में आयोजित हुआ । मध्यम व लघु समचार पत्रों की अखिल भारतीय परिषद का दिल्ली में पुनर्गठन किया गया । पंजाबी कवि डा० हरभजन सिंह को म०प्र० सरकार ने "कबीर पुरस्कार' से सम्मानित किया । विदेश मंत्री नरसिंह राव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण किया । देश के 60 स्थानों सहित कानपुर-कटनी में श्रीचार्य नरेन्द्र देव जन्म शताब्दी-समारोह आयोजित हुए । गुयाना में भारतीय हिन्दी-दिवस मनाया गया । भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ ने अमृतलाल नागर का सारस्वत सम्मान किया । बंबई की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था 'विभावरी' द्वारा बंबई विश्व विद्यालय के सद्यः नियुक्त हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. चन्द्रकांत बांदिवडेकर का सारस्वत-सम्मान किया गया । फ्रांस के पीटर क्रूक्स ने 'महाभारत' के 9 घंटे वाले हिन्दी और फ्रेंच रूपांतरण को सफलतापूर्वक मंचित किया । 16 अक्तूबर 88 को लंदन में तथा 22-24 अक्तूबर 88 को दिनहोग (हालैण्ड) में "अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन" के आयोजन किए गए । 24 अक्तूबर राष्ट्र संघ, दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी आधार पर सम्पूर्ण विश्व के देशों में 24 अक्तूबर के दिन 'विश्व हिन्दी दिवस' मनाने का निश्चय राष्ट्र संघ में किया गया।

भारत सरकार के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो दिल्ली के उप केन्द्र बंबई, बंगलौर तथा कलकत्ता में नए अनुवाद सत्र प्रारंभ किए गए । राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने अहिन्दी भाषी श्री पाण्ड राम शास्त्री को पुरस्कृत किया। केन्द्रीय भाषा संस्थान शिमला और हिमाचल भाषा परिषद के संयुक्त प्रयासों से देश की अलिखित बोलियों का कोश तैयार करके प्रौढ़ साक्षरता में हिन्दी माध्यम से गति देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया । सर्वश्री भगत सिंह 'हीरा', हरी सिंह, महीप सिंह, कु. राजिन्दर कौर और पियारा सिंह दत्ता को पंजाबी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने हिंदीतर प्रदेशों के उदीयमान नव-लेखकों का शिविर मणिपुर विश्व विद्यालय में आयोजित किया । उस वर्ष के सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार क्रमशः पत्रकार इकबाल सिंह, भारतीय रूसी भाषा संस्थान की निदेशक श्रीमति कल्पना जोशी, साहित्यकार डॉ. विशंभरनाथ उपाध्याय, संपादक नवीन सूरी, बंगला-संस्कृत विद्वान श्रीमती तंद्रा चक्रवर्ती, के ; एल. कौल (हिन्दी) नजरुल हसन अंसारी (उर्दू), हरभजन सिंह हुंडल (पंजाबी), डॉ. पंचाक्षरी हीरेमठ (उड़िया), प्रो. मनोरमा महापात्र (ओड़िया),

संपादक श्रीमती आशा रानी माथुर, श्रीमती शांति रानाडे (मराठी), श्रीमती चित्रा बेडेकर (मराठी) एवं प्रो. धर्मेन्द्र एम. मास्टर (गुजराती) को प्रदान किए गए ।

भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कलकत्ता ने विभाग को 34 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित कीं । दिल्ली, बंबई, मद्रास व कलकत्ता हवाई अड्डों से हिन्दी में सूचनाएं प्रसारित करने की घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्री ने की । साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था 'कला वांगमय' दिल्ली ने, हिन्दी पत्रकारिता एवं साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए, डॉ. विश्वमित्र उपाध्याय (दैनिक हिन्दुस्तान), सुरेश नीरव (कादम्बिनी) की काव्य कृति 'समय सापेक्ष हूं म' पर, चेतन जैन (सांध्य टाइम्स दिल्ली) डॉ. भगवान स्वरुप चैतन्य, जगदीश चतुर्वेदी (अकविता आंदोलन), आदित्येन्द्र चतुर्वेदी (नवभारत टाइम्स), प्रदीप पंडित (जनसत्ता) की कृति 'कथा में अभिनव प्रयोगों पर, रामनरेश ओझा (वर्णिका) की कृति 'पत्रकारिता में आम आदमी की संवेदना' पर, अनीस अहमद (वीर अर्जुन) की कृति 'स्वस्थ पत्रकारिता' पर, नवीन चावला, सच्चिदानन्द सिंह तथा अरुण कपूर को सम्मानित किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली ने 'हिन्दी में विज्ञान-लेखन पर केन्द्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया । पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने, आज़मगढ़ (उ०प्र०) के साहित्यकार मौलाना वहीदुदीन खान को, उनकी पुस्तक 'मुहम्मद-ए-प्राफेट ऑफ रिवाल्यूशन' पर 'सरियत पुस्तक पुरस्कार' प्रदान किया। दिल्ली 'संस्कृत अकादमी' ने डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री की 76वीं जयन्ती मनाई । सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता के विरुद्ध कई संस्थाओ सहित हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दिल्ली ने संघ लोक सेवा आयोग के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किए । अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, दिल्ली ने 'शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग 'विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया । अखिल भारतीय कविता मंच, गया (बिहार) में स्व० कमल व्यास को उनकी कृति 'अधूरा सफर' (काव्य-संग्रह) पर, कवि अनामी शरण औरंगाबाद (बिहार) और कवियत्री अर्पणा चतुर्वेदी (श्रीनगर) को वर्ष 1987-88 के 'हंस कुमार तिवारी पुरस्कारों से सम्मानित किया । वर्ष 1987 के नेहरू पुरस्कार, क्रमशः पी० ए० वरान्नि कोव, प्रो० जी० एल० वोंदारेंस, जी० वी० कोतोवस्की, टी० वी० कलाकार, वोरिस काल्यागिन (सभी रूस के) सहित, 8 लोगों को दिए गए । साहित्य-कला परिषद, दिल्ली ने 9 प्रख्यात कलाकारों को पुरस्कृत किया । उ० प्र० संगीत नाटक अकादमी का रजत जयंती समारोह, लखनऊ में आयोजित किया गया ।

उ० प्र० हिन्दी संस्थान ने 'कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया । दिल्ली में 'बाल पुस्तक मेला' हुआ । दक्षिण अंचल के अहिन्दी भाषी रचनाकारों की, हिन्दी कृतियों पर "द्वितीय कुसुम कुमारी अग्रवाल स्मृति पुरस्कार' प्रदान किए गए । पद्म भूषण आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय का अभिनन्दन वाराणासी में किया गया । म० प्र० आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल द्वारा 'राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन किया गया । इटेलियन एसोसिएशन फार कल्चर रोम द्वारा 'गोर्वाच्योव' को 'सामाजिक तथा राजनैतिक पत्रकारिता पुरस्कार' और इस वर्ष के 'आधुनिक कला तथा साहित्य के अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया । श्री नरेश मेहता की कृति 'अरण्य' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया । नीमच (म० प्र०) में पत्र-पत्रिकाओं के पत्र-स्तंभ में पत्र-लेखकों के जिला-स्तरीय सम्मेलन में के० एस० वोराना को ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

उत्तर प्रदेश पत्रकारिता संस्थान लखनऊ ने अपने संगोष्ठी समारोह में हरीश पाठक (धर्मयुग), विजय (दैनिक आज) एवं सुरेश कुमार दीक्षित को पत्रकारिता के लिए 'अभिव्यक्ति' पुरस्कारों से सम्मानित किया । म.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन रीवा और म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ रीवा के संयुक्त तत्वाधान में "अखिल भारतीय साहित्य-समागम' का आयोजन, डॉ. शिव मंगल सिंह 'सुमन' की अध्यक्षता में हुआ । केरल हिन्दी प्रचार सभा ने हिन्दी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया । शिक्षा पद्धति पर विश्वविद्यालयों के 57 कुलपतियों का सम्मेशन लखनऊ में हुआ । हिन्दी फिल्म पत्रकारिता के लिए, मान सिंह दीप को नई दिल्ली में 'कलाश्री' पुरस्कार प्रदान किया गया । एशियन लेखक महासंघ लखनऊ ने :साहित्यकार रामलाल को, 'बुल्लेशाह साहित्यिक पुरस्कार' से सम्मानित किया । ग्वालियर में तानसेन-समारोह का आयोजन हुआ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा के संयुक्त तत्वाधान में मद्रास में, राष्ट्रीय स्तर का, 'तमिल-हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की डेढ़ हजार कृतियां, उनके पुत्र मुकुन्द द्विवेदी द्वारा, प्रधान मंत्री को भेंट की गई । पत्र 'देशबंधु' म.प्र. के पत्रकार देवेन्द्र उपाध्याय को, उनके कृषि एवं खाद्य विषयक हिन्दी लेखन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुरस्कृत किया । हिन्दी की पांडुलिपियों के शोध, संपादन और प्रकाशन के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की हिन्दी-समिति ने शोध-प्रकाशन केन्द्र की स्थापना की । 14वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का अयोजन लखनऊ में किया गया । प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह को "अमर शहीद, लाला जगत नारायण पुरस्कार" से सम्मानित किया गया । राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा द्वारा 'राष्ट्रभाषा-एकता ज्योति' सम्मेलन का आयोजन किया गया । कनाडा में श्री नाथ द्विवेदी ने कवि-गोष्ठी का आयोजन किया । बालकृष्ण समाज दिल्ली ने पं. मदन मोहन मालवीय के 127वें जन्म दिवस पर साहित्यकार क्षेमचन्द्र सुमन, डॉ. मंडन मिश्र, निरंजन देव निर्मल, दैनिक ट्रिब्यून के संपादक राधेश्याम शर्मा, दैनिक हिन्दुस्तान के विनोद मिश्र को पुरस्कृत

कर सम्मानित किया। रूस की ताजिक भाषा में रामचरित मानस का अनुवाद किया गया। गीता का हंगेरियन गद्य-पद्य दोनों में अनुवाद किया गया। वर्ष 1913 से 1988 तक प्रदर्शित हिन्दी फिल्मों के विवरण वाली राजेन्द्र ओझा की पुस्तक का प्रकाशन हुआ। केन्द्रीय अधिनियमों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करके प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में व्यवहृत करने का प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया। उ.प्र. के सांस्कृतिक कार्य विभाग ने चतुर्थ अखिल भारतीय हिन्दी नाट्य समारोह का आयोजन देहरादून में किया। भारतीय दलित साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। दिल्ली से-'सांचा, 'सारंगा' 'उदित' "शैक्षिक दर्पण' 'इन्द्रप्रस्थ भारती', 'नवी' 'रमणी', राजस्थान से 'कंचनलता' और 'आपका अपना घर' – कलकत्ता से 'परिषद समाचार, मंजरी' 'अवधश्री' बंबई से -'सुरश्री, 'फिल्म फेयर'. 'केयर, 'आकलन', वैचारिकी, म.प्र. से-'काव्य धारा', 'काव्य लोक', 'शनिवार दर्पण', पंजाब से -'विश्व ज्योति' 'वैचारिक, धड़कन', अहमदाबाद से 'निर्माण', हरियाणा से 'आगमन', 'अक्ष' बिहार से 'व्योम', 'मगधांचल' हि.प्रदेश से 'नन्ही कलियां' और उत्तर प्रदेश से 'प्रतिज्ञा', 'संडीला समाचार', 'रामप्रभा', ग्रामीण चुनौती', 'कानपुर उजाला', 'रचनाकार स्मा.', सागर', 'सामान्य ज्ञान दर्पण', 'अवन्ती ज्योति', 'बाल कविताएं' आदि कुछ प्रमुख लघु वृहद पत्र-पत्रिकाएं वर्ष 1988 में, हिन्दी भाषा एवं साहित्य के साथ ही अन्य बहुत सी प्रतिभाओं को, मनीषियों को हमसे छीना है-इसमें राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी, हरिप्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, हिन्दी गीतकार प्रदीप (बंबई), साहित्यकार इतिहासविद श्री धर वाकणेकर, साहित्यकार-राजनीतिविद द्वारका प्रसाद मिश्र, शिवकुमार जोशी (गुजरात), भदंत आनंद कोसल्यायन (कानपुर), संतराम बी.ए. (दिल्ली), साहित्यविद्-कलाविद्-पत्रकार जितेन्द्र मेहता (कानपुर), डा. बाबूराम सक्सेना (इलाहाबाद) साहित्यकार मनोरंजन शास्त्री (गुवाहाटी), पत्रकार-साहित्यकार अकिलन (तमिलनाडु), सीमान्त गांधी अब्दुल गफ्फार खान (काबुल), गीतकार पं. मधुर (बंबई), अर्थशास्त्री लक्ष्मीकांत झा (दिल्ली), पत्रकार वि.स. विनोद (मेरठ), साहित्यकार-सांसद गंगा शरण सिंह (दिल्ली), दैनिक अमर उजाला के संस्थातक-संपादक डोरीलाल अग्रवाल (आगरा), शायर, शम्सी मिनाई (अलीगढ़), साहित्यकार-पत्रकार शंभू-रतन त्रिपाठी (कानपुर), उपन्यासकार भवानी भट्टाचार्य (बिहार), व्योवहार राजेन्द्र सिंह (जबलपुर), उपन्यासकार समरेशबसु, कवि अवतार सिंह (पंजाब), साहित्यकार-राजनीति विद् अनंत प्रसाद शर्मा (बिहार), पदमश्री नंद किशोर अवस्थी (लखनऊ), पत्रकार विष्णुदत्त उनियाल (उत्तराखंड), प्रताप विद्यालंकार (मिर्जापुर), साहित्यकार-शिक्षाविद् डॉ. सूरति नारायण मणि त्रिपाठी (गोरखपुर) अमृत प्रभात के श्री दास (इलाहाबाद), दैनिक विश्वमित्र के निदेशक हरिश्चन्द्र , बाल (कलकत्ता), प्रख्यात शिद विद् छबीलदास (जालंधर), संस्कृत विद्वान प्रो. सिद्धेश्वर भट्टाचार्य (वाराणसी) म. प्र. राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, भोपाल के मंत्री-संचालक-साहित्यकार बैजनाथ प्रसाद दुबे (भोपाल), तमिल साहित्यकार कन्ना सुन्नहण्यम (मद्रास), फ्रांस की कवयित्री रनचार और अंग्रेजी उपन्यासकार, एलन पाओर, हिन्दी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार (दिल्ली), भगवती शरण सिंह (उ.प्र.) आदि हैं। ○

अनुवाद

□सतीश दुबे*

मेरा चिरपरिचित मित्र अचानक मुझसे टकरा गया।
मुझे देख चकरा गया।
बोला---तुम, कब और कैसे आए।
मैं भी आश्चर्यचकित, मैंने कहा---क्या बात है मित्र
इससे पहले तो इस तरह, मुझे देख तुम कभी नहीं चकराए।
घबराओ नहीं, मैं पिछले तीन महीनों से यहां हूं।
और प्रशिक्षण के लिए आया हुआ हूं।
वह बोला---प्रशिक्षण। कैसा प्रशिक्षण !!
मुझे नहीं मालूम था तुम्हें शादी के बाद
प्रशिक्षण की भी जरूरत होगी।
जानते भी हो इस वक्त
भाभी जी पर क्या बीत रही होगी।
मैंने कहा---मित्र
बात तो मुझ से करते हो।
लेकिन ध्यान भाभी जी का धरते हो।
खैर, मैं तुम्हारे अच्छे विचारों की दाद देता हूं।
भाभाजी की ओर से तुम्हें धन्यवाद देता हूं।
मित्र कुछ झेंप गया, हाथ में हाथ धर लिया,
और खिसियाते हुए बोला---यार,
तुम हमेशा व्यंग्यमय रहते हो।
समझ में नहीं आता भाभी जी के संग कैसे रहते हो।
मैंने कहा---मित्र, तुम्हारी भाभीजी खुद एक व्यंग्य हैं
इसलिए उनका व्यंग्य से बहुत निकट का है नाता।
और वैसे भी, शादी से पहले मैंने एक शर्त रखी थी
मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ चाहिए एक परमानेंट श्रोता।
इसलिए डर की कई बात नहीं।
तुम अपनी शंका भी दूर करो,
यह प्रशिक्षण भी वैसा नहीं।
दरअसल यह शादी के बाद का नहीं
अनुवाद का प्रशिक्षण है।
और यह व्यक्तिगत भी नहीं
सरकारी प्रशिक्षण है।
यह सुन मित्र ने प्रश्न किया---
ये क्या होता है अनुवाद।
मैंने कहा---ट्रांसलेशन
प्रश्न उछला---'ये ट्रांसलेशन क्या होता है।'
मैंने कहा---'अनुवाद'।

किन्तु मित्र कुछ समझ न पाया, उसने प्रश्न दुहराया।
जरा ठीक-ठीक समझाओ, अनुवाद की परिभाषा बतलाओ
मैंने अनुवाद विज्ञानी नायडा की परिभाषा रट रखी थी।
सो मित्र के सामने वही पढ़ ली।
'स्रोत भाषा में कही गई बात, उसके समानार्थी के साथ
लक्ष्य भाषा में कहना ही अनुवाद है।'
मित्र बोला---भई वाह, क्या बात है,
तुम्हें अनुवाद की परिभाषा कितनी अच्छी तरह याद है।
लेकिन यह बताओ, यह अनुवाद विज्ञानी से
तुम्हारी कैसी पटती है।
ये नायडा क्या करती है और
कहां रहती है।
मैं कहा---बेवकूफ। नायडा स्त्री नहीं पुरुष है
अपनी अक्ल को जरा ठिकाने पर लाओ।
मित्र ने कहा---भाई, यह अनुवाद की परिभाषा
मेरे समझ में नहीं आई,
तुम अपने शब्दों में समझाओ
मैं मन ही मन झल्लाया, मित्र की बुद्धि पर तरस आया
सोचा-इसे कैसे समझाऊं
अनुवाद का अर्थ कैसे बतलाऊं?
तो मन ही मन कुछ प्रतीकों को बुना
कुछ उदाहरणों को चुना
और मित्र को अपने शब्दों में बतलाया
अनुवाद को कुछ इस तरह समझाया---
मनुष्यता है हमारा मूल पाठ
पुरुष है एक अनुवादक मात्र
स्रोत की भूमिका एक नारी निभाती है।
पुरुष को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है।
और लक्ष्य है हमारा---मानवता की कामना
सामंजस्य के साथ बंधुता की भावना।
चरित्र का निर्माण, जिम्मेदारी का ज्ञान।
संवेदना की अनुभूति, निष्ठा की प्रीति।
कोमल दुलार, ममता और प्यार।
इस तरह पुरुष एक अनुवाद के रूप में
स्रोत रूपी नारी के सहारे, इन लक्ष्यों के अनुरूप
जब संतान उत्पन्न करता है
तो समझ लो मित्र, वह अनुवाद करता है।

*महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, नागपुर

अतः हम सब एक अनुवाद का नमूना है।
अब यह और बात है
कि कुछ अनुमोदित हैं और कुछ मात्र नमूना हैं।
मित्र को यह अनुवाद की परिभाषा
अच्छी तरह समझ में आई।
लेकिन शब्द अनुमोदित सुन
उसकी बुद्धि फिर चकराई।
उसने प्रश्न किया---यह अनुमोदित क्या बात है?
अनुवाद से इसका क्या रिश्ता है?
मैंने कहा मित्र, जिस अनुवाद में
लक्ष्य के ज्यादातर ग्रुप आ जाएं।
और मूल का भाव जब उसमें समा जाए
तो वह अनुवाद अनुमोदित बन जाता है
औरों के लिए आदर्श बन जाता है।
मित्र बोला---इसका स्पष्टीकरण दो,
बात को थोड़ा साफ करो।
मैंने कहा---जैसे कि तुम्हारे पिताजी
जिन्होंने जल्दी-जल्दी कर दिए अनुवाद ढेर सारे
जोकि अब मात्र नमूना हैं और बेकार हैं सारे
तथा जिन्होंने इत्मीनान से, धीरे-धीरे
स्रोत और लक्ष्य का ध्यान रखते हुए
एक या दो अनुवाद किए है,
सरकार ने उनको
अनुमोदित की सूची में शामिल कर लिए हैं।
और जानते हो मित्र, आजकल लोग
अनुवाद के बारे में गलत सोचने लगे हैं।
अपने हर अनुवाद को अनुमोदित
और अच्छा कहने लगे हैं।
जब लड़का होता है तो कहते हैं मूल का भाव है,
लड़की होने पर कहते हैं स्रोत का प्रभाव है।
लेकिन मित्र, यह हमारी भाषा में
मात्र शाब्दिक अनुवाद है।
यह उनका मिथ्या संवाद है।
जब तक मनुष्यता का भाव और आचरण का प्रभाव
उनमें नहीं आएगा
वह कभी भी अच्छा अनुवाद नहीं कहलाएगा।
इतना सुन मित्र बोला---
अब मैं अच्छी तरह समझ गया अनुवाद की बात।
लेकिन यह नहीं समझ आया कि
अनुवाद का रिश्ता देश के साथ।

मैंने कहा यही तो विडम्बना है
कि हिन्दी का नाता अंग्रेजी से जोड़ा है
और राष्ट्रभाषा लाने का दायित्व
हम अनुवादकों पर छोड़ा है।
विश्व का यह एक अनूठा देश है
जहां लोग अपनी माँ को अजनबी-सा देख रहे हैं।
मां को मां कहने में शरमा रहे हैं।
अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद
इस बात का आभास दिलाता है,
जैसे मरी हुई मां की तस्वीर पर कोई फूल चढ़ाता है।
यह छल है, फरेब है, धोखा है,
यह मात्र दिखावा है---
कि हम कितना चाहते हैं हमारी मां को
और कोई यह न कहे कि हम भूल गए माँ को
लेकिन ये फूल
तभी बन सकते हैं श्रद्धा के सुमन
जब मां को मां कहने को करे मन
जब तक कि अपनी मां को हम दिल में न बसाएं
और मां की पूजा के नाम पर कोई ढोंग न रचाएं।
जब हिन्दी से अंग्रेजी में होता है अनुवाद
तो वह उस बात का दिलाता है आभास
जैसे कोई बेटा शादी होने के बाद कहे
कि मां के साथ अब कोई कैसे चले
न तो वह जीवन के साथ चल सकती है
न ही वह बीबी-सा सुख दे सकती है।
हमारे देश का भी हाल
ऐसे ही शादी-शुदा बेटों जैसा है।
जो जीवन बनाने वाली मां को
जीवन साथी की उलाहना देता है।
वह मात्र इस बात पर अपनी मां से प्यार नहीं करता
कि उसको अपनी ही मां से शारीरिक सुख नहीं मिलता।
इससे घिनौनी और दूजी बात क्या होगी?
अपनी ही नजरों से गिरने की सीमा और क्या होगी।
मित्रो, हमारा सिर अब तो सिर्फ उस दिन ही ऊंचा होगा
जिस दिन इस देश का पूरा कामकाज राजभाषा में होगा
और अनुवाद अंग्रेजी से हिन्दी में नहीं
अपनी-अपनी मातृभाषा (प्रांतभाषा) से हिन्दी में होगा।
निश्चय मानिए,
वही अनुवाद अनुमोदित होगा, आदर्श होगा। ○

कन्नड़ : साहित्य, भाषा और राजभाषा

☐प्रदीप कुमार बक्शी*

कन्नड़ भाषा कर्णाटक राज्य के लगभग एक लाख एकानवे हजार सात सौ एकानवे वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली तीन करोड़ सत्तर लाख तैंतालीस हजार लोगों की प्रमुख भाषा है ।[1] कन्नड़ भाषा की भाषायी सीमा के उत्तर-पश्चिम में आर्य भाषा-परिवार की भाषा मराठी प्रतिष्ठित है तो उत्तर-पूर्व में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा तेलुगु है और दक्षिणी छोर पर तमिल और मलयालम का प्रभाव क्षेत्र है ।[2] श्री आद्य रंगाचार्य ने कन्नड़ भाषा के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण मैसूर (कर्णाटक) राज्य, बम्बई राज्य (महाराष्ट्र) के चार जिलों—बेलगांव, बिजापुर, धारवाड़ और कारवार (उत्तर कानडा), मद्रास राज्य (तमिलनाडु) के मंगलौर और बेलारी जिलों तथा हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के रायपुर, बीदर एवं गुलबर्गा जिलों और कुर्ग क्षेत्र को शामिल किया है ।[3] ईसा की दसवीं शताब्दी में हुए कवि नृपतुग की उक्तियों को कन्नड़ भाषाभाषी बहुधा उल्लेख करते हैं जिसके मुताबिक कन्नड़ भाषा का विस्तार उत्तर में गोदावरी से दक्षिण में कावेरी तक था । विद्वानों का कथन है कि जब पुर्तगाली पहले-पहल भारत आये थे तो उन्होंने पश्चिमी तट पर कन्नड़ भाषा को प्रचलित पाया था, इसीलिए उक्त क्षेत्र-विशेष के निवासियों और उनकी भाषा के लिए उन्होंने 'कैनरीज़' का प्रयोग किया ।[4]

कन्नड़ भाषा सम्पूर्ण कर्णाटक राज्य के अलावा इसके पड़ोसी राज्यों की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी है । कन्नड़ की भाषायी सीमा पश्चिमोत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर-पूर्व में आन्ध्र तथा दक्षिण में तमिलनाडु और केरल राज्य हैं । स्पष्ट है कि कन्नड़ भाषा का उत्तरी क्षेत्र आर्य भाषा-परिवार का क्षेत्र है तो दक्षिण तथा पूर्व का क्षेत्र द्रविड़ भाषा-परिवार का है । भाषाशास्त्रियों ने इसकी उक्त भौगोलिक स्थिति के कारण ही इसमें आर्य भाषाओं के व्यापक प्रभाव ढूंढने की चेष्टा की है ।[5]

कन्नड़ भाषा "संस्कृत" और द्रविड़ परिवार की भाषा "तमिल" की तरह प्राचीन नहीं हैं । प्रायः लोक-गाथाओं में किसी भाषा के प्रारंभ के मूल में किसी देवी-देवता या संत-महात्मा का संबंध जोड़ा जाता रहा है लेकिन जहां तक कन्नड़ भाषा के उद्भव का प्रश्न है, ऐसी कोई लोक मान्यता नहीं मिलती । जिस तरह पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत के अध्ययन के प्रति विशेष आकर्षण दिखलाया उस तरह द्रविड़ परिवार की भाषाओं के प्रति उनके विशेष रूप से आकृष्ट न होने के कारण द्रविड़ परिवार की अन्य भाषाओं के साथ कन्नड़ को भी संस्कृत की तरह लाभ प्राप्त न हो सका । फिर भी, आधुनिक काल में वर्थ, किटल, जीगलर, राइस आदि पाश्चात्य विद्वानों और धर्म-प्रचारकों के द्वारा कन्नड़ के अध्ययन के प्रति जो प्रारंभिक प्रयास किये गये उनसे यह सिद्ध हुआ है कि कन्नड़ भाषा पर संस्कृत का अधिभावी प्रभाव होने पर भी इसका उद्भव संस्कृत से नहीं हुआ वरन् यह निश्चित रूप से द्रविड़ परिवार की भाषा है जिसके अन्तर्गत तमिल, तेलगु एवं मलयालम भाषाएं हैं ।[6] वैदिक काल से ही विद्वानों ने यह विश्वास किया है कि इन भाषाओं का प्रचलन वैदिक काल से ही दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा है और वैदिककालीन आर्य यायावरों के आक्रमण के पूर्व भारत में जो द्रविड़ जातियाँ निवास करती थीं उन्हें आर्य जातियों ने दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। परिणामतः मोहनजोदड़ो की खुदाई से जिस द्रविड़ सभ्यता का पता हमें उत्तर भारत में भी प्राप्त होता था वह कालांतर में दक्षिण भारत में ही सिमट कर रह गया ।

कन्नड़ की लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है । कन्नड़ लिपि के विकास के चरणों को डॉ. एम. एच. कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में कन्नड़ और तेलुगु की लिपियां समान थीं मगर धीरे-धीरे इसमें भेद बढ़ता गया । कन्नड़ की वर्तमान मुद्रण की लिपि के मानकीकरण में धर्म प्रचार के लिए कार्य करने वाली ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है ।

डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया ने कन्नड़ भाषा की ध्वनि और शब्दावली संबंधी विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(1) "ए" तथा "ओ" के ह्रस्व रूप भी कन्नड़ में उपलब्ध हैं और इनके लिए अलग-लअग लिपि-चिह्न भी हैं ।

(2) व्यंजनों में "ल" मूर्धन्य ध्वनि विशिष्ट है।

(3) हिन्दी की तरह कन्नड़ में भी संयुक्त वर्ण हैं ।

(4) कन्नड़ में शब्द के अंत में "अ" स्वर का पूर्ण उच्चारण किया जाता है । स्वर-रहित व्यंजनों के लिए संस्कृत की तरह इसमें हल्का चिन्ह है ।

(5) कन्नड़ की वर्तनी में "ऋ" है किन्तु इसका उच्चारण कहीं "रि" और कहीं "रू" होता है ।

*भारत रिफेक्ट्रीज लि० रांची रोड, मरार(हजारी बाग)-829117

(6) "ज्ञ", "ष", "स" तीनों संधर्षी ध्वनियों का उच्चारण कन्नड़ में स्पष्टतः अलग-अलग किया जाता है ।

(7) कन्नड़ में अनुस्वार का प्रयोग है किन्तु उसका उच्चारण "म" की तरह होता है ।[7]

जहां तक कन्नड़ शब्दावली का प्रश्न है, कन्नड़ भाषा में भी हिन्दी की तरह तत्सम , तद्भव, देशी और विदेशी शब्द हैं जिनका उदाहरण डॉ. भाटिया ने निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है —

तत्सम —साधारण, संतोष आदि
तद्भव —सुण्ण, अड़वि, गूगे आदि
देशी —हेण्णु, मण्णु आदि
विदेशी—दस्तावेजु, कालेजु, आफीसु, जमीनु आदि ।[8]

कन्नड़ साहित्य पर्याप्त समृद्ध है किन्तु नवीं शताब्दी के पूर्व कन्नड़ का कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। कन्नड़ में प्रथम उपलब्ध कृति राष्ट्रकूट वंश के नरेश नृपतुग अथवा अमोघवर्ष द्वारा रचित काव्य और काव्य-शास्त्र की पुस्तक "कविराजमार्ग" हैं । काव्यशास्त्र पर प्रबंध रचना के उपलब्ध होने से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस ग्रंथ की रचना के पूर्व ही कन्नड़ भाषा में साहित्य रचना की एक सुदीर्घ परम्परा रही होगी जिसके बारे में आज हमें विशेष जानकारी नहीं है। यहां इस प्रसंग में यह संकेत करना भी आवश्यक है कि यद्यपि नवीं शताब्दी के पूर्व कन्नड़ का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता तथापि बहुत से शिलालेख नवीं शताब्दी के पूर्व के मिलते हैं जिनमें प्राचीनतम शिलालेख "हलमिडि" का है । इस शिलालेख का समय कदम्ब राजा कुकुत्सवर्मा के शासनकाल (265—282ई.) का आंका गया है ।[9] श्री वि. कृ. गोकाक के विचारानुसार नृततुंग के काव्यशास्त्र विषयक" "कविराजमार्ग" के पश्चात् प्रथम उपलब्ध गद्य ग्रंथ "वड्डारधिने" (925ई.) है ।[10] लेखक के विचारानुसार सन् 925 से 1150 ई. के बीच का कालखण्ड कन्नड़ साहित्य के चम्पू महाकाव्यों का स्वर्ण युग था। इस युग के रचनाकारों में पंच, पोन्न और रन्न" बहुत ही प्रसिद्ध हुए ।[11] इसी तरह कन्नड़ साहित्य में सन् 1150 से 1336 ई. के बीच कन्नड़ साहित्य और जीवन में वीरशैव क्राँति का युग आया जिसके परिणामस्वरूप नयी साहित्यिक विधाओं के रूप में "वचन" या छोटे गद्यगीत और नए छंद जैसे "रंगले", "जिपदी" और षट्पदी" पर्याप्त लोकप्रिय हुए । इस युग में गद्य-शैली बोलचाल के निकट आ गई ।[12] कन्नड़ साहित्य की आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों के पूर्व के साहित्यिक-विकास का अतिसंक्षिप्त इतिवृत्त प्रस्तुत करते हुए लेखक ने लिखा है कि सन् 1336 से 1575 तक का युग कन्नड़ साहित्य का स्वर्णयुग है जिसमें "दासों" या वैष्णव संत-कवियों की, कुमारव्यास, लक्ष्मीश और रत्नाकरवर्णी जैसे महाकवियों की निजगुण शिवयोगी-जैसे वीरशैव रहस्यवादियों की रचनाएं विशेषरूप से उल्लेख्य हुई । सन् 1575 से 1700 ई. तक कन्नड़ साहित्य मुख्यतः अपनी पुरानी साहित्यिक विषय-वस्तु को लेकर आगे बढ़ती रही । अठारहवीं सदी में मैसूर के चिकदेव राय ने चंपू काव्य को पुनर्जीवित किया और गद्य का उपयोग विविध विभाओं के लिए विकसित हुआ ।[13]

सम्पूर्ण कन्नड़ वाङमय के इतिहासकारों ने विविध कालखंडों का नामकरण अनेक विधियों से प्रस्तुत किया है। कुछ इतिहासकारों ने सम्पूर्ण इतिहास को (1) जैनकाल (2) वीरशैव या लिंगायत काल और (3) वैष्णकाल के रूप में विभाजित किया है। इन कालखंडों की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने जैनकाल का प्रसार प्रारंभ से बारहवीं शताब्दी तक, वीर शव काल का बारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक और वैष्ठाव काल का पन्द्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक मनाना गया है ।[14] कुछ विद्वानों ने महाकाव्य युग (1) क्रांति (भक्ति सम्प्रदाय की) युग और नवयुग के रूप में कन्नड़ वाङ्मय का विभाजन किया तो अन्य विद्वानों ने (1) प्रारंभिक प्राचीन कन्नड युग, (2) प्राचीन कन्नड़ युग और (3) नवकन्नड़ युग के रूप में साहित्य का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया ।[15] त. सु. श्यामराव एवं रे. रामेश्वरय्या ने कन्नड साहित्य को पम्प युग या स्वर्णयुग, हरिहर युग या स्वतंत्रयुग मुक्ता यक्का महादेवीयम्मा लक्कमा युग, कुमार व्यास युग अथवा षटपदी युग दास वाङमय, मैसूर के ओडयर कालीन साहित्य तथा कुमार व्यास युग के वैदिक कवि, जन कवि, वीरशैव साहित्य आदि खंडों में विभाजित किया है।

श्री भी. के. गोकाक ने द इण्डियन लिटरेचर आव टुडे में कन्नड साहित्य की सभी विधाओं के विकास पर बड़े विस्तार से चर्चा की है ।[17] यहां हम विस्तारमय से कन्नड की सभी विदाओं के विकास का इविवृत्त प्रस्तुत करने में सकुचाहट का अनुभव करते हुए मात्र इतना ही उल्लिखित करना चाहते हैं कि कनन्ड भाषा में जहां आज लिखित साहित्य की सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है वहीं राजभाषायी साहित्य के सृजन में भी कन्नड भाषा ने महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य किया है।

राजभाषायी स्थिति

भारत संघ की राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो सम्पूर्ण कन्नड भाषा भाषी क्षेत्र 'ग क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।[18] वैसे स्वतंत्रता के पूर्व कन्नड भाषायी क्षेत्र में अंग्रेजी ही सर्वस्वीकृत राजभाषा थी किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् इस क्षेत्र के विविध सरकारी प्रयोजनों के लिए कन्नड, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों का प्रचलन है। कन्नड भाषी कर्णाटक राज्य की आंतरिक शासन व्यवस्था में कन्नड सर्व स्वीकृत और स्थापित राजभाषा है किन्तु कर्णाटक क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कामकाज

अंग्रेजी में संपादित किये जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कार्यालयों में सकल पत्राचार का 10% कार्य हिन्दी में संपादित किया जाना है [19] तथा निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग अनिवार्य है।[20]

इस तरह कन्नडभाषा क्षेत्र में राजभाषा के विविध प्रयोजनों के लिए कन्नड़, हिन्दी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाएं उपयोग की जा रही है किन्तु जहां तक हमारे विवेचन के अन्तर्गत कन्नड़ के राजभाषायी स्वरूप के उद्घाटन का प्रश्न है इतना गर्व के साथ उल्लिखित किया जा सकता है कि राजभाषा के रूप में कन्नड़ ने अपने क्षेत्र में जो विकास किया है वह दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है। राजभाषा के रूप में कन्नड़ का विकास सभी दिशाओं में हुआ है जिसका प्रारंभ कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963 से हुआ। सन् 1970 ई. में राज्य के भूतपूर्व मुख्य सचिव के. नारायण स्वामी की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठित की। समिति ने राजभाषा के प्रयोजन के लिए राज्यभर की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 1968 से तालुका स्तर पर, 1970 से अनुमंडल स्तर पर 1972 से जिला स्तर पर और 1974 से न्यायालयों में कन्नड भाषा का प्रयोग प्राधिकृत हुआ। राजभाषा कन्नड के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रसार की स्थिति की चर्चा करते हुए डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया ने लिखा है कि "पत्र व्यवहार तथा टिप्पणी आदि के लिए" "कवेरी केपिडी" "भादिरी पत्रगलु विधि के लिए "कन्नड तीर पुगलु" "पेतिसवालु" (जिरह) आदि पुस्तकें कन्नड़ भाषा में प्रकाशित की गई हैं। कन्नड भाषा में नोटिंग/ड्राफ्टिंग लिखने का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। कन्नड़ भाषा का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। राजस्व संबंधी अधिकारियों को कन्नड़ में निर्णय लिखने पर प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वर्ष 1976 में 530 निर्णय कन्नड़ भाषा में लिखे गये। कन्नड़ भाषा के विकास से संबंधित सर्वोत्तम पुस्तकों को पुरस्कार दिया जाता है। तालुका तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम पूरा हो चुका है ; अब तो उच्च स्तर के अधिकारी भी सचिवालय स्तर पर कन्नड़ में लिख रहे हैं। सन् 1976 में मैसूर में दक्षिण राज्य राजभाषा गोष्ठी" आयोजित की गई थी। यह अपने प्रकार की पहली संगोष्ठी थी।[21] "राजभाषा के रूप में कन्नड़ के अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य में उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा करते हुए डा. भाटिया ने आगे लिखा है "कर्नाटक राजभाषा (विधायी) विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 1973 में राजभाषा विधायी आयोग को पुनर्गठित किया। आयोग के अध्यक्ष श्री आर. रंगय्या नियुक्त किये गये। "कन्नड़ तथा संस्कृत" निदेशालय में राजभाषा तथा संस्कृति पर पृथक दो स्कंध हैं। शिक्षा विभाग प्रशासनिक विभाग है। एक राज्य स्तरीय सरकारी समिति है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव रहते हैं। जिला स्तर की समिति के अध्यक्ष जिले के डिप्टी कमिश्नर होते हैं। जाहिर है कि कन्नड़ भाषा ने अपने क्षेत्र में राजभाषा के रूप में जो स्थान प्राप्त किया है वह दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए अनुकरणीय है।

संदर्भ और टिप्पणियां

1. हिमालय एटलस, 1987 सं. डॉ. सीता शरण सिंह, पुस्तक भंडार, पटना, पृष्ठ सं. 87
2. भारत का राजनैतिक मानचित्र, प्रकाशक-इंडियन बुक डिपो, दिल्ली
3. भारतीय वाङमय-कन्नड़, श्री आद्यरंगाचार्य, पृष्ठ 117
4. वही
5. भारतीय भाषाएं, कैलाशचन्द्र भाटिया, पृष्ठ सं. 31
6. भारतीय वाङमय—कन्नड़, श्री आद्य रंगाचार्य, पृष्ठ 118
7. संदर्भ : उपर्युक्त क्रमांक 5 पृष्ठ संख्या—35
8. वही
9. संदर्भ : उपर्युक्त क्रमांक 6, पृष्ठ संख्या 122
10. आज का भारतीय साहित्य—कन्नड़, वि. कृ. गोकाक, पृष्ठ सं. 73
11. वही,
12. वही, पृष्ठ सं. 74
13. वही
14. संदर्भ : उपर्युक्त क्रमांक 6, पृष्ठ सं. 125
15. वही
16. कन्नड़ साहित्य का वृहद इतिहास, त. सु. श्यामराव एवं मे. राजेश्वरय्या, वाणी प्रकाशन दिल्ली।
17. दी इंडियन लिटरेचर ऑव टुडे, दी ऑल इंडिया राइटर्स कानफ्रेंस, 1945, संपादक—भारतन कुमारप्पा, कन्नड़, श्री वी. के. गोकाक द इंटरनेशनल बुक हाउस लिमिटेड बम्बई, पृ. सं. 52-70
18. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का नियम 2(ज)
19. भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का वार्षिक कार्यक्रम, 1986-87, पृ. सं. 23-27
20. राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधन अधिनियम 1967) की धारा 3(3)
21. संदर्भ : उपर्युक्त क्रमांक 5, पृष्ठ सं. 38
22. वही

□

कोई जाति अच्छी अवस्था में नहीं रह सकती, जिसके अन्दर सद्भाव न हों। सद्भाव का संचार जातीय उन्नति के लिए प्रथम बात है। जब तक यह नहीं होती, तब तक जाति के अन्दर न ही तेज और न ही बल उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त जाति के अन्दर कुछ ऐसी बात विद्यमान हों जिनसे उस जाति को जाति कह सकें।

जाति में सबसे उच्च भाव यह होना चाहिए कि हम सब व्यक्ति एक जाति हैं। हमारा मूल एक ही है और हम सब एक-ही हैं। हिन्दू लोगों में यह भाव पाया जाता है तथा हमारा विश्वास था और अब भी है कि हम ऋषि-मुनियों की सन्तान हैं। यह सच्चा बीज है। जातीयता का यह भाव प्रत्येक जाति में होना चाहिए, चाहे यह वंश की (Racial) एकता हो अथवा वास्तविक। जब तक यह विचार जाति के अन्दर पाया जाता है, तब तक कोई भय नहीं और न ही जाति के सम्मान में कोई अन्तर आना है।

अंग्रेज़ एक वंश के नहीं हैं। इनमें कई ब्रिटेन (Briton) के हैं, कई सैक्सन्ज, कई डेन्ज और कई आयरिश आदि नस्लों के हैं, परन्तु अंग्रेज़ों के अन्दर यह भाव कि 'हम एंग्लो-सैक्सन्ज़ नस्ल' हैं, सब कार्यों से मिलकर चलने में सहायता देता है। यह बात ठीक हो अथवा न हो, परन्तु प्रत्येक बात उसके अन्तिम फल से जानी जाती है।

हिन्दुओं के अन्दर यह भाव अब दुर्बल हो रहा है। लोग अपने-आपको पृथक् कर रहे हैं। राजपूत कुछ और ही बन रहे हैं तथा अन्य लोग उनका आर्यों से कोई सम्बन्ध नहीं समझते। ब्राह्मण अपने अभिमान से नहीं टलते। इसी प्रकार पंजाब में भी यह कीटाणु आ पहुंचा है। यह कीटाणु हिन्दू जाति को घुन की भांति खा जाएगा। अतः इस पर एकदम ध्यान देना चाहिए।

दूसरा भाव जो होना चाहिए, वह यह है कि जाति के भाव को धर्म के भाव से दृढ़ किया जाए, क्योंकि यह धागे की भांति मणियों को पिरो देता है। जिस प्रकार मणियों का मूल्य पृथक रहने पर कम होता है, माला के रूप में उनका मूल्य बढ़ जाता है इसी प्रकार जाति जब एक होती है तो उसका विशेष आदर व महत्व होता है परन्तु उसी जाति के पृथक-पृथक टुकड़े वह सम्मान तथा मूल्य नहीं पा सकते।

युवको !

हिन्दी को जीवन का मिशन बनाओ !!

☐ महात्मा हंसराज

बंगाल में जाएं, गुजरात में जाएं, वहां पर भी वेद-शास्त्रों की ध्वनि सुनाई देगी। बम्बई तथा मद्रास में जाएं वहां पर भी इन्हीं का पाठ होगा जैसा कि लाहौर में है। इसी प्रकार से हम एक सूत्र से पिरोए हुए हैं परन्तु यह सूत्र अब दिन-प्रतिदिन ढीला होता चला जा रहा है।

तीसरी बात जातीय भाव को दृढ़ करने के लिए यह होनी चाहिए कि लोगों की भाषा एक हो। आप कोई जाति नहीं देख सकते, जहां भाषा एक न हो। यह एक ऐसा ही आवश्यक प्रश्न है जैसा कि वंश (Race) का। लोग बिना इस एकता के एक लड़ी में पिरोए नहीं जा सकते। आज इंग्लैंड एक महान देश है, परन्तु इंग्लैंड की क्या अवस्था हो यदि वेल्स के लोग इंग्लैंड की भाषा न समझ सकें यदि स्काटलैंड में एक पुस्तक लिखी जाए तो इंग्लैंड के लोग उसे न पढ़ सकें तथा अनुवाद करना पड़े, तो फिर देखें कि क्या अवस्था हो जाए! अन्य जातियों को भी देखें तो आप यही स्थिति पाएंगे कि वे एक भाषा में पिरोई हुई है। जहां किसी जाति में एक भाषा का पहलू न्यून है, वहां राष्ट्रीयता का भाव भी अपेक्षाकृत कम होगा। आपने कई पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि कोई जाति, नहीं बन सकती यदि उसकी भाषा एक न हो।

महात्मा हंसराज का जन्म होशियारपुर (पंजाब) के बैजवाड़ा नामक स्थान में सन् 1864 ई० में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता-पूर्व देश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए दयानंद ऐंग्लो-वैदिक (डी०ए०वी०) स्कूलों की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भारतीय संस्कृति को गतिशील तथा उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए अथक संघर्ष किया। वे वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सं०

जितने पूर्वाग्रह आपके भीतर हों, उन सबको तज दें। केवल बुद्धिपूर्वक ध्यान करें। इसमें हमें सहमति है कि आर्य जाति व भारतवर्ष की उन्नति के लिये एक लिपि का होना आवश्यक है। फिर वह भाषा क्या हो तथा वह लिपि क्या हो ?

प्रथम आप भाषा को लें। एक सिद्धांत को मानना पड़ेगा कि वह भाषा जो बहुत सीमित है वह कभी हमारे देश की भाषा नहीं हो सकती और उसको यह स्थान देना अर्थात् राष्ट्रभाषा बनाना औरों पर सख्ती करना होगा। अब पता लगाना है कि सबसे अधिक कौन-सी भाषा बोली जाती है। बंगाल में बंगला बोली जाती है और उसकी जनसंख्या छः करोड़ है। गुजरात में गुजराती और उसकी जनसंख्या एक करोड़ है। यही अवस्था मराठी भाषा की है, इसी प्रकार पंजाबी पंजाब से बाहर नहीं है और वह भी सारे पंजाब में नहीं। पूर्वी भाग में पंजाबी नहीं बोली जाती। पंजाबी बोलने वालों की संख्या भी डेढ़ करोड़ से अधिक नहीं है। इसी प्रकार दक्षिण में तेलगू, कन्नड़, तमिल आदि भाषाएं प्रचलित हैं परन्तु दो करोड़ से अधिक कोई नहीं बोली जाती। एक भाषा है जो हमारे देश में सबकी सन्तुष्टि कर सकती है। अम्बाला से लेकर आप मुगलसराय, पटना-बिहार तक चले जाएं वहां आर्य भाषा (हिन्दी) बोली जाती है। बिहार के लोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे डालते हैं। माना कि उत्तर प्रदेश के लोगों का उच्चारण पूर्वी भाग के लोग न कर सकें परन्तु आप जनगणना का विवरण देखें, कि यह भाषा दस-बारह करोड़ लोगों के अधरों पर है, सर्वाधिक बोली जाती है। क्या बहुमत का अधिकार है अथवा नहीं कि उनके साथ कुछ न्याय किया जाए? तो इस दृष्टि से वही भाषा बोली जानी चाहिए (अर्थात् राष्ट्र-भाषा हो) जो अधिक बोली जाती है इसलिए आर्य भाषा (हिन्दी) ही जातीय भाषा, राष्ट्रभाषा हो सकती है।

यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत हमारी भाषा क्यों न हो?

संस्कृत विद्वानों की भाषा हो सकती है परन्तु ऐसा विचार है कि संस्कृत हमारे देश की जनभाषा बन जाए और हमारे बाल-बच्चे संस्कृत ही बोलने लग जाएं, यह एक कल्पनामात्र है। अंग्रेजी भाषा 150 वर्षों से यहां है और इस पर रुपया भी बड़ा व्यय किया गया है क्योंकि शासन इसकी पीठ पर है परन्तु अब तक कठिनाई से पांच प्रतिशत लोग होंगे जो सरलता से आंग्ल भाषा बोल सकते हैं। फिर क्या वे घरों में भी इसे प्रयुक्त कर सकते हैं अथवा नहीं इसके संबंध में सोचना भी व्यर्थ है। यह सर्वथा कल्पित विचार से भी बढ़कर है कि हम अंग्रेजी को माता के स्तनों से पिएंगे।

जहां और भाषाएं प्रचलित हैं आप देखेंगे कि यह भाषा देश के किसी और भाग में समझी नहीं जा सकती। आप बंगाल में जाएं बंगला आपको समझ नहीं आ सकती। यदि आप हिन्दी बोलेंगे तो बंगाली उसे समझ लेगा और टूटी-फूटी हिन्दी में उत्तर भी दे देगा। बम्बई जाएं वहां भी यही स्थिति होगी। मुझे भरुच समाज के उत्सव पर बुलाया गया। मैंने जाने में बड़ी ननु-नच की। मैं संकोच इसलिए करता था, कि वहां लोग हिन्दी नहीं समझ सकते मेरा वहां जाना निष्फल होगा। परन्तु जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वे लोग भली प्रकार से हिन्दी समझ सकते हैं तथा उन्होंने हिन्दी के व्याख्यानों को बड़े प्रेम व ध्यान से सुना। यह झूठ है कि इस समय कोई भाषा (राष्ट्रभाषा) नहीं है। भाषा तो प्रचलित है। कोई इससे लाभ उठाना चाहे तो उठा सकता है।

जाति को एक बनाने के लिये साहित्य की बड़ी अधिक आवश्यकता है। हममें से प्रत्येक को गीता, रामायण आदि स्मरण कराती है कि हमको राम और कृष्ण की सन्तान होने में गर्व है। हम इन भावों को माता के दूध के साथ पीते हैं।

लगभग 70–80 वर्ष पहले महात्मा जी ने युवकों को सम्बोधित करते हुए जो प्रवचन दिया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सं०

साहित्य विचारों की एकता उत्पन्न करता है। वह समय अच्छा था जब रामायण संस्कृत में पढ़ी जाती थी, क्योंकि अनुवादों व टीकाओं के पढ़ने से लेखक का वास्तविक उद्देश्य कुछ लुप्त हो जाता है, अतः पढ़ने वाला वास्तविक आदर्श से वंचित हो जाता है। बंगाल ने साहित्य में उन्नति की है। बंगाल ने जगविख्यात कवि और लेखक उत्पन्न किये हैं। परन्तु मैं बिना अनुवाद के उन्हें नहीं समझ सकता। ग्रंथ साहिब' भी एक अद्भूत वस्तु है, परन्तु पंजाब से बाहर वह समझी नहीं जा सकती है, क्योंकि वे इसे समझ नहीं सकते। महाराष्ट्र भी साहित्य की दृष्टि से बहुत उन्नत है, परन्तु हम उससे लाभ नहीं उठा सकते। जो लोग चाहते हैं कि जाति एकरूप हो जाए, जो लोग चाहते हैं कि जाति का कल्याण हो व फूले-फले, उनको चाहिए कि भाषा के प्रश्न को हाथ में लें। मैं बंगला नहीं जानता, परन्तु यदि बंगला आदि भाषाओं को देवनागरी अक्षरों में लिखा जाए तो मैं उन्हें 80% समझ लूंगा तथा उसका भाव बता दूंगा। यह स्थिति गुजराती की है, अथवा यह कहो कि इनमें संज्ञा, क्रिया एक ही है, अन्तर केवल गरदानों में पाया जाता है। जब संस्कृत इनकी माता है तो वे भाषाएं एक ही हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी आवश्यकता है कि सारे देश में एक लिपि हो। यदि यह आन्दोलन बंगाल में गुजरात में किया जाए तो बहुत ठोस परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जब सर गुरुदास बैनर्जी ने यह आन्दोलन चलाया था तो उनकी पुस्तकें हिन्दी में ही प्रकाशित की जाती थीं।

विद्या संबंधी भाषा एक ही होगी इसके बिना निर्वाह कठिन है। जो मस्तिष्क पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश अथवा महाराष्ट्र में पृथक-पृथक कार्य करते हैं, वे तब एकत्रित होकर

करेंगे। यह कार्य यद्यपि कठिन है, परन्तु यह असम्भव नहीं है। यदि हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता तो नव-युवकों! आपके जीवन में अवश्य पूर्ण हो सकता है।

यदि आपकी रुचि, प्रवृत्ति तथा ध्यान इधर हो तो आप इसको प्रकट करें। आप जानते हैं कि उर्दू तथा अंग्रेजी अक्षरों में दोष है। देखो 'सी' (C) कभी 'स' का कभी 'क' का कार्य देती है और कभी लुप्त भी हो जाती है। यदि 'क' का कार्य दे सकती तो 'के' (K) को क्या आवश्यकता थी? इसी प्रकार 'night' शब्द में gh (जी एच) व्यर्थ ही लगाए गए हैं। यही स्थिति उर्दू की है—'से' (सबूत वाला) सीन' (सुकूनवाला), 'स्वाद' (साफवाला) एक ही ध्वनि देते हैं। इसके अतिरिक्त इसका ढंग ही ठीक नहीं। किसी छात्र को कहो, 'अलिफ' और 'बे' को मिलाओ, तो वह 'अब' कैसे पढ़ लेगा? परन्तु हिन्दी में यह दोष नहीं। आप हिन्दी को पन्द्रह दिन में सीख सकते हैं, परन्तु उर्दू-अंग्रेजी को सीखने के लिए कई वर्षों का समय चाहिए और ये उर्दू के अक्षर एक विशेष क्षेत्र में सीमित हैं। बंगाल में मुसलमानों का कुरान भी बंगला में है तथा प्रार्थना भी बंगला में करते हैं।

महाराजा ग्वॉलियर ने आज्ञा दी थी कि दो वर्ष में हिन्दी सीख लो। अतः अब वहां हिन्दी में भली प्रकार कार्य होता है। आज उर्दू अधिक प्रचलित प्रतीत होती है, कारण-शासन की इसको सहायता प्राप्त है, अतः उर्दू को विशेषता प्राप्त है, परन्तु यह विशिष्टता उठ जाएगी और उर्दू का प्रश्न नहीं ठहर सकता, क्योंकि न्यायालय का झुकाव अब अंग्रेजी की ओर है। आर्य समाज का अब आरम्भ से ही यह विचार रहा है कि हिन्दी का प्रचार किया जाए। जब दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना की गई थी तो चार सिद्धांतों में से एक हिन्दी-प्रचार भी था। हमको यह गर्व प्राप्त है कि जब हमारे छात्र कालेज से जाते हैं तो हिन्दी सीख कर जाते हैं तथा जाति की एक बनाने में सहायक होते हैं। अब यह आन्दोलन बढ़ रहा है। जब आप हिन्दी पढ़ने के लिए हिन्दी की कक्षा में जाएं तो आप इसे बोझ न समझें, प्रत्युत इसी प्रकार समझें जैसा आप अंग्रेजी व गणित आदि विषय के कमरों में जाते हैं। जब आप हिन्दी के कक्ष में जायें तो यह विचार रखें कि आप इसी कार्य से जाति की उन्नति कर रहे हैं और यह कार्य एक दिन सारी जाति को ऊंचा कर देगा। युवकों! हिन्दी का प्रचार जीवन का मिशन बनाओ!

मुझे बड़ा हर्ष है कि आप एक संस्था स्थापित करेंगे, जो हिन्दी साहित्य को उन्नत करेगी और उसका प्रचार करेगी। मैं और भी प्रसन्न हूंगा जब दयानन्द कालेज के छात्र अपने बल से हिन्दी की पत्रिका निकालेंगे, जिसमें हिन्दी के लेख व निबन्ध प्रकाशित होंगे। मेरा भाव केवल हिन्दी के अधिकार आपके सम्मुख रखना था। जैसे घोंघा (शंख का जीव) एक इंच के दसवें भाग तक ही देख सकता है, उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उसी के समान जिन लड़कों को अपने कमरे के अतिरिक्त कोई और दीवार दिखाई नहीं देती तथा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को छोड़ और कोई पुस्तक पढ़ने के योग्य नहीं मिलती, उनको हिलाना, कुम्भकर्ण को जगाना है। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिनके अन्दर परमात्मा ने दिल दिया है, जो दूर तक देखने वाली दृष्टि रखते हैं। उन्हीं से मेरी प्रार्थना है कि वे इस पवित्र कार्य को अपने जीवन का मिशन बनाएं और इस उद्देश्य को अपने सामने रखें।

अन्त में परमात्मा से प्रार्थना है कि हे ईश्वर! हमें बल दो। जहां निर्धनता व कई दुर्बलताएं हममें हैं, वहां यह दुर्बलता तो न रहे कि हम एक दूसरे की भाषा न समझ सकें। हमारे देश की एक भाषा हो जाये, ताकि हमारी जाति एक होकर उन्नति कर सके। ○

["आर्य जगत" 16 अप्रैल, 1989 से साभार]

राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी के लिए सभी भारतवासी उत्तरदायी हैं और यह कार्य सभी स्तरों के अधिकारियों के सद्भाव और मिले-जुले प्रयास से ही सम्पन्न हो सकेगा। हमें अपना कुछ न कुछ काम हिंदी में करना चाहिए।

—बाबू जगजीवन राम

विश्व हिन्दी दर्शन

बहुत सम्मान है हिन्दी का भारत से बाहर

☐ ब्रह्मदत्त स्नातक*

संविधान की धारा का उल्लंघन सरकारी भाषा के उपयोग को लेकर भारत में निरन्तर होता ही रहता है। कुछ साल पहले सुरक्षा सेनाओं के पथ—प्रदर्शन के लिए छावनियों के क्षेत्र में रोमन लिपि में ठहरो, देखो, जाओ के नोटिस बोर्ड लगे रहते थे। आज राजधानी में वही अंग्रेजी लिपि में स्टाप, लुक, गो पढ़ने को मिलते हैं।

बात आगे बढ़ती है। आज के फीजी में पं. कमला प्रसाद मिश्र तथा भारत से गये कंवल दम्पति से लगाकर पिछले 110 वर्षों में मैकमिलन साहब तथा मोघने आदि गोरे अन्य हिन्दी प्रेमियों के प्रयत्नों से पांचवें स्टैंडर्ड तक हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था वहीं की सरकार ने की हुई है। प्रयत्न करने पर दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र के इस प्रमुख देश में सीनियर कक्षाओं तथा यूनिवर्सिटी स्तर पर भी हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था संभव हो सकती है। फीजी में सरकारी सूचनाएं प्रचार साहित्य हिन्दी में तैयार होता है और यहां तक कि वहां की प्रतिनिधि सभा (लोकसभा) में हिन्दी में बोलने की मान्यता संविधान में मिली हुई है। सरकारी सूचना, मंत्रालय, का मासिक पत्र हिन्दी में निकलता है।

लगभग 50 प्रतिशत भारतीय मूल के स्त्री-पुरुषों (कुल आबादी 7 लाख 40 हजार और कुल प्रशासित द्वीप 100) के देश में वहां के अधिकांश मूल निवासी काईबीती तथा अन्य चीनी गोरे आदि भी हिन्दी का बोलचाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की फीजी यात्रा (1982) में सार्वजनिक भाषणों में उनको हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह पत्र लिखकर दी थी, जिसका स्वीकृति पत्र न केवल उन्होंने दिया, अपितु अनेक अवसरों पर वे हिन्दी में बोली। फीजी में भारतवंशियों की भाँति इंदिरा बहिन को काईबीतियों ने भी ध्यानपूर्वक सुना। इसका प्रभाव पूर्वज 'कुलियों' की वर्तमान तीसरी-चौथी पीढ़ी पर स्वमूल देशाभिमान के रूप में पड़ा है।

*सी-4-बी/332 बी, जनकपुरी, दिल्ली-58

समग्र दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र में केवल फीजी में गिरमिट प्रथा की समाप्ति के बाद पिछले 70 सालों में वहां के अनेक मासिक व सप्ताहिक पत्र हिन्दी में निकलते रहे हैं। अब उनमें से केवल एक साप्ताहिक 'शांतिदूत' पिछले 54 वर्षों से सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रहा है। यह एक अमरीकन कंपनी द्वारा संचालित है। 'जय फीजी' साप्ताहिक (संपा. पं. कमला प्रसाद मिश्र) के बन्द हो जाने पर हाल में राजधानी सूवा से एक अन्य साप्ताहिक 'वैदिक सन्देश' लौदाला बीच आर्य सत्संग मंडली, राईवांगा, पी०ओ०बाक्स 5122 से निकला है। विद्वेष व खण्डन से दूर उस धार्मिक पत्र के संपादक मास्टर विजयचन्द है। 10 पृष्ठों के उस पत्र की सामग्री उपयोगी, सज्जा, उत्तम, भाषा, प्राँजल और टाइपराइटर से निकलकर फोटोकापी से छपता है। इसका तीसरा अंक हमारे सामने है। फीजी रेडियो तो हिन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत समाचार, हिन्दी शिक्षण नियमित रूप से देती ही है। हिन्दी के अलावा फीजी रेडियो पर संस्कृत में हुई परिचर्चा में फीजी व आस्ट्रेलिया विद्वानों ने और भारत से इस लेखक ने भाग लिया था। ये सभी भारतीय मूल के थे।

विश्व के भारतेतर देशों में विद्यालयों, महाविद्यालयों के अलावा 93 संस्थाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी शिक्षण-लेखन पाठयक्रम में रखे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि देशों में रेडियो कार्यक्रमों एवं कूबो के माध्यम से हिन्दी के प्रति गहरी रूचि प्रदर्शित की जा रही है। मारिशस में हिन्दी का प्रचार पहले से ही है। फीजी में (मेरा) एक सार्वजनिक स्वागत समारोह के अवसर पर जब मैंने भारतीय उच्चायुक्त (श्रीमती सूनू कोचर) से उनका लिखित भाषण हिन्दी में पढ़ने का अनुरोध किया तो उनका उत्तर था कि वे अहिन्दी भाषी हैं, यद्यपि वे तब भी भारतीय या गैर-सरकारी नहीं थीं। वहां आयोग में हिन्दी अधिकारी नियुक्त हैं। दक्षिण अफ्रीका में शर्तबन्द कुली प्रथा के अन्तर्गत गये भारतीयों की दूसरी ओर चौथी पीढ़ी

हमें देखने को मिली। इनमें से मूल भारतीय और उनकी अगली पीढ़ी भलीभाँति बोलती हैं और लिखती हैं। यहां तक कि वहां के बटोही दम्पति के विशाल निवास का नाम आजमगढ़ भवन हमें डरबन में देखने को मिला। वे इसी शती के प्रारम्भ में यहां गिरमिट में पहुंचे थे। आज वे समृद्ध व्यापारी हैं। वहां भी तीसरी भारत-वंशियों की हिन्दी को रोमन लिपि के माध्यम से पढ़ लेती हैं। बोल भी लेती हैं। परन्तु व्यावसायिक कारणों से उनको अंग्रेजी का ज्यादा अभ्यास है। भारतवंशी उस देश में 4 प्रतिशत मात्र हैं।

पीटर मैरिट्ज बर्ग में स्वामी शंकारानन्द ने भाई परमानन्द के बाद उस देश में वेद धर्म सभा नाम से जिस संस्था की स्थापना 1905 में की थी, उसके अन्तर्गत दर्जनों हिन्दी शालाएं वहां चल रही हैं। सभी वर्गों के स्त्री-पुरुष उसमें न केवल भाग लेते हैं, अपितु उत्साह व लगन से काम कर रहे हैं। हिन्दी शिक्षा संघ एक अन्य स्वयंसेवी संस्था है, जो वहां न केवल अपनी उपाधियां देती हैं, अपितु वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएं दिलाती है। पिछले दिनों वहां के कार्यकर्ता श्री सतगर व हरिपाल मैक से इस दिशा में हुई प्रगति व प्रकाशनों का परिचय मिला। पीटर मैरिट्ज बर्ग के वार्षिक समारोह में हमें हिन्दी प्रबन्धों, भजनों व नृत्य-संगीत के कार्यक्रमों पर पुरस्कार वितरण का सौभाग्य मिला था।

भारत से डरबन हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जो हमें भावभीना स्वागत मिला, उसके लगभग सभी भाषण अंग्रेजी में थे। क्योंकि वह मेरा जन्मदिन भी था, मैंने उपस्थित भारतीय समुदाय से अपने जन्म की पहली मातृभाषा हिन्दी में बोलने की अनुमति ली, जोकि उनके पूर्वजों की भी मातृभाषा थी। इससे उनका हार्दिक उल्लास देखने को बनता था, यद्यपि "हैपी बर्थ डे टू यू" उन्होंने अंग्रेजी में कहा था।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी व भवानी दयाल सन्यासी के बाद 1948 में भारत से पहुंचे पं. नरदेव वेदालंकार (72 वर्ष) आज भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पूर्ववत लगे हुए हैं। उनके हिन्दी में दिए सार्वजनिक भाषण किसी भी अंग्रजी के वक्ता से अधिक लोकप्रिय आज भी हैं। सर्वाधिक मात्रा में भारतीय समुदाय उनके बोलने पर तालियां बजाता है। यह है वहां हिन्दी के प्रति बढ़ते प्रेम का साक्षात प्रमाण।

हाल ही में इंग्लैंड स्थित आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिन्दी के व्याख्याता डा. श्रीवास्तव ने भारत यात्रा के दौरान बताया कि केवल उस देश में 12 लाख भारतवंशी हिन्दी भाषी रहते हैं, अपितु बड़ी संख्या में विदेशी स्त्री-पुरुष भी हिन्दी का वहां अध्ययन कर रहे हैं। 100 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने व शोध व्यवस्था चल रही है। □

जितना सम्मान हम राष्ट्रध्वज का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें राष्ट्रभाषा हिंदी का करना चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिह्न की तरह ही राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति श्रद्धा आवश्यक है।

—डॉ. कर्ण सिंह

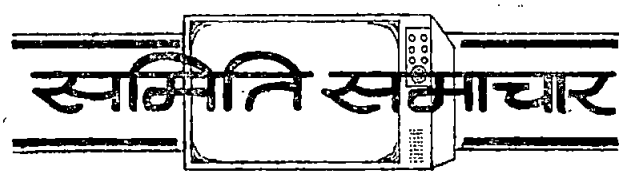

1. संसदीय कार्य विभाग

संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की आठवीं बैठक दिनांक 5-8-89 को संसद भवन, नई दिल्ली में श्री हर किशन लाल भगत, संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में हुई ।

मंत्री महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि मंत्रालय इस वर्ष "नेहरू और संसदीय लोकतन्त्र" विषय पर एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि हमारा विचार लेखों पर पुरस्कार 'नेहरू जन्म दिवस' पर प्रदान करने का है।

31 मार्च, 1989 को समाप्त तिमाही के दौरान मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के संबंध में डा. श्रीधर मिश्र ने यह कहा कि इस वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण दौरा नहीं किया गया है।

इस पर सचिव, राजभाषा विभाग श्री आर.के. शर्मा ने बताया कि पिछला निरीक्षण दौरा अक्तूबर, 1988 में किया गया था। अगली तिमाही के दौरान अगला निरीक्षण दौरा किया जाएगा।

2. डा. मिश्र ने कहा कि मंत्रालय में हिन्दी का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम है इस बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इसे बढ़ाया जाएगा।

3. डा. श्रीधर मिश्र ने कहा कि पिछली बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि "देश की वाणी वृत्त-चित्र" 15 अगस्त, 1989 तक फिल्म अनुमोदन बोर्ड द्वारा पास करवा दिया जाएगा। श्री मिश्र ने निवेदन किया कि इस वृत्त-चित्र को पास करवाने के पश्चात 14 सितम्बर---हिन्दी दिवस को दिखाने का प्रबन्ध किया जाए।

इस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे कि इस वृत्त चित्र को पास करवाकर 14 सितम्बर, 1989 से पहले-पहले दिखाने के प्रबंध कर दिए जाएं।

2. नागर विमानन विभाग

नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक दिनांक 29 मई, 1989 को नागर विमानन और पर्यटन राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटील की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए सदस्यों को बताया कि समिति की सिफारिश के अनुसार नागर विमानन से संबंधित तकनीकी शब्दावली तैयार करने के बारे में मंत्रालय पूर्णतः सजग है और इस संबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग से परामर्श किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को इस बात से भी अवगत कराया कि वायदूत ने इस कार्य के लिए 50,000 रु. देने का प्रस्ताव किया है। वायदूत द्वारा एक सप्ताह तक टिकट केवल हिन्दी में जारी करने के सफल प्रयास का भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में उल्लेख किया। अध्यक्ष महोदय ने इस बात का भी उल्लेख किया कि भविष्य में इंडियन एयरलाइंस की श्रम कल्याण समिति की सभी बैठकों में हिन्दी में ही विचार-विमर्श किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वागत भाषण में विभाग के अन्य निगमों उपक्रमों से यह अपेक्षा की कि वे भी वायदूत और इंडियन एयरलाइंस द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदमों का अनुसरण करेंगे।

डा. शशि शेखर तिवारी ने हिन्दी के प्रति अध्यक्ष महोदय के विचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नागर विमानन से संबंधी तकनीकी शब्दावली दो भागों में तैयार की जा सकती है---पहला तकनीकी और दूसरा कार्यान्वयन शब्दों का संकलन। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में यह उल्लेख किया कि प्रशासनिक शब्दों का कोश पहले से ही उपलब्ध है और जहां तक विमानन शब्दावली का प्रश्न है, मंत्रालय

और उसके निगमों/उपक्रमों से शब्दावली लेकर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से यह शब्द-संग्रह तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

विभिन्न निगमों/उपक्रमों द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं में सुरूचिपूर्ण लेखों की कमी का उल्लेख करते हुए डा. शशिशेखर तिवारी ने कहा कि इन पत्रिकाओं के सम्पादन मण्डल में समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन पत्रिकाओं में छपे लेख कृत्रिम और मेकेनिकल अधिक होते हैं और उनमें मौलिकता और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का अभाव रहता है। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि चूंकि इसे प्रकाशित करने का अधिकार दूसरों के पास है अतः उनका मुख्य उद्देश्य विज्ञापन संबंधी सामग्री को छापना अधिक रहता है और इनमें हमारी संस्कृति तथा इतिहास के बारे में कुछ नहीं होता। अतः इस संबंध में प्रकाशकों को यह हिदायत देना आवश्यक होगा कि इन पत्रिकाओं में छपे लेख मौलिक, काव्यात्मक और सुरूचिपूर्ण हों।

हिन्दी के माध्यम से वर्ष में आयोजित परिसंवाद में समिति के सदस्यों को आमंत्रित करने के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी निगमों/उपक्रमों के विभागाध्यक्षों को यह सुझाव नोट करने के लिए कहा। श्री मधुर शास्त्री ने निगमों/उपक्रमों के हिन्दी अधिकारियों को स्थान सुलभ कराने संबंधी अपने सुझाव को दोहराया और आगे कहा कि हवाई अड्डों पर हिन्दी पुस्तकों के बुक स्टाल की व्यवस्था की जाए।

डा. एन. चन्द्रशेखरन नायर ने कहा कि जब भी मंत्रीगण अहिन्दी भाषी क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो वे वहां घोषणा करते हैं कि हिन्दी थोपी नहीं जाएगी। इससे वहां हिन्दी सीखने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकार की नीति हिन्दी समझा-बुझाकर लाने की है और इसमें जोर-जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसमें भावनात्मक एकता का प्रश्न भी जुड़ा है। अतः इस संबंध में अध्यक्ष महोदय का मत था कि वे दूसरे मंत्रियों को ऐसी घोषणा न करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

डा. नायर ने आगे कहा कि "विमानिका" हिन्दी भाषा का शब्द है अतः इसमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों में होने वाली समस्त वार्ता हिन्दी में ही हो।

श्री विष्णु प्रभाकर ने मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए विभिन्न कमियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि विमानों में पत्रिकाएं केवल अंग्रेजी की ही मिलती हैं। इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस के प्रतिनिधि ने बताया कि समाचार-पत्र और पत्रिकाएं 50 प्रतिशत हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में और 50 प्रतिशत अंग्रेजी में रखी जाती हैं।

समिति के सदस्यों के विभिन्न सुझावों पर अपना मत व्यक्त करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय के अधीन जो भी निगम/उपक्रम हैं उनके कार्य का स्वरूप तकनीकी है और अखिल भारतीय स्तर का है। इन निगमों/उपक्रमों की सेवाओं में हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी दोनों क्षेत्रों के लोग हैं। अतः उन्हें प्रोत्साहन देकर ही हिन्दी में काम करने के लिए कहा जा सकता है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. महेशचन्द्र गुप्त ने कहा कि हिन्दी प्रशिक्षण में एक-दो व्याख्यान विभिन्न निगमों/उपक्रमों के कार्यपालकों के लिए रखे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न निगम अपने प्रशिक्षण केन्द्र बनाएं। उन्होंने टेलेक्स और साफ्टवेयर भी द्विभाषिक रूप में खरीदने का सुझाव दिया।

बैठक के पश्चात नागर विमानन विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वर्ष 1986-87 में पुरस्कृत श्री बिमल कुमार श्रीवास्तव की पुस्तक "पक्षी और विमान दुर्घटनाएं" का माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विमोचन किया गया और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 में पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक "विमान सुरक्षा" के लिए श्री बिमल कुमार श्रीवास्तव और "आकाश पार सेतु" के लिए श्री ओम प्रकाश गर्ग को माननीय राज्य मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए।

3. जल संसाधन मन्त्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 12 मई, 1989 को समिति कक्ष श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली में श्री वी. शंकरानन्द जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

जल संसाधन मंत्री ने हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित विभिन्न पुरस्कार योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इन योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।

डा. रत्नाकर पांडेय ने अध्यक्ष के स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय में उपनिदेशक (रा.भा.) के पद को भरे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अनुरोध किया कि साल में कम से कम हिन्दी सलाहकार समिति की चार बैठकें अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने भी साल में चार बैठकें आयोजित करने पर बल दिया।

श्री यादव ने कहा कि जो कुछ पत्र-पत्रिकाएं सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं, जिनका शीर्षक अंग्रेजी में है किन्तु उन्हें नागरी लिपि में लिखा गया है। जैसा कि "फार एंड नीयर" "इरीगेशन एंड पावर" इन सबका अनुवाद "दूर और पास" "सिंचाई और विद्युत्त" हो सकता है। ये पत्रिकाएं द्विभाषिक (बाई-लिंगुवल) होनी चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए जो पुरस्कार योजना जारी की गई है, उसमें किसी भी लेखक द्वारा अपनी पांडुलिपि/पुस्तक न भेजने पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस मामले में कहा जाए कि वे खुद भी अपने विचार लिखें। उन्होंने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक पुस्तक हिन्दी में लिखी है और वह पुस्तक हिन्दी में ही प्रकाशित हुई है। उन्होंने राजभाषा नियम की धारा 8(4) और 10(4) का पालन करने के लिए भी कहा। श्री यादव ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि इलेक्ट्रानिक मशीनें एवं कम्प्यूटर सभी अंग्रेजी में ही हैं, जिनसे हिन्दी के प्रसार में बाधा उत्पन्न होती है। श्री यादव ने कहा कि अगली बैठक दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाए जहां देश के जल स्रोत विद्यमान हैं और जहां जल की धाराओं को देखने का भी मौका मिले। श्री यादव ने कहा कि जो टंकक/आशुलिपिक प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनको हिन्दी में काम दिया जाए। अगर प्रशिक्षित व्यक्तियों को काम नहीं दिया जाता है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं।

सदस्य-सचिव ने हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को सूचित किया कि जल संसाधन मंत्रालय में वर्ष 1988-89 में दो अनुभागों को नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। "क" तथा "ख" क्षेत्रों में केवल संसद प्रश्नों की तारों को छोड़कर सभी तारें हिन्दी में भेजी जाती हैं।

श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव ने इस बात पर बल दिया कि सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा विभाग के मापदण्ड के अनुसार हिन्दी के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए एवं इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की गति की समीक्षा गहराई से की जानी चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक में किन्हीं दो सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी संबंधी कार्य की समीक्षा विस्तार से की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विदेशी मामलों से संबंधित स्टाफ के लिए पुरस्कार योजना में शब्दों की सीमा घटा देना चाहिए क्योंकि वहां अधिकतर कार्य अंग्रेजी में करना आवश्यक है।

श्री राम अवधेश सिंह ने कहा कि राज भाषा के प्रयोग में गतिशीलता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जिससे हम कानून एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा साही ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब से वह इस मंत्रालय में आई हैं उनका यही प्रयास रहा है कि हिन्दी के प्रसार में वृद्धि हो। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे-जैसे हिन्दी का प्रसार बढ़ रहा है, हमें राजभाषा के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि जो सुझाव सदस्यों ने दिए हैं, उन्हें अवश्य ही कार्यान्वित किया जाएगा।

4. औद्योगिक विकास विभाग

हिंदी सलाहकार समिति की अप्रैल, 1989 को आयोजित बैठक अध्यक्षता श्री जे. वेंगल राव, उद्योग मंत्री ने की। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि हिन्दी के इस्तेमाल में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है।

हिन्दी, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए नामित व कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले कर्मचारियों की संख्या में काफी अन्तर होने पर कुछ सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की तथा यह सुझाव दिया कि शेक कम संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए किन्तु इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि नामित कर्मचारी कक्षाओं में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें।

श्री के.के. श्रीवास्तव ने अनुरोध किया कि "कार्य-साधक और "नामित शब्दों को स्पष्ट किया जाए। राजभाषा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए कि अनुवाद के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के इस्तेमाल में संशोधन किये जाएं। हिन्दी की प्रगति अनुवाद के सहारे नहीं होनी चाहिए बल्कि मूल रूप से सरकारी कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल करने से हिन्दी का प्रयोग जरूर बढ़ सकता है।

विभाग द्वारा हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में बताई गई स्थिति पर सदस्यों ने असन्तोष जाहिर किया तथा इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि हिन्दी की पत्रिका अवश्य प्रकाशित की जाए। इस कार्य को पूरा करने में आने वाली हिन्दी स्टाफ सम्बन्धी कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तथा यह बताया गया कि अधिक कार्य का दबाव होने की वजह से वर्तमान स्टाफ से पत्रिका प्रकाशित करने का काम पूरा करा पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। सदस्यों को यह भी बताया गया कि विभाग के अधीनस्थ कई कार्यालयों द्वारा पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, जिनकी प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

श्री बालकवि बैरागी ने हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अखबारों में अंग्रेजी का विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के व हिन्दी अखबारों में हिन्दी में ही विज्ञापन दिए जाएं।

फार्मों के अनुवाद के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को वस्तु-स्थिति से अवगत कराया गया तथा समिति को यह आश्वासन दिया गया कि जो 4 फार्म अनुवाद के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजे गए हैं, उनके अनुवाद का कार्य एक माह के अन्दर पूरा करा दिया जायेगा।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया गया कि "क" और "ख" क्षेत्रों के साथ पत्राचार हिन्दी में किया जाये। इसके साथ ही तार भी हिन्दी में दिये जायें। इसी संदर्भ में सुझाव दिया गया कि वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए एक या दो और अनुभागों को केवल हिन्दी में काम करने के लिए चुन लिया जाये।

भारतीय रिजर्व बैंक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

31 मार्च 1989 को समाप्त तिमाही के संबंध में 25 बैंकों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर से रिपोर्टें नहीं मिलीं। पिछली समीक्षाओं में धारा 3(3) के अनुपालन पर हमने विशेष जोर दिया था और ऐसे बैंक जो उक्त धारा का पूर्ण अनुपालन नहीं कर रहे थे उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे हिन्दी किसी भी स्थिति में द्विभाषिकता का उलंघन नहीं करेंगे। फिर भी, यूको बैंक, विजया बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा कार्पोरेशन बैंक ने धारा 3(3) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया। आशा है, अगली तिमाही में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इस दिशा में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का प्रयास सराहनीय है क्योंकि उन्होंने इस तिमाही में विभाषिकता का पूर्णतः पालन किया है और उम्मीद है कि भविष्य में भी उनकी यही स्थिति रहेगी।

धारा 3(3) के पूर्ण अनुपालन बारे में बैंकों से काफी समय पहले से अनुरोध किया जाता रहा है। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग की विगत बैठकों में राज भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इस बात पर काफी बल देते रहे हैं। किन्तु खेद है कि कुछ बैंक अभी भी धारा 3(3) का उल्लंघन कर रहे ऐसे बैंकों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र वे इस स्थिति में सुधार लायें।

हिन्दी पत्राचार :

प्रायः सभी बैंकों में हिन्दी पत्राचार की स्थिति का संतोषजनक है। केवल विजया बैंक ने हिन्दी में प्राप्त 17 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया है। बैंक यह जानते ही हैं कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना है। हिन्दी पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन है। विजया बैंक कृपया यह सुनिश्चित करें कि अगली तिमाही में ऐसी स्थिति न आने पाए।

क्षेत्र "क"

"क" क्षेत्र में हिन्दी पत्राचार की स्थिति कुछ बैंकों में काफी अच्छी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 90 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लिया है पिछली तिमाही में भी ये बैंक निर्धारित लक्ष्य से आगे थे। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में यह एक ठोस कदम है और प्रसन्नता की बात है कि इन बैंकों ने अपना स्तर बनाए रखा। इस क्षेत्र में कुछ और बैंक निर्धारित लक्ष्य के निकट हैं जैसे यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इन्डिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स और इंडियन ओवरसीज बैंक। यदि थोड़ा प्रयास करें तो ये बैंक निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शेष बैंकों का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से कम है, खासकर कार्पोरेशन बैंक, विजया बैंक तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक को इस दिशा में विशेष प्रयास करने की जरूरत है।

क्षेत्र "ख"

इसमें यूनियन बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया है।

इंडियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। थोड़े प्रयास से वे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। शेष बैंक लक्ष्य से पीछे हैं विशेषकर विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक त्रावणकोर सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक तथा यूको बैंक को लक्ष्य प्राप्ति में ध्यान देना होगा।

क्षेत्र "ग"

इस क्षेत्र के अधिकांश बैंकों का हिन्दी पत्राचार लक्ष्य से आगे है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इँडिया, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कार्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। विजया बैंक तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक इस क्षेत्र में भी काफी पीछे हैं। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इँडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक ने तीनों क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं। विजया बैंक तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक तीनों ही क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं जबकि कारपोरेशन बैंक "क" एवं "ख" में बहुत पीछे रह गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू बैंक आंफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज़ बैंक तथा स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर ने "ख" और "ग" दोनों क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इनके अलावा कुछ और बैंक लक्ष्य के निकट हैं।

31 मार्च 1989 को समाप्त तिमाही में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत इस प्रकार है :—

बैंक का नाम	क्षेत्र "क"	क्षेत्र "ख"	क्षेत्र "ग"
1. आंध्रा बैंक	57.94	37.25	15.47
2. इंडियन ओवरसीज़ बैंक	80.00	70.00	18.00
3. इंडियन बैंक	75.00	45.80	25.75
4. इलाहावाद बैंक	91.10	69.86	35.98
5. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	85.00	55.60	10.00
6. कारपोरेशन बैंक	24.00	20.60	15.87
7. केनरा बैंक	92.15	75.94	47.13
8. देना बैंक	75.00	41.00	9.40
9. न्यू बैंक ऑफ इंडिया	80.30	60.70	10.30
10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	42.93	24.90	3.69
11. पंजाब नेशनल बैंक	90.51	66.21	22.15
12. बैंक ऑफ इंडिया	85.40	57.10	20.3
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	79.00	55.00	18.00
14. भारतीय स्टेट बैंक	77.00	52.00	17.00
15. यूको बैंक	62.50	38.19	14.92
16. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	87.00	68.59	26.00
17. विजया बैंक	32.10	14.90	2.10
18. सिंडिकेट बैंक	71.85	34.4	32.63
19. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	92.80	60.88	38.88
20. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	60.00	45.00	29.00
21. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड बीकानेर जयपुर	85.00	55.00	10.00
22. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	81.00	29.00	12.00
23. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	45.00	40.00	—
24. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	82.11	55.30	9.81
25. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	61.00	44.00	36.00

तार

हिन्दी में तारों का क्षेत्रवार प्रतिशत इस प्रकार है:,

बैंक का नाम	क्षेत्र "क"	क्षेत्र "ख"	क्षेत्र "ग"
1. आंध्रा बैंक	29.19	2.29	—
2. इंडियन ओवरसीज़ बैंक	20.2	11.00	—
3. इंडियन बैंक	32.00	36.70	14.40
4. इलाहावाद बैंक	50.30	30.00	2.10
5. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	35.00	18.00	9.00
6. कारपोरेशन बैंक	9.00	—	—
7. केनरा बैंक	55.25	37.18	19.85
8. देना बैंक	36.00	4.00	—
9. न्यू बैंक ऑफ इंडिया	44.9	36.8	—
10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	28.97	21.63	—
11. पंजाब नैशनल बैंक	69.43	39.81	9.11
12. बैंक ऑफ इंडिया	40.40	10.50	—

इसी प्रकार क्षेत्र "ख" में भी पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहावाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के हिन्दी तारों का प्रतिशत लक्ष्य से अधिक है। कुछ बैंकों ने क्षेत्र "ग" में भी हिन्दी में तार प्रेषित किए हैं जबकि इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक तथा इंडियन बैंक के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

अधिकांश बैंकों में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी काफी संख्या में प्रारूप हिन्दी में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, लगभग सभी बैंकों ने हिन्दी में मूल काम के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं ।

बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा न्यू बैंक ऑफ इंडिया में क्रमशः 5, 33 तथा 3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें इस तिमाही में नहीं हुई। संबंधित बैंक कृपया भविष्य में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित हों ।

केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है जिन्हें हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।

अधिकांश बैंकों में देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या रोमन की तुलना में अभी भी कम है। बैंकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित संख्या में देवनागरी टाइपराइटर खरीदें ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके और साथ ही प्रशिक्षित हिन्दी टंककों का समुचित उपयोग भी किया जा सके। इसके अलावा, हिन्दी के कार्य में इससे गति भी आएगी।

इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में द्विभाषिक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों की संख्या पर्याप्त है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक में शत प्रतिशत द्विभाषिक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है। बैंकों में टेलीप्रिंटर, टेलेक्स मशीनों की द्विभाषिक स्थिति अच्छी नहीं है, अधिकांशतः रोमन में हैं । यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पतालेखी मशीन शत प्रतिशत द्विभाषिक हैं। यह एक अच्छी उपलब्धि है। साथ ही, बैंक ऑफ इंडिया तथा सिंडिकेट बैंक में भी पतालेखी मशीनों की द्विभाषिक स्थिति काफी बेहतर है। वर्ड प्रोसेसर और कम्प्यूटर की द्विभाषिक संख्या अभी भी बहुत कम है। केवल केनरा बैंक में शत प्रतिशत कम्प्यूटर द्विभाषिक हैं।

अधिकांश बैंक द्विभाषिक पत्रिकाओं के साथ-साथ केवल हिन्दी में भी पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इससे काफी सहायता मिलेगी। प्रगति रिपोर्ट देखने से लगता है कि बैंकों में अभी भी हिन्दी से संबंधित पर्याप्त पद रिक्त हैं। उन्हें भरने की कोशिश की जाये ताकि राजभाषा नीतियों का कोर्यान्वयन एवं उनका पूर्ण अनुपालन सुगमता से हो सके।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. वारंगल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वारंगल की प्रथम बैठक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के उपमहाप्रबंधक श्री एस. प्रसाद यादव की अध्यक्षता में दि. 19-7-89 को आयोजित हुई। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक (का.) श्री रामचंद्र मिश्र ने भाग लिया। बैठक का संचालन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के राजभाषा अधिकारी श्री वी. सी. सोनी ने किया। नगर की प्रथम बैठक होने के कारण उप निदेशक (दक्षिण) ने सरकार की राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सर्वप्रथम श्री प्रसाद राव ने सभी का स्वागत किया। विचार-विमर्श के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी श्री आर. पी. अग्रवाल, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के मंडल प्रबंधक श्री वी. ए. खान, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, आजमजाही मिल के श्रम कल्याण अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे के प्रतिनिधि अधिकारी, आंध्र बैंक के हिंदी अधिकारी आदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक में विभिन्न कार्यालयों द्वारा जो रिपोर्टें प्रस्तुत की गई, उनकी समीक्षा भी की गई और रेलवे कार्यालय, काजीपेट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कार्यालय की प्रशंसा भी की गई। बैठक के अवसर पर आंध्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आजमजाही मिल, भारतीय खाद्य निगम, यूनियन बैंक, दक्षिण मध्य रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम, आयकर कार्यालय, अधीक्षक (तार), डाक घर अधीक्षक, कार्पोरेशन बैंक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उप निदेशक (का.) द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे, सेंट्रल बैंक शाखा कार्यालय, आजमजाही मिल, आंध्र बैंक अंचल और क्षेत्रीय कार्यालय व स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के अंचल कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया।

2. कलकत्ता

कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12 वीं बैठक दि. 10-5-89 को श्री वी. एम. भंडार कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव (राजभाषा) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कुल 152 सदस्य कार्यालयों ने भाग लिया। श्री जी. गोपकुमार, उप महानिदेशक/कार्मिक आ. नि. बोर्ड एवं उपाध्यक्ष

समन्वय (कलटॉलिक) ने महासभा को संबोधित किया तथा राजभाषा संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन में इस समिति की गतिविधियों का उल्लेख किया।

श्री डी. पी. ढौंडियाल, महानिदेशक, भा. भूवै. सर्वे. एवं उपाध्यक्ष, न रा का स क्षेत्र 4 के प्रतिनिधि श्री एस. के. बनर्जी, उप महानिदेशक ने कलटॉलिक के सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत संवीक्षा महासभा के समक्ष प्रस्तुत की जिसके आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने वाले 15 कार्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

न रा का स की ओर से हिन्दी टंकण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जो दो ग्रुपों में विभक्त होती हैं। प्रत्येक ग्रूप में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए गत वर्ष की भाँति इस वर्ष में हिन्दी एकांकी मंचन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले "राष्ट्रीय पुस्तकालय" कार्यालय कलकत्ता को चल वैजयंती प्रदान की गई। महासभा के अन्त में उक्त कार्यालय द्वारा एकांकी नाटक "सौदा" किया गया जिसका अवलोकन श्री शंभु दयाल ने भी किया। कलकत्ता दूरदर्शन ने भी उक्त कार्यक्रम की आवृत्ति दूरदर्शन पर की।

अन्त में श्री एस. पी. भट्टाचार्य, निदेशक, मुख्य महाडाकपाल एवं उपाध्यक्ष (नराकास) (क्षेत्र-3) को धन्यवाद ज्ञापन के साथ, कार्यक्रम का समापन हुआ।

31 दिसम्बर, 1989 को समाप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट संबंधी विश्लेषण

प्रस्तुत करते हुए श्री दीप्तप्रकाश ढौंडियाल, ने कहा कि इस बार प्रायः सभी क्षेत्रों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी। तुलना की दृष्टि से क्षेत्र-5 में सर्वाधिक संख्या रही जबकि क्रमशः क्षेत्र-1, 4 और 3 में भी अपेक्षाकृत स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। परन्तु इसके विपरीत हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि जानने वाले टंककों और आशुलिपिकों की स्थिति क्षेत्र-5 के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में पहले की भाँति अब भी गंभीर और शोचनीय ही बनी हुई हैं। इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है।

राजभाषा विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रूप में जारी किए जाएं। इसका शतप्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है। यद्यपि इस वर्ष इस दृष्टि से गत वर्षों की तुलना में 21 कार्यालयों ने शतप्रतिशत अनुपालन किया जो विशेष उल्लेखनीय है।

राजभाषा नियम के अनुसार हिन्दी पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि प्रायः सभी क्षेत्रों के अधिकांश कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्र के उत्तर हिन्दी में ही देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। क्षेत्रवार स्थिति के अनुसार क्षेत्र-5 और 3 में सर्वाधिक पत्राचार क्रमशः 88% व 86% हुआ जबकि शेष तीन क्षेत्रों में इसका 50% से अधिक पालन किया गया कुछ कार्यालयों/उपक्रमों में इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में कुल टाइपराइटरों के अनुपात में 10 हिन्दी टाइपराइटर होने चाहिए इस दृष्टि से किसी कार्यालय में भी लक्ष्यानुसार हिन्दी टाइपराइटर नहीं है।"

3. पारादीप

दि. 20 मई, 1989 को भारतीय स्टेट बैंक, पारादीप में श्री प्रसन्न कुमार मिश्र अध्यक्ष पारादीप पत्तन न्यास की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक हुई।

समिति के सदस्य सचिव एवं सचिव पारादीप पत्तन न्यास श्री एस. के. पटनायक ने माननीय अध्यक्ष राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्री पटनायक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक की भारतीय स्टेट बैंक में आयोजित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रबन्धक श्री अभिमन्यु दास ने इस बैठक को आयोजित करने के लिए विशेष रूचि ली वह अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने अन्य सदस्यों से भी अनुरोध किया कि इसी तरह अन्य कार्यालयों में भी बैठकों का आयोजन करें ताकि सभी कार्यालय में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा हो। श्री पटनायक ने समिति को बताया कि पारादीप में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के पश्चात् हिन्दी प्रशिक्षण में गति आई है। इस संबंध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत पारादीप पत्तन न्यास द्वारा आयोजित हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं में न केवल पत्तन न्यास के कर्मचारी ही भाग ले रहे हैं बल्कि पारादीप में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के संस्थाओं और बैंकों आदि के कर्मचारी भी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं और हिन्दी की परीक्षाओं में बड़े उत्साह के साथ बैठ रहे हैं। श्री पटनायक ने इस बात पर बल दिया कि सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3(3) का पूर्ण रुप से पालन किया जाना चाहिए। विशेषकर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजभाषा विभाग की प्रतिनिधि श्रीमती फुलकुमारी राय ने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में पारादीप पत्तन न्यास द्वारा उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं। सभी कार्यालयों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए।

श्री प्रसन्न कुमार मिश्र, अध्यक्ष पारादीप पत्तन न्यास ने कहा कि वे अपना 5 से 10 प्रतिशत तक काम हिन्दी में करेंगे। अध्यक्ष महोदय की इस घोषणा का स्वागत किया गया।

(क) कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण :

अनुसंधान अधिकारी ने सभी सदस्यों को सुझाव दिया कि वे अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजें ताकि निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण का कार्य-पूरा हो सके। सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में राजभाषा विभाग से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उप समिति का गठन

श्री बी. राजू हिन्दी अधिकारी, पारादीप पत्तन न्यास ने सुझाव दिया कि यदि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक उप समिति का गठन किया जाए तो राजभाषा कार्यान्वियन में काफी प्रगति की जा सकती है। डॉ. एच. बी. प्रधान सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क विभाग को इस उप समिति का संयोजन भार सौंपा गया। सदस्यों के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धक श्री अभिमन्यु दास और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. के श्री एन. पुजाहरी को नामित किया गया।

4. गांधी धाम

गांधीधाम और कंडला क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और तेल कंपनियों आदि में सरकारी काम-काज की भाषा के रुप में हिन्दी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कप्तान एस. के. सोमयाजुलु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसे नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, गांधीधाम कहा जाता है। इस समिति की तीसरी बैठक दिनांक 30 जून, 1989 को कंडला पोर्ट ट्रस्ट के गांधीधाम स्थिति प्रशासनिक कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में गांधीधाम और कंडला क्षेत्र में स्थित प्रमुख 13 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पोर्ट ट्रस्ट के सचिव तथा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी श्री ए. एस. कोकर ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी को राजभाषा के रुप में प्रतिष्ठित कराने हेतू पूरे मनोयोग से कार्य करें। तत्पश्चात् समिति के सदस्य सचिव एवं कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हिन्दी अधिकारी श्री आर. एन. मिश्र ने समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर विभिन्न कार्यालयों में हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। समिति में लिए गए निर्णयानुसार भविष्य में प्रतिवर्ष गांधीधाम-कंडला स्थित सभी कार्यालयों के लिए हिन्दी टिप्पण-आलेखन एवं हिन्दी निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, गांधीधाम की ओर से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

5. अमरावती

अमरावती नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की छमाही बैठक 20 अप्रैल, 1989 की अध्यक्षता सहा. आयकर आयुक्त श्री एस. व्ही. राघवन ने की। बैठक में राजभाषा विभाग पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, बम्बई से श्री हरिओम श्रीवास्तव उपनिदेशक (कार्यान्वियन) विशेष रुप से उपस्थित थे। इस बैठक में 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक श्री सु. सो. त्रिवेदी ने बताया कि उनके विभाग में हिन्दी में काम हुआ है और हो रहा है और प्रतिदिन करीब 150 से 200 चेक हिन्दी में जारी किए जाते हैं। इसका चेक प्वाइंट उनके कार्यालय में बनाया गया है अर्थात् सभी वाउचर हिन्दी में बनते हैं। वेतन के चेक हिन्दी में बनाए जाते हैं। सेल्स रोक्सन का सभी काम हिन्दी में होता है। पॉलिसियाँ फिलहाल 10 से 15 प्रतिशत हिन्दी में लिखी जा रही हैं। इसका कारण यह है कि काम की मात्रा अधिक है और कर्मचारियों की संख्या कम। फिर भी इसका प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। श्री तिवारी ने बताया कि हमारी हिन्दी प्रगति आगे शायद कम हो जाएगी कारण माइक्रो सिस्टीम के द्वारा जब काम चालू होगा तो हमें लाचार होकर अंग्रेजी में काम करना पड़ेगा और हिन्दी पिछड़ जाएगी। इस बारे में राजभाषा विभाग को सोचना होगा। क्लेम विभाग में अभी 100 प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसा महसूस होता है कि कुछ क्षेत्रों में द्विभाषिक रुप में काम करने की अब जरुरत नहीं है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि एवं अग्रणी बैंक अधिकारी श्री गिरसावले ने बताया कि कठिनाइयों के बावजूद हमें हिन्दी में काम करना है क्योंकि

बैंकों का सीधा संपर्क समाज के काम आम नागरिकों से होता है। ये लोग सामान्यत: अंग्रेजी कम जानते हैं या नहीं जानते । उन्होंने बताया कि उनके बैंकों में 80 प्रतिशत तक काम हिन्दी में होता है। उन्हें विशेष रुप से उल्लेख किया कि जिला परामर्शदात्री समिति की जो जिलाधीश की अध्यक्षता में कार्य करती है, बैठकों के कार्यवृत्त हिन्दी में बनाए जाते हैं। और वर्ष 1989-90 की जिले की "वार्षिक, ऋण योजना" की पुस्तक द्विभाषिक रुप में छपवाई जा रही है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अमरावती क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एस. आर. कुलकर्णी ने जानकारी दी कि उनके क्षेत्र से 61 प्रतिशत से अधिक पत्राचार हिन्दी में हो रहा है। क्षेत्र के अधीन बैंक की कुल 34 शाखाएं हैं जो राजभाषा नियम 10(4) में अधिसूचित है । इनमें से 6 शाखाएं अपना पूरा काम हिन्दी में कर रही हैं। हिन्दी टाइपराइटरों का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

प्रतिनिधियों की चर्चा के बाद श्री हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने उल्लेख किया कि आज युनाइटेड इंडिया इन्श्यों. कं. का मंडल कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की राजापेठ शाखा का निरीक्षण. किया गया। वहां देखा गया कि हिन्दी में काम करने की रुचि लोगों में है किन्तु कहं)-कहीं साधनों की कमी के कारण अंग्रेजी में काम किया जा रहा है।

बैठक में यह सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि भर्ती/पदोन्नती परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य पेपर होता है। उसके विकल्प के रुप में हिन्दी का पेपर होना चाहिए जिस से राजभाषा की प्रगति के साथ साथ उस व्यक्ति की प्रगति भी निश्चित रुप से होगी। सभी सदस्यों से इस सुझाव की प्रशंसा की और राजभाषा विभाग को इस दिशा में प्रयत्न करने का अग्रह किया।

6. इंदौर

समिति की 10वीं बैठक हुई। दिनांक 11 मई, 1989 को अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क, इन्दौर ने अध्यक्षता की। बैठक में राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भोपाल के प्रभारी श्री डी. कृष्ण पाणिक्कर भी उपस्थित थे।

पुरस्कार वितरण

दिनांक 11-5-89 की इस दसवीं बैठक में हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए नगर समिति द्वारा 5 कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष 1988 के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक काम करने के लिए प्रथम पुरस्कार सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय इदौर को प्राप्त हुआ। अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने महाविद्यालय के प्राचार्य श्री डॉ. डी.पी. गर्ग को चल वैजयन्ती (रनिंग शील्ड) तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। तत्पश्चात् उल्लेखनीय कार्य के लिए चार प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रतीक चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र निम्नलिखित कार्यालयों को प्रदान किए गए।

1. आकाशवाणी इन्दौर	श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता
2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	–डॉ. (श्रीमती) चंद्रा सायता, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
3. प्रवर अधीक्षक डाकघर	–श्री पंजाबराव गेडाम, प्रवर अधीक्षक डाकघर
4. पत्र सूचना कार्यालय इंदौर	–श्री राजीव कुमार

तत्पश्चात् श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सबसे पहले उन अधिकारियों को, मैं हार्दिक बधाई देना चाहूगा, जिनके कार्यालयों को राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए आज पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जिन कार्यालयों को पुरस्कार नहीं मिले हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वे इस वर्ष ऐसे प्रयास करें कि अगले वर्ष उन्हें पुरस्कार हासिल हो सकें।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री पाणिक्कर ने कहा कि हिन्दी में पले-पोसे, हिन्दी जानने वालों के समक्ष, मैं हिन्दी में काम करने का संदेशा लेकर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां लगभग 75% काम हिंदी में हो रहा है।

श्री पाणिक्कर ने कहा कि हिन्दी दिवस/सप्ताह/कार्यशाला समिति के तत्वाधान में बड़े स्तर पर मनाया जाए। इसके लिए सभी सदस्य कार्यालय सहयोग राशि समिति के पास दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्यशाला के आयोजन में वित्तीय सहयोग दें समिति एवम् सदस्य कार्यालयों के संयुक्त प्रयास से संयुक्त कार्यशाला, हिन्दी सप्ताह का आयोजन या पत्रिका का प्रकाशन किया जा सकता है।

7. जबलपुर बैंक

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक दिनाँक 7-6-89 को सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री आई.पी. हिंगोरानी की अध्यक्षता एवं भारत सरकार, गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्र के प्रभारी श्री डी. कृष्ण पाणिक्कर की उपस्थिति में हुई। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री एस.जेड. आबदीन, दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र के मण्डल अभियंता श्री जे.एन. टण्डन सहित नगर के प्रशासनिक बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों एव कार्यालयों प्रमुखों ने भाग लिया।

चित्र समाचार

मार्गदर्शन करते हुए संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभुदयाल (दाएं से प्रथम)। साथ में श्री दिलीप कमार घोष, महाप्रबन्धक

—योजना (बीच में)

संबोधित करते हुए गृह मंत्रालय के निदेशक (अनु.) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त। साथ में हैं (बाएं से) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री मदन लाल भारद्वाज, नराकास के अध्यक्ष एवं आयकर आयुक्त श्री एन. सी. गुप्त

हैदराबाद : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "हिन्दी माध्यम से ग्राहक सेवा शिविर" में श्री रामचन्द्र मिश्र, उपनिदेशक (का), श्री आर. पी. अग्रवाल तथा अन्य

राजघाट साइट, नई दिल्ली में हस्ताक्षर प्रतियोगिता समारोह में भाषण देते हुए उप महाप्रबन्धक श्री बृजमोहन वर्मा

प्रतिभूति मुद्रणालय नाशिक रोड में प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए डॉ. बापू देसाई तथा साथ में उप प्रबन्धक श्री जे. डी. कलकर्णी (बीच में)

आकाशवाणी केन्द्र बम्बई में राजभाषा पुरस्कार वितरित करते हुए अधीक्षक अभियंता श्री श. ग. रानाडे

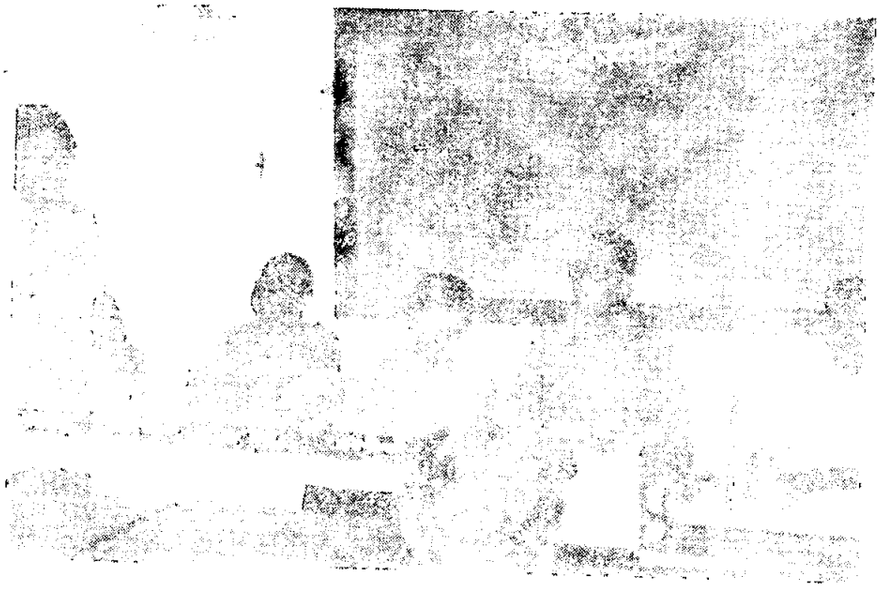

इंडियन एयरलाइन्स के हैदराबाद कार्यालय में आयोजित कार्यशाला की एक झलक

जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में हिन्दी कार्यशाला की एक झलक।

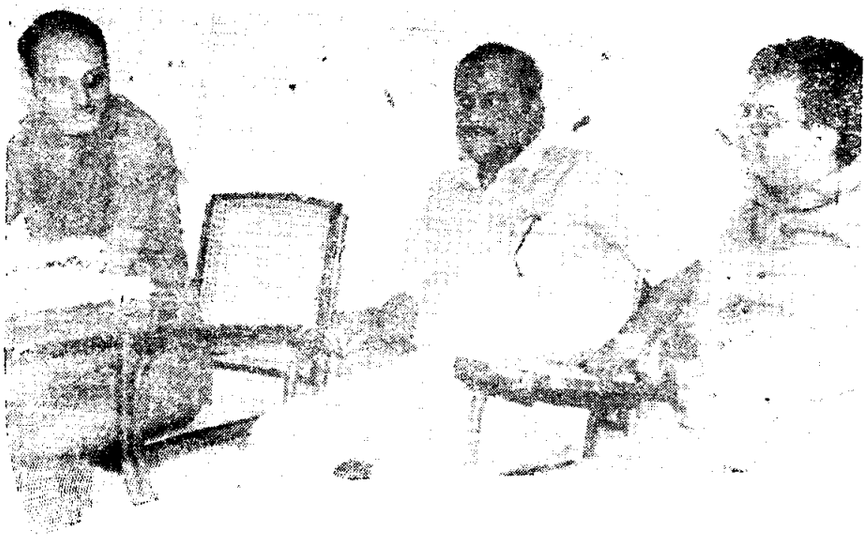

इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में हिन्दी कार्यशाला में समापन भाषण देते हुए श्री निरंजन राव, मुख्य प्रबन्धक, बांई ओर श्री आर. शिव गुरुनाथन उ. मु. अधि. तथा संकाय प्रभारी डॉ. अमर नाथ

भुवनेश्वर के. स. हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित "राजभाषा प्रदर्शनी" की एक झलक

मंच पर बांएं से उप महासर्वेक्षक, श्री प्रफुल्ल रंजन दत्ता, भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा, उप निदेशक ले. कर्नल कृष्ण गोपाल बहल और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए श्री लक्ष्मण सिंह गोसाईं (माइक पर)

उड़ीसा स्थित नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि., (नालको) द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर हिन्दी में अंकन/चित्रण

सर्वप्रथम समिति के उपाध्यक्ष श्री जयकृष्ण टण्डन ने अतिथियों का स्वागत किया और जबलपुर नगर में हो रहे हिन्दी प्रयोग की विस्तृत जानकारी एवं प्रगति से समिति को अवगत करवाया।

समिति के अध्यक्ष श्री आई.पी. हिंगोरानी ने कहा कि हिन्दी प्रयोग करने में मात्र हिचक ही अवरोधक है। अतः कर्मचारियों को हिचक दूर करने और मानसिकता निर्माण के लिये सघन एवं प्रभावी कार्यवाही जारी रहनी चाहिये। इसके लिये सभी बैंक मिलजुलकर कार्यक्रमों का आयोजन करें। अधिकारियों को प्रेरित करने के लिये हस्ताक्षर प्रतियोगिता आदि के आयोजन पर बल दिया। वर्ष, 1988 की अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जबलपुर शाखा के कर्मचारी श्री हरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा कि सभी बैंक कर्मचारियों को श्री श्रीवास्तव से प्रेरणा लेकर सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्री हिंगोरानी ने सभी बैंकों से अपेक्षा की कि वे चैक, ड्राफ्ट एवं प्रविष्टियों आदि की हिन्दी में लिखना सुनिश्चित करें। जिससे कि बैंक के आंतरिक कार्यों में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री एस.जेड. आबदीन ने सेन्ट्रल बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें हिन्दी प्रयोग करने में गर्व का अनुभव करना चाहिये। हिन्दी के शतप्रतिशत प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं है। मात्र हमें हिन्दी प्रयोग का संकल्प लेना है। हिन्दी कार्यान्वयन निरीक्षणों पर और जोर देना चाहिये। यह निरीक्षण प्रेरणादायक होते हैं।

श्री पणिक्कर ने कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत समीक्षा विवरण आईने के समान स्पष्ट है, इससे एक ही नजर में यह मालूम पड़ गया कि इस समिति ने कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनेक आयाम स्थापित किए हैं, जो सराहना का विषय है। इस कार्य में निरन्तर प्रगति की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि यह किसी एक बैंक को समिति नहीं बल्कि यह भारत सरकार की समिति है। अतः इसको बैठक में बैंक के प्रधान अधिकारी को अपने राजभाषा अधिकारी के साथ भाग लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन चाहता है कि कम से कम "क" क्षेत्र में तो हिन्दी को शत प्रतिशत प्रयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों को अपनी तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) भोपाल को भेजना चाहिए। श्री पणिक्कर ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजभाषा धिकारियों को समुचित साधन प्रदान किया जाए, जिससे स कार्य को पूरी शक्ति से आगे बढ़ा सकें।

हिन्दी प्रगति रिपोर्ट समीक्षा

भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री पणिक्कर ने प्रगति रिपोर्ट को विषयवार समीक्षा करते हुए कहा कि—

(1) कुछ बैंकों के द्वारा हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये जाने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि सभी बैंकों को राजभाषा नियम 5 का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक हिन्दी पत्र का उत्तर हिन्दी में ही देना चाहिये। बैंकों को चाहिये कि वे कम से कम 'क' क्षेत्र में तो अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दें जिससे सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(2) तार भी पत्राचार की श्रेणी में आते हैं, इस कारण बैंकों को तार भी हिन्दी में ही देने चाहिए। इसके लिये सुझाव दिया गया कि दैनिक प्रयोग में आने वाले तारों के मानक प्रारूप तैयार करके उनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

(3) सभी बैंक अनिवार्य रूप से हिन्दी या द्विभाषिक स्टेशनरी एवं मानक प्रारूप का प्रयोग करके पत्राचार बढ़ाये। केवल अंग्रेजी के मानक प्रारुप का प्रयोग न किया जाये।

(4) स्थायी स्वरूप के कार्यालय आदेश ही सामान्य आदेश माने जाते हैं और यह समूह के लिए जारी किये जाते हैं। अतः इन्हें द्विभाषिक होना चाहिये। अन्य कार्यालय आदेश जो दैनिक कार्य को चलाने के लिये दिये जाते हैं, उन्हें हिन्दी में जारी किया जाना चाहिए।

(5) सेन्ट्रल बैंक, बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बधाई दी तथा अन्य बैंकों से अपेक्षा की कि वे आगामी बैठक तक न केवल सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करने हेतु प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार तार के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया। सरकार के निर्णय के अनुसार सभी हिन्दी टाइपराइटर एवं टाइपिस्टों का अनुपात 31-3-89 तक 50 प्रतिशत होना था। पर कुछ बैंक ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। अतः उन्होंने आशा व्यक्त की कि जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त न हो, न तो नये अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदे जायें और न ही अंग्रेजी टाइपिस्टों की भर्ती की जानी चाहिये। इसी प्रकार दिनांक 31-3-89 तक हिन्दी आशुलिपिकों का अनुपात भी 50 प्रतिशत हो जाना चाहिये। इसके लिये हिन्दी शिक्षण योजना का लाभ उठाया जाये

और अंग्रेजी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाया जाये। अंग्रेजी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है।

(6) राजभाषा अधिकारियों के अलावा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने व्यावसायिक निरीक्षण के समय हिन्दी प्रयोग की स्थिति का भी निरीक्षण करना चाहिये और उसको विधिवत् रिपोर्ट संबंधितों को दी जाये, जिससे उन पर अनुवर्ती कार्यवाही हो सके और इस कार्य में गति आये।

(7) बैंकों को चाहिये कि वे अपनी तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्र को भेजें। उन्होंने बताया कि इन रिपोर्टों के आधार पर ही क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

(8) बैंकों को अधिकाधिक हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करके कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर देना चाहिए। जिन कर्मचारियों को प्रबोध-प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा में प्रशिक्षित किया जाना है, उनके लिये हिन्दी शिक्षण योजना का लाभ लिया जाए।

(9) कार्यशाला आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करना चाहिये तथा इस बात पर निगरानी रखी जाये कि जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है, वे हिन्दी में कार्य करें।

(10) जिन कार्यालयों/शाखाओं के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है उन्हें अधिसूचित किया जाये और नियम 8(4) के अन्तर्गत विभागों/शाखाओं को विनिर्दिष्ट किया जाये।

(11) सभी बैंक सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ बैंकों के लिए दिये गये विशेष कार्यक्रम का भी शतप्रतिशत कार्यान्वयन करें। विशेष कार्यक्रम में 1 से 15 मदों में सभी कार्य हिन्दी में किये जाने चाहिये।

यहीं श्री पणिक्कर ने इस बात को पुनः दोहराया कि हमें कामकाजो हिन्दी को अपनाना चाहिये। हिन्दी को सरल बनाने के लिये उन शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया जाये, जो जनसाधारण ने स्वीकार कर लिया है।

(12) सभी बैंकों को चाहिए कि अपने सचिवालय को भरपूर सहयोग दें। सबसे बड़ा सहयोग यह होगा कि बैंक सचिवालय को मांग पर तुरन्त अपनी हिन्दी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया करें, जिससे सचिवालय को समेकित विवरण तैयार करने में कोई कठिनाई न हो।

जबलपुर नगर में कार्यरत बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन की समेकित स्थिति

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र	95142
जिसका उत्तर हिन्दी में दिया गया	67440
जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	345
जिनका उत्तर अपेक्षित नहीं था	27357

कार्यालयों द्वारा भेजे गये पत्रों का ब्यौरा

(क) कार्यालयों द्वारा भेजे गये कुल पत्र	199941
(ख) कार्यालयों द्वारा हिन्दी में भेजे गये पत्र	170875
(ग) कार्यालय द्वारा अंग्रेजी में भेजे गये पत्र	29066
(घ) इस तिमाही का प्रतिशत	85.46
(ङ) पिछली तिमाही का प्रतिशत	82.70
(च) प्रगति/प्रतिशत	02.76

कार्यालयों द्वारा भेजे गये तारों का ब्यौरा

(क) कार्यालयों द्वारा भेजे गये कुल तार	9832
(ख) कार्यालयों द्वारा भेजे गये हिन्दी तार	5562
(ग) कार्यालयों द्वारा भेजे गये अंग्रेजी तार	4270
(घ) इस तिमाही का प्रतिशत	56.57
(ङ) पिछली तिमाही का प्रतिशत	45.52
(च) प्रगति/प्रतिशत	11.05

नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की द्वितीय बैठक, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर में दिनांक 9 मई, 1989 को हुई। बैठक का संचालन श्री सूर्यप्रकाश शर्मा, उप मुख्य अधिकारी, मध्य प्रदेश अंचल, भोपाल ने किया।

श्री सूर्यप्रकाश शर्मा ने प्रारंभ में प्रस्तावना के साथ नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन की द्वितीय बैठक में श्री अ. स. गाडगे, कार्यकारी आंचलिक प्रबंधक, श्री डी. कृष्ण पणिक्कर, कार्यालयाध्यक्ष, भारत सरकार राजभाषा विभा गृह मंत्रालय, भोपाल एवं उपस्थित सभी सदस्य पदा कारियों का स्वागत किया।

श्री सुरेश शंकर जोशी, क्षेत्रीय प्रबंधक, इन्दौर क्षेत्र, (पदेन उपाध्यक्ष) ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों का द्वितीय बैठक में स्वागत किया और कहा कि इस बैठक में हमें कुछ ठोस कार्य करने में निर्णय लेने हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि जिन बैंकों में राजभाषा की अनिवार्यताओं को प्राप्त करने में कोई कठिनाई हों वे इस मंच में उनका उल्लेख करें जिससे हम परस्पर तालमेल से एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भोपाल के प्रतिनिधि श्री डी. कृष्णपणिक्कर के मार्गदर्शन में उन्हें दूर करने में सक्षम हो सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन राजभाषा कार्यान्वयन की अनिवार्यताओं एवं निर्णयों को अमल में लाने में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे।

सचिवीय रिपोर्ट :

सदस्य सचिव श्री तारादत्त जोशी ने उल्लेख किया कि बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार रही :

(1) नगर में शाखाएं/कार्यालय		107
—इनमें से अधिसूचित		067
—सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में		024

(2) स्टाफ	कुल	अधिकारी	कर्मचारी
(क) कार्यरत	2454	637	1817
(ख) हिन्दी ज्ञान प्राप्त	2404	616	1788
(ग) अप्रशिक्षित	50	21	29

(3) हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण :	टंकक	आशुलिपिक
(क) कार्यरत	191	23
(ख) प्रशिक्षित	64	08
(ग) अप्रशिक्षित	127	15

(4) सामान्य आदेश :

कुल	2289
हिन्दी/द्विभाषिक	1888
अंग्रेजी	401

(5) टंकण यंत्र :

देवनागरी	40
अंग्रेजी	135

(6) हिन्दी में प्राप्त पत्र/उनके उत्तर :

(क) कुल प्राप्त	55889
(ख) हिन्दी में उत्तर	39271
(ग) अंग्रेजी में उत्तर	1119

(7) मूल पत्राचार :

(क) कुल	170349
(ख) हिन्दी	115059
(ग) अंग्रेजी	55290
प्रतिशत	68 प्रतिशत

(8) तार :

कुल	9794
हिन्दी	1786
प्रतिशत	18 प्रतिशत

(9) आंतरिक कामकाज का प्रतिशत 50 प्रतिशत

तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक में बैंकों की आंतरिक प्रावधानों के साथ-साथ हिन्दी टंकण भत्ते की वर्तमान नीति के बारे में एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके फलस्वरूप यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस उप समिति में बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर एवं यूको बैंक के राजभाषा अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये। यह उप समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी जिस पर विचार-विमर्श होकर उसे कार्यवाही हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) भोपाल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा इस प्रस्ताव को सभी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

सदस्य सचिव ने प्रस्ताव किया कि नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तहत नगर के बैंकों में परस्पर कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें। प्रतियोगिताएं जैसे निबंध वाद-विवाद, टाईपिंग, अनुवाद, सुलेख एव बैंकिंग ज्ञान आदि। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात् यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फिलहाल निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बैंकिंग ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि निबंध प्रतियोगिता सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वादविवाद प्रतियोगिता पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंकिंग ज्ञान प्रतियोगिता बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाये। इस संबंध में पुरस्कार आदि के बारे में बाद में तय किया जायेगा।

हिन्दी दिवस संयुक्त रूप से—इन प्रतियोगिताओं में प्राप्त पुरस्कारकर्ताओं को पुरस्कार वितरण हेतु हिन्दी दिवस संयुक्त रूप से आयोजन किया जाये। इसे सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

संयुक्त हिन्दी कार्यशाला :

यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जिन बैंकों की इन्दौर में राजभाषा कार्यशाला आयोजित की जाती है वे उनमें अन्य सदस्य बैंकों के कर्मचारियों को आमंत्रित करें। जिसमें

उन सदस्य बैंकों के कर्मचारियों को यह सुविधा मुहैया हो जायेगी जिनके शहर में केवल एक अथवा दो शाखाएं हैं। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और श्री अवस्थी, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल ने घोषणा की कि दिनांक 11/05/1989 से उनके इन्दौर कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सदस्य बैंक अपने कर्मचारियों को इस कार्यशाला में नामित कर सकते हैं।

श्री कृष्णपणिक्कर सहायक निदेशक राजभाषा विभाग ने सर्वप्रथम सभी उपस्थित बैंकों के पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि हम भारत शासन की राजभाषा-नीति का सक्रियता से अनुपालन करें। उन्होंने उल्लेख किया कि इन्दौर स्थित सभी बैंकों को राजभाषा की संवैधानिक अपेक्षाएं अवश्य पूरी करनी चाहिये जिन बैंकों में अभी तक इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, वे प्रयत्न करें कि अगली बैठक तक संवैधानिक अपेक्षाएं अवश्य पूरी हों तथा इस समिति को भी इस संबंध में सभी सदस्य बैंकों की संवैधानिक अपेक्षाएं पूरी करने में सहयोग देना चाहिएं।

हिन्दी टंकण प्रशिक्षण की स्थिति के बारे में श्री कृष्णपणिक्कर ने उल्लेख किया कि जिन बैंकों के पास एक से अधिक टाइपराइटर हैं वे एक टाइपराइटर को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कर लें और उस पर क्रमिक रूप से अपने टाइपिस्टों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस संबंध में श्री एन. के. गांधी, पंजाब नेशनल बैंक ने सूचना दी कि वे इस प्रकार की व्यवस्था अपने क्षेत्रीय कार्यालय में संचालित कर रहे हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों हेतु नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की ओर से कार्यशाला चलाई जाए। संयुक्त रूप से कार्यशालाएं चलाई जाएं जिससे हिन्दी कार्यान्वयन में वृद्धि हो। चूंकि इन्दौर में प्रायः सभी बैंकों के कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है अतः संबंधित बैंक की शाखाओं को अपने उच्च कार्यालय की शाखा को राजभाषा नियम 10(4) के तहत अधिसूचित करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष श्री अ.स. गाडगे ने अपने संबोधन में श्री कृष्णपणिक्कर को आश्वासन दिया कि हम सब मिलकर उनके द्वारा दिये गए सुझावों, मार्ग-निर्देशों को सभी सदस्य बैंकों के परस्पर सहयोग से अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि इस बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने में सभी बैंक पूर्ण सहयोग देंगे और संयोजक बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक बात पुनः उन्होंने दोहराई कि सभी सदस्य बैंक की राजभाषा की सांविधिक अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। इसमें ढील नहीं देवें। मेरा विश्वास है कि इन्दौर नगर में अधिकांश कार्य हिन्दी में हो रहे हैं फिर भी हमारा ध्येय होना चाहिए कि सरकार के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा का कार्यान्वयन हो और जो कुछ भी कतिपय कमियां हों उन्हें दूर कर लेना चाहिये।

इसी विश्वास के साथ हम सब राजभाषा कार्यान्वयन में एकजुट होकर कार्य करें, परस्पर सहयोग देवें जिससे यह समिति राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सके।

8. कानपुर (बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय के सभाकक्ष में नगर के सभी बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक 28-4-89 को सम्पन्न हुई, बैठक में गृह मन्त्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव—श्री सम्भूदयाल, उपनिदेशक कार्यान्वयन (गाजियाबाद) श्री नाहर सिंह वर्मा के अतरिक्त नगर में स्थित समस्त बैंकों तथा उनके वरिष्ठ कार्यालयों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि बैंकों ने अल्प समय में ही अत्यधिक कार्य निष्पादित किया है जो अपने में कीर्तिमान है, बैठक में हिन्दी के कामकाज की समीक्षा की गई तथा भावी योजना पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित सामग्री सदस्यों को वितरित की गई विशेष आकर्षण "हिन्दी दिग्दर्शन" का एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी जन्मशती विशेषांक था.

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री आर. पी. सिंह उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक ने सदस्यों को बताया कि हमारी समस्त शाखाएं "क" क्षेत्र में स्थित होने के कारण हिन्दी के प्रसार-प्रचार में हमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनानी है, और उनका क्रियान्वयन करना है ताकि परिणाम परिलक्षित हो सके। उन्होंने बताया कि उनके अधीनस्थ 172 शाखाओं में से 55 शाखाएं हिन्दी के पूर्ण प्रयोग हेतु चयनित हैं जो अपना समस्त कार्य हिन्दी में ही करती हैं।

गृह मन्त्रालय, राजभाषा विभाग (क्रियान्वयन) से पधारे श्री नाहर सिंह वर्मा जी ने क्रियान्वयन के विभिन्न पहुलुओं पर प्रकाश डाला तथा पुरस्कार योजना के संबंध में जानकारी दी। स्थानीय प्रधान कार्यालय लखनऊ से पधारे श्री विष्णुकुमार भटनागर, प्रबन्धक राजभाषा ने बताया कि लखनऊ मण्डल में जितनी भी शाखाएं "सेवा क्षेत्र अभिगम" में आती हैं वे भविष्य में अपना समस्त कार्य हिन्दी में करेंगी। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सारा कार्य हिन्दी में करेंगी। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी अधिकारी (राजभाषा), श्री वी. आर. चावला ने किया।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री राजेश आनन्द बोहरा ने कहा कि उनके कार्यालय में 14 टाइपराइटर हैं जिसमें से 6 हिन्दी एवं 8 अंग्रेजी के हैं एवं कुल पत्राचार का 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है।

बैंक ऑफ़ इंण्डिया के उप मुख्य अधिकारी श्री उदय नारायण पाण्डेय ने कहा कि उनके नियंत्रक कार्यालय की 28 ग्रामीण शाखायें 100 प्रतिशत हिन्दी में कार्य के लिए चयनित हैं तथा 93 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है तथा 42 हिन्दी के टंकण हैं।

इलाहाबाद बैंक मण्डलीय कार्यालय के उप प्रबन्धक श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उनके नियंत्रक कार्यालय के अधीन 118 शाखाएं है जिसमें 77 शाखाओं में 95 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है तथा अर्द्धशहरी एवं शहरी शाखाओं में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। हिन्दी प्रसार के लिए प्रोत्साहन दिये जाने की भी व्यवस्था है।

इलाहाबाद बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री शर्मा ने कहा कि उनके बैंक में द्विभाषी अनुवादक की नियुक्ति का प्रावधान है तथा उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में कुल 9 टाइपिस्ट हैं जिसमें से 6 टाइपिस्ट हिन्दी के हैं तथा 3 अंग्रेजी के।

सैन्ट्रल बैंक के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने कहा कि उनके नियंत्रण कार्यालय के अन्तर्गत 40 शाखाएं हैं जिनमें से 15 शाखाओं का कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में किया जाता है। अधिक हिन्दी कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ शाखा को हिन्दी में कार्य करने का प्रोत्साहन भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। द्विभाषी टंकण को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए तिमाही प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने बैठक में सूचित किया कि उनके बैंक द्वारा हर दो माह में हिन्दी प्रसार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तथा उनके बैंक में कुल 14 टंककों में 2 हिन्दी के तथा 5 द्विभाषी।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धक (राजभाषा) श्री विष्णुकुमार भटनागर ने कहा कि उनके बैंक द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का शत प्रतिशत उत्तर हिन्दी में दिया जाता है एवं ऐसे आदेश किए गए हैं, जिनके तहत भविष्य में सभी टंकण यन्त्र हिन्दी के क्रय किये जायेंगे।

श्री नाहर सिंह वर्मा, उप निदेशक (क्रियान्वयन) ने कहा कि त्रैमासिक रपटों को मूल्यांकन हेतु अतिशीघ्र प्रेषित किया जाये। मीटिंग में आने वाले प्रतिनिधि रपटों को 10 दिन पहले अवश्य प्रेषित कर दें एवं अगली बैठक में रिपोर्ट का जाना आवश्यक है।

9. लखनऊ (बैंक)

बैंक की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्द्धवार्षिक बैठक श्री आर. रामन् महाप्रबधक (योजना), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 7 जून 1989 को भारतीय स्टेट बैंक आफ स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ की सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। "बैठक में राज भाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री मनोहर लाल मन्त्री तथा बैंकिंग प्रभाग के श्री एस. के. चटर्जी ने भाग लिया।

श्री आर. रामन अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्य वाही आगे बढाते हुए कहा कि बैंकों की शाखाएं अब शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है वरन् गांव-गांव में फैल गई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को ठीक ढंग से समझने एवं उनको बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए उनकी भाषा में, जो "क" क्षेत्र में, हिन्दी है, में ही कामकाज करें तथा सरकार की अपेक्षाओं ले अनुरुप हिन्दी के प्रयोग को हर क्षेत्र में बढाएं। उन्होंने कहा कि सौभाग्यवश आज हमारे बीच गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं वित्त मंत्रालय बैंकिंग प्रभाग दोनों के ही प्रतिनिधि मौजूद हैं जो इस दिशा में हमें और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देंगें।

सदस्य सचिव श्री विष्णु कुमार भटनागर ने सदस्यों से पिछली बैठक के कार्यविवरण की पुष्टि हेतु अनुरोध किया। श्री राम इकबाल सिंह, प्रतिनिधि, नाबार्ड ने जानना चाहा कि पिछली बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड से केवल हिन्दी अथवा द्विभाषी टंकक ही भर्ती करने का अनुरोध किया जाए। इस विषय में क्या प्रगति हुई है? श्री चटर्जी, प्रतिनिधि, बैंकिंग प्रभाग ने बैठक को बताया कि इस विषय में बैंकिंग प्रभाग में भी विचार किया जा रहा है।

इसी चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि लखनऊ में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा कोई भी प्रशिक्षण केन्द्र हिन्दी टंकण के लिए नहीं चलाया जा रहा है। श्री मैत्रेय ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा

इस विषय पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि यहां के बैंक हिन्दी टंकण सीखने वाले टंककों का एक रोस्टर उपलब्ध करा दें। श्री कुन्दनलाल शुक्ल, प्रतिनिधि, यूको बैंक ने कहा कि बैंकों में द्विभाषी टंकक/आशुलिपिक के रूप में नियुक्ति कर्मचारियों को 40 रु. व 60 रु. का विशेष प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जबकि अंग्रेजी टंकक/आशुलिपिक जो बाद में हिन्दी टंकण /आशुलिपि सीख लेता है को उक्त भत्ता दिया जा रहा है। इससे बैंक में द्विभाषी रूप में नियुक्त टंकक/आशुलिपिक हिन्दी में टाइप करने से कतराते हैं, उन्होंने कहा कि हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकण करने वाले कर्मचारी को, चाहे वह मूलतः द्विभाषी टंक्क हो या बाद में सीखी हों, समान रूप से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए. इस विषय में श्री चटर्जी ने अवगत कराया कि मूलतः द्विभाषी टाईपिस्ट या हिन्दी टंकक की सरकारी विभागों में प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वास्तव में यह विशेष भत्ता अंग्रेजी में टंकण /आशुलिपि करने वालों की हिन्दी टंकण आशुलिपि करने परहो प्रोत्साहन के रूप में देय है।

अध्यक्ष महोदय ने भी टिप्पणी की कि यह विशेष भत्ता केवल अंग्रेजी जानने वालो को हिन्दी टंकण सीखने पर प्रोत्साहन रूप में ही देय है।

सभी बैंकों ने संक्षेप में अपनी धारा 3(3) व हिन्दी पत्राचार की स्थिति प्रस्तुत की और श्री मैत्रेय ने इन की विधिवत् समीक्षा की।

नाबार्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां धारा 3(3) का लक्ष्य 100 प्रतिशत प्राप्त किया गया है। सभी टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण /आशुलिपि में प्रशिक्षित किया चा चुका है। सभी प्रकाशित द्विभाषी या मात्र हिन्दी में केवल कुछ निरीक्षण रिपोर्ट अंग्रेजी में दी जाती हैं जिनमें भी हिन्दी का प्रयोग बढाया जा रहा है।

केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां केवल हिन्दी में काम करने की घोषणा कर देने पर ही क्रमश 40/--व 60 रु. का भत्ता टंककों/आशुलिपिकों को देय होता है। ऐसा केन्द्रीय कार्यालय के निर्देशों से किया जा रहा है।

श्री मैत्रेय ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सदस्य बैंक कार्यालयों के कार्यपालक अधिकारी अवश्य भाग लिया करें और साथ में राजभाषा अधिकारी को भी लाएं। क्योंकि अन्य अनिवार्य कार्यों की तरह राज भाषा का कार्य भी अनिवार्य है। इस बैठक में सदस्य बैंकों के कार्यपालकों की अनुपस्थिति पर काफी खेद प्रकट किया उन्होंने आगे बताया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का कार्य निरीक्षण करना अच्छे कार्य हेतु कार्यालयों को पुरस्कृत करना और साथ ही कार्य की प्रमाणिकता जांचना भी है।

श्री मत्रेय ने बताया कि बैंकों में कई सरकारी विभागों की अपेक्षा अधिक काम हिन्दी में हो रहा है, 80 से 90 प्रतिशत तक वाउचरों, पास बुकों, ड्राफटों, चैकों आदि में प्रविष्टि या हिन्दी में की जा रही हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में निरीक्षण किया और उसके विभागों में हिन्दी में सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने यूनियन बैंक, बक ऑफ बड़ोदा व कैनरा बैंक के हिन्दी के कार्य की भी प्रशंसा की।

उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी बैंक में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया हो तो उसे और आगे बढ़ाएं।

अन्त में उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि आप जो काम कर रहे हैं सराहनीय है और इसको सहनशीलता और प्रेम से आगे बढाएं सभी आपस में मिलकर अपने उच्चाधिकारियों के सहयोग से हिन्दी की प्रगति में योगदान दें।

इसके बाद श्री चटर्जी ने सदस्यों को अवगत कराया कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट जो कई बैंकों से प्रतिक्षित है, शीघ्र भेजें। विलम्ब को संसदीय राजभाषा समिति काफी गम्भीरता से ले रहीं है।

10. जोधपुर

जोधपुर नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की वर्ष की पहली बैठक दिनांक 4-7-89 को श्री एम.पी. कमलराज, मण्डल रेल प्रबधक, जोधपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सहायक निदेशक/राजभाषा, क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय, भोपाल, श्री डी. कृष्णपणिक्कर भी उपस्थित थे।

श्री कमलराज अध्यक्ष ने कहा कि --

"वर्ष की समिति की पहली बैठक में मैं आप सबका और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, श्री डी. कृष्णपणिक्कर का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इन बैठकों से सदस्यों में राजभाषा के लिए जागरूकता पैदा हुई है और सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है।

आज नगर के अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे।"

श्री पणिक्कर ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे वर्ष 89-90 के कार्यक्रम का गहन अध्ययन करके उसमें निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास करें और हिन्दी मूल पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी न रखी जाए। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मातृभाषा तमिल है और यह भी कि सम्भवतः अध्यक्ष महोदय की मातृभाषा भी तमिल है, अतः जब हिन्दीतर भाषी अपना काम हिन्दी में करके दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी मातृभाषी अपने कार्य के सभी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग न कर सके। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि हिन्दी देश की एकता की भाषा है और इसे मजबूत करने के लिए हिन्दी का प्रयोग करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित कार्यालयों में विशेषकर मूल पत्राचार के संबंध में हिन्दी प्रयोग की सराहना करते हुए उसे अच्छा/बहुत अच्छा बताया गया :—

1. गीत एवं नाटक प्रभाग
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
3. प्रवर अधीक्षक, डाकघर
4. पत्र सूचना कार्यालय।
5. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय
6. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय
7. बैंक आफ महाराष्ट्र

विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टें अनुबन्ध "क" में संकलित हैं।

जोधपुर में हिंदी प्रयोग

अनुबन्ध 'क'

क्रम संख्या	कार्यालय	"क" व "ख" क्षेत्र के कार्यालयों/गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गये पत्र					
		तिमाही 31/12/88 तक			तिमाही 31/3/89 तक		
		कुल	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल	हिन्दी	अंग्रेजी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गीत एवं नाटक प्रभाग	153	153	..	426	426	..
2.	लघु उद्योग सेवा संस्थान	226	158	68	222	165	57
3.	तारघर (केन्द्रीय)	1500	400	1100	1725	470	1255
4.	रक्षा प्रयोगशाला	..	..	..	1390	150	1240
5.	नमक अक्षीक्षक कार्यालय	1223	1555	668	1334	1184	150
6.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे० संगठन	895	895	..	1094	1094	..
7.	निर्देशक दूर संचार (पश्चिम)	1770	777	993	3330	1288	2042
8.	भारतीय वनस्पति सर्वे विभाग	...	..	..	..	..	..
9.	आकाशवाणी	1605	1315	290	1400	1070	330
10.	प्रवर अधी. डाकघर	9650	9500	150	11400	11200	200
11.	स्था. लेखा परीक्षा अधिकारी वायुसेना	1265	65	1200	1771	64	1707
12.	उप मु. यांत्रिक (इंजी०) कार.	5465	3860	1605	..	..	..
13.	रेडियो विग यूनिट मौसम विभाग	..	..	..	..	..	..
14.	निदे. डाक सेवाएं	5080	4280	800	5120	4330	790
15.	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग मंडल प्रादेशिक भाषा	725	36	689	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी (एम ई. एस.)	2647	318	2329	3249	376	2673
17.	पत्र सूचना कार्यालय	256	256	..	249	249	..
18.	परियोजना मूल्या अधि.	88	5	83	87	6	81
19.	राष्ट्रीय बचत कार्यालय	462	205	257	335	160	175
20.	क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय	336	336	..	307	307	..
21.	दूर संचार जिला अभि. बाड़मेर मुख्यालय, जोधपुर	.	..	ब्यौरा ठीक नहीं है।			
22.	स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (ब)	474	144	330	539	82	457
23.	आयल इंडिया लिमिटेड	1049	510	539	674	271	403
24.	हस्त शिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र	144	48	96	171	81	90
25.	वैमानिक संचार केन्द्र राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	10	7	3	18	13	5
26.	दि. ओरिएण्टल इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	220	180	40	105	90	15
27.	भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय	..	..	..	418	45	373
28.	नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि.	300	210	90	350	270	80
29.	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	164	150	14	251	238	13
30.	बैंक ऑफ बड़ोदा	4850	3550	1300	5092	3762	1330
31.	पंजाब नेशनल बैंक (क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय)	10842	10422	420	16755	16387	368
32.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1266	1254	12	1346	1328	18
33.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1335	1189	146	1235	1117	118
34.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय	3080	3073	7	6787	6695	92

गोरखपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गोरखपुर की वर्ष 1989 की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री गोरीशंकर ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे सहित गोरखपुर स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के "क" क्षेत्र में स्थित होने के कारण अन्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की तुलना में जिम्मेदारी अधिक है । रेलवे के काम-काज में हिन्दी का प्रयोग - प्रसार बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना की चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि इसके अन्तर्गत तीन विषयों को चुना गया है, और ये विषय है । "जन संपर्क" संबंधी कार्यालयेान कार्य एवं इलैक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग । "जन संपर्क" अर्थात् विभागों के ऐसे कार्य जिनका सीधा संपर्क जनता से है, में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग । इसी प्रकार "कार्यालयीन कार्य" अर्थात् टिप्पण, आलेखन और पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग किया जाना, "इलेक्ट्रानिक उपकरण" अर्थात् इलैक्ट्रानिक उपकरणों में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना । अध्यक्ष ने आग्रह किया कि विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधि अपने कार्यालयों/विभागों में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की पहल करें ।

राजभाषा के प्रयोग प्रसार में, अप्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण आने वाली बाधा के निराकरण के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत, हिन्दी भाषा, हिन्दी

टंकण एवँ हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की कक्षाओं की चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जुलाई, 89 से आरंभ होने वाले नये सत्र में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाये ।

गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए जारी कार्य क्रम की विशेष चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए प्रत्येक कार्यालय के लिए इस लक्ष्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास करें ओर राजभाषा नीति संबंधी संवैधानिक अनिवार्यताओं के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेंगे ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतिभवान रेल कर्मी लेखकों/कवियों की सवोत्कृष्ट रचनाओं के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरु की गयी योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आप सब भी इस प्रकार की योजना अपने यहां शुरु करें । बैठक कक्ष मे ही अध्यक्ष ने उक्त योजना का रु. 700/– का पहला पुरस्कार श्री नसीम साकेती रेलवे कार्य निरीक्षक, लखीमपुर को प्रदान किया ।

प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए वराधि ने कहा कि इस समिति की पिछली बैठकों में वराबर यह अनुरोध किया जाता रहा है कि प्रत्येक सदस्य कार्यालय अपनी तिमाही प्रगति रपट समय से इस कार्यालय को भेजे ताकि बैठक में वास्तविक स्थिति से सबको अवगत कराया जा सके परन्तु खेद है कि अब तक 44 कार्यालयों में से 15 कार्यालयों से ही तिमाही रपटे प्राप्त हुई हैं शेष कार्यालयों से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया। गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र आदि का लक्ष्य 90% है । जिन्होंने यह लक्ष्य पूरा कर लिया है उन्हें शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए । वराधि ने आगे कहा कि अब तक प्राप्त तिमाही रपटों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि मूल पत्राचार में कुछ विभागों/कार्यालयों में जून, 88 की अपेक्षा आलोच्य वर्ष की मार्च, 89 के तिमाही में काफी गिरावट आयी है । भारतीय उर्वरक निगम में जून-88 में यह प्रतिशत 51 था, जबकि मार्च, 89 में यह प्रतिशत घटकर 35.7 हो गया है। इसी प्रकार इलाहाबाद बैंक प्रवर अधीक्षक, डाक विभाग में भी गिरावट आई है । रपटों को देखने से ऐसा लगता है कि इन रपटों को सही ढंग से तैयार नहीं किया जाता है । उन्होंने आग्रह किया कि संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर इन रपटों को कृपया ठीक से देख लें, ताकि ऐसी विसंगतियां न होने पाए । वराधि ने कहा कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजातों की अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए संवैधानिक बाध्यता है । अतः सभी कार्यालय इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें ।

सरकारी काम-काज में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने में हिन्दी आशुलेखकों एवं टंककों के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करते हुए वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अप्रशिक्षित आशुलेखकों एवं टंकको के हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिये जाने पर बल दिया । वराधि ने आग्रह किया कि पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में विभागीय अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र पर हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलेखन की कक्षाओं में प्रशिक्षण के लिये कर्मचारियों को नामित किया जाये ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान ने सरकार की राजभाषा नीति की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय अपने यहां राजभाषा नियमों तथा प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने की कार्रवाई करें ।

उपस्थित सदस्यों के सुझाव पर बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

1. गोरखपुर नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में से हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कार्यालय को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से "चल बैजयन्ती" प्रारंभ की जाय । इसके लिए रेलवे के श्री आर.एस.पी. केडिया, (सचिव) स्टेट बैंक के प्रशासनिक सचिव श्री विष्णु चन्द्र बाजपेयी एवं श्री आर.एस.सोनकर आयकर विभाग, को मिलाकर तीन अधिकारियों का एक निर्णायक मंडल गठित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाय ।

2. "चल बैजयन्ती' प्रदान करने का निर्णय 30-9-89 के तिमाही रपट के आधार पर किया जायेगा । अतः उक्त रिपोर्ट 31-10-89 तक अवश्य भेज दी जाय । यदि रिपोर्ट उक्त तिथि तक नहीं आयेगी तो उन विभागों को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जायेगा ।

3. अनुवाद प्रशिक्षण हेतु यह क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत आता है, अतः अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी.जी.ओ. कम्पलैक्स पर्यावर्ण भवन, 8 वां तल, लोदी रोड, नई दिल्ली को भेजा जाय ।

4. उच्च कोटि की सहित्यिक रचना पर पुरस्कार योजन शुरू की जाए ।

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

परिषद् (सी एस आई आर) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1989 की पहली बैठक दिनांक 2-5-1989 को संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में हुई ।

1. रा.भा. कार्यान्वयन निरीक्षण समिति

समिति ने राजभाषा अधिनियमों का समुचित पालन करने के लिए इस बात का निर्णय लिया कि प्रयोगशालाओं/संस्थानों में क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु हिन्दी अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी को नामित किया जाए जो समीक्षा रिपोर्ट सी एस आई आर मुख्यालय को भेजे । मुख्यालय में राजभाषा निरीक्षण समिति का गठन किया जाए, यह समिति मुख्यालय में और प्रयोगशालाओं में आवश्यकतानुसार निरीक्षण करेगी ।

2. कार्यशाला का आयोजन

समिति ने सुझाव दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजभाषा से सम्बद्ध व्यक्तियों को तत्संबंधी नियमों, विनियमों, अधिनियमों, व आदेशों की पूर्ण व नवीनतम जानकारी हो । इसके लिए समिति ने निर्णय लिया कि प्रयोगशालाओं के हिन्दी अधिकारियों/पदेन हिन्दी अधिकारियों के लिए मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन यथाशीघ्र किया जाए ।

3. प्रोत्साहन योजना

समिति ने विचार व्यक्त किया कि पहले से चल रही टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना में कुछ उदारता बरतते हुए संशोधन किया जाए । अतः टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना के लिए "क" और "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 10,000 शब्द और "ग" क्षेत्र स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 5,000 शब्द प्रति वर्ष निर्धारित किए जाने की समिति-सदस्यों की सिफारिश को अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान की ।

4. हिन्दी पत्रों का प्रतिशत बढ़ाना

इस सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं उनसे अपील की जाए कि वे हर माह कम से कम 5 नोट/पत्र सामान्य हिन्दी में अवश्य लिखें ।

5. हिंन्दी में हस्ताक्षर

इस संबंध में समिति ने यह निर्णय लिया कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उनसे अपील की जाए कि कम से कम नोट/पत्र पर अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें ।

6. चेक हिन्दी में जारी करना

कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें चैक अंग्रेजी में मिल रहे हैं । यह जानकारी मिलने पर समिति अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यालय में वेतन आदि के सम्बन्ध में सभी चैक हिन्दी में जारी किए जाएं ।

7. हिन्दी में तार टेलेक्स भेजना

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को तार/टेलेक्स हिन्दी में भेजे जाएं । जहां हिन्दी के टेलेक्स की व्यवस्था नहीं है वहां हिन्दी के तार रोमन लिपि में भेजे जाएं ।

8. प्रेषण अनुभाग को जांच बिन्दु बनाया जाए

"क" और "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के संबंध में प्राप्ति तथा प्रेषण अनुभाग को जांच बिन्दु बनाकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे पत्रों को प्रेषण के लिए तभी लें जब पत्र हिन्दी में हों या अंग्रेजी पत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद संलग्न हो ।

इंडियन एयरलाइन्स (मुख्यालय) नई दिल्ली

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुख्यालय) की बैठक दिनांक 13 मई 1989 को श्री कृष्ण देव, कार्मिक निदेशक की अध्यक्षता में एयरलाइन्स हाऊस, मुख्यालय में हुई ।

श्री कृष्ण देव ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने समिति के सदस्यों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रयत्नों की

म. राहना की । इसी बीच, श्री आर. प्रसाद, प्रबंधक निदेशक बैठक में शामिल हुए । श्री कृष्ण देव ने समिति के सभी सदस्यों के साथ मिलकर, उनको प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए प्रबन्ध निदेशक के नेतृत्व में सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को अत्याधिक महत्व मिलेगा ।

प्रबन्ध निदेशक श्री प्रसाद ने सरकारी कार्य में सरल हिन्दी का प्रयोग करने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि हिन्दी में कार्य करना एक संविधानिक आवश्यकता है तथा प्रत्येक कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि वह राजभाषा के प्रयोग का प्रसार करें ।

द्विभाषी टिकटों की छपाई

1. श्री गौरी शंकर शर्मा ने सूचित किया कि उप समिति ने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तकनीकी सेल के निदेशक से संपर्क करके द्विभाषी टिकटों और प्रवेश पत्रों की छपाई की अपेक्षाताओं और संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया है । सम्बन्धित पार्टी को इस आशय का पत्र भेजा गया है कि हवाई-टिकटों, बोर्डिंग कार्डों, वेतन पर्चियों एवं कर्मचारियों की हिस्ट्री-शीट की द्विभाषी छपाई के लिए सॉफ्टवायर उपलब्ध कराए । यह स्पष्ट किया गया कि थोड़ा सा संशोधन करने के पश्चात् हवाई टिकट/बोर्डिंग कार्ड द्विभाषी रूप में छापे जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को मामले को जल्दी से निपटाने का निर्देश दिया ।

2. कुमारी रजनी बतरा ने समिति को बताया कि उत्तरी क्षेत्र के दो और स्टेशनों यथा वाराणसी तथा लखनऊ को नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है । मुख्यालय को भी इसी प्रकार से अधिसूचित किया गया है । इसके अतिरिक्त नागपुर और इंदौर स्टेशनों को आगामी बैठक होने से पहले ही अधिसूचित कर दिया जाएगा । उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्यालय को भी अधिसूचित करने का प्रयास किया जाए ।

मुख्यालय के कुछ अनुभाग जैसे कि भविष्य निधि अनुभाग, अंशदायी परिवार चकित्सा योजना, वेतन अनुभाग, केन्द्रीय राजस्व लेखा का प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, ई. डी. पी. का कार्मिक अनुभाग तथा स्थल सहायता विभाग का परिवहन अनुभाग की नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाएंगे । सभी सदस्य 15 दिन के भीतर ऐसे अनुभागों का विवरण भेजेंगे जिनमें सारा कार्य हिन्दी में किया जा सकता है ।

प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में तैयार करना तथा विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प

3. सभी क्षेत्रों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएं तथा अवर-तकनीकी पदों के लिए विभागीय परीक्षाओं/समूह चर्चाएं/साक्षात्कार में हिन्दी में उत्तर दिए जाने का विकल्प दिया जाए । मुख्यालय में ग्रेड 10/12 में और ग्रेड 1/9 में ऐसी क्रमशः तीन-तीन परीक्षाएं आयोजित की गई । **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई लेखा सहायक पद की परीक्षा में 52 में से 49 अभ्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने के विकल्प को चुना । इसी तरह से उत्तरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अभ्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प को अपनाया ।** सभी सदस्य-सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे निर्णय को पूरी तरह से लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर आवश्यक जांच-बिन्दु (चैक-पंवाइट) बनाए तथा इस दिशा में की गई प्रगति को मॉनीटर करें ।

सभी फाइलों तथा रजिस्टरों के द्विभाषी शीर्ष

4. प्राप्त पुष्टि के अनुसार मुख्यालय के कार्यालयों में सभी फाइलों एवं रजिस्टरों के शीर्ष द्विभाषी कर दिए गए हैं । सदस्य-सचिव पूर्वी क्षेत्र ने बताया कि कार्मिक विभाग में सभी फाईलों एवं रजिस्टरों के शीर्ष द्विभाषी किए जा चुके है जबकि दूसरे अनुभागों में यह कार्य शुरू कर दिया गया है । समिति के अध्यक्ष ने उन्हें यह कार्य अगली बैठक तक पूरा करने की सलाह दी । पश्चिमी क्षेत्र में यह कार्य अभी किया जाना बाकी है ।

रोजगार अधिसूचनाओं के द्विभाषी जारी करना

5. श्री गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग, मुख्यालय से सभी अधिसूचनाएं एवं सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को इस संबंध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी ।

इंडियन एयरलाइन्स में हिन्दी और अंग्रेजी के मिले-जुले माध्यम से प्रशिक्षण देना

6. राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति ने स्पष्ट अनुदेश दिए हैं कि इंडियन एयरलाइन्स में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों में हिन्दी और अंग्रेजी के मिले-जुले माध्यम का प्रयोग किया जाए । श्री एम. एम. तनेजा को निदेश दिया गया कि इंजीनियरी विभाग से संबंधित प्रशिक्षणों में हिन्दी माध्यम का प्रयोग करने के उद्देश्य से वे आई. आई. टी., कानपुर एवं रुड़की में वैमानिकी इंजीनियरी के विशेषज्ञों से संपर्क करें । यह भी सुझाव दिया गया कि प्रश्न-पत्रों का हिन्दी अनुवाद प्राप्त कर लिया जाए तथा संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मदद से एक बार में इनका एक स्टाक कर लिया जाए । श्री तनेजा का सुझाव था कि प्रशिक्षण में प्रयुक्त सहायक साहित्य सामग्री को द्विभाषी रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे प्रशिक्षण में भाग लेने वालों में वितरित किया जा सके । श्री तनेजा इस बात से

सहमत थे कि वे हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र में शुरू करने की संभावना का पता लगाएंगे, चूंकि इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकतर प्रशिक्षकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। ए. बी. 320 विमान निर्माताओं से भी मैनुअल/साहित्य द्विभाषी रूप में प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय के उप निदेशक (राजभाषा), प्रश्न-पत्रों को द्विभाषी रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महानिदेशक, नागर विमानन से संपर्क करेंगे। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से प्राप्त नवीनतम अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण स्कूलों में अनुवादकों और टाइपिस्टों की तैनाती के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली

"सेल" की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 40वीं बैठक दिनांक 21 जून, 1989 को श्री शिवराज जैन, उपाध्यक्ष (परियोजना) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

समिति के अध्यक्ष श्री शिवराज जैन ने इस्पात विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य आचार्य नरेन्द्रपान्डेय तथा अन्य उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बठक की कार्रवाई प्रारंभ की।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन रिपोर्ट पर समिति ने मदवार चर्चा की :—

1. "सेल-न्यूज" में हिंदी की स्थिति

अध्यक्ष महोदय ने जन-संपर्क विभाग के प्रतिनिधि को धन्यवाद दिया कि "सेल-न्यूज" में हिंदी की सामग्री की स्थिति में सुधार हुआ है और आशा व्यक्ति की कि भविष्य में स्थिति में और भी अधिक सुधार होगा। इसके लिए जन-संपर्क विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास जारी रहना चाहिए।

2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फाइलों पर हिंदी में नोटिंग

वरिष्ठ प्रबन्धक (हिंदी) ने समिति को सूचित किया कि हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना "सेल" में लागू की गई है। इसके परिणामस्वरूप "सेल" मुख्यालय में अनेक कार्मिक नोटिंग/ड्राफ्टिंग हिंदी में करते हैं। अध्यक्ष महोदय का कहना था कि सभी संयत्रों यूनिटों के कार्मिकों को इसके लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है क्योंकि यही वह मुख्य कार्य है जिससे हिंदी प्रतिष्ठापित होगी। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने भी योजना की सराहना की।

3. हिंदी पत्रों का प्रेषण :

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि राजभाषा विभाग ने कुछ दिन पूर्व "सेल" निगमित कार्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों और उनके उत्तर में भेजे जाने वाले पत्रों का समुचित रिकार्ड नहीं रखा जाता। स्थिति को स्पष्ट करते हुए समिति को बताया गया कि सभी विभागों/अनुभागों में हिंदी पत्रों की प्राप्ति एवं प्रेषण की समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। अपर निर्देशक (कार्मिक) ने समिति को यह स्पष्ट किया कि "सेल" मुख्यालय में हिंदी पत्रों के उत्तर शत-प्रतिशत रूप से हिंदी में ही दिए जाते हैं और वे इस विषय में निश्चित हो सकते हैं।

4. तकनीकी लेखन सेमिनार की पुस्तिका

समिति को बताया गया कि 26-27 दिसम्बर, 1988 को एम.टी.आई., रांची में हुए "सेल" के तकनीकी सेमिनार के लिए सभी संयंत्रों/यूनिटों से प्राप्त लेखों को पुस्तक के रूप में छपवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हिंदी दिवस के अवसर पर इस पुस्तक का भी प्रकाशन हो जाएगा।

5. हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षक तथा हिन्दी के टाइपराइटर

समिति को सूचित किया गया कि "सेल" निगमित कार्यालय में इस समय 20 आशुलिपिक तथा 5 टाइपिस्ट हिंदी आशुलिपि/टाईपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष हिंदी आशुलिपि परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर "सेल" मुख्यालय से एक कार्मिक श्री एस.सी. वत्रा ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसके लिए उक्त कार्मिक को प्रबन्धन की ओर से प्रशंसा-पत्र तथा 500 रुपए का अतिरिक्त नकद इनाम दिया गया।

6. "सेल" का हिंदी सम्मेलन

दिनांक 10-11 मई, 1989 को "सेल" मुख्यालय में सभी प्लांटों/यूनिटों के हिंदी अधिकारियों व उनके नियंत्रण-कर्त्ता अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया था। हिंदी में दैनिक कामकाज में आने वाले कठिनाइयों तथा उसके समाधान पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

(क) कार्यपालकों/प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी का प्रशिक्षण

"सेल" में प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थयों के रूप में भर्ती होने वाले तथा गैर-कार्यपालक वर्ग से कार्यपालक वर्ग में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को उनके प्रशिक्षण कार्य के दौरान ही हिंदी का प्रशिक्षण देने पर दिनांक 10-11 मई, 1989 को हुई हिंदी अधिकारियों की बैठक में विस्तार के साथ विचार किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "सेल" की कार्यप्रणाली के अनुरूप इन कार्मिकों के लिए हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और तदनुसार इन्हें हिंदी का ज्ञान दिलाया जाए।

(ख) हिंदी मासिक बुलेटिन का प्रकाशन

"सेल" तथा इसके सभी यूनिटों/कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए "सेल" निगमित कार्यालय द्वारा एक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन हिंदी दिवस 1989 से प्रारंभ किया जायेगा। समिति सदस्यों की राय थी कि इस बुलेटिन में सभी संयंत्रों/यूनिटों से सम्बन्धित हिंदी की सामग्री दी जाये और हिंदी में काम करने वाले कार्मिकों और उस कार्य पर प्रबन्धन द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का सचित्र विवरण प्रकाशित किया जाये।

7. अध्यक्ष महोदय ने जन-संपर्क विभाग के प्रतिनिधि से कहा कि जन-संपर्क विभाग हिंदी में भी पोस्टर और स्लोगन आदि निकालें और उन्हें सम्मेलन कक्ष आदि स्थानों पर लगा दें तो इससे हिंदी में काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस्पात भाषा-भारती के अद्यतन अंक (मार्च 1989 के अन्तिम आवरण पृष्ठ की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें महात्मा गांधी के चित्र के साथ उनकी एक सूक्ति दी गई है। उनका मत था कि इस प्रकार की सामग्री बहुत प्रेरणादायक होती है और इस प्रकार की सूक्तियों/कथनों का जहां भी संभव हो उपयोग किया जाना चाहिए। □

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

दिनांक 22 जून, 1989 को मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर बी.एस. जोशी, अ.वि.से. पदक सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन) ने की।

1. निदेशक कार्मिक ने समिति को सूचित किया कि जनवरी, 1989 से मुख्यालय में 16 अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती की गई है और उनमें से 3 अवर श्रेणी लिपिकों को हिंदी की टाइपिंग आती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। आगे जो भर्ती की जाए उसमें कम से कम पांच अवर श्रेणी लिपिक ऐसे लिए जाएं जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की टाइपिंग आती हो। साथ ही, भविष्य में अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों की भर्ती में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग/आशुलिपि आती हो।

2. सदस्य-सचिव ने हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षणों के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुख्यालय में तैनात 58 अवर श्रेणी लिपिकों में से केवल पांच अवर श्रेणी लिपिकों को हिन्दी की टाइपिंग आती है। इसी प्रकार, 42 आशुलिपिकों में से केवल दो आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि आती है। इसके अलावा, 18 कर्मचारियों को हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षण (प्राज्ञ, प्रवीण, प्रबोध) दिए जाने हैं। समिति ने इतने कम लोगों को ही हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का ज्ञान होने पर चिन्ता व्यक्त की और निदेश दिया कि उपर्युक्त में से 50% कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित किया जाए।

3. विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की व्यवस्था

समिति को सूचित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा ली जा रही 16 परीक्षाओं में से 13 परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। परन्तु विमान क्षेत्र अधिकारी/पायलट और सह-पायलट के पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। इस पर समिति ने निर्णय लिया कि विमान क्षेत्र अधिकारी की परीक्षाओं के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न-पत्र तैयार किए जाएं और उम्मीदवारों को हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने की छूट दी जाए। कालान्तर में पायलट और सह-पायलट की परीक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए।

4. द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था

समिति के अध्यक्ष ने सामान्य सेवा अनुभाग को निदेश दिया कि आज तक जो भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लिए गए हैं उनमें शीघ्र हिन्दी डिस्क लगाने की व्यवस्था की जाए और आगे से सभी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण द्विभाषी ही खरीदे जाएं।

5. राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण

अध्यक्ष ने सहायक निदेशक (राजभाषा) को निदेश दिया कि मुख्यालय के अनुभागों में हो रही हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए और उनको प्रस्तुत किया जाए ताकि वे विभिन्न अनुभागों में हो रही हिन्दी की प्रगति का स्वयं निरीक्षण कर सकें।

तत्पश्चात हिन्दी में सर्वाधिक काम करने के लिए कार्मिक नीति अनुभाग को चल वैजयन्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री एस.एस. शर्मा, विशेष कार्य अधिकारी (कार्मिक नीति) ने वैजयन्ती ग्रहण की। इस अनुभाग के ही उच्च श्रेणी लिपिक, श्री नरेन्द्र सिंह तड़ियाल को हिन्दी में सबसे अधिक काम करने के लिए 100 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया।

सर्वेक्षण व निर्माण, प० रेलवे, कोटा

कार्यान्वयन समिति सर्वेक्षण व निर्माण कोटा के अध्यक्ष श्री जे. एल. माथुर ने बैठक के आरम्भ में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की अध्यक्षता की।

1. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में पिछली तिमाही की प्रगति रपट पर विचार विमर्श :—वर्तमान में उ.मु. इंजी. को.चि.प. कोटा के कार्यालय में हिन्दी में मूल पत्राचार 95 प्रतिशत रहा जबकि पिछली बार 92 प्रतिशत था । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हि. स. श्री शर्मा ने अपने अथक परिश्रम से हिन्दी के मूल पत्राचार में आई गिरावट को पुनः ऊपर ला दिया । अन्य कार्यालयों की स्थिति संतोषप्रद रही । इस पर अध्यक्ष श्री माथुर ने धन्यवाद दिया और कहा कि उम्मीद है आप इसी तरह प्रगति को यथा स्थिति में बनाये रखेंगे ।

2. **हिन्दी टाईपिंग :**—यूनिट में कुल 10 टाइपिस्ट हैं जिनमें से 6 को हिन्दी में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा शेष 4 को निजी रूप से परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । प्रशिक्षित टाइपिस्टों के अर्जित ज्ञान का उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या कम है। इसी संदर्भ में दो टाइपराइटरों के बाबत भंडार नियंत्रक चर्चगेट को एक मांग पत्र भेजा गया था किन्तु अभी तक उसकी आपूर्ति नहीं हो सकी है । अतः यथाशीघ्र दिलवाई जाए ताकि टाइपिस्टों का इष्टतम उपयोग किया जा सके ।

3. **हिन्दी आशुलिपि :**—यूनिट में कुल 6 आशुलिपिक कार्यरत हैं जिनमें से 2 प्रशिक्षित हैं तथा 4 को निजी रूप से परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षित आशुलिपिक हिन्दी में कार्य कर प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ।

4. देवनागरी टाइपराइटरों के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से दो टाइपराइटरों के बाबत मांग पत्र भंडार नियंत्रक चर्चगेट को आपूर्ति हेतु भेजा गया है । टाइपराइटरों की आपूर्ति से हिन्दी प्रगति में आई बाधा दूर हो सकेगी ।

5. आदेश एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दुओं (चैक प्वाइंट) की व्यवस्था सक्रिय है ।

6. अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चित्तौड़गढ़ स्थित उ. मु. इंजी. के कार्यालय में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के उद्देश्य से श्री वीरेंद्र शर्मा के संचालन में हिन्दी कार्यशाला चलाये जाने का निर्णय लिया गया । अब तक दो कार्यशाला स्वतन्त्र रूप से आयोजित की जा चुकी है । इस सद् प्रयास से हिन्दी प्रगति को बल मिला है ।

7. आरेखों/ड्राईंग/चार्टों आदि में हिन्दी का प्रयोग की स्थिति :—

आरेखों एवं ड्राईंगों का समस्त कार्य हिन्दी अथवा द्विभाषी में किया जाता है । इसके लिए श्री सी.एल. पारीक, प्र. प्रारूपकार को वर्ष 1989 के दौरान प्रबन्धक द्वारा पुरस्कृत किया गया है ।

8. नामित अनुभागों में हिन्दी के शतप्रतिशत प्रयोग तथा अधिसूचित कार्यालयों में नियम 8(4) का अनुपालन :—इस यूनिट के समस्त कार्यालयों में स्थापना एवं ड्राईंग अनुभाग को शतप्रतिशत हिन्दी कार्य के लिए नामित किया गया है तथा कार्यान्वयन का पालन भी किया जा रहा है । नियम 8(4) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है । अब यह विनिश्चय किया गया है कि हिन्दी प्रगति बढ़ाए जाने के लिए धीरे-धीरे अन्य अनुभागों को भी नामित किया जाए ।

9. अनुशासनात्मक कार्यवाही में हिन्दी प्रयोग की स्थिति :—इस विषय में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जाता है फिर भी इसे और अधिक बढ़ाए जाने के प्रयास जारी हैं ।

विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना में राजभाषा संगोष्ठी

विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना में दि. 4 मार्च, 1989 को "हिन्दीतर राज्यों में राजभाषा अधिनियम और नियमों के सफलतपूर्वक कार्यान्वयन के लिए उपाय" नामक विषय पर एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई। राजभाषा संगोष्ठी में बर्नपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के हिन्दी अधिकारियों तथा उन संयंत्रों में हिन्दी कार्य से जुड़े हुए कर्मचारियों ने प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया। इन के साथ विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के कुछ कर्मचारियों तथा विशाखापट्टणम में स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के हिन्दी अधिकारियों ने भी भाग लिया।

संगोष्ठी का उद्घाटन श्री जी.के. खरे, मण्डल रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशाखापट्टणम ने किया। उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत म, जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते हैं। देश की जनता में बहुत कम प्रतिशत लोग अंग्रेजी लिख या पढ़ सकते हैं। इसलिए, हिन्दी, जो भारत की अधिकाधिक जनता द्वारा बोली जाती है, तथा जो सरकारी कामकाज के लिए भी योग्य है, को संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लाना अधिक बेहतर है।

उद्घाटन समारोह के पश्चात् सभी प्रतिनिधियों को चार समूहों में बांट दिया गया और उन समूहों ने विषय पर पूरी चर्चा करके दोपहर को आयोजित समापन समारोह में अपने-अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। समापन समारोह मुख्य अतिथि श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, इस्पात एवं खान मंत्रालय थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन देने से वे अपने दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बड़े संतोष से अपनाएंगे और इससे राजभाषा का कार्यान्वयन भी आसान बन जाएगा।

राजभाषा संगोष्ठी में विविध समूहों द्वारा दिये गये सुझाव नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

समूह "क" के सुझाव :

1. जिन कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम और नियम लागू हैं, उन कार्यालयों के सभी संबद्ध अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को इनसे संबंधित उनके दायित्वों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

2. हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए जिन लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है उनको स्थानीय प्रादेशिक भाषा का ज्ञान हो ताकि प्रशिक्षणार्थियों के साथ उनका विचार-विमर्श सुगमतर रहे।

3. आम तौर पर शिक्षक हिन्दी प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारी होंगे तो वे प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी के साथ हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों की जानकारी भी दे पाएंगे।

4. उद्यम प्रमुख और हिन्दी अधिकारी के बीच ज्यादा स्तर न हो। यह भी आवश्यक है कि उद्यम प्रमुख ही उस उद्यम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष हो और हिन्दी अधिकारी उसका सचिव हो। हिन्दी अधिकारी के ऊपर का अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो सीधे उद्यम प्रमुख को रिपोर्ट करता हो। इससे उद्यम प्रमुख तक हिन्दी कार्यान्वयन से संबंधित सारी बातें पहुंच सकती हैं।

5. यदि हर अधिकारी के लिए वार्षिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों में हिन्दी पत्राचार, टिप्पण तथा प्रारूप लेखन आदि में से संबंधित लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं तो हिन्दी का प्रयोग अवश्य बढ़ेगा।

6. सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा अपनी स्थिति के अनुसार हर संगठन को अपनी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी चाहिए।

7. कर्मचारियों को हिन्दी में काम करते समय यदि हिन्दी पर्याय नहीं मिलते तो अँग्रेजी शब्दों को ही देवनागरी लिपि में लिख लें अथवा उन्हें रोमन लिपि में ही लिख लें।

8. बड़े-बड़े संगठनों में हिन्दी प्रकोष्ठ पर ही हिन्दी का पूरा काम लाद दिया जाता है। इसके बजाय इस काम को विकेन्द्रीकृत करके विविध विभागों में समन्वयकर्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए। समय-समय पर उनकी बैठकें आयोजित करके संबद्ध विभागों में हिन्दी की प्रगति की

समीक्षा की जा सकती है । अपने कार्यालयीन काम के अलावा हिन्दी का समन्वय कार्य करने के लिए इन समन्वयकर्ताओं को उपयुक्त ढंग से प्रोत्साहित भी किया जा सकता है ।

8. हिन्दी प्रचार-प्रसार के काम से जुड़े हुए लोगों को दक्षिण की एक भाषा का ज्ञान होना वांछित है।

समूह "ख" के सुझाव :

1. विचारों के दैनिक आदान-प्रदान में, बैठकों और सम्मेलनों आदि में हिन्दी में विचार-विमर्श के अधिक से अधिक अवसर निकाले जाएं।

2. परिपत्र और कार्यालय आदेश अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा स्थानीय भाषा में भी जारी किए जाएं ताकि लोगों में यह विचार उत्पन्न हो कि हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जा रहा है।

3. विशाखापटटणम् इस्पात परियोजना के प्रक्षिण विभाग में नियुक्त होने वाले विविध श्रेणियों के प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से दिया जा रहा है । यह कार्यशैली अन्य हिन्दीतर प्रान्तों में भी लागू की जा सकती है।

4. "सेल', में 3 नौट्स/ड्राफ्ट्स/पत्र प्रतिदिन हिन्दी में लिखने व टाइप करने पर एक वेतनवृद्धि दी जाती है । जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते उन्हें उन कार्यालयों का कार्य हिन्दी में करने पर एक वेतनवृद्धि देने का प्रावधान है । यह व्यावहारिक योजना है। इसे हिन्दीतर प्रान्तों में लागू करने से हिन्दी के प्रयोग को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलेगा ।

5. हिन्दी भाषी एव हिन्दीतर भाषी अधिकारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने पर "सेल" में दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग तीन पुरस्कारों (प्रथम 500 रु., द्वितीय 400 रु. और तृतीय 300 रु.) की व्यवस्था की गई है। यह योजना हिन्दी कार्य-सस्कृति वनाने के लिए सभी जगह सफल सिद्ध हागी।

6. हिन्दी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को भी उसी तरह वेतनवृद्धि दी जानी चाहिए जिस तरह लोक प्रशासन, विधि आदि परोक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है।

समूह "ग" के सुझाव :

1. सर्वप्रथम कार्यालय प्रमुख और अन्य विभागाध्यक्षों में हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ानी है ताकि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

2. कार्यालय के कामकाज को हिन्दी में करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक विभाग/अनुभाग में कम से कम एक हिन्दी अनुवादक, एक हिन्दी टंकण और एक देवनागरी टाइपराइटर मशीन अवश्य हों।

3. इसके अलावा सभी हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों और अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाया जाना चाहिए जिससे उपलब्ध कराई गई मूल सुविधाओं का पूरा उपयोग कर हिन्दी के प्रयोग को वढ़ा सकें ।

4. इस दिशा में लोगों की रुचि तभी बढ़ेगी जव उन्हें आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन केवल एक साल के लिए न होकर स्थायी वना दिए जाए ।

समूह "घ" के सुझाव :

1. हिन्दीतर भाषी क्षेत्र से हिन्दी भाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक, आदान-प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए । इसके लिए हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों से शिष्ट मण्डल, नाटक, भजन, कीर्तन मण्डलियां हिन्दी भाषी क्षेत्र में जाएं और हिन्दी भाषी क्षेत्र से उसी प्रकार की मण्डलियां हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में आएं।

2. राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम वर्ष में 3 बार अलग-अलग जगहों में इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिए जिससे भाषाई भ्रम को दूर करने की संभावना हो।

3. हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में काम करने वाले हिन्दी भाषी कर्मचारी हिन्दीतर भाषी लोगों का वोल-चाल की हिन्दी सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हिन्दीतर भाषी क्षेत्र में इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया जाए।

4. हिन्दी भाषी क्षेत्र अधिक से अधिक हिन्दी में पत्र भेजने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि हिन्दीतर भाषी राज्यों के कर्मचारियों की हिन्दी के प्रति अभिरुचि बढ़े ।

5. हिन्दीतर राज्यों के कार्यालयों में कार्यरत हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित होने पर एक उदार योजना लागू की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत एकमुश्त पुरस्कार की जगह दो विशेष वेतन वृद्धियां दी जाएं।

6. भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए ।

7. हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लेख प्रकाशित कर उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएं । संगठन में मूल रूप से हिन्दी में काम से कम एक पत्रिका प्रकाशित की जाये।

8. हिन्दी भाषी प्रदेशों से आने वाले पत्रों पर द्विभाषिक पते हों जिससे उनके वितरण में कोई कठिनाई न हो ।

9. सुगम एवं प्रचार में आने वाले संस्कृत शब्दों का यथासंभव प्रयोग हो और इसके साथ-साथ हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों की भाषाओं के शब्द अपनाए जाएं। □

दोणिमलै लौह अयस्क खान में राजभाषा (तकनीकी) सेमिनार

कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई--"दोणिमले लौह अयस्क"-खान में राजभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए अन्य कार्यक्रमों के अलावा पिछले कई वर्षों से प्रतिवर्ष राजभाषा सप्ताह का आयोजन भी किया जाता रहा है । इस वर्ष राजभाषा सप्ताह 20 मार्च, 1989 से 26 मार्च, 1989 तक आयोजित किया गया ।

राजभाषा सप्ताह का उद्घाटन डॉ. पी.के. बालसुब्रह्मण्यम् सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, इस्पात विभाग, इस्पात और खान मत्रालय, के कर कमलों द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। सरस्वती वेदना से समारोह का आरम्भ हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की खान के महाप्रबन्धक महोदय श्री एस. के. अग्रवाल ने । श्री एच. बी. लाल, वित्त सलाहकार तथा आयोजन समिति के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि तथा उपस्थितों का स्वागत किया। श्री विजय कुमार, राजभाषा अधिकारी ने खान में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की । श्री एस. के. अग्रवाल, महा प्रबन्धक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में खान में राजभाषा के सफल कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे ।

20 मार्च, 1989 को ही राजभाषा (तकनीकी) सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में तकनीकी विषयों पर हिन्दी में चर्चा की गई। सेमिनार का विषय था--"संसाधनों के यथोचित उपयोग के लिए युक्तिपरक प्रबन्धन योजनाएं" । उक्त विषय के अन्तर्गत खान तथा निगम की अन्य इकाइयों से कुल 19 लेख प्राप्त हुए जो मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनन, सामग्री, वित्त, अनुरक्षण, चिकित्सा आदि प्रबन्धनों से संबधित थे । सेमिनार में अधिकारियों ने अपने लेख स्वयं पढ़े। इन पर हिन्दी में ही चर्चा की गई। उक्त सेमिनार दो सत्रों में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. पी.के. बालसुब्रह्मण्यम ने अन्त में सेमिनार की गतिविधियों की समीक्षा की। श्री बी. के. स्वामी कार्मिक प्रबन्धक ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

राजभाषा सप्ताह के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत--हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के लिए "विज्ञान और तकनीकी में भारत की प्रगति" "विश्व शांति और भारत", "मनोरंजन की आवश्यकता', "राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्या व समाधान" जैसे विषयों पर हिन्दी निबंध तथा हिन्दी वाक् प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पर्यवेक्षक स्तर से नीचे के गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए "हिन्दी कथा पठन प्रतियागिता" भी आयोजित की गई, उक्त हिन्दी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया।

खान के खुले सभागार में दिनांक 25 मार्च, 1989 की सध्या में "हिन्दी कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन में कविगण सर्वश्री बृजेश पाठक, बीजापुर, एम. ए. सनदी, बेलगांम, सितम बेल्लारी एम. एम. अज़ीज, बेकलारी ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त दोणिमलै स्थित केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापक श्री केदार यादव, श्री ए. सुब्रह्मण्यम् तथा खान के अधिकारी सर्वश्री के.के. श्रीवास्तव, कार्मिक अधिकारी तथा एच० एस० भामरा, सहायक सामग्री अधिकारी ने भी अपनी कविताओं का पाठ किया । सभी कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मत्रमुग्ध कर दिया।

प्रस्तुति : विजय कुमार

राजभाषा सप्ताह के अवसर पर "राजभाषा स्मारिका' प्रकाशित की गई। इसके लिए लेख, कहानियां व कविताए' भेजने में कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया । इनकी रचनाओं को लेकर प्रकाशित "राजभाषा स्मारिका" का विमोचन दिनांक 25 मार्च, 1989 को श्री एस.के. अग्रवाल, महा प्रबन्धक द्वारा किया गया। बाद में श्री अग्रवाल ने राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन तथा राजभाषा के प्रयोग में श्रेष्ठ घोषित कार्मिक विभाग को वर्ष, 1988 का राजभाषा रोलिंग शील्ड प्रदान किया, जिसे कार्मिक विभाग के प्रमुख श्री बी. के. स्वामी, कार्मिक प्रबन्धक ने प्राप्त किया । राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा टाउनशिप में स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों व विद्यालयों के कर्मचारियों तथा छात्रों और महिलाओं के लिए आयोजित हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी महा प्रबन्धक महोदय ने इस अवसर पर पुरस्कार वितरित किए ।

राजभाषा सप्ताह के समापन दिवस अर्थात् दिनांक 26 मार्च, 1989 को "दोणि रिक्रिएशन क्लब" के ओपन आडिटोरियम में हिन्दी चलचित्र का प्रदर्शन किया गया ।

"सेल" में राजभाषा सेमिनार

"सेल" तथा इसके प्लांटों/यूनिटों में कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा कार्यान्वयन में सामने आने वाली कठिनाइयों तथा उनके समाधान पर चर्चा तथा विचार-विमर्श करने के अभिप्राय से दिनांक 10-11 मई, 1989 को सभी हिंदी अधिकारियों व हिंदी के सर्व कार्यभारी अधिकारियों का एक सम्मेलन "सेल" मुख्यालय में आयोजित किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपाध्यक्ष परियोजना श्री शिवराज जैन ने कहा कि "सेल" देश का एक अग्रणी सार्वजनिक प्रतिष्ठान है तथा देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी प्रकार "सेल" को हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने "सेल" तथा इसके कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की तथा कहा कि इस क्षेत्र में इस समय हमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने बल देकर कहा कि राजभाषा नियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन होना चाहिए। तिमाही रिपोर्ट समय पर आनी चाहिएं। हिंदी के टाइपराइटर और अधिक संख्या में खरीदे जाएं। सभी फार्मों, कोडों तथा मैनुअलों का अनुवाद जहां नहीं हुआ है वह समयबद्ध योजना बनाकर छह महीने के भीतर उनका अनुवाद कर लिया जाए। उन्होंने हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में गुणवत्ता के महत्व पर भी बल दिया। हिंदी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी कार्यान्वयन से जुड़े सभी कार्मिकों को अन्य कार्मिकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

सम्मेलन को "सेल" के अपर निदेशक (कार्मिक), श्री पी. एन. सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि उपाध्यक्ष श्री जैन ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उनके आधार पर कार्य योजना तैयार करके हमें हिंदी के काम में तेजी लानी चाहिए।

बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नलिखित अनुसार है :—

1. "सेल" के कार्यालयों/प्लांटों में हिंदी न जानने वाले कार्मिकों की संख्या बहुत अधिक है जिनको हिंदी प्रशिक्षण देने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, अतः सम्मेलन द्वारा यह सिफारिश की गई कि "सेल" मुख्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए जिसमें सभी संयंत्रों/यूनिटों के हिंदी न जानने वाले कार्मिकों को शीघ्रता से हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए।

2. "सेल" में निम्नतमस्तर पर ज्वाइन करने वाले कार्यपालकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान दिलवाया जाए जिसके लिये योजना व पाठ्य-सामग्री तैयार की जाए।

3. मुख्यालय से "इस्पात भाषा समाचार" नामक मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाए जिसमें सम्पूर्ण "सेल" से संबंधित हिंदी कार्यान्वयन की गतिविधियों की रिपोर्ट/समाचार छापे जाएं। मार्च 1990 तक हिन्दी टाईपिंग व हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

4. हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी जो तिमाही रिपोर्ट में शामिल नहीं है तथा संसदीय समिति, संसदीय राजभाषा समिति तथा हिंदी कार्यान्वयन समिति व संसद में पूछे गए प्रश्नों के द्वारा मांगी जाती है, को भी संकलित करके रखा जाए।

5. बैठक में सभी कार्यालयों के हिंदी अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालय में हो रही हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति से अवगत कराया। यह भी सुझाव दिया गया कि हिंदी कार्यान्वयन की आवश्यकताओं व भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों की इस संबंध में वर्तमान स्थिति का प्रस्तुतीकरण मुख्य कार्यपालकों व कार्मिक प्रमुखों की बैठकों में भी किया जाए।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में राजभाषा संगोष्ठी

20 जनवरी, 1989 को प्रशिक्षण केन्द्र पर विभिन्न प्रभागों द्वारा नामित हिंदी समन्वयकों की राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अपने-अपने प्रभागों के प्रतिविधिस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। उद्घाटन भाषण में मानव संसाधन प्रभाग के महाप्रबंधक, श्री प्रेम चड्ढा ने आग्रह किया कि मानव इस समाज का एक अंग होने के नाते कभी किसी समाज सेवा की भावना से भी प्रेरित होता है और वह अपनी सुविधा की दृष्टि से छुट्टी लेकर या छुट्टी के दिनों में कुछ समय परोपकार सेवा में अपना समय व्यतीत करना चाहता है। समाज सेवा के क्षेत्र में भारत की वह जनता अधिक है जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। यदि हमें उसकी सेवा करनी है तो उसकी भाषा में ही हमें अपनी बात भी रखनी होगी।

भारत के संविधान और भारत सरकार के आदेशों द्वारा हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया है। यदि हम नियमों से दूर हटकर शांत मन से यह विचार करें कि क्या हम अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, तो उत्तर मिलेगा—जो सरलता, सुविधा जनता को हिंदी से है वह अंग्रेजी से नहीं है। अंग्रेजी जानने

वालों को अवश्य हिंदी में कुछ कठिनाइयां होती होंगी क्योंकि उसका उन्हें अभ्यास नहीं होता या हिंदी को उन्होंने उतना पढ़ा नहीं है। परंतु यदि हम अपने दायित्व का निर्वाह करने की दृष्टि से जनमानस तक पहुंचना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम भारत सरकार के नियमों का पालन करें, सरकारी नौकरी में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें और ऐसी कुछ प्लानिंग करें कि हिंदी हमारे लिए बोझ भी न बने और हम किसी न किसी प्रतिशत तक हिंदी का प्रयोग करके कंपनी के कार्य को हिंदी के माध्यम से गति दें।

आज यहां अधिकांश वरिष्ठ तकनीकी प्रबुद्ध व्यक्ति आए हुए हैं जिन्होंने देश और विदेशों में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं खड़ी की हैं, वे सोचें कि हिंदी लागू करने के लिए कहां-कहां कितना-कितना कार्य शुरू किया जा सकता है। लक्ष्य बनाकर कार्य करने में सरलता रहती है। मैं मानता हूं कि अनेक को लिखने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, समझने-समझाने में दिक्कत आएगी लेकिन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुचिपूर्वक कार्य करने में हमारी दिक्कतें अवश्य आसान हो जाएंगी।

उदाहरणस्वरूप कुछ कार्य शुरू किए जा सकते हैं, जैसे जिन विभागों में किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर इस्तेमाल होता है उसके शीर्षक अंग्रेजी-हिंदी दोनों में होने चाहिए, उनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जा सकें तो बहुत सुन्दर बात है। जिन लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी है उन्हें हिंदी कक्षाओं में पढ़ने के लिए भेजा जाए। अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिंदी आशुलिपि/टकण सीखने के लिए भेजा जाए और बड़ी बात यह है कि हम मूल रूप से हिंदी में अपने पत्र, अंतः कार्यालय ज्ञापन और नोट लिखना शुरू करें, अनुवाद के ऊपर निर्भर न रहें तभी हिंदी की प्रगति सही मायनों में हो पाएगी। ऐसे शब्दों की सूची बना लें जो प्रभाग में रोजना इस्तेमाल होते हैं फिर उनको हिंदी कक्ष से या स्वयं हिंदी कर लें और उनका यथासंभव प्रयोग करें। हीनता की भावना का त्याग बहुत जरूरी है। आज शुरू किया गया कार्य कुछ समय बाद कई गुना कार्य दीखेगा क्योंकि भविष्य हिंदी में ही दीखता है। आप सभी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर हिंदी में कार्य करना शुरू करें। अपने विभाग के लिये साथियों से कराएं और अधिकारियों से भी समय-समय पर मिलकर याद दिलाते रहें कि कानून का पालन करने की दृष्टि से हिंदी में भी काम किया जाना जरूरी है। भारत सरकार में किए गए कार्य की प्रगति आंकड़ों में पता चलती है, इस दृष्टि से आप सभी किए गए कार्य का ब्यौरा अवश्य रखें। कितने पत्र आपको हिंदी में मिले, कितने पत्र आपने हिंदी में लिखे इन सबका ब्यौरा आप रखकर हर महीने हिंदी कक्ष को भिजवाते रहें क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार को भेजने होते हैं।

अंत में, मैं फिर यही कहूंगा कि प्लानिंग से ही कोई भी काम अच्छा हो सकता है। हिंदी में कोई कार्य करने में शुरू में समय ज्यादा लग सकता है लेकिन इतना हमें करना ही पड़ेगा और तभी हम कंपनी के नाम को बढ़ा सकेंगे। हम भी चाहते हैं कि अन्य उपक्रम की भांति हिंदी कार्य करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कारों को प्राप्त करें।

मैं आज की संगोष्ठी का उद्घाटन करता हूं और कामना करता हूं कि सभी के विचार-विमर्श से कुछ ऐसे नतीजों पर पहुंचेंगे जिससे हिंदी की प्रगति हो सकेगी। संगोष्ठी की अधिप्राप्ति सेवाओं के महाप्रबंधक, श्री रवीन्द्रनाथ सेठ, हिन्दी विभाग के उप महाप्रबंधक, श्री वे. शेषन्, ई आई एल हिंदी परिषद् के शाखा मंत्री तथा प्रेशर वैसल में वरिष्ठ इंजीनियर, श्री मदनमोहन उपाध्याय और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी श्री हरशरन गोयल ने भी संबोधित किया।

श्री रवीन्द्रनाथ सेठ ने श्री शेषन् को उद्धृत करते हुए कहा कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया था उसी से काम बढ़ा है। अधिप्राप्ति सेवा प्रभाग में हमने अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए 5 बैठकें की गई, कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रूचि उत्पन्न हुई और काम किया जाने लगा। मैंने देखा कि हिंदी में काम करना आसान है। जब तक शुरू नहीं किया था तो कठिन लगता था। आप उच्च स्तर के अधिकारी काम शुरू करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आप हिंदी अखबार पढ़ने से शुरू करें। अनेक व्यक्ति आज शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में कर रहे हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी है।

आप अपने-अपने प्रभाग से अधिप्राप्ति सेवा प्रभाग में जब भी कोई पत्राचार करें तो वह केवल हिंदी में ही कर सकते हैं।

श्री उपाध्याय ने तकनीकी कार्यों में किए गए हिंदी के प्रयोग के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी सक्षम व्यक्ति अपने-अपने तरीके से हिंदी के प्रयोग के बारे में अपने-अपने विभाग की आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं कि कहां-कहां हिंदी लागू की जा सकती है। एक बार किया हुआ परिश्रम सदैव के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम सदैव आदेशों की प्रतीक्षा न करें और राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए हिन्दी में काम करना शुरू करें। शुरू में समय अवश्य कुछ ज्यादा लगेगा लेकिन इतना त्याग और कष्ट तो अपनी भाषा के लिए उठाना ही चाहिए। हमें अपने यहां इस्तेमाल होने वाले ड्राइंग स्टैंडर्ड को हिंदी में भी करा लेना चाहिए। आप लोग

अपने विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे होंगे अतः अपने यहां के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक से समय-समय पर मिलकर हिंदी लागू करने के प्रस्ताव रखते हुए सुझाव दें कि किस तरीके से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। हिंदी विभाग आपको सब सुविधाएं देने के लिए तैयार है उसका भी सभी को लाभ उठाना चाहिए।

श्री गोयल ने संक्षेप में भारतीय संविधान और राजभाषा अधिनियम की धाराओं का उल्लेख करते हुए हिंदीभाषी क्षेत्र में स्थित होने के कारण सभी को राजभाषा नियमों के पालन के प्रति दायित्वों से सचेत किया।

कंपनी द्वारा दी गई अनेक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कंपनी समय में कंपनी के खर्चे पर हिंदी नहीं जानने वालों को हिंदी पढ़ाने और अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों/टाइपिस्टों के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी/टाइपिंग सिखाने की व्यवस्था की गई है। परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर कई तरह के नकद प्रोत्साहन मिलते हैं और रोजाना कंपनी कार्य हिंदी में करने पर भी तरह-तरह के पुरस्कार रखे गए हैं। लगभग 10 हिंदी स्टेनो/टाइपिस्ट कार्य कर रहे हैं और 5 द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर खरीदे गए हैं। द्विभाषी वर्ड प्रोसेसर के दो टर्मिनल लगाए गए हैं। हिंदी टाइपराइटर काफी संख्या में मंगा लिए गए हैं और मंगाए जा रहे हैं। कंपनी प्रबंध मंडल की तरफ से हिंदी के प्रोत्साहन के लिए हर प्रकार का सहयोग मिला है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। आज जरूरत है सिर्फ आप सब लोगों के कार्य शुरू करने की। संगोष्ठी बड़ी सफल रही, व्यक्तियों में उत्साह था और हिंदी में काम शुरू करने का भाव।

नागपुर में सम्पर्क अधिकारी सम्मेलन

दिनांक 23 जून, 1989 : राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना, नागपुर द्वारा आयोजित नागपुर स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/बैंकों आदि के सम्पर्क अधिकारियों/विभागाध्यक्षों की एक बैठक लेखा निदेशक (डाक) कार्यालय के परीक्षा हॉल में हुई। इस बैठक में 53 सम्पर्क अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता हिन्दी शिक्षण योजना की सर्वकार्यभारी अधिकारी श्रीमती एल. आर. वी. एम. राव ने की।

श्रीमती राव ने उपस्थित सभी सम्पर्क अधिकारियों का स्वागत करते हुए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ कक्षाओं में अधिकाधिक प्रशिक्षार्थियों के नामांकन में सहयोग का अनुरोध किया। सहायक निदेशक श्रीमती व.न. वर्हाडे ने हिन्दी शिक्षण योजना के नागपुर केन्द्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि श्रीमती इंदिरा पंड्या, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए नागपुर केन्द्र के प्राचीनता और उपलब्धियों की ओर संकेत किया।

उप निदेशक महोदया ने केन्द्रीय कार्यालयों के अर्ध वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों की चर्चा करते हुए कहा कि हमें प्रशिक्षण का कार्य 1990 तक पूरा करना था। उन्होंने नागपुर केन्द्र की रिपोर्टों के आधार पर कहा कि नागपुर स्थित 170 विभिन्न कार्यालयों में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या लगभग 1791 है अतः इस संख्या को देखते हुए, हमें कम से कम 600 से 800 के बीच प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित करना है। सभी सम्पर्क अधिकारी इस कार्य में सक्रिय सहयोग दें।

श्रीमती पंड्या ने कहा कि एक केन्द्र पर कम से कम 3 कक्षाएं चलाई जाएं जिससे प्राध्यापकों को परेशानी न हो तथा समय की बचत हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की किसी कक्षा में संख्या 15 हो और यदि संख्या 8 या 10 है, तो भी कक्षा चलाई जा सकती है। श्रीमती पंड्या ने नागपुर केन्द्र पर शीघ्र प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति का आश्वासन भी दिया।

टंकण और आशुलिपि के प्रशिक्षण की समस्या का उल्लेख करते हुए श्रीमती पंड्या ने कहा कि टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में कठिनाई आती है। अगर इसके प्रशिक्षण की विभागीय व्यवस्था की जाए तो उत्तम रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालय में टाइपराइटरों की संख्या 25% नहीं हो जाए तब तक अंग्रेजी कि टाइपराइटर न खरीदे जाएं।

भारतीय खान ब्यूरो के हिन्दी प्रभारी श्री अवधेन्द्र कुमार के पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती पंड्या ने बताया कि हिन्दी टाईपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण की विभागीय व्यवस्था वे स्वयं करें अथवा पास किसी अन्य विभाग में चल रही प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षण लें। इसी क्रम में विस्फोटक विभाग के श्री शंभू प्रसाद के प्रश्न का उत्तर देते हुए उप निदेशक महोदया ने कहा कि वे मानदेय के आधार पर अपनी विभागीय व्यवस्था करके प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। उन्हीं के द्वारा पूछे गए प्रश्न--कि हम कर्मचारियों को नामित तो कर लेते हैं, परन्तु कक्षा में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तब ऐसी स्थिति में क्या करें ? इसके उत्तर में श्रीमती पंड्या ने बताया कि नियुक्ति की तरह प्रशिक्षण भी एक सेवाकालीन व्यवस्था है। नियोक्ता और कर्मचारियों को इस श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास करें। इससे यह कार्य सहज हो सकता है।

महालेखाकार, लेखा-परीक्षा के श्री एम. डी. मिश्रा ने प्रश्न किया कि हमें हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक के पद विगत दस वर्षों से बार-बार मांगे जाने पर स्वीकृत नहीं हुए, इस प्रश्न के उत्तर में उप निदेशक श्रीमती पंड्या ने कहा कि आप इस प्रश्न को 19-7-89 को पुणे में होने वाले सम्मेलन में उठाएं वहां सचिव, राजभाषा विभाग, निदेशक डॉ. महेशचन्द्र गुप्त भी उपस्थित होंगे ।

केन्द्रीय कपास अनुसंधान के श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमती पंड्या ने कहा कि हम ट्रेनिंग पुटेंशियल के आधार पर शहर से काफी दूर स्थित कार्यालयों में प्राध्यापक भेज कर भी कक्षाएं चलाते हैं और यदि संभव हो तो मानदेय के आधार पर विभागीय व्यवस्था भी की जा सकती है और उनके सस्थान में ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। समूह केन्द्र, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के श्री न. रा. चांदोरकर ने अपने कार्यालय में कक्षाएं चलाए जाने की मांग की और उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का वचन दिया कि हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, हमारे यहां कक्षा खोली जाएं। श्रीमती पंड्या ने इसके लिए सकारात्मक उत्तर देते हुए सहायक निदेशक श्रीमती वर्हाडे से सम्पर्क के लिए कहा।

मध्य रेलवे के श्री आर. एन. तिवारी ने प्रशिक्षण की विभागीय व्यवस्था की खामियों की ओर उप निदेशक का ध्यान आकर्षित किया। अंत में श्रीमती पंड्या ने कहा कि हमें धैर्य और लगन से इस कार्य को आप सभी के सहयोग से ही पूरा करना है और मुझे आशा है कि आप इस महान कार्य में हमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे ।

केनरा बैंक, चण्डीगढ़ में राजभाषा अधिनियम 1963 रजत जयंती समारोह

दिनांक 26-5-89 को राजभाषा अधिनियम 1963 रजत जयन्ती समारोह अंचल कार्यालय में मनाया गया । मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री प्रेमराज कौशिक, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा थे ।

इस समारोह के उपलक्ष्य में ही 23-5-89 को चण्डीगढ़ अंचल कार्यालय तथा स्थानीय शाखाओं/कार्यालयों के कर्मचारियों के बीच में वाद-विवाद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया। वाद-विवाद का विषय था—"राजभाषा अधिनियम- 1963 का राजभाषा कार्यान्वयन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है" तथा "सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की विधाओं के बीच में स्पर्धाएं आयोजित की गई।" दोनों प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक तीन मंडल प्रबन्धक रहे—1. सर्व श्री गांधीमती नाथन (अंचल कार्यालय, चण्डीगढ़) 2. के. शेखर (मंडल कार्यालय, चण्डीगढ़) 3. एच. पी. कामत (चण्डीगढ़, शाखा) रजत जयन्ती समारोह को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से बैंक ने एक नया कदम उठाया—चण्डीगढ़ में रहने वाले विभिन्न विधाओं के साहित्यकारों को सम्मानित करना। निम्नलिखित चार साहित्यकारों का चयन किया गया—

1. श्री कुमार विकल—कवि
2. श्री मनोहर शुक्ला—कथाकार
3. डॉ. राजेन्द्र मनोट—निबन्ध लेखक
4. श्री राधेश्याम शर्मा—पत्रकार

26-5-89 को समारोह बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। इस अवसर पर आमंत्रित साहित्यकारों को केनरा बैंक की ओर से मानपत्र तथा उपहार भेंट किए गए। 23-5-89 को आयोजित प्रतियोगिता के विजेता कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि श्री प्रेमराज कौशिक ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि—

"मैं केनरा बैंक से काफी समय से जुड़ा हुआ हूं और मेरा नाता एक ग्राहक का रहा है। जहां मैं केनरा बैंक द्वारा की गई ग्राहक सेवा से सदैव संन्तुष्ट रहा हूं। आज हिन्दी कार्यान्वयन की स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को उसके प्रति रुचि तथा लगाव को देखकर मुझे जितनी प्रसन्नता हो रही है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है । अब तक मैं केवल समाचार-पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों के जरिए ही हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में केनरा बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को पढ़ कर जानता था। आज उसे प्रत्यक्ष देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि केनरा बैंक न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में बल्कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार यह केवल दक्षिण क्षेत्र का बैंक ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय बैंक बन गया है। इससे ग्राहक सेवा पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा दूसरे बैंक भी देखा-देखी उत्तम ग्राहक सेवा देने का प्रयास करेंगे।"

समारोह का शुभारम्भ कुमारी गायत्री द्वारा प्रस्तुत "ईश वन्दना" से आरम्भ हुआ। श्री एस.सी. गौड़ ने सभी उपस्थितजनों का स्वागत किया। श्री के.पी.जी. राव ने समारोह की अध्यक्षता की।

सहायक महाप्रबन्धक श्री आर. जे. कामत ने बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि **"हिन्दी बहुत सरल भाषा है यह भाषा हमारी मातृ-भाषा नहीं है, फिर भी हम इस को समझने में तथा बहुत कम समय में हम ने इसमें प्रवीणता प्राप्त कर ली है। मुख्य धारा में समय के साथ-साथ चलने के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है और इस में कोई कठिनाई भी नहीं होती । हम कृत संकल्प हैं कि जो स्थान हमने हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में बनाया है उसे बरकरार रखेंगे तथा दूसरी संस्थाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।"**

हिंदी के बढ़ते चरण

राजभाषा के प्रयोग में एक अग्रणी बैंक

केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलूर में है और यहीं पर इस बैंक की स्थापना हुई। वर्तमान में इस राष्ट्रीयकृत बैंक की पूरे भारत वर्ष में 2269 शाखाएं हैं। 'ग' क्षेत्र की 1147 शाखाओं में से 223 शाखाएं नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित हैं। किन्तु 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की कुल 1122 शाखाओं में से 568 शाखाएं अधिसूचित हैं। 31 मार्च 1989 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के अनुसार केनरा बैंक में हिन्दी में पत्राचार तथा तार भेजने की स्थिति इस प्रकार है :—

	हिंदी में पत्राचार	हिंदी में तार
क क्षेत्र	92.15%	55.25 प्रतिशत
ख क्षेत्र	75.94%	37.18 "
ग क्षेत्र	47.13%	19.85 "

बैंक में सरकारी कामकाज में हिन्दी क प्रयोग की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है और इस प्रकार राजभाषा के प्रयोग में यह एक अग्रणी बैंक है।

दक्षिण भारतीय बैंक में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति के कारण जानने की दृष्टि से मैंने गत मास केनरा बैंक के महाप्रबन्धक (प्रशासन) श्री आर. श्रीधर पै से दिल्ली प्रवास के दौरान बातचीत की। श्री पै एक सुलझे हुए बैंकर तथा कुशल प्रशासक हैं। बैंक प्रशासन के अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बैंक में बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के जिम्मे है।

प्रस्तुति : डॉ. गुरूदयाल बजाज

भेंट से पूर्व मेरे मन में यह बात बार-बार उठ रही थी कि एक मलयालम भाषी अधिकारी से हिन्दी में बात करते में कठिनाई आएगी। किन्तु मेरे लिए यह एक सुखद आश्चर्य था कि श्री पै हिन्दी में केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उच्चारण और शब्दावली की दृष्टि से किसी भी हिन्दी भाषी की अपेक्षा अधिक सशक्त वक्ता लगे। श्री पै द्वारा शुद्ध हिन्दी बोलने का कारण जानने की जिज्ञासा को दबा पाना मेरे लिए कठिन था। श्री पै ने बताया उनके मामा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरी शिक्षा दीक्षा मद्रास में उन्हीं के सान्निध्य में हुई। श्री पै ने आगे बताया कि "मामाजी के आग्रह पर ही उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय लेकर बी.ए. परीक्षा पास की। आजादी से पूर्व तथा बाद में भी तमिलनाडु में लोग हिन्दी बड़े उत्साह से पढ़ते रहे हैं। हिन्दी हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ हुई भाषा है। इसलिए मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा

केनरा बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री आर. श्रीधर पै (दाएं) से राजभाषा भारती के लिए बातचीत करते हुए डॉ. गुरुदयाल बजाज

हिन्दी के प्रयोग से मुझे प्रसन्नता होती है।" उन्होंने यह भी बताया कि मुलाकातियों से भेंट, बैंक के पत्राचार, बैठकों की कार्यवाही आदि में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अच्छा लगता है।

प्रस्तुत हैं श्री पै से हुई बातचीत के मुख्य अंश--

बैंक को लगातार दो वर्षों से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड मिल रही है। आपने तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने में सफलता कैसे पाई है ?

राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के विविध प्रावधानों की पूर्ति के साथ साथ, समय समय पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विभिन्न आदेशों का विधिवत् अनुपालन करने की दिशा में हम हमेशा कृतसंकल्प हैं। बैंकिंग कारोबार में पत्राचार का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां तक हिन्दी में पत्राचार का मामला है, एक दक्षिणी बैंक होते हुए भी हम इस दिशा में सराहनीय प्रगति हासिल कर पाये हैं।

हिन्दी में अधिकाधिक पत्राचार बढ़ाने के उद्देश्य से हमने उन क्षेत्रों को पहचाना है, जहां, कुछ और प्रयास करने पर हिन्दी में मूल पत्राचार बहुत बढ़ सकता है: जैसे कि

(1) नित्यनिधि खाते में शेषराशि का पुष्टीकरण (Confirmation of balance in NND Account).

(2) नामे और जमा सूचनाएं
Debit and Credit Advices.

(3) चेक वापसी ज्ञापन
Cheque return memos

(4) प्रस्तावों के अनुस्मारक
Reminders of proposals

(5) पावती
Acknowledgement

(6) विभिन्न जमाराशियों की अवधिपूर्णतः तिथि के बारे में सूचित करना।
Informing maturity date of various deposits

(7) उत्पाद ऋण/खुला नकद उधार/चाबीबंद नकद उधार आदि के स्टॉक विवरण मांगना
Calling for stock statement of PL/OCC/KCC etc.)

(8) चालू खाता/ओवरड्राफ्ट/सावधि ऋण/बंधक खातों की शेषराशियों का पुष्टीकरण
(Confirmation of balances under CA/DD/TL/ML etc.

(9) परिसीमा नियत तिथि की सूचना
Limit due date intimation

(10) हुण्डियों/विनिमय बिलों को स्वीकृति की नियत तिथि के बारे में सूचना
(Intimation of due date of acceptance of Hundies//Bills of exchange)

(11) खातों में शेषराशि का पुष्टीकरण
Confirmation of Balance in the accounts

(12) ऋण खातों से संबंधित अनुस्मारक
(Reminders regarding Loan accounts)

(13) बिलों की सूचना
(Intimation of Bills)

(14) प्रस्ताव आदि का ब्यौरा मांगना
(Calling for details of the proposals etc.)

(15) मंजूरियां, अनुस्मारक, स्पष्टीकरण या ब्यौरा मांगना प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित पत्राचार
(Sanctions, reminders,, clarifications or calling for details, correspondence related to administrative units)

16) विवरणियां/विवरण
(Returns/Statements)

इसके अलावा हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए हर स्तर पर हर संभव कदम उठाए जाते हैं। हिन्द कार्यशालाओं में पत्राचार एवं अनुवाद के अधिकाधिक अभ्यास के सत्र शामिल किए जाते हैं।

आप हिन्दी में तार भेजकर कैसा महसूस करते हैं ?

हम धन संबंधी और कूट भाषा के तारों को छोड़कर अन्य प्रकार के अधिकतम तार हिन्दी में ही भेजते हैं। इस को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक स्थानों पर जांच बिंदु स्थापित और सक्रिय हैं।

क्या "ख' व "ग' क्षेत्रों में हिन्दी में तार भेजने में कोई कठिनाई होती है ?

शुरुआत में थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य हुई है। यह तो आदत की बात रही। कुछेक कर्मचारियों का मत यही रहा कि तार हमेशा की तरह अंग्रेजी में ही भेजे जाएं न कि हिन्दी में। परन्तु हिन्दी में तार भेजने पर बरती जाने वाली मितव्ययिता तथ्य एवं अन्य विशेषताओं पर सबका ध्यान आकर्षित किया गया। इस वजह से हमने समयबद्ध रूप से प्रगतिशील रुख बनाया। हमारी शाखाओं/कार्यालयों के तार पता हिन्दी में भी रजिस्ट्रीकृत हैं। शुरुआत में डाकघरों द्वारा हिन्दी के तार स्वीकृत नहीं किए जाते रहे। उच्च अधिकारियों से संपर्क करके और दोनों विभागों अर्थात् बैंक एवं डाक विभाग द्वारा समस्या के समाधान ढूंढ़ निकाले गए। हमारी दक्षिण की कुछ शाखाओं द्वारा हिन्दी तार अंग्रेजी लिपि में भेजे जाते हैं।

केनरा बैंक में प्रशिक्षण हेतु क्या व्यवस्था है ? क्या जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें हिन्दी के लिए प्रवाधान रखा गया है ?

कर्मचारियों का प्रशिक्षण चाहे सामान्य बैंकिंग में हो या अन्यत्र; हर विषय में प्रशिक्षित करने के लिए हर वर्ष एक क्रमबद्ध एवं समयबद्ध कार्यक्रम रूपापित किया जाता है। बैंक के प्रत्येक प्रशिक्षण कालेज/केन्द्र द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में हिन्दी के भी सत्र अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं।

क्या भारत सरकार के हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के आदेश का अनुपालन शुरू हो गया है ?

भारत सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार दिनांक 1-1-1989 से प्रभावी रूप में हमारी संस्था के समस्त कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों/केन्द्रों में सँचालित सभी पाठ्यक्रमों विशेषकर क्षेत्र "क" एवँ "ख" में हिन्दी में भी आयोजित किये जाते हैं । प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग की जाने वाली समस्त हैण्डआउट एवं पाठ्यसामग्री हिन्दी में भी तैयार की गयी है और इस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है । हमारे आगरा, पटना, चण्डीगढ़, दिल्ली केन्द्रों में लगभग सारे पाठ्यक्रम हिन्दी में चलाये जा रहे हैं । जबकि अन्य केन्द्रों में हिन्दी और अँग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

भर्ती एवं विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देने के बारे में केनरा बैंक की क्या स्थिति है ?

भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देने का मामला बैंकिंग सेवा भर्ती मण्डलों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है जबकि हमारे बैंक की विभागीय अधीनस्थ पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का भी विकल्प दिया गया है ।

. . .तमिलनाडु में लोग हिन्दी बड़े उत्साह से पढ़ते रहे हैं। हिंदी हमारे स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़ी हुई भाषा है । इसलिए मातृभाषा के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रयोग में मुझे प्रसन्नता होती है ।'

आर. श्रीधर पै

बैंक में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं ?

केनरा बैंक में इस दृष्टि से कई योजनाएँ लागू हैं जैसे: हिन्दी प्रोत्साहन योजना, केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना । जिसमें 100 से भी ज्यादा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, "श्रेयस' प्रतियोगिता (हिन्दी), हिन्दी दिवस समारोह के सिलसिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, बैंक के हर स्तर पर सक्रिय कार्यदलों का निर्माण, अखिल भारतीय स्तर पर संकाय सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन, हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना, कर्मचारियों को हिन्दी में अन्तःसेवाकालीन -प्रशिक्षण, हिन्दी कार्यशालाएं, अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी अधिकारियों/संपर्क हिन्दी अधिकारियों का सम्मेलन ।

शाखा/कार्यालय की स्टाफ-बैठकों में जो हर महीना आयोजित की जाती है उसकी कार्यसूची में हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी मद अनिवार्य रूप से शामिल की जाती है । प्रत्येक शाखा के हिन्दी-प्रतिनिधियों की नियमित बैठकें, संदर्भ साहित्य का प्रकाशन आदि ।

हिन्दी का सर्वोकृष्ट काम करने वाली शाखाओं को हिन्दी दिवस का अधिक वैभव के साथ आयोजित करने/मनाने के लिए विशेष बजट का आवंटन । राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के प्रत्येक मद के अन्तर्गत सराहनीय या प्रशंसनीय कार्य करने वाली शाखाओं/कार्यालयों को प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक मद के लिए संबंधित कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान करना । पदोन्नति के बाद दक्षिण के अधिकारियों को उत्तर भारत की शाखाओं में भेजे जाने से पूर्व विशेष हिन्दी कार्यक्रम आयोजित किया जाना ताकि अत्यधिक काम हिन्दी में सम्पन्न हो।

हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए किस प्रकार प्रेरित करते हैं।

(Functional Hindi) प्रयोजन मूलक हिन्दी में प्रशिक्षित लगभग सभी कर्मचारी बैंकिंग के अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने में हमेशा प्रयासरत हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी में काम की मात्रा का और बढ़ाने के लिए बैंक में हिन्दी कार्यशालाए भी आयोजित की जा रही हैं और पर्याप्त संख्या में हिन्दी कार्यान्वयन पर तथा सामान्य बैंकिंग पर भी हिन्दी के वीडियो फिल्म/डाक्यूमेंटरी फिल्म हमारी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा तैयार किए गए हैं।

बैंक की शाखाओं में जो भी विशेष कार्य है उनकी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार काफी अच्छी है। इसे और अधिक बढ़ाने हेतु आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं –

(1) विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

(2) हिन्दी के प्रयोग का बढ़ाने वाले सदर्भ साहित्य का अधिकाधिक प्रकाशन, उपलब्ध कराना,

(3) शाखाओं/कार्यालयों को और अधिक मात्रा में यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, तथा

(4) हिन्दी कार्यान्वयन पर डाक्यूमेंटरी फिल्में तैयार करना और समय-समय पर उनका प्रदर्शन आदि।

आंध्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, हैदराबाद में राजभाषा कार्यान्यन की प्रगति

बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में वर्ष 1981 में राजभाषा कक्ष का सृजन किया गया तदुपरांत 8 आंचलिक और 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा कक्षों की स्थापना हुई।

वर्ष 1987 के दौरान कक्ष का कार्य निष्पादन काफी संतोषजनक रहा। भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से श्रेष्ठता प्रमाण पत्र और राज भाषा शील्ड प्राप्त की।

बैंक ने वर्ष 1988 में भी राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में काफी प्रगति हासिल की। वर्ष 1988 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्न प्रकार से रहा :—

(1) पत्राचार

तिमाही के लिए	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1	2	3	4
31-3-88 तक	68.30	23.86	22.58
30-6-88 तक	44.80	16.86	11.36
30-9-88 तक	57.20	15.64	17.56
31-12-88 तक	46.70	31.60	14.35

(2) नियम 10(4) के अन्तर्गत शाखाओं की अधिसूचना

वर्ष 1987 तक 201 शाखाएं अधिसूचित की। वर्ष 1988 में राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत 75 शाखाएं अधिसूचित की गई।

(3) निरीक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष के अन्त तक सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं राजभाषा अधिकारियों ने पृथक रूप में करीब 30 प्रतिशत शाखाओं का निरीक्षण किया। प्रबन्धक, राजभाषा ने 6 आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने भी दिनांक 1-10-88 को वारंगल आंचलिक कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां के हिन्दी की प्रगति एवं कार्यनिष्पादन की प्रशंसा की।

(4) हिन्दी कार्यशालाएं

विभिन्न आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों में जहा रा.भा. अधिकारी हिन्दी कार्यान्वयन के कार्य में कार्यरत है, वहां नियमित रुप से हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 96 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जबकि गत वर्ष में इनकी संख्या 73 थी।

बैंक के आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों में दो/तीन विभाग हिन्दी में कार्य करने के लिए निर्धारित

(5) बैंक के परिचालन क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग

क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त "ग" क्षेत्र में स्थित 130 से अधिक हमारी शाखाओं में परिचालन क्षेत्रों में भी हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है।

(6) हिन्दी प्रशिक्षण

कुल 12,661 कर्मचारियों में 8,358 कर्मचारी दिनांक 31-12-88 तक हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। 485 कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हिन्दी प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद, विजयवाड़ा, कलकत्ता, कर्नूल, बेंगलूर, विशाखापट्टनम् मछलीपट्टनम और नेल्लूर में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ कर चुके हैं। साथ-साथ कर्मचारियों को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम में भाग लेने को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

(7) मासिक स्मृति परीक्षा

जहां 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों, ऐसी शाखाओं में अर्द्ध-शहरी/शहरी, क्षेत्रीय और अंचल में हर तिमाही में एक बार स्मृति परीक्षा रखी गई जिसमें 'हर दिन एक हिन्दी शब्द सीखिए" योजना के अन्तर्गत लिखी गई शब्दावली में से परीक्षा ली गई।

(क) कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र से रा.भा. अधिकारियों के लिए हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित सामान्य बैंकिंग कार्यक्रम का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(ख) वर्ष 1986 में कोड और मैनुअल का मुद्रण हिन्दी और अंग्रेजी में किया और वर्ष 1988 के दौरान प्रशिक्षण हैंडआउट्स का द्विभाषीकरण किया गया।

(ग) आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में दो/तीन विभाग हिन्दी में कार्य करने के लिए निर्धारित किए गए।

(घ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

हैदराबाद और सिकंदराबाद नगरद्वय का राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक के रुप में नियमित रुप से बैठकें आयोजित कीं और इस कार्य के लिए भारत सरकार से राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई।

नगरद्वय में स्थित बैंकों में कार्य करने के प्रोत्साहन देने रा.भा. नगर कार्यान्वयन समिति की ओर से वर्ष 1987 में रा.भा. शील्ड देने की योजना आरम्भ की।

(च) राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में हिंदी कार्यान्वयन की समीक्षा :

विगत वर्ष से आन्ध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में समीक्षा कार्य शुरु किया गया।

(छ) आन्ध्र बैंक राजभाषा शील्ड का परिचय :

इस योजना का प्रारम्भ आंचलिक/क्षेत्रीय और शाखाओं में (क्षेत्रीय स्तर पर) और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में हिन्दी में काम करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वर्ष 1986 से किया गया।

(ज) प्रकाशन

आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालय में गृह पत्रिका "मैंजिकार्ट" का प्रकाशन तेलुगु, हिन्दी और अंग्रेजी में किया जा रहा है।

वर्ष 1988 के दौरान बैंक द्वारा 6 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम लेखन सामग्री विभाग में राजभाषा विभाग, बेंगलूर की तरफ से आयोजित किया गया।

केनरा बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय बेंगलूर

कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर में दिनांक 7-4-1989 को राजभाषा कक्ष की स्थापना हुई तथा राजभाषा कक्ष में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति हुई । पहले चरण में हिन्दी के प्रति जागृति लाना हमारा पहला लक्ष्य था। राजभाषा कक्ष की स्थापना के पश्चात सर्वप्रथम महाविद्यालय के सभी बोर्ड, नामपट्ट द्विभाषी किए गए । कुछ ऐसे नेमीपत्रों को द्विभाषी बनवाया गया जिनसे हिन्दी में पत्राचार बढ़ सकता था । कुछ दिन तक प्रबोध कक्षाएं भी राजभाषा कक्ष द्वारा चलायी गई । सभी रबड़ मोहरों को द्विभाषी बनवाया गया । महाविद्यालय में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कार्य व सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार हिन्दी को लागू करना एक चुनौती जैसी थी । महाविद्यालय में राजभाषा हिन्दी के काम में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) सभी अंग्रेजी हैण्डआउटों का हिन्दी में अनुवाद करना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित हिन्दी प्रशिक्षण समन्वय समिति के अनुदेशानुसार सभी अंग्रेजी हैण्डआउटों को हिन्दी में अनुवाद करना अनिवार्य था । इस काम को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख 31-12-88 निश्चित थी । लेकिन कुल 264 अंग्रेजी हैण्डआउटों को अनुवाद करने का काम शुभारंभ किया गया और प्रति माह एक रिपोर्ट उक्त समिति को भेजी गई । जितने अनुवादित हैण्डआउट तैयार हो जाते हैं, उन सभी को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे को समय-समय पर भेजा गया । इस कार्य को लक्ष्य से 15 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया अर्थात् 15-12-1988 को ही । सभी अंग्रेजी हैण्डआउटों का हिन्दी में अनुवाद किया गया और उस रिपोर्ट को समिति को भेज दिया, इसके पहले उक्त समिति ने 80 प्रतिशत लक्ष्य तिथि के पहले पूरा करने के विषय में एक प्रशंसा पत्र भी दिया हैं । इन अनुवादित हैण्डआउटों को टाइप करके सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम होने के बाद देते हैं । हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैण्डआउट तैयार कर के, दिनांक 1-1-1989 से जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उस समय इसका उपयोग करते हैं । दिनांक 1-1-89 से सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हिन्दी माध्यम द्वारा आयोजित करने के उद्देश्य से यह काम किया गया है ।

(2) राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा कक्ष की स्थापना के साथ साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया । प्रत्येक तिमाही में इस समिति की बठैकों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है ।

(3) हिन्दी पत्राचार

सभी कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों को पत्राचार बढ़ाने हेतु अनुदेश दे दिया गया है । प्रशिक्षण केन्द्रों के पत्राचार की रिपोर्ट संतोषजनक है । हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है । मूल पत्राचार भी दिन व दिन हिन्दी में बढ़ता जा रहा है ।

(4) हिन्दी अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग जानकारी कार्यक्रम

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत सभी हिन्दी अधिकारियों का सामान्य बैंकिंग विषय के बारे में अवगत कराने हेतु 7 दिन का एक नया कार्यक्रम शुरु किया गया । यह कार्यक्रम दिनांक 14-11-88 से 19-11-88 तक चलाया गया । अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया । इस कार्यक्रम की सभी प्रतिभागियों व वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशंसा की है ।

(5) हिन्दी प्रशिक्षण

सभी कार्यक्रमों में, जो महाविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं उसमें हिन्दी उन्मुख विषय से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी सीखने हेतु सलाह दी जाती है । विभिन्न परीक्षाओं में बैठने हेतु विस्तृत मार्गदर्शन भी दिया जाता है ।

साल में जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में हिन्दी का सत्र रखा जाता है। **साथ ही प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखने का कार्यक्रम बेंगलूर महाविद्यालय में** चलाया जा रहा है जिसको सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया है।

(6) हिन्दी पुस्तकालय

कर्मचारियों को हिन्दी के प्रतिप्रेरित करने के लिए सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में व महाविद्यालयों में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की गई है। जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न रुचियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें अधिकांश कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं।

(7) हिन्दी दिवस समारोह

महाविद्यालओं एव केन्द्रों में पहले से ही हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी महाविद्यालय में धूमधाम से हिन्दी दिवस मनाया गया।

(8) अन्य विषय

हिन्दी संकाय सदस्य की नियुक्ति की जा रही है। डेल्फी अनुभाग का काम हिन्दी में राजभाषा कक्ष द्वारा किया गया और किया जाता है। पत्रों का अनुवाद भी किया जा रहा है। स्टाफ बैठक हिन्दी में की जा रही है। अधिकतर बठकें हिन्दी में करने हेतु पिछली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कदम उठाया गया है।

(9) हिन्दी फिल्म

बैंकिंग उद्योग में पहली बार महाविद्यालय द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई। (डेलीगेशन इस प्रशिक्षण फिल्म को भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाया गया। अधिकारियों ने प्रशँसा व्यक्त करते हुए केनरा बैंक व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एच.जी. सोमशेखर राव को बधाई दी। राजभाषा नियम व अधिनियम के बारे में फिल्म तैयार करने का काम जारी है। हिन्दी में तैयार की गई फिल्मों को सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा गया है और सभी प्रतिभागियों को दिखाने के लिए कहा गया है।

इंजीनियर्स इंडिया लि० नई दिल्ली में राजभाषा का बढ़ता प्रयोग

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सलाहकार संस्था है। ई.आई.ए.ल. द्वारा इंजीनियरी सलाहकार सेवा देश एवं विदेश की महत्वपूर्ण संस्थाओं में दिया जाता है। इंजीनियरी सेवा में हिन्दी के महत्त्व को देखते हुए इसमें तेजी लाने हेतु श्री रामचन्द्र प्रसाद चौधरी, महाप्रबंधक इंजीनयिरी को ई. आई. एल. हिन्दी परिषद शाखा का प्रधान एवं मदन मोहन उपाध्याय वरिष्ठ इंजीनियर प्रेशर-वैसल्स को इस शाखा का शाखा मंत्री चुना गया। श्री वे. शेषन एवं श्री अरविन्द कुमार पाल शाखा के उपप्रधान हैं। श्री वे. शेषन की हिन्दी के प्रति निष्ठा एवं कार्य शैली की वजह से हिन्दी परिषद शाखा को विशेष बल मिला है।

इस वर्ष श्री रामचन्द्र प्रसाद चौधरी महाप्रबंधक के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे ई.आई. एल. जैसी इन्टरनेशनल संस्था में भी हिन्दी में कार्य के प्रति लोगों की रूचि एवं विश्वास लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष शाखा ने प्रतियोगिताओं की संख्या में वृद्धि की है एवं पुरस्कारों की संख्या में भी काफी वृद्धि की गई है।

(1) हिन्दीतर भाषियों में हिन्दी के प्रति रूचि एवं उत्साह उत्पन्न करने हेतु हिन्दी निबंध प्रतियोगिता कराई गई है। इसके अन्तर्गत एक प्रथम पुरस्कार, दो द्वितीय पुरस्कार एवं तीन तृतीय पुरस्कार (कुल-6 पुरस्कार) प्रदान किए गए हैं। □

(2) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता सभी के लिए आयोजित की गई जिसके अन्तर्गत कुल दस पुरस्कार दिए गए हैं।

(अति उत्तम—दो, उत्तम—चार, सराहनीय—चार)

(3) हिन्दी वाक् प्रतियोगिता के अन्तर्गत कुल पांच पुरस्कार दिए गए हैं।

(अति उत्तम—एक, उत्तम—दो, एवं सराहनीय—तीन)

(4) हिन्दीतर भाषियों के लिए भी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके अन्तर्गत तीन प्रतियोगियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

(प्रथम, द्वितीय, तृतीय—प्रत्येक एक)

(5) महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो बहुत ही उत्साहवर्धक पाया गया है इसमें कुल-6 प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है। (अति उत्तम—एक, उत्तम—दो, सराहनीय—तीन)

(6) बाल निबंध प्रतियोगिता, ई.आई.एल. कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित की गई है, इसमें 8 से 12 एवं 12 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष तक के दो आयु वर्ग रखा गया। प्रतियोगिता में बच्चों की रूचि एवं संख्या को देखते हुए कुल 16 पुरस्कार रखे गये हैं।

(अति उत्तम—तीन, उत्तम—छः एवं सराहनीय —सात)

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को भी प्रतियोगिता के समय पुरस्कृत किया गया।

(7) 23वीं अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में चुने गये उत्तम एवं सराहनीय सभी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अन्तर्गत कुल बारह प्रतियोगी चुने गए हैं।

ई.आई.एल. हिन्दी परिषद् से उन सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है जो 15 हजार से ज्यादा शब्द लिखने के बावजूद केन्द्र द्वारा पुरस्कृत नहीं हो पाते इसके अतिरिक्त वर्ष में दस हजार से ज्यादा शब्द लिखने वाले भी पुरस्कृत किए जाएंगे।

सबसे अधिक सदस्य बनाने वाले व्यक्तियों को भी पुरस्कृत करने का प्रावधान है। हिन्दी की विशिष्ट सेवा के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते जाते हैं! हिन्दी में किए गए कार्यों के कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं।

(1) वैसल डिजाइन डाटा शीट, पाईपिंग ड्राईंग
(2) टेक्निकल बिड एनालिसिस
(3) मैटेरियल रिक्वीजिशन एवं परचेज रिक्वीजिशन
(4) स्टैण्डर्ड का रूपान्तर हिन्दी में कुछ नमूने—
(5) प्रतियोगिता संबंधी कुछ फोटोग्राफ
(6) उपयुक्त प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

(7) हिन्दी में तकनीकी लेखन प्रोत्साहन हेतु कुल बारह पुरस्कार रखे गए हैं। अतकनीकी हिन्दी लेखन के लिए भी बारह पुरस्कार रखे गये हैं। ये पुरस्कार ई.आई.एल. "प्रगति" में छपे लेखों के लिए दिया जाएगा।

(8) डिजाइन डाटा शीट एवं ड्राइंग (हिन्दी में) बनाने के लिए कुल 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ई.आई.एल. में हिन्दी में डिजाइन डाटा शीट ड्राइंग, बोली का तकनीकी विश्लेषण (टेक्निकल बिड एनालिसिस सामग्री मांग (मटेरियल रिक्वीजिशन), क्रय मांग (परचेज रिक्वीजिशन) हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं।

उपरोक्त सभी पुरस्कारों के लिए प्रथम पुरस्कार 51 रुपये, द्वितीय 31 रुपये तथा तृतीय 21 रुपये का रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। तकनीकी कार्यों को हिन्दी में अधिक से अधिक करने के लिए ई.आई.एल. में प्रयोग में आने वाली स्टैण्डर्ड एवं स्पेशिफिकेशन का हिन्दी रूपान्तरण किया जा रहा है एवं इसके लिए राजभाषा विभाग एवं अनुवाद ब्यूरो से भी सहायता ली जा रही है।

इस वर्ष विशेष रूप से हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने वाले प्रभागों चल वैजयन्ती शील्ट से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। चल वैजयन्ती शील्ड तकनीकी विभाग में सर्वाधिक हिन्दी में कार्य करने वाले प्रभाग को एवं अतनीकी विभाग में सर्वाधिक कार्य करने वाले प्रभाग को अलग-अलग सम्मानित किया जाएगा।

जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनकी हिन्दी में कार्य करने की कठिनाई को देखते हुए शुरू में कुछ विशेष तकनीकी शब्दों के लिए स्टैम्प प्रयोग करने का सुझाव है। इस मद में करीब 200 से ज्यादा तकनीकी शब्दों के लिए स्टैम्प बनवाए गए हैं। इनके कुछ नमूने संलग्न किए जा रहे हैं।

सभी कर्मचारियों को हिन्दी पारिभाषिक शब्द हेतु "कंपनी कार्य सहायिका" वितरित की गई है। (कुल 5000 प्रतियां छपवाई गई हैं) इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रभागों में प्रचलित शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली भी बनाई जा रही है। इसे और अधिक उपयोगी बनाने हेतु उपसमिति गठन किया गया है।

पिछले वर्ष (1988-89) के सदस्यता अभियान में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने सर्वाधिक 1143 सदस्य बनाए थे और इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 1500 से ज्यादा हो गई है। सर्वाधिक सदस्य बनाने वाले तीन सदस्यों को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।

ई.आई.एल. द्वारा पोस्टर, बैनर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अपील, हिन्दी परिषद् शाखा प्रधान की अपील एवं अन्य विभागाध्यक्षों द्वारा बार-बार की गयी अपील द्वारा हिन्दी कार्यों में तेजी आ रही है। कंपनी की ओर से पिछले वर्ष हिन्दी सप्ताह के दौरान कुल 106 पुरस्कार रखे गए थे। कंपनी में सर्वाधिक हिन्दी में कार्य करने वाले तीन लोगों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 500-500 रुपये के दो पुरस्कार एवं 300 रुपये का एक पुरस्कार प्रदान किया है। **पुरस्कार व्यक्तियों में श्री वे. शेषन (500 रुपये का पुरस्कार), श्री मदन मोहन उपाध्याय (500 रुपये का पुरस्कार) वरिष्ठ इंजीनियर एवं श्री शेलेन्द्र भटनागर (400 रुपये) वरिष्ठ इंजीनियर हैं।** हिन्दी सप्ताह के दौरान सर्वाधिक कार्य करने वाले एवं हिन्दी लागू करने के उपयोग सुझावों के लिए 151 रुपये के दो पुरस्कार दिए गए। हिन्दी कक्ष द्वारा आयोजित कार्यशाला में हिन्दी परिषद् महत्त्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका अदा करती रही हैं।

ई.आई.एल. हिन्दी परिषद् द्वारा दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया भवन, पी.टी.आई. भवन में हिन्दी पुस्तकालय चलाया जा रहा है। ई. आई. एल. आफिस बम्बई एवं साइट आफिस बड़ौदा में भी हिन्दी पुस्तकालय खोले गए हैं। जिससे करीब 1500 से ज्यादा व्यक्ति इसका लाभ उठा रहे हैं। पुस्तकालय में करीब 45000 रुपये से ज्यादा की हिन्दी की पुस्तकें हैं जो लोगों की रुचि हिन्दी के प्रति बढ़ाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रही हैं।

प्रचार-प्रसार एवं रुचि उत्पन्न करने हेतु सांस्कृतिक एवं कवि-गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है, इसमें ई. आई. एल. परिवार के सदस्य एवं उनके बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अच्छे कार्यक्रमों को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।

इस वर्ष कंपनी में दस हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे गए हैं एवं अभी तक कुल तीस हिन्दी कार्यशाला लगाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी परिषद् द्वारा ई.आई.एल. में लिखे अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी शब्द लिखने, इंजीनियर्स इंडिया हाऊस का नाम बदलकर इंजीनियर्स इंडिया भवन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

हिन्दी परिषद् की प्रेरणा से स्वागत कक्ष में एवं टेलीफोन आपरेटरों द्वारा भी अधिक से अधिक हिन्दी प्रयोग में लाई जा रही है। हिन्दी परिचय एवं शब्दावली चार्टों की मांग निरन्तर बढ़ रही है जो हिन्दी के प्रति जागरुकता का परिचय है।

उपरोक्त कार्यक्रमों को लागू करने एवं परिषद के सदस्यों को प्रोत्साहित करने में ई.आई.एल. हिन्दी परिषद के संरक्षक श्री बद्रीनाथ झा निदेशक (कार्मिक) एवं श्री महेश चन्द बंसल निदेशक (वित्त) का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कंपनी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ललित के. चन्दोक के भी हम सभी अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने 1990 तक कंपनी में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए यथा संभव सभी तरह की सहायता का वचन दिया है।

ई. आई. एल. अपने सलाहकार सेवाओं की भांति हिन्दी कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये रखने के लिए कृत संकल्प है। ई.आई.एल. द्वारा निकलने वाली हिन्दी पत्रिका "प्रगति" एवं "हमारा ई.आई.एल." में हिन्दी अपना स्थान बना चुकी है। समय-समय पर केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा किए गए मार्गदर्शन के लिए ई.आई.एल. हिन्दी परिषद् बहुत ही आभारी है और जय हिन्दी के नारे के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

दीपक परियोजना मुख्यालय शिमला में हिन्दी प्रयोग

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनायें प्रशासनिक, प्रतिवेदन इत्यादि को द्विभाषी करने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

2. बुधवार व शनिवार को कार्यालय का सरकारी कामकाज केवल हिन्दी में करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में तय किया गया है और प्रयत्न जारी हैं।

3. कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग सिखाने के लिए इस मुख्यालय में कार्याशाला का आयोजन जून 1989 से शुरू है, जिसमें कर्मचारी प्रशिक्षण पा रहे हैं। पिछले वर्ष 1988 में हिन्दी सप्ताह का आयोजन सितम्बर माह में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगितायें कराई गई तथा सफल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष भी हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन सितम्बर 1989 में किया जाएगा।

4. निरीक्षण रिपोर्ट हिन्दी में करने के लिए प्रयास जारी हैं।

5. जो कर्मचारी अपना कार्यालय का सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिन्दी में करेंगे उनको पुरस्कृत करने तथा जो अधिकारी अधिक से अधिक हिन्दी में डिक्टेशन देगें उनको किसी समारोह पर पुरस्कृत करने की प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रयत्न जारी है। हिन्दी टाईपिंग सिखाने के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन जून 1989 से शुरू है। तीन महीने बाद इन कर्मचारियों का हिन्दी टाईपिंग संबंधी टेस्ट लिया जायेगा, जो कर्मचारी इस टेस्ट में पास होंगे उनको नकद पुरस्कार दिया जायेगा। हिन्दी दिवस पर कराई गई हिन्दी संबंधी प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

प्रतिकर संबंधी पत्र व्यवहार, छुटटी के आवेदन, भूमि अधिग्रहण संबंधी पत्राचार मजदूरी से जुड़े पत्राचार इत्यादि हिन्दी में किये जाते हैं। तकनीकी रिपोर्ट अंग्रेजी में भेजी जाती है, किन्तु हमारा प्रयास है कि उन्हें यथा-संभव हिन्दी में किया जाए। आकलन के अन्दर मामले का विवरण हिन्दी में लिखा जा रहा है।

माल-डिब्बा कारखाना, गुंटुपल्ली

माल डिब्बा कारखाना, गुंटुपल्ली में दिनांक 11-5-89 को राजभाषा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। श्री बी. रघुराम, मुख्य कारखाना इंजीनियर द. म. रेलवे, सिकंदराबाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद ने अतिथि वक्ता के रूप में समारोह में भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता श्री एन. एस. कस्तूरी रंगन, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने की।

प्रार्थना गीत से समारोह का शुभारंभ हुआ। श्री के. एम. अनन्तालवार, कारखाना राजभाषा अधिकारी एवं जिला विद्युत इंजीनियर ने अतिथियों और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों का स्वागत किया। उन्होंने माल डिब्बा कारखाने में हिन्दी की प्रगति पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि द्वारा माल-डिब्बा कारखाना, गुंटुपल्ली की ओर से प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "कृष्णवेणी" के प्रथम अंक का विमोचन किया गया। श्री रघुराम, मुख्य कारखाना इंजीनियर ने प्रकाशित सामग्री की चर्चा की। रेलवे में अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें भी पहले हिन्दी नहीं आती थी। पहले उन्होंने उर्दू, फिर अंग्रेजी और बाद में हिन्दी सीखी। हिन्दी सरल भाषा है और सीखने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा परिश्रम करें तो आसानी से हिन्दी में कार्य कर सकते हैं।

श्री सुदर्शन खन्ना, ने पहले "कृष्णवेणी' के प्रकाशन, उत्तम छपाई, सामग्रियों के चयन संपादन के लिए उप मुख्य यांत्रिक इँजीनियर और उनके सहयोगियों को बधाई दी।

उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी की जगह पर हम हिन्दी को सद्भावना और प्रेम से लाना चाहते हैं। हिन्दी एक सशक्त भाषा है और इसमें परिवर्तन को ग्रहण करने की क्षमता है। हमें अपनी और अपने देश की भाषा से प्रेम होना चाहिए। उन्होंने अपने दिलचस्प भाषण के दौरान यह प्रश्न उठाया कि हम कब तक विदेशी भाषा का मोहताज बने रहें। विदेशों में भाषा के प्रति प्रेम के कई उदाहरण, जैसे आयरलैंड 1914 ई. में आजाद हुआ। वहां के राज्याधिकारियों रईस लोगों ने गांव जाकर अनपढ़ों से आयरिश भाषा सीखी और वहां राज-काज का काम आयरिश में होता है न कि अंग्रेजी में। जापान में पढाई जापानी भाषा में होती है और हम देख रहे हैं कि तकनीक में जापान कितना आगे है। हमें अंग्रेजी के भूल-भूलैया और मोहताश को छोड़कर अपनी भाषा हिन्दी को अपनाए और देश के व्यक्तित्व और गौरव की श्रीवृद्धि करें। इसके लिए हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग दें।

हमें अपनी भाषा और राष्ट्र का ऊँचा उठाने में अपना योगदान देना है।

श्री एन. एस. कस्तूरी रंगन, ने कहा कि कर्मचारियों को हिन्दी तो आती है, लेकिन झिझक के कारण हिन्दी में काम करने से कतराते हैं। इसके लिए अधिकारियों को आगे आना होगा, उन्हें हिन्दी में आदेश आदि लिखकर, हिन्दी में काम कर अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करना होगा। कर्मचारियों से अपील की कि वे राष्ट्रीय कार्य समझकर हिन्दी अपनाए, हिन्दी में काम करें और हिन्दी को सही मायने में राजभाषा का दर्जा दिलाने में प्रयास करें। कैसी भी हिन्दी लिखें, क्षम्य है लेकिन अंग्रेजी में इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल सकती है।

इसके बाद रोचक और मनभावन रँगारँग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रारंभ सुश्री पी. भानुमती के भरत नाटयम से हुआ। श्री बाबर हुस्सैन और पार्टी ने भजन और कव्वाली से जहां ऊष्णता वाले शाम ने शीतलता दी तो संजीव राम के गीत और जोन के संगीत ने सबको विभोर कर दिया। इसके बाद हास्य एकांकी "व्रत" का सफल मंचन किया गया, जिसकी उपस्थित समुदाय ने बहुत ही प्रशंसा की।

तदुपरांत पुरस्कार वितरण हुआ। सप्ताह दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों और बच्चों, हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों, हिन्दी में 10,000

और अधिक शब्द लिखने वाले तथा हिन्दी में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों का मुख्य अतिथि द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों का मोमेंटो प्रदान किया गया।

श्री के. बी. टी. नायक, कारखाना/कार्मिक अधिकारी ने समारोह को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया।

मण्डल रेल प्रबंधक, आद्रा

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

आद्रा मण्डल में दिनांक 9 एवं 10 मई 89 को द.पू. रेलवे बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,/आद्रा के आडिटोरियम में हिन्दी सप्ताह समारोह धूमधाम से मनाया गया।

श्री जयन्त राय, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि आद्रा मण्डल का कुछ भाग "क" क्षेत्र एवं अधिकांश भाग "ग" क्षेत्र में पड़ता है, किन्तु सर्वत्र अधिकतर कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मातृ भाषा हिंदी नहीं है उनको हिन्दी में प्रशिक्षित करके उनसे काम-काज म हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग कराना संवेधानिक अनिवार्यता है। राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिये अनुकूल माहौल बनाने में मण्डल, क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय स्तर पर मनाये जाने वाले हिन्दी सप्ताह समारोहों की अपनी अलग भूमिका होती है।

हिन्दी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम दिन मुख्यालय/आद्रा, बोकारो एवं रांची की टीमों ने क्रमश : "भूख", "मजिस्ट्रेट चैकिंग" एवं "आया राम गया राम" नामक एकांकी नाटकों का मंचन किया और समारोह के दूसरे दिन मुख्यालय की ही दूसरी टीम ने "परिणाम" नामक हिन्दी नाटिका का मंचन किया तथा दक्षिण पूर्व रेलवे, बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री आर.चट्टोपाध्याय, मंडल रेल प्रबंधक ने मई एवं नवम्बर 1988 में आयोजित हिन्दी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर्मचारियों को पुरस्कृत किया तथा 56 ऐसे कर्मचारियों को भी पुरस्कार दिया जिन्होंने वर्ष के दौरान हिंदी में प्रशँसनीय कार्य किए थे। इसके अलावा उत्कृष्ट नाट्य कला प्रदर्शन के लिए कलाकारों को विभिन्न पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबन्धक ने कहा कि हिन्दी एक सरल भाषा है और थोड़ें अभ्यास से ही इसको लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाता है। उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे केवल प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण हैं किन्तु उन्हें इसे लिखने, पड़ने और बोलने में कोई असुविधा नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि रेलों का जन साधारण से सीधा सम्बन्ध है और उनसे निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिये हिन्दी ही सर्वसाधारण की भाषा है। उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कर्तव्य निष्ठा एवं मिशनरी भावना की आवश्यकता पर बल दिया। श्री रामाधार सिंह यादव, राजभाषा अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद

दिनांक 16 मार्च, 1989 को संस्थान में हिंदी दिवस के आयोजन के अवसर पर उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद के हिन्दी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद के निदेशक श्री प्रसादराव ने की।

संस्थान के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव ने संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री के. प्रसाद राव ने कार्यालय में हिंदी के कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति के अपने संकल्प को दोहराया। संस्था में 14 सितम्बर, 1988 को आयोजित हिन्दी निबन्ध एवं हिन्दी वाक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि डॉ. गोस्वामी ने प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार दिए।

निबन्ध प्रतियोगिता :

कु. के. आर. राजेश्वरी, श्री एम.वी. रेड्डी, श्री के.रंगा, रेड्डी,

वाक् प्रतियोगिता :

श्री के.रंगा रेड्डी, श्री के. रघुनन्दन, श्री सी.आर. बद्रीनाथ,

डॉ. गोस्वामी ने राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के आपसी सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए हिन्दी के राजभाषा के रूप में चयन के समय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी को ही क्यों राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया ? तथा उसमें राजभाषा के रूप में विकसित होने के लिए क्या विशेष बातें, सुविधाएं या संभावनाएं थी।

आकाशवाणी, बम्बई

हिन्दी दिवस मनाने के साथ साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रोत्साहन प्रतियोगिताएं की जाती रहीं है। दिनांक 16.5.89 एवं 18.5.89 को हिन्दी निबंध, वाक् एवं टिप्पण आलेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। जिनमें निम्नलिखित को पुरस्कार मिले –

निबन्ध प्रतियोगिता :

प्रथम पुरस्कार - बी.एन. वनसोड़े, द्वितीय पुरस्कार –श्री जयंत एरंडे, तृतीय पुरस्कार – कु. बैवी मेनन

टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता :

प्रथम पुरस्कार– श्री बी. एन. वनसोड़ें, द्वितीय पुरस्कार–कु. दाण्डेकर, तृतीय पुरस्कार-श्रीमती सोमजी।

वाक् प्रतियोगिता :

प्रथम पुरस्कार–कु. बेबी मेनन, द्वितीय पुरस्कार – श्रीमती ममता निमकर, तृतीय पुरस्कार–श्री पवार।

प्रत्येक प्रतियोगिता में दो-दो प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए। पुरस्कारों का वितरण, अधीक्षक अभियंता, श्री श.ग. रानाडे ने किया। कार्यक्रम का संचालन हिन्दी अनुवादिका, श्रीमती चंद्रकान्ता शर्मा ने किया।

इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक श्री आर.सी.भट्ट (सहायक केन्द्र निदेशक) ने इस कदम को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने वाला अंगद का पांव माना।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय जयपुर

राजभाषा अधिनियम रजत जयन्ती वर्ष

बैंक की ओर से दिनांक 10 मई 1988 से 09 मई 1989 तक देश के विभिन्न भागों के कार्यालयों में और प्रधान कार्यालये, जयपुर में **„राजभाषा अधिनियम रजत जयन्ती वर्ष"** में अनेक प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पिछले महीने 24 अप्रैल से 28 अप्रैल, 1989 तक राजभाषा विभाग द्वारा (1) आशु निबन्ध प्रतियोगिता (2) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (3) अनुवाद प्रतियोगिता (4) आशु भाषण प्रतियोगिता एवं (5) हिन्दी में काव्य पठन प्रतियोगिताएं प्रधान कार्यालय में आयोजित की गईं और दिनांक 09 मई, 1989 को बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संदेश प्रसारित किया गया जिसकी एक प्रति आपके अवलोकन हेतु संलग्न की जा रही है। दिनांक 10 मई, 1989 को इस उपलक्ष्य में एक मुख्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री तारा कुमार सिन्हा द्वारा विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए गए एवं इस बात को दोहराया गया कि बैंक में हिन्दी का प्रयोग अब परिकल्पना मात्र नहीं वरन् एक हकीकत है। कवि सम्मेलन, हिन्दी के विद्वानों की गोष्ठी एवं नवोदित महिला साहित्यकारों को पुरस्कृत किए जाने जैसी योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए बैंक द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक के महाप्रबन्धक श्री कृष्ण लाल मग्न ने राजभाषा अधिनियम की जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकाधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया तथा प्रबन्धक, राजभाषा माणक चन्द कोचर ने "राजभाषा अधिनियम रजत जयन्ती वर्ष" के दौरान बैंक द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

सिंडिकेट बैंक, आगरा

हिन्दी में व्यवहार करना आज हमारी पहचान है, अत: हिन्दी को अपनाने में अब हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए और न ही यह सोचकर कि हिन्दी में बात करने वाला, साधारण माना जाता है, हिन्दी में बात करते हुए कोई झिझक होनी चाहिए"–ये विचार आयकर आयुक्त अपील श्री विजय कृष्ण मिश्र, ने सिंडिकेट बैंक द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 1988 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशक डॉ. महेश चन्द्र गुप्त मुख्य अतिथि थे।

डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने सिंडिकेट बैंक में हिंदी प्रयोग की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि सिंडिकेट बैंक के अधिकारी जिस तेजी से हिन्दी में कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वह अपने आप में मिसाल है। उन्होंने सिंडिकेट बैंक के मंडल प्रबन्धक श्री सुभाष मल्होत्रा के प्रयासों की भी सराहना की। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी कार्यान्वियन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए डॉ. गुप्त ने कहा कि हिन्दी की सामयिक प्रगति से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए कि हिन्दी में अधिक से अधिक काम हो। यदि हम उन क्षेत्रों व कार्यों को चुन लें, जहां अंग्रेजी की कतई आवश्यकता नहीं है और ऐसे कार्य केवल हिन्दी में करें तो इस रूप में हिन्दी की सच्ची एवं स्थायी प्रगति होगी।

श्री मल्होत्रा ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने राजभाषा अधिकारी डॉ. रामानुज भारद्वाज से हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा ली और अब तो उन्होंने ज्यादातर फाइलें हिन्दी में निबटाना शुरू कर दिया है और 80% कामकाज हिन्दी में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि "अब हमारा प्रयास होगा कि हिन्दी के कार्यान्वियन की दिशा में हम अपने को एक आदर्श रूप में उपस्थित कर सकें।"

"हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में बैंक द्वारा हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। जिसके पुरस्कार वितरण का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन बैंक के राजभाषा अधिकारी डॉ. रामानुज भारद्वाज ने किया।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, इंदौर

14-6-1989 को शाखा कार्यालय, इंदौर में "हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह" आयोजित किया गया। श्री रामचन्द्र मोदी, उप प्रबंधक (लेखा) ने इस समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि थे––श्री हरेराम वाजपेयी, राजभाषा अधिकारी, यूको बैंक, मंडल कार्यालय, इन्दौर।

श्री वाजपेयी ने राजभाषा हिन्दी की गरिमा, वर्तमान भारतीय परिवेश में भाषा का विद्रूप प्रयोग और निजभाषा प्रयोग में भारतीयों की मानसिकता पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया। उन्होंने निम्नलिखित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा मानपत्र दिए––

		रुपये
1. श्री प्रकाश भास्कर राव देशमुख, वरिष्ठ सहा. (लेखा)	प्रथम	400

2. श्री श्यामबाबू चौहान, सहायक (सामान्य) प्रथम 400 रुपये
3. श्री मुकेश कुमार आंचलिया, सहायक (लेखा) द्वितीय 200 रुपये
4. श्रीमती इंदिरा पी. नायर, सहायक (सामान्य) द्वितीय 200 रुपये

उल्लेखनीय है कि श्री देशमुख एवं श्रीमती नायर की मातृभाषा क्रमशः मराठी तथा मलयालम है।

संचालक श्री वीरेन्द्र चन्द्र शुक्ल, हिन्दी अनुवादक ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं मुख्य अतिथि के प्रति आभार प्रकट किया।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून में दिनांक 29-3-1989 को वार्षिक हिन्दी समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता भारत के महासर्वेक्षक, मेजर जनरल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा ने की और दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया।

ले. कर्नल कृष्ण गोपाल बहल, उप निदेशक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वर्ष 1988 की हिन्दी के प्रयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संयोजक श्री लक्ष्मण सिंह गुसाईं, हिन्दी अधिकारी ने कहा कि वर्ष 1988 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन के साथ-साथ कार्यालय द्वारा हिन्दी भाषी क्षेत्र को 70 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे गए। राजभाषा नियमों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनाए गए हैं। कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। सेवा पंजिकाओं में हिन्दी में प्रविष्टियों के अलावा वेतन बिल तथा अन्य बिल हिन्दी में बनाए जा रहे हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को गतिशीलता प्रदान करने के लिए कार्यालय में एक अनुभाग को राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में ही काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। पूर्व में हिन्दी में कुछ प्रतियोगिताएं यथा—कविता पाठ, सुलेख, निबंध तथा टाइपिंग की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए स्थापना-3 अनुभाग को चल-वैजयन्ती दी गई। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय योगदान देने के लिए विनियम अनुभाग के अधीक्षक को भी पुरस्कृत किया गया। समारोह में उन व्यक्तियों को भी पुरस्कार/प्रमाण-पत्र वितरित किए गए जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की।

इस अवसर पर श्री प्रफुल्ल रंजन दत्त, उप महासर्वेक्षक ने कहा कि हम भारतीय हैं हमें सभी भाषाओं से प्रेम करना चाहिए। अतः हमें प्रेम और सद्भावना के वातावरण में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को लेकर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना है। उन्होंने सरल और आसानी से सबकी समझ में आने वाले शब्दों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया।

भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा, ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। अतः यह हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम अपने रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी को अपनाएं। हमें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से भी शब्दों को लेकर हिन्दी को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। महासर्वेक्षक कार्यालय द्वारा हिन्दी में किए जा रहे कामकाज के बारे में उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और इच्छा व्यक्त की कि अगले वर्ष तक "क" व "ख" क्षेत्रों के साथ हिन्दी पत्राचार 90 प्रतिशत तक करने की कोशिश करें। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्रतीकात्मक होते हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सुझाव दिया कि विषयवस्तु को सरल शब्दों में लिखने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जानी चाहिए।

हिंदी कार्यशालाएं

के० रि० पु० बल ग्रुप केन्द्र, हैदराबाद

राजभाषा हिन्दी में शासकीय कार्य को बढ़ावा देने एवं हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण तथा आलेखन करते समय होने वाली झिझक, हिचकिचाहट, संदेह और संकोच को मिटाने के प्रयोजन से ग्रुप केन्द्र में दिनांक 24-7-89 से 29-7-89 तक स्टेशन स्तर के पांच कार्यालयों के लिपिकों व कम्पनी राइटरों के लिए "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री योगेंद्र नाथ कश्यप ने किया और बताया कि सरलता से समझ में आ जाना ही हिन्दी भाषा की विशेषता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे संविधान में 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त होने पर भी हिन्दी क संप्रेषण के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रयोग किया जाता है। यह कहना गलत होगा कि हिन्दी में कार्य करने से कार्यालयों में काम ठीक से नहीं होगा और देश की प्रगति रुक जाएगी। उन्होंने रूस, जापान जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने सारा काम अपनी भाषा में करते हुए प्रगति की है। अच्छा होगा सभी मन से बोल चाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए हिन्दी में कार्य करें। यही राष्ट्र की एकता को कायम रखने की अमर बेल है। कार्यालयों में अधिक से अधिक हिन्दी में काम करना समय एवं संविधान की मांग है।

2. प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। सहायक कमान्डेंट श्री बी.एस. नेगी ने कर्मियों को तन मन से हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर धन्यवाद दिया।

समापन के अवसर पर प्रसिद्ध भाषाविद्ध कवि एवं नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री मधुर शास्त्री ने प्रशिक्षुओं के हिन्दी में कार्य करने तथा इस क्षेत्र में उनके जोश तथा लग्न की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी में काम करना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए गौरव की बात होगी। यह हिन्दी का सौभाग्य रहा है कि हिन्दी का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे नेता अधिकतर गैर हिन्दी भाषी ही थे। श्री शास्त्री ने प्रशिक्षुओं को सीधी तथा सरल हिन्दी में अपना दैनंदिन सरकारी काम करने पर बल दिया। उप कार्मिक प्रबंधक, श्री गोरी शंकर शर्मा ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में हम अपनी फाइलों में हिन्दी में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग करेंगे।

इंडियन एयरलाइन्स हैदराबाद

इंडियन एयरलाइन्स के हैदराबाद क्षेत्र में हाल ही में प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) श्री चंद्र प्रकाश भटनागर की नियुक्ति के बाद हिन्दी कार्यान्वयन की गतिविधियों में तेजी आई हैं। दिनांक 26-6-89 से 30-6-89 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में स्थित इंजीनियरी काम्पलैक्स में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल तथा मलयालम भाषाभाषी हिन्दी का सामान्य कामकाजी ज्ञान रखने वाले 16 कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैंक ऑफ इण्डिया, गिरिडीह

गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय, राजभाषा की ओर से प्रबंधक एवं अधिकारीगण के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 5-6-88 (रविवार) को किया गया। उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मिश्र ने हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए हर्ष प्रकट किया। उन्होंने शाखाओं में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए जोर दिया। आंचलिक कार्यालय से आए मुख्य प्रशिक्षक राजभाषा अधिकारी श्री अद्भुत प्रसाद मिश्र एवं प्रशिक्षक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने भी बैंकों में हिन्दी में काम की आवश्यकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

अन्त में प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिक्रिया ली गई। गिरिडीह शाखा के प्रबन्धक, श्री बी.एम. बंसल ने कार्यशाला के कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की।

आंध्र बैंक, एरणाकुलम

25 तथा 26 मई 1989 को एरणाकुलम में आंध्र बैंक ने द्वि-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री. एस.आर. माल्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, ने किया। पहले श्री.वी. सीतारामन, प्रबंधक ने सभी सहभागियों का परिचय करवाया और कहा कि यह कार्यशाला उन्नत कार्यशाला है, इसमें सिर्फ उन कर्मचारियों को बुलाया गया है, जिन्होंने इससे पहले आयोजित प्राथमिक स्तर की कार्यशालाओं में भाग लिया है।

कार्यशाला का संचालन करने के लिए आंध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर के राजभाषा अधिकारी श्री शेख जाफर ने बताया कि कार्यशाला सिर्फ केरल स्थित आंध्र बैंक की शाखाओं के लिए है और इसमें हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा तथा टिप्पण और आलेखन कराया जाएगा ।

श्री एस.आर. माल्या ने कहा कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच सरकारी कामकाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। पूरे भारत में हिन्दी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में भी किया जा रहा है। उन्होंने कार्पोरेशन बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धों उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला ।

अंतिम दिन लिखित परीक्षा ली गई और तीन पुरस्कार दिए गए । जिन का विवरण इस प्रकार है—

प्रथम पुरस्कार—श्री. एम.पी. हरिदास, पालघाट
द्वितीय पुरस्कार—श्री. पुष्पलता, एरणाकुलम
तृतीय पुरस्कार—श्री ए. हरिदास, कोईलान

शाखा प्रबंधक श्री.वी. सीतारामन ने पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए ।

इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर

दिनांक 13—14 जून, 1989 को अधिकारियों और 15-16 जून, 89 को लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । श्री टी. एस. वी. प्रसाद, हिन्दी अधिकारी ने स्वागत किया।

श्री रामचन्द्रन मिश्र, उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बेंगलूर ने उद्घाटन भाषण में कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य बताया एवं राजभाषा नीति की जानकारी दी ।

श्री एन.एल. श्रीनिवासन, मुख्य प्रबन्धक, ने समापन समारोह में अधिकाधिक काम हिन्दी में करने का सुझाव दिया ।

दिनांक 15-6-89 को श्री आर. एस.एल.प्रभु, मंडल प्रबन्धक (हिन्दी) केनरा बैंक, बेंगलूर ने लिपिक वर्ग के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया और हिन्दी प्रचार की महत्ता, ग्राहक सेवा एवं हिन्दी का संबंध और विभिन्न परीक्षाएं एवं प्रोत्साहन राशियों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया।

श्री निरंजन राव, मुख्य प्रबन्धक, (इंडियन बैंक) ने समापन समारोह में कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे शाखा स्तर पर हिन्दी का काम बढ़ाएं ।

चार दिन में राजभाषा अधिनियम, नियम, नीति, बैंकिंग शब्दावली, हिन्दी व्याकरण, हिन्दी में तार, हिन्दी में पत्राचार, हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन आदि विषयों पर कुल चौदह सत्र लिए गए ।

श्री शिवगुरु नाथन, उप मुख्य अधिकारी (प्रशासन) एवं डॉ. अमरनाथ, प्रभारी संकाय, इंडियन बैंक ने उद्घाटन एवं समापन समारोहों में व्याख्यान दिए ।

आन्ध्र बैंक, बेंगलूर

11 से 12 जुलाई, 1989 तक आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर में द्विदिवसीय उन्नत हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 9 शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से कर्मचारियों ने भाग लिया है । उद्घाटन श्री के. एस. शेट्टी क्षेत्रीय, प्रबन्धक ने किया और कहा कि हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा है और भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया है । अतः राजभाषा कार्यान्वयन को और भी आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। यह कार्य बेंगलूर क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग से ही संपन्न हो सकता है । हमें आशा है कि वर्ष 1989 में 1988 की अपेक्षा अत्यधिक कार्य हिन्दी में होगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों को सुझाव दिया कि वे कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं और अपने-अपने शाखा/विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन प्रशंसनीय ढंग से करें।

इससे पहले राजभाषा अधिकारी श्री शेख जाफर ने सभी सहभागियों और अध्यक्ष महोदय तथा आमन्त्रितों का स्वागत किया।

निम्नलिखित संकाय सदस्यों ने कार्यशाला में सत्र लिए :—

1. श्रीमती वेद श्रीनिवास राजभाषा अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर।
2. श्रीमती एस.टी. अरुणा रा. भा. अ. आई. ओ. क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर ।
3. श्री टी. एस. वी. प्रसाद, रा. भ, आ. इन्डियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर।
4. श्री शेख जाफर साहेब रा. भा. अ. आन्ध्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर ।

कार्याशाला के अंतिम दिन लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

प्रथम पुरस्कार श्रीमती पद्मजा मुदकवी, राजाजीनगर
द्वितीय पुरस्कार श्री मोहन डी. कामत, क्षेत्रीय कार्यालय।
तृतीय पुरस्कार श्री विश्वानंद कडंबा, मंगलूर शाखा।

समापन समारोह के अवसर पर श्री रामचन्द्र मिश्र उपनिदेशक (का.) राजभाषा विभाग, बेंगलूर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि आन्ध्र बैंक (बेंगलूर क्षेत्र) में राजभाषा कार्यान्वयन काफी अच्छा है। उन्होंने सभी सहभागियों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी शाखाओं में जाकर अपने दैनंदिन कार्य हिन्दी में करें। उन्होंने प्रथम तीन पुरस्कार और अन्य सहभागियों को प्रमाण-पत्र दिए।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता

संस्थान में 24 जुलाई, से 25 जुलाई, तक दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉ. बी.एन. घोष ने उद्घाटन करते हुए कहा कि अ विज्ञान के क्षेत्र में भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोगकिया जाय तथा राजभाषा नियमों एवं अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। संस्थान के हिन्दी अधिकारी श्री ओमप्रकाश ने कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री बी.डी. तिवारी ने संघ की "राजभाषा नीति" पर व्याख्यान दिया। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती फूलकुमारी राय, तथा श्री विकास तालुकदार हिन्दी अधिकारी, श्री ओमप्रकाश, हिन्दी अधिकारी, प्राध्यापक श्री रामानुज पाण्डेय आदि ने 'टिप्पण एवं आलेखन' पत्राचार, छोटे-छोटे ने टिप्पणी, हिन्दी वर्तनी; हिन्दी वाक्य विन्यास तथा व्याकरण आदि विषयों पर व्याख्यान दिए। कार्यशाला में 32 राजपत्रित तथा 52 अराजपत्रित कर्मचारियों ने भाग लिया।

नौसेना गोदीवाड़ा, बम्बई

नौसेना गोदीवाड़ा, बम्बई में आयोजित दस दिन की हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन कैप्टन वाइ. जर्नादन, उप महाप्रबन्धक ने 17 जुलाई 89 को दीप प्रज्जवलित करके किया।

कैप्टन जर्नादन ने कहा—"किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह आम आदमी के दिल में जगह पाती है। चूंकि हिन्दी हमारे संविधान द्वारा घोषित राजभाषा है। अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग हो।" उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि हिन्दी में पत्राचार करने का प्रशिक्षण अधिक से अधिक लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि लोग सरकारी कामकाज हिन्दी में करने लगें।

इससे पूर्व लेफ्टि. कमाण्डर तरुण बोस ने नौसेना गोदीवाड़ा में पिछले एक वर्ष में हुई हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला।

अन्त में श्री विनोद प्रकाश गुप्ता हिन्दी संपर्क अधिकारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, "भाषा का प्रश्न हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, फिर भी वे विश्व के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। रूस, चीन और जापान आदि इसके उदाहरण हैं। अतः हमें जनता का काम जनता की भाषा में अर्थात् हिन्दी में करना चाहिए।

समापन समारोह के अवसर पर कमाण्डर राम स्वरूप गौतम, प्रबन्धक प्रशिक्षण ने इस कार्यशाला में प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित परीक्षा में सफल कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दिए।

मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय में हिन्दी में टिप्पण और मसौदा आलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए 15 से 19 मई 1989 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिस का शुभारम्भ श्री आर. व्ही. गौतम, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना पुणे के राजभाषा संबंधी हिन्दी नीति पर व्याख्यान से हुआ। कुल 22 प्रशिक्षणार्थी थे।

समापन दिवस पर श्री नूतनदास, उप महानिदेशक, ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र दिए। उन्होंने आशा की कि वे अपना कामकाज अब सरलता से हिन्दी में कर सकते हैं। श्री एस. व्ही. दातार, उपमहानिदेशक ने भी प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया और सभी व्याख्याताओं का धन्यवाद दिया।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिकरोड

मुद्रणालय, में दिनांक 12-6-89 से 28-6-89 तक 9वीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा, उप महाप्रबन्धक ने किया जिसमें मुद्रणालय के विभिन्न अनुभागों के 18 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में राजभाषा नीति, पत्र व्यवहार, सरल टिप्पणियां, चैक लेखन, लेखा प्रविष्टियां अनुवाद कला, तकनीकी टिप्पणियां, हिन्दी लेखन की अशुद्धियां आदि विषयों पर मुद्रणालय के ही अधिकारियों ने व्याख्यान दिए और प्रशिक्षणार्थी से अभ्यास करवाया। तकनीकी अनुभागों के ऐसे अधिकारियों ने जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी, ने मार्गदर्शन किया।

दिनांक 28-6-1989 को कार्यशाला का समापन हुआ। प्रमुख अतिथि डा. बापू देसाई, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, महिला महाविद्यालय, नाशिक ने अपने प्रभावी और ओजपूर्ण भाषण में प्रशिक्षणार्थियों का हिन्दी में ही कार्य करने की अपील की। अध्यक्षता श्री जे. डी. कुलकुर्णी, उप-कार्य प्रबन्धक ने की।

दना बैंक, बलसाड क्षेत्र

दक्षिण गुजरात के बलसाड जिले के नवसारी तालुका में बलसाड क्षेत्र की तीसरी हिन्दी कार्यशाला 12-13 जुलाई, 1989 को ग्रा. से. के. नवसारी कार्यालय में हुई। इसमें क्षेत्र के 22 लिपिकों ने भाग लिया।

उद्घाटन करते हुए नवसारी स्थित गार्डा महाविद्यालय की हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. सविता गौड़ ने अपने भावपूर्ण भाषण में कहा कि हिन्दी भाषा देश की मेरूण्ड है, इसके प्रति लापरवाही गुनाह है। यह भाषा राजनैतिक दबाव की नहीं, अपनी आत्मा की वस्तु है। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति जिज्ञासा है लेकिन हम इसकी उपेक्षा करते रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि हमें हीनता की भावना का त्याग, गौरव के साथ अपनी भाषा में काम करने के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एम. के. चुड़ासमा ने की।

अंत में 40 मिनट की एक शब्दावली प्रतियोगिता भी की गई। निम्नलिखित प्रतियोगी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।

श्री जे.जी. कापसे, नारगोल,

श्री एन.बी. वशी, खारेल,

श्री डी.आर. शेठ, जूनाथाणा, नवसारी।

यूको बैंक, इन्दौर

मण्डल कार्यालय इन्दौर द्वारा 7वीं हिन्दी कार्यशाला दिनांक 9 एवं 10 मई को आयोजित की गई। जिसमें प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक (कैश) तथा विशेष सहायक वर्ग के प्रतिभागियों ने प्रथम बार भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राम विलास शर्मा, साहित्य सम्पादक भास्कर, इन्दौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरम्भ में राजभाषा अधिकारी श्री हरेराम बाजपेयी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन बैंकों में क्यों आवश्यक है तथा अँचल कार्यालय भोपाल के राजभाषा अधिकारी श्री गिरीश नागर ने कार्यशाला के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री रामविलास शर्मा ने कहा कि वास्तव में अब हिन्दी सीखने का अवसर नहीं है वरन् आवश्यकता हिन्दी को अपनाने की है। उन्होंने कहा जिस तरह हिन्दी से जुड़े लोग इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं तब हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा न मिले यह कैसे हो सकता है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि हिन्दी प्रयोग प्रचार-प्रसार से जुड़े व्यक्तियों तथा समर्पित कर्मियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार/पदोन्नति आदि का प्रावधान होना चाहिए। इससे दूसरों के मन में प्रेरणा जागृत होगी।

विशिष्ट अतिथि, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, मध्य अंचल (म.प्र. एवं राजस्थान) के उपनिदेशक भोपाल से पधारे श्री डो. कृष्ण पाणिक्कर ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग की गति अभी भी धीमी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मानसिकता का बदलाव अति आवश्यक है।

मण्डल प्रबन्धक श्री एस.बी. खण्डेलवाल ने कहा कि बैंक की प्रगति एवं जनता को सेवा दोनों दृष्टिकोणों से हिन्दी का प्रयोग आज की आवश्यकता है।

अतिथि परिचय, आभार प्रदर्शन व कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी हरेराम बाजपेयी "आश" ने किया। इस अवसर पर इन्दौर के केन्द्रीय कार्यालयों एवं बैंकों के राजभाषा अधिकारी व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

प्रतिभागियों को, राजभाषा नीति, नियम, हिन्दी में पत्राचार, टिप्पण आलेखन, बैंक के दैनिक कार्यों में हिन्दी, (मांग ड्राफ्ट, वाउचर, प्रविष्टियां आदि) अनुवाद, देवनागरी में तार आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

अंत में एक वस्तुनिष्ठ अभ्यास कराया गया एवं अभ्यास पत्रों का मूल्यांकन किया गया। 5 प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें दी गईं।

आकाशवाणी, इन्दौर

केन्द्र में दिनांक 20 से 24 अप्रल, 1989 तक पांच दिवसीय "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 20-6-89 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. (डा.) गणेशदत्त त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री रामकृष्ण अग्रवाल ने की।

डा. त्रिपाठी ने कहा---मनुष्य भाषा के बिना गूंगा है अतः हमारी भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। प्रायः हमें प्रशासनिक ढांचे में रहते हुए जिस तरह से काम करने की आदत हो जाती है, उसे छोड़ने में थोड़ा कष्ट होता है। किन्तु काम करते-करते अभ्यास भी हो जाता है और अभ्यास करने से सब कुछ सरल हो जाता है।

दिनांक 21-6-89 को के.उ.एवं सीमा शुल्क, समाहर्तालय, इन्दौर के सहायक निदेशक (राजभाषा), दिनांक 22-6-89 को बैंक नोट प्रैस, देवास के हिन्दी अधिकारी डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी ने तथा दिनांक 23-6-89 को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इन्दौर के राजभाषा अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र शर्मा ने व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

अंतिम दिन दिनांक 24-6-89 को राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य), भोपाल के प्रभारी श्री डी. कृष्ण पणिक्कर ने संबोधित किया। उन्होंने राजभाषा,

सम्पर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का अन्तर भी बताया। श्री पणिक्कर ने कहा कि यह नहीं समझना चाहिए कि कार्यालयों में हिन्दी का कार्य केवल हिन्दी अधिकारियों को ही करना है, बल्कि यह हम सबका दायित्व है। हां, इसमें कोई दिक्कत हो तो उसके निराकरण के लिए हिन्दी अधिकारियों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

समापन समारोह की अध्यक्षता अवीक्षण अभियन्ता एवं कार्यालयाध्यक्ष श्री के. के. शर्मा ने की और श्री मेघसिंह, हिन्दी अधिकारी ने आभार व्यक्त किया।

कार्यशाला में कुल 14 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और उन्हें श्री डी. कृष्ण पणिक्कर ने प्रमाण-पत्र वितरित किए।

आयकर प्रभार, कानपुर

जुलाई, 1989 में तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन आयकर आयुक्त (केन्द्र) श्री वी.पी. गुप्त ने किया। आयकर आयुक्त श्री जी. सी. अग्रवाल ने समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। राजभाषा नीति, आयकर निर्धारण सम्बन्धी आदेश, टिप्पणी, आलेखन, शब्दावली आदि विषयों पर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री ए.के. साहनी, आयकर उपनिदेशक, श्री जी.सी. श्रीवास्तव तथा श्री एस.एम. निगम, आयकर उपायुक्त ने व्याख्यान दिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों में आयकर विभाग, कानपुर द्वारा 16 हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, मेरठ

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा दिनांक 17 व 19 जुलाई 1989 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री मदन लाल भारद्वाज ने की तथा श्री कुलदीप सिंह खुराना, राजभाषा अधिकारी ने संचालन किया। 23 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

दो दिन में राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम, प्रोत्साहन योजनाएँ, हिन्दी में वाउचर व प्रविष्टियां, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का महत्व, बैंकिंग शब्दावली सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षणार्थियों को परस्पर चर्चा का भी अवसर प्रदान किया गया।

समापन एन.ए.एस. कालेज, मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. विष्णुदत्त शास्त्री ने किया तथा उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिए।

मुख्य कार्यालय राजभाषा विभाग के अधिकारी डॉ. विनोद मलिक एवं श्री पवन कुमार जैन ने कार्यशाला को सफल बनाने में सहयोग दिया।

क्षेत्रीय प्रबन्धक ने समापन समारोह में कहा कि हमारी बहुत सी शाखाओं में 50 से 75 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। यह बहुत ही हर्ष की बात है तथा दूसरी ओर कुछ शाखाएँ ऐसी हैं जो अपना काम हिन्दी में तो कर रही हैं लेकिन उसका उचित रिकार्ड नहीं रखती है जिससे शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

अन्त में उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को शाखा स्तर पर अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए आग्रह किया।

इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली

दिनांक 18 जुलाई, 1989 को इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अठारह अधिकारी उपस्थित थे :—

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए इलैक्ट्रानिकी विभाग के सचिव श्री आर. राजामणि ने कहा कि हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की ओर प्रवृत्त करना और उनके मन से झिझक दूर करना है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है और जाहिर है कि किसी भी देश की राजभाषा का अपना अलग ही महत्व होता है। इसलिए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने के प्रति रुझान पैदा होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई अधिकारी या कर्मचारी मन से यह महसूस नहीं करता कि अपनी राजभाषा में कार्य करना उसका परम कर्त्तव्य है तब तक राजभाषा अपना वास्तविक रूप नहीं ले पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के दृष्टिकोण या रवैये में बदलाव आना चाहिए।

राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी) श्री कौशिक मुखर्जी ने कार्यशाला में सचिव महोदय की व्यक्तिगत उपस्थिति को एक उपलब्धि बताते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि ऐसी कार्यशालाओं में सचिव महोदय के स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति से अन्य अधिकारियों पर गहरा असर पड़ता है। राजभाषा विभाग की ओर से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विभाग कठिन भाषा का नहीं बल्कि सरल भाषा का ही हिमायती है। अंग्रेजी और अन्य भाषा के प्रचलित शब्दों को तो ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री मुखर्जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सचिव महोदय की ओर मुखातिब होकर कहा कि आपका विभाग हिन्दी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। किन्तु, आपका

विभाग जितना काम हिन्दी में कर रहा है या आगे भी करने की क्षमता रखता है, उससे भी कहीं अधिक वह दूसरे विभागों को द्विभाषी एवं बहुभाषी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराकर हिन्दी और भारतीय भाषाओं को और आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकता है।

इस दिशा में उन्होंने निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष बल देने का अनुरोध किया :—

1. उच्च गति के द्विभाषी/बहुभाषी लाइन-प्रिंटरों के विकास के लिए अनुसंधान विकास की व्यवस्था की जाए।

2. ध्वनि-प्रचलित कुंजीपटल (Voice Operated Key Board) बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास की व्यवस्था की जाए। इससे हिन्दी तथा हिन्दी जैसी अन्य ध्वन्यात्मक भाषाओं की समस्याओं का शायद समाधान हो सकता है।

3. प्रकाशिक अक्षर निरूपण (Optical Character Recognition) में हिन्दी फॉन्ट का मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि सी-डैक में इस दिशा में कुछ कार्य हुआ है फिर भी अभी काफी काम करना शेष है। एक से अधिक संस्थाओं को इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, श्री जायसवाल ने विभाग में हिन्दी की स्थिति की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इलैक्ट्रॉनिकी विभाग को दो-दो बार राजभाषा पुरस्कार मिलना ही इस बात का परिचायक है कि इलैक्ट्रॉनिकी विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है। उसने न केवल परम्परागत नियमों का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित किया है, बल्कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को इलैक्ट्रॉनिकी युग में प्रवेश कराने का सार्थक प्रयास किया है। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने समय पर अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास पर भारी धनराशि खर्च की है, जिससे भारतीय भाषाओं के विकास को सहायता मिली है। आज हम पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं कम्प्यूटरों के हर क्षेत्र में हिन्दी तथा भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के मुकाबले किसी भी स्थिति में पीछे नहीं है। द्विभाषीकरण/बहुभाषीकरण की प्रक्रिया संभव हो गई है और जिन क्षेत्रों में अभी नहीं हो पाई है, उनमें प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं।

कार्यशाला में उठाए गए दुरुहता के प्रश्न पर बोलते हुए वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने कहा कि जहां प्रशासनिक किस्म की सामग्रियों के अनुवाद में सरल एवं मिली-जुली भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां विधिक तथा वैज्ञानिक किस्म की विशिष्ट सामग्रियों के अनुवाद में विशेष सतर्कता बरतनी होती है। उसमें विधिक/वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है और मूल से हटकर भ्रामक अर्थ लगाया जा सकता है। अनूदित शब्दों के लिए कोष्ठक में मूल अंग्रेजी शब्दों को भी दे दिया जाता है ताकि समझने में कोई दिक्कत पेश न आए।

तत्पश्चात् रेल मंत्रालय के राजभाषा निदेशक श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने अपनी शैली में राजभाषा अधिनियम के ऐसे मोटे-मोटे प्रावधानों से भी अधिकारियों को परिचित कराया जो न केवल संवैधानिक आवश्यकताएं हैं, बल्कि जिनका ज्ञान प्रत्येक सरकारी अधिकारी को होना अत्यंत अनिवार्य है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के भूतपूर्व निदेशक डॉ. पी. गोपाल शर्मा ने हिन्दी के कामकाजी स्वरूप पर बोलते हुए बाद में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की स्थिति तथा उसकी प्रवृत्तियों से वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को परिचित कराया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा शब्दावली तैयार करते समय प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा तथा प्रयोग को ध्यान में रखा गया है। इसलिए किसी-किसी शब्द का हिन्दी रूपान्तर कहीं-कहीं अटपटा या अप्रचलित सा लगता तो जरूर है लेकिन उन्हें अपनाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। कालान्तर में ऐसे शब्द प्रयोग से रच-पच जाएंगे।

अन्त में परिचर्चा में भाग लेते हुए अपर निदेशक, श्री जिन्दल ने कहा कि औद्योगिक लाइसेंस आदि जारी करने के मामले में सारा काम-काज उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोफोर्माओं में ही किया जाता है। चूंकि ये प्रोफार्मा हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं, अतः लाइसेंसिंग प्रभाग में हिन्दी का प्रयोग करने की दिशा में खास प्रगति नहीं हो पा रही है। वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने बताया कि उनकी पहल पर राजभाषा विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में उन फार्मों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद कराने के लिए भेजा गया था। इस समय उसकी क्या स्थिति है, यह तो राजभाषा विभाग ही बताएगा। किन्तु, एक बात बिल्कुल साफ है और यह कि यदि औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस आई ए) अपने सभी प्रोफार्माओं के हिन्दी रूपान्तर करा लेता है तो इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ही नहीं अपितु सभी मंत्रालयों/विभागों के लाइसेंस प्रभागों में हिन्दी तुरन्त आ सकती है। श्री कौशिक मुखर्जी ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के साथ सम्पर्क करके उचित कार्रवाई करेंगे।

उपस्थित अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि सभी प्रभाग-प्रमुखों आदि को शब्दावलियां उपलब्ध कराई जाएं। वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री जायसवाल ने सूचित किया कि

प्रभाग-प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश तथा श्री हरिबाबू कंसल की कार्यालय दीपिका की एक-एक प्रति पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

कार्यशाला के अन्त में श्री राम किशोर सिंह ने कार्यशाला में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परिचर्चा में खुलकर भाग लेने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला में भाग लेने के बाद वे अपना अधिकांश कामकाज हिन्दी में करना शुरू कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय-समय पर ऐसी और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में काम करने का पर्याप्त अभ्यास हो सके और वे अपने मातहत काम करने वालों के लिए मिसाल बन कर उन्हें प्रोत्साहित कर सकें।

केनरा बैंक, नई दिल्ली

दिल्ली अंचल द्वारा दिनांक 10 मई से 12 मई, 1989 तक अपने वर्कमैन स्टाफ के लिए अलीगढ़ में उन्नत हिन्दी कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए गीतकार श्री गोपालदास नीरज ने कहा कि हमें अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए अपनी भाषा हिन्दी को समृद्ध करना चाहिए तथा इसका प्रयोग अपने दैनिक कामकाज में करना चाहिए। मंडल प्रबंधक श्री एच. हरिदास प्रभु ने अध्यक्षता की।

कार्यशाला के सत्रों को निम्नलिखित अधिकारियों ने (संकाय सदस्य के रूप में) लिया :—

1. श्रीमती जीवनलता जैन, प्रबंधक, अं. का. दिल्ली
2. श्री अशोक कुमार सेठी, अधिकारी, अं. का. दिल्ली
3. श्री प्रेम नारायण शुक्ल, मं. का. अलीगढ़
4. अतिथि वक्ता डा. प्रचण्डया

प्रतिभागियों ने कार्यशाला के कार्यक्रम को बहुत उपयोगी बताया और आश्वासन दिया कि वे शाखाओं/कार्यालयों में जाकर रोजमर्रा का कामकाज हिन्दी में करेंगे। अंतिम दिन ली गई परीक्षा का परिणाम निम्नवत रहा :

1. श्री अश्विनी कुमार माथुर (46396), लिपिक, टुण्डला शाखा—प्रथम
2. श्री राकेश कुमार तिवारी (29912), लिपिक, शामली शाखा, द्वितीय
3. श्री योगेश कुमार अग्रवाल (51570), लिपिक, चांदपुर शाखा—तृतीय

प्रमाण-पत्र वितरण के बाद परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले कर्मचारियों को मंडल प्रबंधक श्री एच. हरिदास प्रभु ने पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें प्रदान कीं।

इंडियन ओवरसीज बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा बैंक के सभी अधिकारियों को विभिन्न विषयों में व विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक के अन्य अधिकारियों की तरह राजभाषा अधिकारियों को भी बैंकिंग की सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी होना परम आवश्यक है क्योंकि उन्हें बैंकिंग सम्बन्धी सभी कागजातों का सटीक अनुवाद करना होता है। अतः राजभाषा अधिकारियों को बैंकिंग विषय संबंधी प्रशिक्षण देना अनिवार्य हो जाता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कार्यालय ने बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, जनकपुरी, नई दिल्ली में बैंकिंग का प्रवेश पाठ्यक्रम संचालित किया। इस में 14 राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया और पहली बार इन्हें हिन्दी माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अवधि दो सप्ताह की थी और इससे प्रशिक्षार्थी काफी लाभान्वित हुए।

भारतीय स्टेट बैंक

स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

"दिनांक 12 जुलाई, 1989 को क्षेत्रीय प्रबंधकों तथा विकास प्रबंधकों के लिए, एक दिवसीय हिन्दी दिशामान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री शंभुदयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकार की भाषा नीति, तथा उसके अनुपालन में बैंकों के दायित्वों का बोध कराया तथा वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को पाने में ढील न आने देने के लिए प्रेरित किया। दोपहर बाद के सत्र में डॉ. महेश चंद्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सहभागियों को निरीक्षण समितियों तथा उनके कार्यों से अवगत कराया।

बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री मि. ना. मजूमदार, महा प्रबन्धक (योजना) श्री डी. के. घोष, प्रबंधक राजभाषा श्री रमेशचंद्र कपूर तथा केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग के उपमुख्य अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी ने भी सहभागियों का मार्ग-दर्शन किया"।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, राजघाट साइट

दिनांक 3 जुलाई 1989 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला में हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया तथा हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिता भी की गई। हस्ताक्षर प्रतियोगिता एवं कार्यशाला का उद्घाटन श्री सतीश कुमार साहनी, वरिष्ठ प्रबंधक ने किया। (शेष पृष्ठ 109 पर)

हिन्दी के बढ़ते चरण प्रदर्शनी

मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार का कार्यालय, तिरुअनन्तपुरम् में ता. 26-6-1989 को "हिन्दी के बढ़ते चरण" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को हिन्दी भाषा और राजभाषा के रूप में उसकी प्रगति का परिचय देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् शाखा के तत्वावधान में प्रदर्शनी आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार एवं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के शाखा प्रधान श्री उ.वि. नायक ने उद्घाटन किया।

सुसज्जित प्रदर्शनी में कार्यालय में उपयोगी संदर्भ ग्रन्थ, विविध बहुभाषी शब्दकोश, प्रशासनिक व तकनीकी शब्दावलियां, अन्य कार्यालयीन साहित्य, विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखी गई पुस्तकें, बाल साहित्य, उपन्यास आदि एक हज़ार से अधिक पुस्तकों के अलावा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के समस्त प्रकाशन, शब्दावली, चार्ट आदि भी विशेष रूप से प्रदर्शित थे। इसके अलावा राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दूरसंचार विभाग और विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्रकाशित हिन्दी पत्रिकाएं भी रखी गई।

पहली बार इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ अन्य कार्यालयों के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शनी देखी।

मद्रास में नेहरू जन्मशती समारोह

भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 1989 को हिंदी-अंग्रेजी परिसंवाद तथा वाक्-स्पर्धा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विभिन्न स्थानीय बैंकों के 17 कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपमहाप्रबंधक श्री ओ.डि. नाथ ने विशेष प्रयास किए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मद्रास विश्वविद्यालय के डॉ. एस.एन. गणेशन ने की तथा मुख्य अतिथि श्रीमती सुब्बाराव थीं।

हिन्दी माध्यम से ग्राहक सेवा सप्ताह

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, रेन बाजार शाखा हैदराबाद में दिनांक 23-6-1989 को "हिन्दी माध्यम से ग्राहक सप्ताह" का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि थे—श्री रामचन्द्र मिश्र, उप-निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। ग्राहकों को बैंक के कार्य से परिचित कराने हेतु "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" नामक काउन्टर पर एक सप्ताह तक राजभाषा कक्ष के श्री सुधाकर वानखड़े ने कार्य किया।

इसी दिन एक 'ग्राहक बैठक' का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में हिन्दी में चर्चा हुई। इस में ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया तथा उनके विचार भी सुने गए।

उप निदेशक श्री मिश्र ने शाखा में हिन्दी में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया।

भुवनेश्वर में हिन्दी प्रदर्शनी

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा दिनांक 24 से 28-4-89 तक महालेखाकार उड़ीसा कार्यालय भुवनेश्वर में एक "हिन्दी प्रदर्शनी" लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री टी. एस. नरसिंहन, महालेखाकार (लेखा) ने किया। अध्यक्षता श्री एस.एन. जोहरी, निदेशक, नालको ने की। प्रदर्शनी में परिषद्, प्रकाशन, राजभाषा विभाग के प्रकाशन, जाने-माने लेखकों की पुस्तकें (जिनमें कविताएं, कहानियां, उपन्यास, संस्मरण आदि सम्मिलित थे), हिन्दी टाइप मशीन, द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर (नेटवर्क) तथा परिषद् व राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए पदक, शील्ड, प्रमाण-पत्र आदि प्रदर्शित किए गए। रंग-बिरंगे पोस्टरों से प्रदर्शनी में सजीवता झलक रही थी।

उद्घाटन के बाद शाखा मंत्री श्री देवकीनन्दन बिष्ट ने परिषद् के कार्यकलापों, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा भुवनेश्वर शाखा की उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। प्रतिदिन लगभग 300 से अधिक दर्शक इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए। अनेक दर्शकों ने प्रशंसा-स्वरूप अपनी टिप्पणियां भी 'दर्शक पुस्तिका' में लिखीं।

दिनांक 28-4-89 को सायं प्रदर्शनी का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। अतिथि वक्ताओं में मुख्य रूप से डा. शंकरलाल पुरोहित ने अपना भावपूर्ण वक्तव्य दिया और हिन्दी की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री पोद्दार और समारोह के अध्यक्ष श्री सूडा ने प्रदर्शनी की भूरि-भूरि प्रशंसा की और समारोह की सफलता के लिए परिषद् कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अन्त में परिषद् उप प्रधान श्री नूर अहमद ने आभार प्रदर्शन किया।

चण्डीगढ़ में नेहरू जन्म शताब्दी प्रतियोगिता

24-5-89 को भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रायोजित तथा भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता के क्वाटर फाइनल में निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए।

आशु-भाषण

श्री डी मुरलीधर राव —प्रथम
वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक,
अनुशासनिक कार्यवाही कक्ष,
अंचल कार्यालय चण्डीगढ़

वाद-विवाद

श्री एस सी गौड़ —प्रथम
अधिकारी, कर्मचारी अनुभाग (अ),
केनरा बैंक अंचल कार्यालय, चण्डीगढ़।

श्री एम पी रविन्द्रनाथन, —तृतीय
प्रबंधक,
कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, केनरा बैंक, चण्डीगढ़

अंग्रेजी से मुक्ति

"साइप्रस की संसद ने एक विधेयक पारित कर सरकारी कार्यों में अंग्रेजी को अलग कर यूनानी और तुर्की भाषा को सरकारी भाषा घोषित किया है। विधेयक पास होने से पहले सदस्यों ने इस बात पर काफी नाराजगी जताई कि आजादी के 28 साल बाद भी देश में अंग्रेजी चल रही है।"

सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर

दिनांक 9 फरवरी 89 को संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति ने संस्थान में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों व प्रशिक्षण साहित्य का निरीक्षण करने हेतु श्री पृथ्वी चन्द किस्कू, लोकसभा सदस्य की अध्यक्षता में 5 अन्य सदस्यों के साथ दौरा किया। समिति ने निरीक्षण में सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर स्थित विभिन्न कार्यालयों में किए जा रहे कार्य एवं विभिन्न कोर्सों हेतु प्रशिक्षण-साहित्य हिन्दी में ही तैयार करने पर अकादमी के निदेशक एवं अन्य स्टाफ की भूरि-भूरि प्रशंसा की। राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे कार्य के प्रति "मंगलवार" हिन्दी कार्य दिवस घोषित करना, पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद व हिन्दी टाइप मशीनों की खरीद में नियमों में दिए गए मापदण्ड को पूरा करना जैसे कदम उठाने के लिए भी सराहना की।

राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार

पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली

पर्यावरण, वानिकी आदि विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत किया गया :—

5000/- रुपये के प्रथम पुरस्कार के लिए 'ऊसर भूमि में वृक्षारोपण' नामक पुस्तक को चुना गया। यह पुस्तक श्री वीरेन्द्र चन्द्र व श्री नरेश चन्द्र तिवारी ने मिलकर लिखी है, अतः पुरस्कार की राशि इन दोनों लेखकों में बराबर वितरित की गई।

3000/- रुपये के द्वितीय पुरस्कार के लिए "प्रदूषण कारण और निवारण" नामक पुस्तक को चुना गया है। यह पुस्तक भी श्री श्याम सुन्दर शर्मा व श्रीमती मृदुला गर्ग ने मिलकर लिखी है। अतः इन्हें भी पुरस्कार की राशि समान रूप से दी गई।

2000/- रुपये का तीसरा पुरस्कार "जंगल और जिन्दगी" नामक पुस्तक के लेखक श्री घनश्याम सक्सेना को दिया गया।

1000/- रुपये का सान्त्वना पुरस्कार श्री एस.एम. हसन को उनकी पुस्तक "वन्यप्राणी प्रसंग" के लिए दिया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमांकक ने निगम के पंजाब क्षेत्र के इकहत्तर कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1988 से 31-12-88 तक की अवधि के दौरान अपना 75 प्रतिशत या उससे अधिक कार्य हिन्दी में निपटाने के उपलक्ष्य में एक-एक सौ रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। यह मंजूरी मुख्यालय के ज्ञापन संख्या ए. 49/14/2/89-हिन्दी दिनांक 13 जून, 1989 के माध्यम से प्राप्त हुई।

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड नई दिल्ली

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड नई दिल्ली में वर्ष 1988-89 के लिए हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता मुद्रणालय के सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई थीं जिसमें राजभाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल

(पृष्ठ 109 पर जारी)

प्रेरणा-पुंज

अंगद का पैर

बात 1986 की है। मेरे बड़े भाई वर्धा में मंडल इंजीनियर टेलीफोन, चान्दा (महाराष्ट्र) थे। आंध्र के होने पर भी उनकी हिन्दी बहुत अच्छी थी जिसका उन्हें थोड़ा गर्व भी था। हिन्दी में काम करने के बहुत से पत्र उनके मुख्यालय बम्बई से आते थे। इनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने कार्यालय में हिन्दी में काम की शुरुआत कर दी। कर्मचारियों का इतना अच्छा सहयोग मिला कि छह माह में कार्यालय का अधिकांश कार्य हिन्दी में होने लगा। भाई साहब आशा कर रहे थे कि हिन्दी का इतना अच्छा कार्यान्वयन देख मुख्यालय उनकी कार्यक्षमता की प्रशंसा करेगा।

इसी बीच मुख्यालय से बड़े अधिकारी निरीक्षण हेतु आए। उन्होंने भाई साहब की कार्यकुशलता पर संदेह प्रकट किया। काफी गलतियां निकालीं। मुख्यालय के पत्रों में भी असंतोष दिखाई दे रहा था। बम्बई के दौरे के समय किसी ने उनसे कहा कि उनका हिन्दी प्रेम ही उन्हें भारी पड़ रहा है।

बम्बई से लौट कर भाई साहब ने विचार किया कि हिन्द की नैया खे कर अकुशल कहलाने के बदले अंग्रेजी की नैया खे कर कार्यकुशल कहलाना अच्छा है। उन्होंने कर्मचारियों को बुला कर कहा कि अब से वे सारा कार्य पूर्ववत अंग्रेजी में करें। कर्मचारियों ने उनकी आज्ञा मानने से साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वे अंग्रेजों के कार्य को भूल चुके हैं। अब उनके कदम पीछे नहीं लौट सकते। मेरे भाई साहब और कर्मचारी दोनों अपनी-अपनी जिद पर अड़े थे। इसको परिणति घेराव में हुई। कर्मचारियों ने भाई साहब का घेराव किया और अंत में कर्मचारियों की जीत हुई और हिन्दी अंगद का पैर साबित हुई।

पी. एम. नायडू
हिन्दी अधिकारी, आकाशवाणी, नागपुर

हिन्दीतर भाषियों का राजभाषा प्रेम

श्री जी.वी. कुरुप, कार्मिक प्रबन्धक, इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली कार्यालयीन कार्य बड़ी कुशलता से हिन्दी में कर रहे हैं। श्री कुरुप द्वारा लिखित टिप्पणियों के निम्नलिखित नमूने राजभाषा प्रेम के गवाह हैं :—

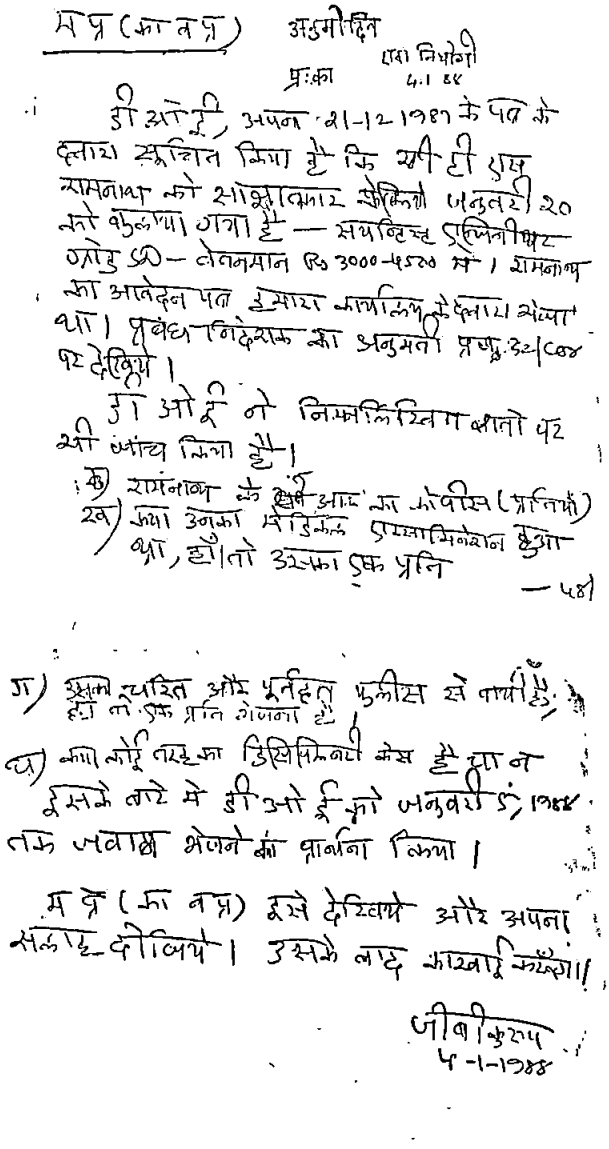

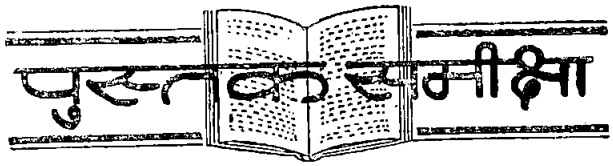

पुस्तक समीक्षा

अहिंदीभाषी क्षेत्र से हिंदी वार्षिकी

सरकारी स्तर पर देश में नेहरु शताब्दी मनाई जा रही है। और संयोगवश इसी वर्ष दक्षिण भारत या और भी विशेष रूप से कहें तो केरल के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित समाचार पत्र मलयाला मनोरमा के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मलयाला मनोरमा ने हिंदी में पहली बार मनोरमा इयरबुक के रूप में एक हिंदी प्रकाशन की शुरुआत की है जो अपने आप में सराहनीय है। जो काम वर्षों पहले हिंदी प्रकाशकों को करना चाहिए था, उसे अहिंदी क्षेत्र के अहिंदी प्रकाशक ने कर दिया है।

मलयाला मनोरमा की वार्षिकी (यानी इयरबुक) के प्रकाशन का 30 वर्षों का अनुभव है। मनोरमा इयरबुक नाम से ही मलयाली सँस्करण 1959 से और अँग्रेजी सँस्करण 1965 से निकल रहा है। प्रकाशक-संपादक का दावा है कि हिंदी संस्करण अँग्रेजी संस्करण का अनुवाद भर नहीं है। हिंदी सँस्करण में ध्यान रखा गया है कि हिंदी क्षेत्रों के पाठकों को सुरुचि-संपन्न, ज्ञानवर्धक, पठनीय सामग्री के साथ उन क्षेत्रों की नवीनतम जानकारी और आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें।

अँग्रेजी शब्द इयरबुक का हिंदी में अर्थ होता है वार्षिकी यानी एक ऐसी पुस्तक जिसमें पिछले वर्ष की घटनाओं या प्रवृत्तियों का लेखा-जोखा हो। इस परिभाषा को ध्यान में रखकर इस में संकलित विषय सामग्री जांचें तो पता चलेगा कि 50 फीसदी से ज्यादा सामग्री का वार्षिकी से दूर का भी संबंध नहीं है। संपादक भले ही उपराष्ट्रपति शँकरदयाल शर्मा और प्रभाकर माचवे के साथ ही शशिप्रभा शास्त्री से जवाहरलाल नेहरु पर और विष्णु प्रभाकर से गँगा पर लेख लिखवाने में सफल हो गए हों, पर किसी वार्षिकी में इन लेखों को देने का क्या औचित्य है, यह समझना मुश्किल है। क्या इन लेखों का वार्षिकी का उपयोग करने वाला कोई पाठक पढ़ना चाहेगा? या इन लेखों को पढ़ने के लिए कोई मनोरमा इयरबुक खरीदना चाहेगा? इसी तरह शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी (सूरजभान सिंह) भी वार्षिकी की विषय-वस्तु से बाहर कहा जाना चाहिए पर वह भी इसमें शामिल कर दिया गया है।

इन बातों को यदि नजरअँदाज किया भी जाए तब भी इस में और जो सामग्री है, उसे देखते हुए इस पुस्तक का वार्षिकी के साथ ही साथ विश्वकोश (एसासाइक्लोपीडिया) भी कहा जा सकता है। विविध विषयों पर जितनी सामग्री जिस तरह सुसंहत रूप में इसके 700 से ज्यादा पन्नों में इतने कम मूल्य में उपलब्ध कराई गई है, वह हिंदी भाषी प्रदेशों के प्रकाशकों के लिए ईर्ष्या के साथ ही चिंतनीय भी हो सकता है। ईर्ष्या इसलिए कि हिंदी क्षेत्र का कोई भी प्रकाशक अभी तक इस तरह की कोई पुस्तक नहीं दे सका और चिंतनीय इसलिए कि इस पुस्तक का मूल्य उनकी इस आम शिकायत का खंडन करता है कि कागज का मूल्य बहुत बढ़ जाने के कारण पुस्तकों के मूल्य ज्यादा हैं या यह कि हिंदी पुस्तकें बिकती नहीं हैं। दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता जो मुख्यत: अंग्रेजी पुस्तकों का कारोबार करते हैं से पूछने पर पता चला कि उन्होंने बहुत ही बेमन से मनोरमा इयरबुक की 100 प्रतियां मँगाई थी और 60 प्रतियां तो प्रथम दो दिन में ही बिक गई। साफ-सुथरी छपी हुई इस पुस्तक का प्रथम संस्करण समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

जहां तक इयरबुक की विषय-वस्तु की बात है, संपादक ने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। पर अपने इस प्रयास में कुछ सीमा तक सफल होने के बावजूद उसका यह प्रयास इसलिए भी असफल कहा जाएगा कि पुस्तक में किसी विषय विशेष पर कोई सामग्री या सूचना है या नहीं और यदि है तो कहां, किस पृष्ठ पर इस संबंध में पाठक को न तो इयरबुक के शुरू में दिए गए विषय-क्रम से और न अंत में दी गई अनुक्रमिणिका से ही कोई सहायता मिलती है। 700 से अधिक पृष्ठों में दिए गए सैकड़ों विषयों की अनुक्रमणिका केवल 5 पृष्ठों में हैं और वह भी इतनी भ्रामक है कि पाठक जो नाम या विषय खोज रहा है। वह अनुक्रमणिका में होते हुए भी पाठक की नजर से आसानी से छूट सकता है। उदाहरणत: 'स' अक्षर से शुरू होने वाले करीब 90 विषयों की दो कालम की सूची में सबसे पहला नाम है सूर्य और सबसे अंत में है सल्वाडोर डाली जबकि अकारादि क्रमानुसार सल्वाडार डाली शुरू में होना चाहिए था। वैसे भी यह नाम 'स' के क्रम में नहीं वरन 'ड' में होना चाहिए। ईसाई धर्म यद्यपि ठीक लिखा गया है पर वह 'ई' के क्रम में नहीं, वरन 'इ' में शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार ईरान तो 'ई' में हैं पर इरान-ईराक युद्ध 'इ' में। यानी इरान और ईरान' में दोनों ही रूप प्रयुक्त किए गए हैं। ओलंपिक खेल 'आ' के तहत है तो चुनाव आयुक्त' 'म' के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शामिल कर दिया गया है जबकि

'च' के तहत चुनाव शब्द है ही नहीं। इसी तरह और भी कई शब्द हैं जो ऐसे क्रम में रख दिए गए हैं जहां उनके होने के संबंध में कोई शायद ही सोचे।

पुस्तक में सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि देशों के नाम या विवरण अकारादि क्रम में नहीं है। जैसे भूटान पहले है बोलिविया बाद में, एँटीगुआ पहले है अर्जेंटाइना बादमें, बुरुँडी के तुरँत बाद कैमरुन है और डेनमार्क के बाद जिबूती लगभग सभी देशों के साथ यही गड़बड़ी हुई है।

संपादक ने आशा की है कि विश्व के राष्ट्रों-के मानचित्रों के 16 रंगीन पृष्ठ ···उन सभी क्षेत्रों में जहां हिंदी बोली जाती है इयरबुक को विशेष स्थान और विशिष्ट रूप प्रदान करेंगे। सँपादक अपने इस प्रयास में सफल जरुर होता, पर सभी मानचित्र (नक्शे) अँग्रेजी में होने के कारण अधिकांश पाठकों के लिए ये अधिक उपयोगी नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जो लोग अँग्रेजी जानते हैं या पढ़-लिख सकते हैं, वे निश्चय ही अग्रेजी संस्करण ही देखना-पढ़ना पसंद करेंगे।

पुस्तक में ऐसी बहुत-सी सामग्री है जो बिल्कुल ही असंबंधित विषयों के बीच में इधर-उधर अकारण ही ठूंस दी गई है और जिसका अनुक्रमणिका में कहीं जिक्र नहीं है जैसे भारत में तेल के उत्पादन संबंधी सूचना पृष्ठ 516 पर है पर अनुक्रमणिका में न तो है 'तेल' और न 'ऊर्जा' इसका अर्थ यह हुआ कि पुस्तक में तेल संबंधी सूचना होने पर भी पाठक को आसानी से उसकी जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसी तरह पृष्ठ 299 पर इक्वेडर (देश) संबंधी विवरण है और वही आधे कालम के बाक्स में पिकासो को पेंटिंग संबंधी विवरण सजा दिया गया है पर अनुक्रमाणिका में न तो पेंटिंग है, न पिकासो।

इस पुतक की एक विशेषता यह भी है कि इसमें प्रायः प्रत्येक विषय में संबंधित विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं। पर ये आंकड़े कितने विश्वस्त हैं, इसका अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं-कहीं एक ही पृष्ठ पर एक ही विषय के संबंध में अलग-अलग आंकड़े दिए हुए हैं। अतः पाठक को पता लगाना मुश्किल है कि कौनसी संख्या सही मानी जाए जैसे पृष्ठ 83 पर ओजान नदी की लंबाई 6448 और 6447 किमी. बतलाई गई है। ऐसा निश्चय ही प्रूफ की गलती के कारण हुआ है पर इसका दण्ड तो पाठक को ही भुगतना पड़ेगा। इसी तरह प्रूफ की और भी बहुत सी अशुद्धियां हैं जिनके कारण कोई भी पाठक आसानी से भ्रमित हो सकता है। भाषा संबंधी त्रुटियों को देखने से कहा जा सकता है कि यदि प्रकाशक इस क्षेत्र में (यानी हिंदी प्रकाशन क्षेत्र) अपना स्थायित्व बनाना चाहता है तो उसे केवल हिंदी के अच्छे जानकार व्यक्ति ही नहीं वरन ऐसे व्यक्ति की भी सेवाएं उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए जो सही अर्थों में हिंदी संस्करण की अंग्रेजी सँस्करण से अलग-अपनी पहचान दे सके।

इन कमियों के बावजूद मनोरमा इयरबुक हिंदी में एक बड़े अभाव की पूर्ति करती है। जनसामान्य से लेकर छात्र, लेखक, पत्रकार, संपादक, पुस्तकालय आदि हर वर्ग के लिए यह उपयोगी है। इसका मूल्य भी इतना कम है कि हर वर्ग का व्यक्ति इसे आसानी से खरीद सकता है।

महेन्द्र राजा जैन

(जनसत्ता, 7 मई 1989 से साभार)

□

कार्यालयीन हिन्दी की प्रकृति
लेखक श्री चन्द्रपाल शर्मा

प्रकाशक--समता प्रकाशन, 30/64 गली नं. 8, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

पृष्ठ सं. 166 मूल्य--रु. 80/-

हिन्दी संघ की राजभाषा है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए तथ्यात्मक उपयोगी साहित्य की आवश्यकता है ताकि लोगों के ज्ञानवर्धन के साथ-साथ नाना प्रकार की भ्राँतियों का निराकरण हो सके। अतः राजभाषा से संबंधित जो भी उपयोगी साहित्य प्रकाशित हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

कुछ लोगों का विचार है कि भाषा के केवल दो ही रूप हैं--साहित्यिक और सामान्य। परन्तु 'कार्यालयीन हिन्दी' के लेखक की मान्यता है कि 'कार्यालयीन हिन्दी' भाषा की एक प्रयुक्ति है जो उसे 'सामान्य हिन्दी' से अलग कर देती है। लेखक ने उदाहरण देकर अपनी बात कहने का प्रयास किया है।

पुस्तक में कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली 'हिन्दी' की प्रकृति को निश्चित सीमाओं में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। लेखक की मान्यता है कि कार्यालयों के कर्मचारी केवल ग्यारह प्रमुख वाक्य संरचनाओं और बीस क्रियाओं वाली 'कार्यालयीन हिन्दी' से अपना सभी काम-काज सरलता से कर सकते हैं। पुस्तक में आलेखन और टिप्पण के विविध मानक रूप भी प्रस्तुत किए गए हैं।

राजभाषा नीति भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपक्रमों, निगमों आदि में लागू होने के कारण राजभाषा हिन्दी का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है। अतः यह पुस्तक राजभाषा से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक का गेटअप और मुद्रण साफ सुथरा है परन्तु प्रूफ की कुछ अशुद्धियां देखने में आई हैं। पुस्तक मूल्य 80/- रु. रखा गया है जो सामान्य पाठक की क्रय-सीमा को देखते हुए काफी अधिक प्रतीत होता है।

--र. कु. सेन
अनुसंधान अधिकारी

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 12-7-89 के का०ज्ञा० सं० 12011/4/87 रा०भा०(घ) की प्रतिलिपि

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी टंकण और आशुलिपि की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 27 जुलाई 1960 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/60-एच और 14 मई 1969 के का.ज्ञा. सं. 15/5/69-हि.(1) में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने नकद पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जोकि निम्न प्रकार से है :—

हिन्दी टंकण

97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 450 रु. का नकद इनाम
95 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 300 रु. का नकद इनाम
90 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 150 रु. का नकद इनाम

हिन्दी आशुलिपि

95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 450 रु. का नकद इनाम
92 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 300 रु. का नकद इनाम
88 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 150 रु. का नकद इनाम

2. नकद पुरस्कारों की देयता के सम्बन्ध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किये गये आदेशों में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय की सहमति से इनकी तारीख 5 जून, 1989 की अशासनिक टिप्पणी सं. 22/11/ई-2(ए)/89 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

□

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 12-7-89 के का० ज्ञा० सं० 12011/4/87-रा०भा० (घ) की प्रतिलिपि

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि नकद पुरस्कार।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के 14 मई 1969 के का.ज्ञा. सं. 15/1/69-एच-1 और 26 अप्रैल, 1974 के का.ज्ञा. सं. 12033/33/72-एच-1 में केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्राज्ञ, प्रवीण और प्रबोध परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कारों के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।

2. उपर्युक्त विषय पर जारी किये गए सभी अनुदेशों का आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने नकद पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है जो कि निम्न प्रकार से है :—

प्रबोध

70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 300 रु. का नकद इनाम
60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 150 रु. का नकद इनाम
55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 75 रु. का नकद इनाम

प्रवीण

70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 450 रु. का नकद इनाम

60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 300 रु. का नकद इनाम
55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 150 रु. का नकद इनाम

प्राज्ञ

70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 450 रु. का नकद इनाम
60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 300 रु. का नकद इनाम
55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	प्रत्येक को 150 रु. का नकद इनाम

3. नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी जो पहले जारी किये गये आदेशों में निहित हैं।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय की सहमति से उनकी तारीख 5 जून 1989 की अशासनिक टिप्पणी सं. 22(II)ई-II(ए)/89 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

□

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 11-7-89 के का. ज्ञा. सं. 12011/4/87-रा. भा. (व.) की प्रतिलिपि

विषय :—निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन—एक मुश्त पुरस्कारों में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के 21 मई 1977 का.ज्ञा. सं. 12013/3/76-रा.भा. घ., 31 दिसम्बर 1977 का.ज्ञा. सं. 12011/1/77-रा.भा.घ., 10 जनवरी 1979 का.ज्ञा. सं. 12016/2/78-रा.भा.घ., 29 अक्तूबर 1984 का.ज्ञा. सं. 12011/5/83-रा.भा.घ., में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने एकमुश्त पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जोकि निम्न प्रकार से है :—

परीक्षा	पुरस्कार
(1) हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रु. 375/-
(2) हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रु. 375/-
(3) हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रु. 450/-
(4) स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई हैं।	रु. 450/-
(5) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हिन्दी परिचय परीक्षा	रु. 450/-
(6) हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग परीक्षा	रु. 200/-
(7) हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा	रु. 500/-

2. एक मुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी जो पहले जारी किये गये आदेशों में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय की सहमति से उनकी तारीख 5 जून 1989 की अशासनिक टिप्पणी सं. 24(II)ई-II(ए)/89 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

□

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 23 जून, 1989 का.का.ज्ञा. संख्या—14016/65/88—केहिप्रस

विषय: —संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों, लोक उद्यमों, अभिकरणों आदि के कर्मचारियों के लिए 8-3-1989 से 20-3-1990 तक चलाए जाने वाले हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस संस्थान के दिनांक 3-1-1989 का पत्र संख्या-14016/65/88-केहिप्रेस/8 देखें, जिसमें इस संस्थान द्वारा दिनांक 8-3-1989 से 20-3-1990 तक चलाए जाने वाले हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचना दी गई थी। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि अब संस्थान की हिन्दी टाइपलेखन की गहन प्रशिक्षण की कक्षा में उन सभी प्रशिक्षणार्थियों/कर्मचारियों को जिन्होंने हिन्दी के साथ मिडिल अथवा समकक्ष परीक्षा जैसे प्रवीण आदि उत्तीर्ण की हो, को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। कृपया संस्थान के दिनांक 3-1-1989 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 5(3) में तद्नुसार संशोधन कर लें।

□

राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय) का दिनांक 9 मई, 1989 का. का. ज्ञा. संख्या 5/6/89-उ. नि. (परीक्षा)II/8326

विषय :—परीक्षा स्कंध से कोरे आवेदन-पत्र मंगाने तथा भरे हुए आवेदन-पत्र जमा करने की तिथियों के बारे में।

उपर्युक्त विषय के बारे में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षाओं में फेल हुए परीक्षार्थियों के भरे हुए आवेदन-पत्र पुनः परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों तक स्वीकार किए जाएंगे।

2. परीक्षा स्कंध से कोरे आवेदन-पत्र मंगाने और भरे हुए आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथियां नीचे लिखे अनुसार ही रहेंगी।

परीक्षा का नाम	परीक्षा शाखा से फार्म मंगाने की अंतिम तिथि	फार्म भरकर परीक्षा स्कंध में जमा कराने की अंतिम तिथि जिसके बाद फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।	परीक्षा की संभावित अवधि वास्तविक तिथि परीक्षा शाखा सूचित करेगा।
प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ	30 दिसम्बर (मई परीक्षा के लिए)	15 फरवरी (मई परीक्षा के लिए)	मई का दूसरा/तीसरा सप्ताह
	30 जून (नवम्बर परीक्षा के लिए)	16 अगस्त (नवम्बर परीक्षा के लिए)	नवम्बर का दूसरा तीसरा सप्ताह
टंकण/आशु-लिपि	30 जनवरी (जुलाई परीक्षा के लिए)	15 मार्च (जुलाई परीक्षा के लिए)	जुलाई का दूसरा/तीसरा सप्ताह
	31 जुलाई (जनवरी परीक्षा के लिए)	15 सितम्बर (जनवरी परीक्षा के लिए)	जनवरी का दूसरा/तीसरा सप्ताह

3. कृपया इसे सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाया जाए। □

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 4 मई, 1989-का का. ज्ञापन सं. 1/21012/11/88-रा. भा. (क-1)

विषय :—पदक, प्रमाणपत्र आदि पर राजभाषा का प्रयोग।

राजभाषा विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा प्रदत्त किए जा रहे पदकों, प्रमाण-पत्रों, पुरस्कारों आदि में राजभाषा के प्रयोग के बारे में एकरूपता नहीं है। राजभाषा विभाग में इस विषय पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा प्रदान किये जा रहे पदकों, प्रमाण-पत्रों, पुरस्कारों, सनदों, प्रशस्ति पत्रों, शील्डों, ट्राफियों आदि में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अथवा यदि आकार छोटा होने के कारण एक ही भाषा का प्रयोग संभव हो तो केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाना उचित होगा।

2. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों आदि के ध्यान में ला दें तथा इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने का भी अनुदेश दें।

□

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 22-8-89 का का. ज्ञा. सं. 12019/3/89 – रा. भा. (भा.)

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों की समीक्षा करने से पता चलता है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, निगमों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में विभिन्न अनुदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रमों के प्रावधानों का ठीक तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 1-2-88 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14012/14/87-रा.भा.(ग) के अन्तर्गत हिन्दी टाइपिस्टों के संबंध में जो अनुपात निर्धारित किया गया था, वह 31 मार्च, 1989 तक पूरा किया जाना चाहिए था परन्तु कई कार्यालयों में यह अनुपात अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसे अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक 20-8-87 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14012/2/87-रा.भा.(ग) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों का जो अनुपात निर्धारित किया गया है वह 31 मार्च, 1990 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस आदेश के अनुपालन में हो रही प्रगति पर ध्यान देना आवश्यक है।

4. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी में भी काम आने योग्य उपकरणों की खरीद पर जोर दिया जाता रहा है। फिर भी, कुछ कार्यालयों में कम्प्यूटर, टेलीप्रिन्टर आदि उपकरण केवल अंग्रेजी भाषा में काम आने योग्य ही खरीदे जा रहे हैं और पहले से उपलब्ध उपकरणों का हिन्दी में भी काम योग्य बनाने संबंधी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस स्थिति में भी सुधार आवश्यक है।

5. कुछ कार्यालयों, में न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन नहीं होने के कारण राजभाषा अधिनियम, संसद के संकल्प और नियमों आदि के प्रावधानों के पालन में कठिनाई हो रही है। इन पदों को शीघ्र सृजित करना चाहिए ताकि उन पर नियुक्तियां की जा सकें।

6. राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण में संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

□

पृष्ठ 100 का शेष

कार्यशाला में सर्वश्री शमशेर सिंह, रामकिशोर शर्मा, अशोक शर्मा ने व्याख्यान दिए एवं अभ्यास कराए। प्रतिभागियों को प्रशासनिक शब्दावली तथा अन्य सहायक साहित्य वितरित किया गया।

श्री बी.एम. वर्मा, परियोजना प्रबंधक ने हस्ताक्षर प्रतियोगिता के पन्द्रह विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए हिन्दी में काम करने, हस्ताक्षर करने, चैक तथा अन्य फार्म भरने का अनुरोध किया। प्रतिभागियों ने विश्वास दिलाया कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करेंगे।

इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री ओमप्रकाश मेहता, श्रम कल्याण पर्यवेक्षक।

---

103 का शेष

करने की दृष्टि से सभी कर्मचारियों से यह अनुरोध किया गया गया था कि जो कर्मचारी वर्ष के दौरान 20,000 या इससे अधिक शब्द हिन्दी टिप्पण व आलेखन आदि के लिए लिखेंगे उन्हें नकद पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। मुद्रणालय के अनेक कर्मचारियों ने इस प्रोत्साहन योजना में भाग लिया जिन कर्मचारियों को प्रथम पुरस्कार (400/- रुपए) द्वितीय पुरस्कार (200/- रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार (150/- रुपए) प्रदान किए गए, वे हैं:—

श्री अशोक कुमार अवर श्रेणी लिपिक, रोकड़ अनुभाग (प्रथम) श्री चौकस राम, उच्च श्रेणी लिपिक, स्थापना-II अनुभाग (द्वितीय) तथा श्री ईश्वर दत्त, उच्च श्रेणी लिपिक, अधिप्राप्ति अनुभाग (तृतीय)।

दिनांक 11-8-1989 को पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रबन्धक श्री आर. कुन्जितपादम ने सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि वे पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी इस गति को बनाए रखेंगे।

इस अवसर पर हिन्दी अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह राणा ने सभी उपस्थित कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी में काम करने की नियमित रूप से आदत डालें।

तिरुअनन्तपुरम : दूरसंचार परिमण्डल में के. स. हि. परिषद् द्वारा आयोजित "हिन्दी के बढ़ते चरण" प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्य महाप्रबन्धक श्री उ. वि. नायक तथा अन्य अधिकारीगण

गुंटुपल्ली : मालडिब्बा कारखाना में आयोजित कार्यक्रम के दो दृश्य

संस्कृत ग्राम मत्तुरु

कर्णाटक राज्य के शिवमोगा जिलान्तर्गत एक छोटा सा गांव मत्तुरु है, जहां लोग संस्कृत भाषा में बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। शिवमोगा से केवल 6 कि. मी. की दूरी पर स्थित यह छोटा सा गांव "संस्कृत ग्राम" के नाम से जाना जाता है।

संस्कृत पाठशाला को जाते हुए छोटे-छोटे बच्चे संस्कृत भाषा में संभाषण करते हुए दिखाई देंगे। खेतों की ओर जाते हुए, मजदूर लोग भी परस्पर संस्कृत में बोलते मिलेंगे।

छोटी-छोटी झोपड़ियों में भी लोग संस्कृत में बातें करते हुए दिखाई देंगे। वहां के घरों के प्रवेश द्वार पर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर—"इस घर में आप संस्कृत में बात कर सकते हैं"—ऐसा लिखा रहेगा। घर की प्रत्येक वस्तु के नाम आपको संस्कृत में सुनने को मिलेंगे। दुकानों में वस्तुओं के नाम भी संस्कृत में लिखे मिलेंगे। ग्राहक को भी संस्कृत में बात करनी पड़ती है।

बाग-बगीचों में काम करते हुए, विद्यार्थी लोग वेदमन्त्रों को मधुर स्वर में गाते दिखाई देते हैं। सूर्यास्त के समय सभी बच्चे-बड़े मिलकर तुंगा नदी के किनारे सामूहिक रूप से संध्या, प्रार्थना करते हैं। कुछ विद्वान प्रतिदिन संस्कृत के किसी एक महाकाव्य पर चर्चा करते हैं। इस ग्राम में आकर ऐसा लगता है कि हम किसी वैदिक काल के एक ग्राम में आ गए हैं। विश्व में शायद ही ऐसा कोई ग्राम होगा। मत्तुरु ग्राम में इस तरह के संस्कृतमय वातावरण के लिए अपना एक इतिहास है। विजयनगर साम्राज्य के समय इस ग्राम का नाम कृष्णराजपुरम् था। एक बार तुंगा नदी में बाढ़ आने पर यह गांव बह गया और एक बार फिर यह ग्राम बसा, इसीलिए इस ग्राम का नाम "मत्तुरु" रखा गया। कन्नड़ भाषा में "मत्तरु" का अर्थ "फिर से बना गांव" होता है।

मैसूर के महाराज ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था, उसके लिए ब्राह्मणों को केरल में बुलाया गया। यज्ञ सम्पन्न होने के बाद, मैसूर के महाराज ने इन ब्राह्मणों को कर्णाटक में ही रहने की सलाह दी। इनमें से कुछ ब्राह्मण परिवार तुंगा नदी के किनारे इस गांव में आकर बस गए। वहां अपने उपजीवन के लिए नारियल तथा सुपारी के बगीचे बनाकर रहने लगे। तभी से यहां संस्कृत भाषा अध्ययन तथा वैदिक संस्कृति के प्रचार में लोग लगे हुए हैं।

यहां की एक संस्था हिन्दु सेवा प्रतिष्ठान, संस्कृत संभाषण शिविरों की व्यवस्था करती है जिसमें केवल संभाषण से बिना किसी पुस्तक या लिखित रूप से, संस्कृत भाषा केवल बातचीत से ही सिखायी जाती है। संभाषण शिविर के बाद "अभ्यास वर्ग' चलाया जाता है जिसमें संभाषण की गलतियों को सुधारा जाता है। तीसरे अन्तिम "प्रशिक्षण शिविर" में दूसरों को पढ़ाने की विधि सिखाई जाती है। इस ग्राम में अधिकांश पत्र-पत्रिकाएं संस्कृत भाषा की ही आती हैं। नाटक, सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि भी संस्कृत भाषा में ही सम्पन्न होते हैं। यहां की संस्कृत पुस्तकें भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कन्नड़-संस्कृत कोष, व्यवहार सहस्र, व्यवहार वाक्यानी इत्यादि।

संस्कृत पढ़ने के इच्छुक व्यक्ति बम्बई, मद्रास आदि जगहों से आकर एक-दो सप्ताह में संस्कृत में बातचीत करना सीख जाते हैं। संस्कृत अध्ययन का एक केन्द्र बनाने का भी यहां प्रयत्न चल रहा है।

संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार में यह ग्राम एक सराहनीय तथा अनुकरणीय कार्य कर रहा है।

वी. एस. पतंगे

सार्वदेशिक साप्ताहिक 13-12-87 से साभार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए डॉ० गुरु दयाल बजाज द्वारा लोकनायक भवन, खा.न मार्किट नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

1989